राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 7] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम् सत्र का आठवां दिवस [संख्या 8

सोमवार,

दिनांक 16 मार्च, 1970.

विधान सभा की बैठक म०पू० 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरञ्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था ।

श्री हरलाल सिंह खर्रा, सदस्य विधान सभा ने ग्राम सामोद, थाना चौमू, जिला जयपुर, में दिनांक 15-7-69 को एक महीला को उसके ससुराल वालों द्वारा तेल छिड़क कर जिन्दा जला देने तथा उस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न करने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है । यह मामला बहुत पुराना हो जाने के कारण अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री भगवान दास शास्त्री, श्री लक्ष्मण तानीवाल, सदस्य, विधान सभा, से प्राप्त हुई है जिसमें उन्होंने अजमेर नगर में नगरपरिषद् की अकर्मण्यता के कारण सफाई वं स्वच्छता के न होने से बीमारी फैलने के खतरे का उल्लेख किया है । यह मामला भी अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है ।

इसके अतिरिक्त यह मामले सम्बन्धित मांगों पर बहस के दौरान भी उठाये जा सकते हैं । अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं ।

इनके अतिरिक्त एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री राम चन्द्र आर्य व श्री केदार नाथ, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें यह कहा गया है कि दिनांक 14 मार्च, 1970 को जयपुर रेल्वे स्टेशन पर गिरफ्तार किये गये गंगानगर जिले के सत्याग्रहियों को जयपुर जेल में साधारण कैदियों की श्रेणी में रखा गया है । सत्याग्रहियों को मिलने वाली सुविधायें नहीं दी गई हैं ।

एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री दुर्गालाल बाढदार, सदस्य, विधान सभा से मिली है जिसमें उन्होने यह कहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज, अजमेर के एक प्रोफेसर व नसीराबाद गुड्स ट्रान्सपोर्ट के प्रोप्राइटर के परस्पर झगड़े में राज्य सरकार द्वारा समय पर कार्यवाही न किये जाने के कारण अजमेर नगर में विषम स्थिति उत्पन्न

(श्री अध्यक्ष)

हो गई है, वहां पर शान्ति व व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाना बतलाया गया है।

उपरोक्त दोनों मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर इन पर निर्णय लिया जाकर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा।

श्री हरलालसिंह खर्रा याचिका का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरलालसिंह : अध्यक्ष महोदय..

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन प्रस्ताव दिया है उसमें राज्य सरकार से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। काफी पुराना विषय हो गया है। विद्यार्थियों में गहरा असन्तोष है और जनता में इस बात का काफी क्षोभ है। सम्बन्धित अधिकारी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दोनों ओर से आरोप लगाये जा रहे हैं। उनको प्रश्रय दिया जा रहा है। कोई व्यवस्था दें अन्यथा राज्य सरकार को लॉ एन्ड ऑर्डर मेन्टेन करने की····

श्री अध्यक्ष : इसीलिये जानकारी प्राप्त की है उसके बाद....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : व्यवस्था शीघ्र ही दिलाने की.....

श्री अध्यक्ष : शीघ्र ही लिखा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने समाचार पत्र पढ़े होंगे। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। बड़ा गजब हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह अभी जगजीवन राम जी ने स्वतन्त्र पार्टी को समर्थन देने की घोषणा अहमदाबाद में की है। बम्बई में पारित हुआ समाजवाद का प्रस्ताव डूब जायगा। समाजवाद का सारा ढिंढोरा खतम हो जायगा। जो देश में हवा चल रही है, उससे समाजवाद का भवन ढह रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुल्क कहां जायगा, ढह जायगा, गजब हो जायगा, इन्दिराजी की कांग्रेस ने सामन्तवादी स्वतन्त्र पार्टी को समर्थन गुजरात में दे दिया तो, मैं समझता हूं, समाजवाद का क्या होगा? इस मुल्क का क्या होगा? यह बड़ा गंभीर मसला है, इसलिये सदन की पूर्व कार्यवाही को स्थगित की जाकर इस स्थगन प्रस्ताव को लिया जाय नहीं तो यह देश डूब जायगा, तबाह हो जायगा। क्या होगा? अगर स्वतन्त्र पार्टी को समर्थन दे दिया जायगा तो देश का क्या हाल होगा? ऐसी पूंजीवादी सरकार का क्या होगा, अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

यह अभी अभी स्थगन प्रस्ताव मेरे पास आया है इसलिये मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एक दिन में सारी कार्यवाही रुक जायगी।

श्री अध्यक्ष : महत्व बाहर और अन्दर का है इसलिये मैं इस पर सोच लूंगा और बाद में....

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, जो जेल के अन्दर 26 सत्याग्रही हैं उनको न तो दवा दी जाती है और न ही उनको पूरा खाना दिया जाता है। आज जो

(श्री रामचन्द्र आर्य) मांग कर खाने वाले हैं वे एक दो टाइम चाय पीते है लेकिन उन सत्याग्रहियों को चाय नहीं, दवा नहीं। 26 भूख हड़ताल पर बैठे हुये हैं। यह मामला गंभीर है। इस पर सम्बन्धित मंत्री का स्टेटमेंट होना चाहिये, पूरी व्यवस्था होनी चाहिये और सत्याग्रहियों को सत्याग्रह की श्रेणी में लिया जाना चाहिये क्योंकि वह आन्दोलन...

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य ज्यों ही स्थगन प्रस्ताव आया शीघ्रातिशीघ्र जानकारी के लिये मैंने कहा है। कल जानकारी प्राप्त होने पर जवाब देने का आग्रह किया है। याचिका का उपस्थापन।

श्री हरलालसिंह, सदस्य विधान सभा याचिका का उपस्थापन करेंगे।

याचिका का उपस्थापन

श्री हरलाल सिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं ग्राम अजीतगढ, जिला सीकर की हायर सैकेण्डरी स्कूल में कृषि व विज्ञान विषय खोलने से सम्बन्धित याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सन् 1970-71 के बजट पर सरकार की ओर से उत्तर माननीय वित्त मंत्री महोदय।

आय व्ययक पर सामान्य वाद विवाद का सरकार की ओर से उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बजट पर जो वाद-विवाद हुआ, उसके सम्बन्ध में मुझे कोई ज्यादा निवेदन नहीं करना है। सिर्फ एक पाइन्ट के बारे में मैंने उपयुक्त समझा मैं कुछ कहूं। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान में यह कहा था कि सेन्टर की तरफ से रिलीफ का काम काज फेमीन के बारे में एक कमेटी नियुक्त करने का जो प्रस्ताव आया, उसका हमने विरोध किया है। मैं उसके बारे में यह स्पष्ट कर दूं कि जो कमेटी के निर्माण का पत्र हमारे पास आया था, उसके फंक्शन क्या होंगे, वह उसके साथ में नहीं था और अगर केवल वह कमेटी फेमिन रिलीफ वर्क्स को सेंक्शन करने के लिये, कन्डक्ट करने के लिये–क्या होगा, मालूम न हो तब तक स्वाभाविक बात थी कि हम उसके बारे में स्वीकृति नहीं दे सकते थे। अभी 3-4 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के पास से उसके टर्म्स ऑफ रेफरेन्स और फंक्शन्स के बारे में भी लिख कर आ गया है स्पष्ट रूप से और हमने कुछ अमेन्डमेंट के साथ और वह अमेन्डमेंट भी और किसी चीज के बारे में विशेषतौर से नहीं, खास तौर से उस कमेटी के अन्दर राजस्थान के अन्दर केवल चीफ सेक्रेटरी को रखा है। रिलीफ कमिश्नर जो रात दिन इस काम से सम्बन्धित हैं, उसमें रखे जाने चाहिये वह सुझाव दिया है और उस कमेटी को स्वीकार करने वाली बात हमने लिख कर भेज दी है। इतना ही मैं निवेदन करना चाहता हूं, बाकी वित्त मंत्री जी उत्तर देंगे।

श्री मथुरादास माथुर (वित्त मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में बजट को लेकर 4 दिन तक चर्चा हुई और सदन के माननीय सदस्यों ने इस बजट को कई तरह से पुकारने की कोशिश की है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस वक्त बजट बहस के दौरान हमारे इस सदन के वह माननीय सदस्य जो समाजवाद में विश्वास रखते हैं, या सदन के वह माननीय सदस्य

Page No 4

(श्री मथुरादास माथुर)
जो समाजवाद में विश्वास नहीं रखते हैं, सभी ने राज्य सरकार पर और इस बजट पर यह ओलम्बा देने की कोशिश की कि हमारा यह बजट समाजवादी नहीं है। स्वतंत्र पार्टी से बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी यही कहा कि यह गैर समाजवादी बजट है। और भी दूसरे कई लोगों ने बहुत सों ने समर्थन भी किया और बहुत सों ने इस बजट के सिलसिले में मिश्रित विचार धारायें रखीं। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट इस बात को लेकर कि इसके मुख्य उद्देश्य और इसके फिलासोफिकल कन्टेन्ट्स को देखते हुए हमने बनाने की कोशिश की है, वह यह की है कि उसको कोई भी संज्ञा दी जाये मगर जहां तक हो सका बजट के अन्दर जो आमदनी इकट्ठी करने के, जो साधन उपलब्ध करने के लिए जरिये हमने इस बजट में रखे हैं, उसमें यह खयाल रखा गया है कि गरीबों पर उसका ज्यादा वजन नहीं पड़ें और जहां तक हो सके गरीबों पर कतई वजन न पड़े.....

श्री रामचन्द्र आर्य: बच्चों की कापियों पर टैक्स लगाया, उसका किस पर वजन पड़ेगा ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर चाहूंगा कि माननीय सदस्य मुझे पूरा सुनें और फिर उसके बाद में जो भी कहना चाहें, अंत में वह कह सकते हैं। इस लिये मैंने इस बात की पूरी कोशिश की है। मुझे खेद है नोहर से आने वाले माननीय सदस्य अनुमन बजट के दौरान यहां गैर हाजिर थे, इसलिए मुमकिन है कि उनकी सदन में प्रतिक्रिया हुई...

श्री रामचन्द्र आर्य : यह गलत है। मैं भी इस पर बोला हूं और आपकी सरकार ही समाजवाद से कोसों दूर है। कोई समाजवाद ही नहीं है और न यह बजट ही समाजवाद के नजदीक लाया गया है। मैं चेलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि इसमें जितने टैक्स लगाये गये हैं, वह सब गरीबों पर लगाये गये हैं। किसी धनवान पर नहीं लगाया गया है। यह बिलकुल सही बात है।

श्री विजयसिंह (मकराना) : और ज्यादातर मंत्री महोदय यहां से एवसेन्ट थे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप क्यों विरोध कर रहे हैं ? आपकी सरकार का समर्थन कर रहे हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इनको इसका भरोसा नहीं है। वह समझते हैं कि शायद कोई भ्रम की बात है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर): उनको तो है लेकिन आपने जो इन्टरप्रिटेशन किया, उसमें भरोसा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): आप तो आगे के लिए कर रहे हैं कि यहां नहीं समर्थन करने लग जायें।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बड़े बड़े मुद्दे इस बजट को ले कर उठाये गये हैं उनके ऊपर आऊं उसके पहले यह निवेदन कर रहा था कि नजरिया इस तरफ रहा है कि जहां तक हो सके, इस बजट का गरीब इनसानों के ऊपर ज्यादा वजन नहीं गिरे और मैं दोहराना चाहता हूं कि जो कुछ भी हमने इस बजट के अन्दर खर्च के लिये प्रावधान रखे हैं उसमें भी शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स और गरीब तबके के लोगों को ज्यादा राज्य सरकार की नीति के आधार पर उन पर खर्च किया

(श्री मथुरादास माथुर)

जाये और उनकी माली हालत उठे, इस बात को लेकर सदन में बजट पेश किया गया है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको समाजवादी कहा जाये या गैर समाजवादी कहा जाये, मैंने अपने बजट भाषण के अन्दर समाजवाद की पूरी व्याख्या की है और उसमें मैं यह मानता हूं कि इस बजट के अन्दर हम ज्यादातर जो राज्य सरकारों के बजट हैं, वह समाजवाद के मूलभूत आधार पर भारत सरकार के नीचे ही एक समाजवाद का दृष्टिकोण पेश कर सकते हैं । लेकिन जहां तक राज्य सरकार से संबंध है उसमें जो भी हम कर सकते हैं, जो हमारे इस समय वित्तीय साधन हैं और वित्तीय स्थिति है उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी नीति हमने अख्तियार की है, वह समाजवाद की तरफ अगला कदम है । अध्यक्ष महोदय, मैं इस भूमिका के साथ में अब माननीय सदस्य जो सदन के इस ओर और उस ओर बैठे हैं और मुख्तलिफ सियासी विचार लेकर इस सदन में बैठे हैं चाहे राजनैतिक कारणों से सरकार का उन्होंने विरोध किया हो, वह अलग बात है लेकिन विचार धारायें अलग अलग हैं इसलिए उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं और इस कारण मैं पहले वित्तीय समस्याओं के ऊपर चर्चा करने की कोशिश करूंगा ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विरोधी दल के नेता ने और सदन के अन्य माननीय नेताओं ने अमुमन कहा है और अमुमन कहा जाता है कि जो यह राज्य सरकार का बजट है, यह दीवालिया बजट है । राज्य सरकार दीवालिया हो चुकी है । मैं विद इन इनवरटेड कामाज हमारे विरोधी दल के नेता के लफ्ज सदन के सामने रख रहा हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, दीवालिया का मतलब इनसाल्वेन्सी और इसका मतलब डिक्शनेरी से लिया जाये या कानून से लिया जाये । इसका मतलब यह है कि जिसके पास पूंजी नहीं हो और जिसके पास कर्ज ज्यादा हो उसको दीवालिया मैं कहता हूं । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पुरजोर शब्दों के साथ माननीय सदस्यों को निवेदन करना पसन्द करूंगा कि राज्य सरकार कतई दीवालिया नहीं है । राज्य सरकार के असेटस उसकी लाइबिलिटी से ज्यादा हैं, इसलिए राज्य सरकार के पास में पब्लिक टैक्स ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है, लाइबिलिटी ज्यादा है तो राज्य सरकार के पास में हमारी हैसियत भी ज्यादा है । हमारे असेटस भी ज्यादा हैं, इसलिए इसको दीवालिया सरकार नहीं कहा जा सकता ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की सूचना के लिए यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुछ भी इस समय हमारी देनदारी है, राज्य सरकार की जिसमें फेमिन को अलग ले लिया जाये तो 514 करोड़ रुपये की है और यह 31-3-70 तक हमारी देनदारी होगी और उसमें अगर फेमिन का 77 करोड़ और जोड़ दिया जाये तो कुल मिलाकर 591 करोड़ की होगी । मैं फेमिन और प्लान दोनों के ही आंकड़े दे रहा हूं । 514 करोड़ की देनदारी है, 77 करोड़ फेमिन का कर्जा है उसके मुकाबले में अगर फेमिन को अलग से लिया जाये तो हमारी इस समय लाइबेलिटी 567 करोड़ रुपये की है और इसके अन्दर वह लाइबिलिटी नहीं है, वह असेटस नहीं हैं जो राजस्थान बनने के पहले

(श्री मथुरादास माथुर)
राज्य सरकारों से जो हमको असेट् स मिले थे, वह इसमें शामिल नहीं है। यह पहले की सरकारों के असेट्स के आंकड़े इस समय पूरे नहीं हो पाये हैं और अगर हो गये हैं तो मेरे पास आंकड़े नहीं हैं...

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): इतने दिनों में नहीं हुए तो कितने दिनों में होंगे?

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए 567 करोड़ के असेट्स होते हैं बमुकाबले 514 करोड़ के.....

श्री विजयसिंह : आपकी लाइबिलिटी पर विश्वास कौन करता है? आपने पहले संधि की थी उसी को नहीं निभाया।

श्री नत्थीसिंह : इस समय तो जनता की संधि की बात याद करते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : यह प्रश्नोत्तर काल नहीं है....

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, यह विश्वास दिला दें कि भाषण के बाद में हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया जायगा। क्योंकि बाद में ये भाग जाते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपको उत्तर दूंगा। कभी नहीं भागता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसलिए यह गारन्टी दिला दें कि भाषण के बाद में हमारे उत्तर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : गारन्टी नहीं मुचलके लिये जायें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज जमेगा नहीं भाषण क्योंकि जगजीवन राम जी का स्टटमेंट आ गया है।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है कि यह सदन में बार बार कहा जाता है कि राजस्थान सरकार दीवालिया है। इन आकड़ों से साबित करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के साधन देनदारी से ज्यादा हैं। अगर फेमिन का कर्जा गिनें भी तो उसके जरिये से असेट्स बने हैं, जो माईनर, मीडियम इर्रीगेशन के काम हुए हैं, जो सड़कें बन रही हैं, जो हमारे असेट्स हैं, जो फारेस्ट के काम हुए हैं वह भी इसमें शामिल नहीं हैं ....

श्री रामचन्द्र आर्य : वह सड़कें कागजों में ही बनी हैं, जमीन पर नहीं बनी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है। इसलिए विरोधी दल के माननीय नेता से निवेदन करूंगा कि हमारी असेट्स ज्यादा हैं बमुकाबले देनदारी के, इसलिए वह अपनी गलतफहमी निकाल दें ....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत अदब के साथ वित्त मंत्री जी से इतना ही कहूंगा कि जो असेट्स का आपका स्टेटमेन्ट है वह भी मेरे ख्याल में ठीक दिशा में नहीं है और आपका स्टेटमेन्ट ओफ टोटल असेट्स है, वह बिलकुल रोंग है। यह फाइनेन्शल एक्सपर्ट कोई भी साबित कर सकता है। यह सब आप एग्जाजरेटेड पिक्चर पेश करना चाहें, तो कर सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : आप अपनी असेट्स की सूची दे सकते हैं कि राज्य सरकार ने किस किस प्रकार के असेट्स का क्या क्या वेलुएशन कर रखा है?

Page No 7

श्री मथुरादास माथुर : मैं सूची दे सकता हूं और आप चाहें तो इस समय बता सकता हूं और आज के हालात में, आज की प्राईस लेवल में यह असेट्स और ऊंचे हो जायेंगे। जिस समय असेट्स का वेलुएशन हुआ था, उस समय के यह हैं। यह सूची दी जा सकती है और इससे मालूम हो जायेगा कि असेट्स ज्यादा हैं और माननीय विरोधी दल के नेता का भ्रम है कि यह एग्जाजरेटेड हैं, वह भी दूर हो जायेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं इन्टरप्ट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन तालाव, केनाल और जो आपने असेट्स जंगल के बताये हैं, उसमें मत मतान्तर होना स्वाभाविक है। मैं आपके साथ बिलकुल सहमत नहीं हूं कि यह असेट्स हैं, लेकिन ये परमानेन्ट नेचर के असेट्स हैं और इनको सही असेट्स के रूप में बजट में एड-अप आप करना चाहें, तो मैं इस मत का नहीं हूं।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष,

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जंगल तो नष्ट हो गये, जंगल में क्या इन्वेस्टमेंट किया ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष, अगर माननीय विरोधी दल के नेता एक मत ही हो जाते तो वे इधर ही होते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं, वह साथ ही होंगे आपके।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मुझे तो एक सवाल आपसे यह पूछना है कि आपने आज तक कितना कर्जा लिया ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं बता चुका हूं।

श्री मदनसिंह : दिवालियापन इसी में है।

श्री मथुरादास माथुर : गलतफहमी है, ठाकुर साहब आपको।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : एक प्रश्न मेरा है।

श्री मथुरादास माथुर : आप बाद में पूछ लें तो कह सकता हूं।

श्री जुझारसिंह : मेरी एक छोटी सी बात है कि एसेट्स से जो आपको इनकम होती है और लायेबिलिटीज का जो इन्ट्रेस्ट लगता है वह ज्यादा है क्या ?

श्री मथुरादास माथुर : वह आ रही है। भैरोंसिंह जी ने प्रश्न किया था तो मैंने कहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप लोग जांच कर लें। मेरा जो एसेट्स का वेल्युएशन हुआ है सदन के माननीय सदस्यों ने बहुत चिन्ता करके देखा है। हम लोगों ने जो एस्टीमेट्स बनाये हैं, उनमें आज के फीगर नहीं दे रहा हूं। वे पुराने हैं और करीब करीब इस बजट के भाषण के अलावा हर बजट के भाषण में लेटेस्ट फीगर्स देता रहता हूं और मैंने समझा कि रिपीट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी प्रश्न उठा है, इसलिए मैंने यह आंकड़े दिये हैं। इसलिए आपको जो गलत फहमी है उसको निकाल देना चाहिये।

माननीय अध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्य सरकार पर यह चार्ज लगाया है कि हम लोग बजट एस्टीमेट्स बनाते हैं और उसके बाद में जो रिवाइज्ड एस्टीमेट बनता है उसमें बहुत बड़ा अन्तर होता है और हमारा एस्टीमेशन रोंग है। मैं नम्र

(श्री मथुरादास माथुर)
निवेदन करना चाहता हूं कि जितना ह्यूमनली पासिबिल होता है और जो कुदरत की वैगरीज हैं जिन का आप और हम अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं, उससे हो जाता है। एस्टीमेट्स करने वाले हम लोग यह करते हैं कि नार्मली यह होगा लेकिन भयंकर अकाल पड़ता है या भयंकर बाढ आ जाती है या ऐसी हरकत हो जाती है जिसका आपको और हमको अन्दाजा नहीं है तो उससे वेरियेशन्स हो जाते हैं। इसलिये मैंने 1969-70 के बजट एस्टीमेट्स के जो आंकड़े दिये थे उसमें 17·62 करोड़ का घाटा रेवेन्यू एकाउन्ट में था, इसमें रिवाइज्ड घाटा 28 करोड़ के करीब हो गया। इसके मायने यह हुए कि डिफरेन्स 10·54 करोड़ का रहा। बजट एस्टीमेटस और रिवाइज्ड एस्टीमेटस में जो टोटल डिफरेन्स उसके अनुसार आया उसमें 9·18 करोड़ है मगर वह रेवेन्यू अकाउन्ट के अन्दर है। अब रेवेन्यू एकाउन्ट में 9·18 करोड़ का हुआ है तो फाइनेन्स कमशीन का 9·68 करोड़ उसमें वह हो गया इसलिए रेवेन्यू बजट के अन्दर तो घाटा नहीं रहा। जो इसमें घाटा था वह निकल गया। अब आओ केपिटल एकाउन्ट पर। तो केपिटल एकाउन्ट में हमारा डिटेरियोरेशन हुआ है 11 करोड़ रुपये के करीब। उसकी वजह यह है कि अगर आप मेरे भाषण को गौर से पढे जो लास्ट इयर दिया गया था तो उसमें मैंने यह कहा था कि भारत सरकार के कर्जे की खन्दी चुकाने के लिए उनसे चर्चा चल रही है और उम्मीद है कि जो चर्चा चल रही है वह पूरी हो जायगी। इसलिए खन्दी चुकाने का जो 18 करोड़ रुपया नहीं रखा था, लेकिन भारत सरकार से चर्चा होते होते साल भर निकल गया और वह पूरी नहीं हो सकी, इसलिए 18 करोड़ रुपया अदा करना पड़ा और 4 करोड़ रुपया जो हमने पंचायत समितियों को एडवान्स दिया था तो लोन वसूली करने में कम आया, उसकी वजह यह है कि अकाल हो गया और गवर्नमेंट ने वसूली बन्द कर दी कि वह नहीं की जाय इसलिए 22 करोड़ की केपिटल एकाउन्ट में कमी रह गई। उसके बाद 12 करोड़ जो सेन्ट्रल असिस्टेन्स हमको मिलती थी उसमें ज्यादा मिला तो वह सेन्ट्रल असिस्टेन्स का 12 करोड़ इस टोटल में से निकालते हैं तो 10 करोड़ का डेफिसिट रह गया, और मैंने यहां जो रिवाइज्ड एस्टीमेट पेश किया उसमें 10·5 करोड़ का फर्क है। इसलिये मेरा निवेदन है कि कुछ बातें...

श्री भैरोंसिंह : इसलिये मैं कहता हूं कि इमेजिनेरी होता है, एस्टीमेंट नहीं होता है।

श्री मथरादास माथुर : एस्टीमेट बिल्कुल सही है। अगर एस्टीमेटस में आप यह मानते हैं कि अकाल के जमाने के अन्दर भी रेवेन्यू की वसूली कर लेंगे, पंचायत समिति से चार करोड़ की तो अकाल पड़ने के कारण वह वसूली नहीं कर सके वह न मेरे और न आपके हाथ की बात है। अगर वसूली करते तो माननीय सदस्य कहते कि वसूली कैसे की जा रही है। इसलिये यह बातें होने की वजह से यह ज्यादा 10 करोड़ का घाटा हो गया केपिटल एकाउन्ट में। रेवेन्यू एकाउन्ट में ज्यादा हो गया तो ज्यादा आ गया इसलिये उसका बराबर बेलेन्स करके सामने रख दिया और केपिटल एकाउन्ट में जो गड़बड़ी हुई है दो आइटम्स की, वह आपके सामने रखी है और इसी वजह से 10 करोड़ का घाटा दिखता है। इस बात की हम कोशिश करते हैं कि वह पूरा हो और एस्टीमेट्स ठीक हों। इसलिये यह चार्ज कि हमें एस्टीमेटस

(श्री मथुरादास माथुर)
बनाने के लिए कतई सूझबूझ नहीं है इस चार्ज को मैं डिनाई करता हूं। मैंने आपके सामने लास्ट इयर के बजट एस्टीमेट्स और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स का जो अन्तर है उसके फीगर्स रखे हैं और उसकी वजह भी बताई है।

माननीय अध्यक्ष, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने इसमें यह भी कहा कि हम लोग टेक्सेज से ही अपनी रेवेन्यू के रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं और नान टैक्स रिसोर्सेज की तरफ हम कोई तवज्जह नहीं देते हैं इसलिये नान-टेक्स रिसोर्सेज हर साल कम होते जाते हैं। ऐसी बातें कही हैं। तो मेरा नम्र निवेदन यह है कि 1964-65 से लगाकर 1970-71 के नॉन टैक्स के जो आंकड़े हैं और उसके जो बड़े बड़े मुद्दे हैं उसमें लिये जाता हूं। नान-टैक्स रेवेन्यू के अन्दर में सेन्ट्रल असिस्टेन्स, वैसे तो टेक्निकली नान टैक्स में गिन लिया जाता है लेकिन सही मायने में वह नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। वह बदलती रहती है। कभी ज्यादा होती है और कभी कम। इसलिये बैसिकली जो बात मैं कहना चाहता था सदन में वह यह कि वह नॉन टैक्स रेवेन्यू नहीं है। इस साल सेन्ट्रल असिस्टेन्स ज्यादा हो गई तो उसका मैं क्रेडिट नहीं लेना चाहता और नॉन टैक्स रेवेन्यू में बड़े बड़े जो मुद्दे हैं वे इरिगेशन्स रेट्स को नॉन टैक्स में लिया जाता है, वाटर सप्लाई रेट्स को नॉन टैक्स रेवेन्यू में लिया जाता है, सेल ऑफ लैण्ड एण्ड बेटरमेंट लेवी, इन्ट्रेस्ट ऑन लोन एडवान्स्ड बाई दी गवर्नमेंट, यह नान-टैक्स रेवेन्यू में आते हैं, माइनिंग के ड्यूज नॉन-टैक्स में, स्टेट लाटरी यह भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में है। तो ये आंकड़े नान-टैक्स के हैं तो जो आपकी मन्शा थी और उनको लेकर जो चार्ज लगाया है...

श्री भैरोंसिंह : बजट स्टडी में दूसरे आइटम्स दिये हैं।

श्री मथुरादास माथुर : बजट स्टडी में ये आइटम्स शामिल हैं। इसलिये उनके मिलने के बाद करेक्ट पिक्चर नहीं रहती है इसलिये मैंने करेक्ट पिक्चर देने की कोशिश की है। लास्ट ईअर नॉन-टैक्स रेवेन्यू ज्यादा होगई है इसलिये कि सेन्ट्रल ग्रान्ट ज्यादा आगई है। 1964-65 में 10.26 करोड़, 1965–66 में 14.43 करोड़ 1966-67 में 13.25 करोड़ 1967-68 में 16.78 करोड़ 1968-69 में 20.79 करोड़ और रिवाइज्ड एस्टीमेट्स 1969-70 में 2.49 करोड़ और बजट एस्टीमेट्स 1970-71 में 25.59 करोड़ हुए हैं। इसके माने यह हुए कि 1964-65 से लगाकर 1970-71 तक 149 पर्सेन्ट नॉन-टैक्स रेवेन्यू बढ़ी है। इसको अगर आप देखें तो कम्पाउन्ड रेट के हिसाब से 18 पर्सेन्ट की ग्रोथ हुई है। टैक्स रेवेन्यू 1964-65 से लगाकर 1970-71 तक 79 पर्सेन्ट बढ़ी है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 149 पर्सेन्ट। इसलिये ग्रोथ की रेट वहां चार पर्सेन्ट है, तो यहां 11 पर्सेन्ट। इसलिये यह बात कहना कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू की तरफ तवज्जह नहीं दे रहे हैं और टैक्स-रेवेन्यू से रेवेन्यू ज्यादा बढ़ रही है और रेवेन्यू पर ज्यादा तवज्जह दे रहे हैं, गलत है इसलिए मैंने दोनों के आंकड़े कम्पेयर करके सदन के सामने रखे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : टोटल रेवेन्यू रिसीट्स का नॉन टैक्स रेवेन्यू कितना पर्सेन्टेज है और टैक्स रेवेन्यू कितना पर्सेन्टेज है?

श्री मथुरादास माथुर : वह अलग से बता दूंगा बाद में। बजट एस्टीमेट्स में..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो आपने बजट स्टडी दी है उसमें टैक्स रेवेन्यू 53.48 पर्सेन्ट है और नॉन-टैक्स रेवेन्यू 20.06 पर्सेन्ट है।

श्री मथुरादास माथुर : जो बजट एस्टीमेट में 196 करोड़ हैं उसमें टैक्स का 57.82 पर्सेन्ट है उसमें से सेन्ट्रल असिस्टेन्स निकाल दी है...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे मालूम नहीं है ।

श्री मथुरादास माथुर : इधर है 28.59 पर्सेन्ट...

श्री मथुरादास माथुर : क्योंकि जो श्री भैरोंसिंह जी ने कहा था, वे यह चाहते थे कि नॉन टैक्स रिसोर्सेज को बढाया जाय। सेंट्रल असिस्टेन्स तो हमारे हाथ की बात नहीं है....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने जो ग्राफ स्टेटिस्टिकल डिपार्टमेंट का दिया है, उसमें यह बताया गया है कि 55-56 में जो आपकी टैक्स रेवेन्यू थी, वह 52 परसेन्ट थी, वह 70-71 में 54 परसेन्ट हो गई है और जो नॉन-टैक्स रेवेन्यू 55-56 में 37 परसेन्ट थी, वह घट कर 70-71 में 33 परसेन्ट ही रह गई है ।

श्री मथुरादास माथुर : वह ग्राफ ठीक है, उस ग्राफ में और मेरे आंकड़ों में यह फरक है कि सेंट्रल असिस्टेन्स उसमें इन्क्लूड किया गया है और मैंने जो आंकड़े दिये हैं, उनमें सेन्ट्रल असिस्टेन्स को अलग करके जो हमारे एफर्ट्स से किया गया है, वह मैंने बताया है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका फोरवार्ड आपने ही लिखा है। आपने ही बताया है कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू 37 परसेंट से घट कर 33 परसेंट ही रह गया है।

श्री मथुरादास माथुर : वह आंकड़े ठीक हैं । उनमें सेंट्रल असिस्टेन्स इन्क्लूडेड है, सेंट्रल असिस्टेन्स में हमारे एफर्ट्स नहीं हैं इसलिये उसको अलग करके हमारे खुद के एफर्ट्स से, राजस्थान के एफर्ट्स से जो टैक्स रेवेन्यू हुई है, वही मैंने रखी है। नॉन टैक्स रेवेन्यू के आंकड़ों में 149 परसेंट की ग्रोथ हुई है। और भी कुछ बढाने की गुंजाइश है पर माननीय सदस्य उसको नहीं मानेंगे। इरिगेशन रेट्स को लेकर, वाटर रेट्स को लेकर अगर आज नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढाने की कोशिश की जाय तो, उसके क्या परिणाम होते हैं, यह आपसे छुपा हुआ नहीं है।

इसलिये यह गलतफहमी हट जानी चाहिये कि नॉन-टैक्स रेवेन्यू को बढाने में हमारे एफर्ट्स कम हुए हैं।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने और भी कई मुद्दे उठाये, गारन्टीज का मुद्दा उठाया। जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि 55 करोड़ की गारन्टी दे रखी है और गारन्टी का कमिशन है, ये लेते नहीं हैं..

श्री भैरोंसिह : कम लेते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस 55 करोड़ की, गारन्टी में से 37 करोड़ की गारन्टी कोओपरेटिव सैक्टर की है । कोओपरेटिव सैक्टर से गारन्टी का कमीशन लेना माफ कर दिया है। ओटोनोमस सैक्टर आफ गवर्नमेंट हैं उनकी गारन्टी 7½ करोड़ की है। फाइनेन्स कारपोरेशन, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो देता है, उसमें हमारी 3¼ करोड़ की

(**श्री मथुरादास माथुर**)
गारन्टी है, उस पर भी हमें कमीशन नहीं मिलता है। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज के लिये एल० आई० सी० को 3½ करोड़ की गारन्टी हमने दे रखी है, उसमें भी हमें कमीशन नहीं मिलता है। कम्पनीज में हमारी 7½ करोड़ की गारन्टी है, उसमें से 6 करोड़ की गारन्टी कमानी को पिग आयरन लगाने के लिये देने का था लेकिन यह दी ही नहीं गई क्योंकि उसने यह काम प्रारम्भ ही नहीं किया। इस साढ़े सात करोड़ की गारन्टी में से 1½ करोड़ की गारन्टी बाकी सब कम्पनीज को है पर उन्होंने 1 करोड़ का ही फायदा उठाया है। तो इन 55 करोड़ में से 1 करोड़ का ही फायदा उठाया है। उसके ऊपर गारन्टी कमिशन मिलता है, वह आधा प्ररसेंट था, उसको 3/4 परसेंट किया है। इस 3/4 परसेंट का केल्कुलेशन है वह बजट में इन्डस्ट्रीज के हैड 35 में है। एक करोड़ की गारन्टी के कमीशन का पेमेंट होता रहता है, जिसकी मामूली रकम आती है। इसकी इन्कम टोटल हैड में बता दी है इसलिये अलग तौर से गारन्टी के फीगर आपको नजर नहीं आते।

दूसरी बात इन्वेस्टमेंट के बारे में कही कि इन्वेसटमेंट के रिटर्न्स कम हैं। मैं भी आपसे इत्तफाक करता हूं। इन्वेस्टमेंट कुल मिला कर राजस्थान में एक तो प्री-मर्जर की कम्पनियां हैं उनमें हैं, किसी ने स्टे ले रखा है, बाकी कम्पनियों का पूरा आया नहीं। वह कुल मिला कर 3 करोड़ है। कुल 40 कम्पनीज हैं, उनमें से कई खत्म हो गई हैं, कई दिवालिया हैं, कई लिक्विडेशन में हैं। लैंड मोर्टगेज बैंक्स के डिबेन्चर्स 2 करोड़ के हैं। कोओपरेटिव सोसायटीज के 5 करोड़ हैं, पब्लिक सैक्टर के 3 करोड़ हैं, रोडवेज के 2 करोड़ हैं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2.7 करोड़ हैं जिससे 2½ परसेंट मिलता है। लैंड मोर्टगेज बैंक्स में जो 2 करोड़ के डिबेन्चर्स हैं उनसे हमें 5 परसेंट मिलता है।

श्री भैरोंसिंह : कम्पनीज में शेअर्स हैं, वे किसमें हैं?

श्री मथुरादास माथुर : वे इन्वेस्टमेंट में आ गये हैं, चाहे शेयर्स के फार्म में हैं, चाहे डिबेन्चर्स के फार्म में हैं।

यह जो हमारे पब्लिक सैक्टर और कोओपरेटिव सैक्टर में है इनसे दो परसेंट आता है, रोड़वेज में 6½ परसेंट इन्ट्रेस्ट मिल जाता है इसलिये 12½ लाख मिल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से 2½ परसेंट आता है, लैंड मोर्टगेज बैंक्स के डिबेन्चर्स से 5 परसेंट आता है। तो यह रिटर्न्स की स्थिति है।

कोओपरेटिव सैक्टर से 5 परसेंट मिल जाता है पर चूंकि यह कोओपरेटिव मूवमेंट इन्फेन्ट स्टेज में है, इसलिये इससे दो परसेंट ही मिलता है, बजट में भी कहा गया है कि कोओपरेटिव मूवमेंट इन्फेन्ट स्टेज में है इसलिये नहीं आता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी ज्यादा आना चाहिये पर फाइनेन्स कमीशन ने कह दिया कि आधा परसेंट कम लिया जाय। इसके अलावा प्री-मर्जर कम्पनीज में इन्वेस्टमेंट था, वे कम्पनीज कई लिक्विडेट हो गई हैं, इसलिये नोमिनल मामूली इन्ट्रेस्ट मिलता है। कुछ कम्पनियों से मिल रहा है। राजस्थान सरकार पूरी कोशिश में है कि हमें इन्वेस्टमेंट्स के पूरे रिटर्न्स मिलें। इसलिये मैंने......

श्री भैरोंसिंह : टोटल रिटर्न्स का परसेंटेज क्या है?

Page No 12

श्री मथुरादास माथुर: 2, 6, 5 और 2½ परसेंट हैं, (जरा केलकुलेट कर लेना (विराम)।

मैं अभी बता दूंगा। मेरा ख्याल है, एवरेज पड़ेगा सब मिला कर 3-4 परसेंट। अभी केलकुलेट हो जायगा।

श्री भैरोंसिह: यह प्राइवेट कम्पनीज में हमारे लोन हैं, डिबेन्चर्स वगैरह हैं, इससे क्या मिलता है?

श्री मथुरादास माथुर : एक तो सेंट्रल लोन्स वगैरह हैं, इसका 9 परसेंट और 12 परसेंट पैनल्टी का मिलता है, माननीय सदस्य जानते हैं, उस कमेटी के चेयरमेन हैं।

श्री भैरोंसिह : कमेटी की हैसियत से नहीं, मुझे परसनल जानकारी है।

श्री मथुरादास माथुर : हमने एग्रीमेंट किया, उस हिसाब से मिला है। कम जो आ रहा है, वह प्री मर्जर की कम्पनीज का आ रहा है। डिविडेन्ट नहीं मिला प्राइवेट कम्पनियों का, उसका कम आ रहा है। दो तीन कम्पनियां ऐसी हैं, उनसे हमें मिलता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि हमको सेंटर से, जो हमारे यहां इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिये इन्वेस्टमेंट हो, उसमें बहुत कम मिलता है। इस बारे में मुख्य मंत्री ने और सदन के और माननीय सदस्यों ने कहा। आपके बल पर राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें करके भारत सरकार और एन.डी.सी. के सामने मुख्य मंत्री ने रखा उसके परिणाम निकले हैं। फर्स्ट और सैकिन्ड प्लान में नेग्लिजिबल रिटर्न्स हुए। थर्ड प्लान में 30 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब फोर्थ प्लान के अन्दर हमारे यहां कुछ इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वह 106 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसलिए जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि राज्य सरकार भारत सरकार के ऊपर........

श्री भैरोंसिह : दबाव डाले।

श्री मथुरादास माथुर : दबाव डालें, वह दबाव डालने की वजह इस सदन की ताकत भी है, इस सदन में आपने भी भाषण में यह बात रखी और दूसरे माननीय सदस्यों ने भी यह बात रखी। उसकी वजह से यह हुआ। अब कुछ अनकमिटेड प्राजेक्ट हैं, वह और आने वाले हैं। मैं आपसे कहूंगा कि आप चाहें तो जो मेरे पास में सूची है, वह मैं सदन के सामने पढ़ सकता हूं। जो चौथी पंचवर्षीय योजना में इन्वेस्टमेंट रखा है, वह इस प्रकार है। खेतड़ी कापर प्राजेक्ट पर 71 करोड़ 28लाख, जिंक स्मेल्टर देबारी पर 5 करोड़, मशीन एण्ड टूल्स, अजमेर पर 5 करोड़ 96 लाख, इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा पर 3 करोड़ 10 लाख, मिनरल प्रोजेक्टस, सलादीपुरा पाइलेट प्राजेक्ट, उदयपुर फास्फेटिक, प्राजेक्ट पर 10 करोड़, हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड पर 11 करोड़ 22 लाख और रॉक फास्फेट के अन्दर 5 करोड़, यह मिलाकर 106 करोड़ के करीब हो जाता है। इसके अन्दर जो एटोमिक स्टेशन लगा रहे हैं, उसका इन्वेस्टमेंट जोड़ दिया जाय तो यह इन्वेस्टमेंट और ऊंचा हो जायगा। यह मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर सेन्ट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मुझे इस बात की खुशी है। वैसे मैं मानता हूं कि इसके साथ साथ और इन्वेस्टमेंट होने की आवश्यकता है। मैं निवेदन करूंगा कि

(श्री मथुरादास माथुर)
भारत सरकार ने 106 करोड़ का इन्वेस्टमेंट फोर्थ प्लान में करने का रखा है, इसके अलावा अनकमिटेड प्राजेक्ट और आयेंगे। इस प्रकार मैं उम्मीद करता हूं कि चौथे प्लान के अन्दर भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट सवा सौ करोड़ के करीब हो जायगा...

श्री भैरोंसिह: इसमें कोई नये प्राजेक्ट भी हैं? चौथी पंचवर्षीय योजना में यह कमिटेड प्राजेक्ट हैं जिनकी आपने गिनती की है। इसके अलावा इनमें कुछ नये प्राजेक्ट भी हैं?

श्री मथुरादास माथुर: उनका एक्सपेंशन है, उनका विस्तार है।

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल: नया तो कोई नहीं है?

श्री मथुरादास माथुर: इसके अन्दर रॉक फास्फेट को नया गिनें तो नया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): इसके अलावा कुछ प्राजेक्ट के लिए और कहा है, उदाहरण के तौर पर रिफाइनरी नोर्थ इंडिया के अन्दर फोर्थ प्लान में रखने की बात है, उसके अन्दर राजस्थान की तरफ से जोर दिया गया है कि राजस्थान ही उसके लिए स्यूटेबल जगह होगी। इसके अलावा और भी कई चीजें पब्लिक सेक्टर के अन्दर हैं जिनके बारे में अभी लोकेशन डिसाइड नहीं हुआ है। उसके लिए भी कोशिश कर रहे हैं?

श्री भैरोंसिह: रिफाइनरी तो गुजरात में गई!

श्री सतोशचन्द्र अग्रवाल: गुजरात में तो तभी जायगी जब वहां स्वतंत्र पार्टी की सरकार हो।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: गुजरात की अलग है, यह अलग है। इसमें गुजरात का सवाल नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर: जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, जयपुर से आने वाले दोनों माननीय सदस्यों ने कई दफा इस सदन में बागची कमेटी की रिपोर्ट की काफी चर्चा की है...

श्री भैरोंसिह: वर्षों से!

श्री मथुरादास माथुर: कई दफा चर्चा करते रहते हैं और मेरे और इनकी खतोकितावत भी इस सम्बन्ध में खूब चली है। मुझे माननीय भैरोंसिह जी ने खत लिखा था 1966 में, उनको मैंने उत्तर दिया था वह भैरोंसिह जी जानते हैं। मैंने उस वक्त कहा था, यह कोई आफटर थोट नहीं है, यह जो रिपोर्ट है बागची की, जो हमारे यहां के स्टेटिस्टिसियन थे और आज एजुकेशन डिपार्टमेंट में है.....

श्री भैरोंसिह: ब्यावर कॉलेज में प्रिन्सिपल हैं।

श्री मथुरादास माथुर: उनकी अध्यक्षता के अन्दर एक डिपार्टमेंट खोल कर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर इन्कम का ब्यौरा जानने के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी की रिपोर्ट आई, वह रिपोर्ट हमने देखी डिपार्टमेंट के अन्दर उस वक्त भैरोंसिह जी को जो लैटर लिखा था उसमें यह कहा था कि इसकी टेक्निकली मेथडोलोजी रोंग है। इस बागची कमेटी के द्वारा जो सेम्पल सर्वे की गई है, उसकी एप्रोच गलत है, और बहुत लिमिटेड है। उस रिपोर्ट में जो आंकड़े बन कर आये थे वह कामन सेंस से सही नहीं थे।

(श्री मथुरादास माथुर)

वह आंकड़े जो थे, उनके आधार पर मान लीजिये कि एक आदमी की औसत आमदनी चार आना और छः आना है, तो मेरे ख्याल में बड़े बड़े शहरों में पेंतीस पर्सेन्ट, चालीस पर्सेन्ट और पच्चीस पर्सेन्ट इस आमदनी के लोग हैं और उनकी आमदनी छः आना और चार आना रोज है यह एप्रोच ही गलत है कामन सेंस के अनुसार। अगर एक शहर में तीस पेंतीस पर्सेन्ट ऐसे लोग बसते हैं तो अजमेर जिसकी 1961 की सेंसस के अनुसार छः लाख की पोपूलेशन है, उसके अन्दर दो, सवा दो लाख आदमी औसत के रुप में पच्चीस रुपये कमाते हैं और वह फेमिली वाले हैं तो मेरे ख्याल में उनको भूख से मर जाना चाहिए। आज आप फेमीन की चर्चा करते हैं, जिसके अन्दर कि एक व्यक्ति को साढ़े बारह रुपये देते हैं एलाउन्स.....

श्री भैरोंसिह : भूख से नहीं मरे हैं यह प्रमाण है!

श्री मथुरादास माथुर : साढ़े बारह एक व्यक्ति को देते हैं इस हिसाब से एक फेमिली के हो जाते हैं पिचहत्तर, अस्सी। इसकी तुलना में एक बड़े शहर में एक फेमिली की इन्कम पच्चीस, तीस पड़ती है, यह कामन सेंस से गलत है। इसलिये ही मैंने भैरोंसिह जी को लिख दिया था कि यह फिगर्स पब्लिश नहीं किये जायेंगे क्योंकि इसकी मेथडोलाजी गलत है, इसका एप्रोच गलत है। और मैंने ही नहीं, सेन्ट्रल कौंसिल और नेशनल रिसर्च ने भी कहा था कि इसकी मेथडोलोजी गलत है। उन्होंने क्या किया था कि एक किसान से जाकर पूछा था कि आपकी क्या है आमदनी। उस किसान ने सोचा कि यह राज्य का आदमी है, इसको सही इन्कम बता दी तो खा जायगा न जाने क्या करेगा, इसलिए उसने सही बताया नहीं। इस प्रकार से यह जो फीगर्स इकट्ठे किये गये, उसको हमेशा के लिये सेल्फ कर दिया, हमेशा के लिये उस रिपोर्ट को खत्म कर दिया, उसको छापा नहीं और न उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। माननीय सदस्य इधर उधर से मांग कर ले आये होंगे, वह इसके बारे में ज्यादा बता सकते हैं कि उनका आंकड़े इक्ट्ठे करने का क्या तरीका था..

श्री भैरोंसिह : छापी नहीं है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कुछ छापी हैं।

श्री मथुरादास माथुर : छाप कर रख दी, उसका डिस्ट्रिब्यूशन बन्द कर दिया, जब हमारे सामने आई तो हमें मालूम हुआ कि यह रोंग है। इसके बारे में माननीय सदस्य से खतो किताबत हुई है और सतीश चन्द्र जी ने प्रश्न पूछा था, उसका जवाब भी दिया है। यह चार पांच साल की बात है। वह रिपोर्ट गलत है, उसमें जो आंकड़े बताये हैं, वह गलत हैं....

श्री भैरोंसिह : बागची कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट के आधार पर ही आपके बजट के फीगर्स का ट्रेन्ड रहा है। 1960-61 और 1961-62 में आपके बजट में यह रिपोर्ट रिफलेक्ट करती है। आप चाहें और अध्यक्ष महोदय समय दें तो मैं एक्स्प्लेन करके बता सकता हूं कि बागची कमेटी ने पर कैपिटा इन्कम का जो एस्टीमेट किया था, वही एस्टीमेट बजट स्टडी में है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बागची कमेटी की नियुक्ति डिस्ट्रिक्ट की पर कैपिटा इन्कम जानने के लिए की गई, स्टेट की इन्कम उस कमेटी

(श्री मथुरादास माथुर)
की रिपोर्ट के आधार पर नहीं है। एक बात हो सकती है कि इस कमेटीने जो रिपो ' दी थी उसके आंकड़ों का रिफलेक्शन बजट स्टडी में आ गया हो। लेकिन जब मेरे सामने वह रिपोर्ट आई बाद में तो मैंने फोरन 1964-65 में, जब मैं प्लानिंग मिनिस्टर हुआ, उसकी डिटेल्स में जाकर यह कहा। सतीशचन्द्र जी अग्रवाल के प्रश्न पर मैंने उसकी डिटेल्स में जाकर उसको स्टडी किया और हमारे डिपार्टमेंट के आफिसर्स की यह यूनेनीमस ओपिनियन थी कि बागची कमेटी की रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये हैं, वह आंकड़े गलत हैं इसलिए या तो रि-सर्वे करा कर फिर इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए या फिर इसको छापने की कार्यवाही नहीं करनी चाहिए। इसलिये इसको बन्द कर दिया। यह हो सकता है कि 1961-62 के फिगर्स में उसका रिफलेक्शन आया हो...

श्री भैरोंसिह : यह और सुन लें, 1969-70 के अन्दर जो फिगर्स दिये हैं और 1968-69 के अन्दर फिगर्स दिये हैं, रुरल पोपूलेशन की पर कैपिटा न्कम के, और एग्रीकल्चर की इन्कम और एनीमल हसबेन्ड्री की इन्कम-दोनों की इन्कम है, उससे राजस्थान की पोपूलेशन को डिवाइड करें ओर कोंस्टेन्ट प्राइस पर फिगर्स लें तो बागची कमेटी ने जो आंकड़े बताये हैं, वह सही हैं।

श्री मथुरा दास माथुर : यह गलत है।

श्री भैरोंसिह : इसका केलकुलेशन मेरे पास है। मैंने रात में बैठ कर कुछ केलकुलेशन निकाले . हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा कि 1969-70 के अन्दर जो पर कैपिटा इन्कम थी, उस वक्त राजस्थान के अन्दर एक्यूट फेमीन था, इसलिये उसके फिगर्स बागची कमेटी के आंकड़े से मेल खा भी जाय तो भी इट इस ए कोइन्सिडेंस। यह फैमीन का ईअर है, 1969-70 का ईअर। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट के लोगों की पर कैपिटा इन्कम कम आयेगी 49 पर्सेन्ट एग्रीकल्चर कम्पोनेन्ट है और एनीमल हसबेन्ड्री कम्पोनेन्ट है, इसके अलावा इनके मवेशी बाहर चले गये तो पर कैपिटा इन्कम कम होगी, उस ईअर को बेस मान कर उसके फीगर्स को बागची कमेटी की रिपोर्ट के फीगर्स से कम्पेअर करें तो वह गलत होगी, बिकाज इट इज ए कोइन्सिडेंस अदरवाइज इट इज नॉट करेक्ट!

श्री भैरोंसिह : आप किसी ईअर को बेस ईअर मान लें, और जिन आंकड़ों के हिसाब से बागची कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाले हैं, उनका सही और गलत का असैसमेंट करना है तो किसी भी ईअर को बेस ईअर मानलें और इन्कम के फिगर्स का केलकुलेशन करवा लें, तो वही फिगर्स आयेंगे। आप 1967-68 को ले लें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं निवेदन करूंगा बागची कमेटी की होल एप्रोच, मेथडोलोजीकली, टेक्निकली गलत है। वह गांव में गये, पचास, सौ घर ले लिये और सारी सूचना उससे ले ली....

श्री भैरोंसिह : नेशनल कौंसिल ऑफ रिसर्च भी वही करती है।

श्री मथुरादास माथुर : सेम्पल सर्वे के द्वारा जांच दूसरे ढंग से होती है।

श्री भैरोंसिंह : क्यों यही होती है ?

श्री मथुरादास माथुर : सेम्पल सर्वे में दस घर ले लेते हैं, उसकी आमदनी लेते हैं..

श्री भैरोंसिंह : वही तो इन्होंने किया है।

श्री मथुरादास माथुर : फिर वर्क आउट करते हैं। जो सूचना दी जाती है उसकी जांच करते हैं, उसके रिसोर्सेज देखते हैं, उसकी जमीन देखते हैं, उसका इन्वेस्टमेंट देखते हैं, उसकी केटेगरी देखते हैं और उसका प्रॉडक्शन देखते हैं। उसके बाद केलकूलेशन करते हैं। तो उनका मैथड़ बिल्कुल डिफरेन्ट है। मैं जो कहना चाहता हूं वह यह है कि लास्ट ईअर राजस्थान के अन्दर अकाल पड़ा, घोर अकाल पड़ा, जैसा कि राजस्थान के इतिहास में अकाल नहीं पड़ा, तो निश्चित रूप से फेमीन अफेक्टेड विलेज की इन्कम, पर कैपिटा इन्कम गिर गई। तो जैसा मैंने बजट भाषण में शुरू में कहा है कि उस इलाके में चले जायं और जाकर देखें तो फेमीन के कारण पर कैपिटा इन्कम कम हुई होगी। आज राजस्थान में विलेज में एग्रीकल्चर, एनीमल हसबेन्ड्री इन दोनों पर ही लोग आधारित हैं। राजस्थान के अन्दर एग्रीकल्चर, एनीमल हसबेन्ड्री, इन्डस्ट्री आदि चार पांच कम्पोनेन्ट हैं जो कि स्टेट इन्कम को प्रभावित करते हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्य से कहता हूं....

श्री भैरोंसिंह : इन्टरप्सन के लिए माफ करना। सरकार के आकड़े कितने सही हैं, इसका इससे अन्दाजा लग जायगा कि गये साल बहुत बड़ा अकाल था, राजस्थान की मवेशी काफी मरी थी तो भी स्टेट की इन्कम कुल देखेंगे तो जहा पहले 14 लाख 31 हजार थी, वहां अब 15,04,049 हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि मवेशी तो चले गये या मर गये और इन्कम बढ़ गई। यह मेरी समझ में नहीं आता।

श्री मथुरादास माथुर : मैं फिर निवेदन करूंगा, जयपुर मे आने वाले माननीय सदस्य इस बात पर गौर करें....

श्री रामचन्द्र आर्य : हड्डियां बिकी हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हड्डियों और खाल की इन्कम हुई होगी।

श्री मथुरादास माथुर : हमारे यहां से मवेशी कितने चले गये और कितने बाकी रहे, इसकी जांच स्टेटिसटिकल डिपार्टमेंट से और सेन्ट्रल स्टेटिसटिकल डिपार्टमेंट से कर ली गई है। इसको हम एडहोक बेसिस पर रखते हैं।

श्री भैरोंसिंह : 1969-70 की जो सेंसस है उसको बेसिस मान कर चलें।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह मानता हूं कि एनीमल हसबेन्ड्री की जो इन्कम हुई है, उसमें जो इन्क्रीज का ट्रेण्ड है, वह गलत है।

श्री भैरोंसिंह : इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि यह सारी चीजें गलत हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसमें ऑल इंडिया मेथडोलोजी केलकुलेशन की ली गई है, उनको भी मैंने कहा है कि नई मेथडॉलोजी को एडाप्ट करना चाहिए क्योंकि इस आधार पर कुल आंकड़े गलत आते हैं।

श्री भैरोंसिंह : ठीक है।

श्री मथुरादास माथुर : मैं खुद इससे एग्री करता हूं, यह मैंने कहा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आंकड़े गलत हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिए जो मेथेडोलोजी एडाप्ट की गई है उसके आधार पर ये आंकड़े हैं ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने यह भी सुझाव दिया कि हमको बजट के साथ में परफोर्मेन्स ऑफ बजट भी पेश करना चाहिए । मैं इससे सहमत हूं और मैं अपने विभाग को कहता रहा हूं । अब हमारे विभाग के अधिकारियों को इस काम के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है और वह ट्रेन्ड होकर आ भी गये हैं। अब इस सम्बन्ध में फोर्म प्रेस्क्राइब किये जा रहे हैं । मैं उम्मीद लेकर चलता हूं, अगर कोई दिक्कत आगई तो कह नहीं सकता लेकिन अगले बजट में कुछ विभाग, सब विभागों के लिए तो नहीं कह सकता, क्योंकि हमारे पास इन्फार्मेशन कलेक्ट करने का जरिया है नहीं, फिर भी हम कुछ विभागों का परफार्मेन्स बजट अगले बजट के साथ पेश करेंगे ।

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कई बार प्रश्न उठाया और जन लेखा समिति में भी आया कि हम लोग ठेकेदारों को गैरंटी मनी से बहुत छूट दे देते हैं । मैं आपको खुलासे के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि गैरंटी मनी रेवेन्यू नहीं है, वह 10 लाख की शराब बेचेगा तो शराब की कीमत में एक्साइज ड्यूटी शामिल है चाहे ओक्शन करके, चाहे नेगोसिएशन करके, एक रकम मुकर्रर करते हैं । एक कन्डीशन रहती है, क्योंकि स्टेट की मोनोपोली है, वे चाहें तो बाहर से शराब नहीं ले सकते स्टेट ही सप्लाई करती है । जब स्टेट सप्लाई नहीं कर पाती है, किसी कारण से स्प्रिट कम मन्यूफेक्चर हुई, गन्ना कम हुआ तो गैरंटी हम पूरी नहीं कर सकते । जैसे हमें 18 करोड़ का शराब देना था और 16 करोड़ का टोटल दे दिया तो 2 करोड़ की एग्रीमेंट को जो हम पूरा नहीं कर सकते तो 2 करोड़ की हम गैरंटी में छूट देते हैं । 2 करोड़ गैरंटी में किसको क्या मिलेगा, वह अलग अलग कल्क्यूलेट डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर करता है, उस हिसाब से बांटते हैं, इसलिए जो छूट है, वह लेजिटिमेट रेवेन्यूज में छूट नहीं है, बल्कि हम एग्रीमेंट को फुल्फिल नहीं कर सके इसलिए उनकी असेस्ड गैरंटी जो होनी चाहिए, वह पंजाब के अंदर रूल्स में लिखा है, एक्साइज कमिश्नर को अधिकार है, वह फुल्फिल नहीं कर सकता है तो उस हिसाब से छूट देकर गैरंटी फिक्स कर दे । उसमें कमी है तो एरीयर्स हैं, वरना नहीं । इस आधार पर यह किया गया है । मुखर्जी कमेटी बनाई थी जितना कम शराब सप्लाई करते हैं, उतनी छूट के अधिकारी वह होते हैं..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितनी छूट की है ?

श्री मथुरादास माथुर : अभी भी फाइनल नहीं हो पाया है । अभी कैबीनेट ने फैसला किया था कि जितनी शराब कम सप्लाई कर चुके हैं, उतनी छूट देने के लिए फिगर्स वर्क आउट कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : जन लेखा समिति ने लिखा है ।

Page No 18

श्री मथुरादास माथुर : जन लेखा समिति ने तो 1965-66 का मुखर्जी कमेटी के समय का लिखा है। अभी छूट नहीं दी गई।

श्री भैरोंसिंह : टोटल राइट ऑफ कितना किया गया है ?

श्री मथुरादास माथुर : मैं फिगर नहीं दे सकता जब तक वर्क आउट नहीं करें। लेकिन यह टोटल राइट ऑफ नहीं होगा। वर्क आउट करने के बाद मैं बता सकता हूं।

श्री देवीदत्त पाड़िया : विचाराधीन कितना है ?

श्री मथुरादास माथुर: यीअर बिफोर लास्ट स्प्रिट कम होने से जितनी गैरंटी थी, उसमें से करीब दो करोड़ की शराब कम सप्लाई कर सके। छूट कितनी होगी, वह वर्क आउट कर रहे हैं। राज्य सरकार की मन्शा नहीं है कि ठेकेदारों को छूट दी जाय। इस साल बराबर सप्लाई किया है, कोई छूट नहीं मिलेगी। हमने जन लेखा समिति को वापस समझाया है और वापस समझ कर ए०जी० ने माना है कि एश्योर्ड रेवेन्यू मत मानें वरना एरीयर्स हमेशा पेंडिंग रहेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : गैरंटी सिस्टम के तहत शराब के ठेके दिए थे, उसमें से दो करोड़ की छूट दी जाय, यह सरकार के विचाराधीन है ?

श्री मथुरादास माथुर: उनका क्लेम है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सरकार विचार कर रही है कि राइटऑफ किया जाय या नहीं?

श्री मथुरादास माथुर : वर्कआउट कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : बाद में भ्रम उत्पन्न न हो, इसलिए अच्छा होगा कि मुखर्जी कमेटी की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखी जाय, माननीय सदस्य पढ़ लें कि सरकार के सामने कौनसी कठिनाइयां आ रही हैं, अगर आपको आपत्ति नहीं है, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दें।

श्री मथुरादास माथुर : वह रिपोर्ट दे देंगे जो इन्टरेस्टेड हों वे पढ़ें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सिद्धांततः यह गैरंटी सिस्टम साउंड प्रिन्सिपल्स ओफ एक्साइज ऑफ दी स्टेट के विपरीत है। अगर बिक्री पर आधारित हो तो मैं मान सकता हूं लेकिन गैरंटी सिस्टम में भ्रष्टाचार होता है। जो सरकार के कोफर्स की मनी है वह टेन्टेड मनी है। आप भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दे रहे हैं। आप बहुमत के आधार पर यह कर सकते हैं लेकिन सिद्धांततः यह गैरंटी सिस्टम, मैं समझता हूं, बुरा सिस्टम है और उसको जारी रखने के लिए आपके पास कोई जस्टीफिकेशन नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : विरोधी दल के नेता ने कहा है, ये उनके विचार हैं। सदन के सामने, आक्शन सिस्टम, गैरंटी सिस्टम लाइसेन्स फी सिस्टम, समय समय पर यह चर्चा होती रही है। इस साल तो हम दुकान आक्शन कर रहे हैं, उम्मीद लेकर चल रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह: जयपुर का 37 का ठेका 47 में गया।

श्री मथुरादास माथुर: अगले साल भी जयपुर का ठेका नीलाम हुआ था, क्योंकि नेगोसिएशन्स से कोई बात तय नहीं हुई, 36 लाख आया था।

श्री भैरोंसिंह : आप एक लम्पसम रकम अर्नेस्ट मनी लेते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं, बाईफरकेट करके नीलाम किया जाय, तो आमदनी ज्यादा होगी ।

श्री मथुरादास माथुर : हम सब एक्सपेरीमेंट्स कर चुके हैं । लास्ट ईयर गेरंटी 40 लाख की 37 लाख में गई, इस साल 44 लाख की 47 लाख में चली गई। अजमेर में 10 प्रतिशत की कमी हो गई । इसलिए मेरी धारणा है कि ओक्शन करने से ज्यादा रकम आए तो खुशी है । मगर..

श्री भैरोंसिंह : पब्लिक सेक्टर में शराब बेचेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : मेहता साहब से बात कर लें ।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : पब्लिक सेक्टर में उत्पादन करते हैं ।

श्री मथुरादास माथुर: गंगानगर शुगर मिल्स के अलावा और कहां होता है? यहां यह कहा गया कि 29 : 68 लाख की डेफीसिट बताई । मैंने कहा था कि भारत सरकार से जब पूरा हो जायगा तो कुछ माननीय सदस्य ने कहा कि यह सब कन्जेक्चर्स हैं। इस समय मेरे कन्जेक्चर्स नहीं हैं । क्योंकि भारत सरकार ने 175 करोड़ रुपए अपने बजट के अंदर रखे हैं राज्यों को देने के लिए, इसलिए गलतफहमी दूर होनी चाहिए ।

इसके अलावा एक गलतफहमी बताई थी कि 25 लाख की आमदनी थी । कामर्शियल सेस के तौर पर अगले साल एस्टीमेटेड आमदनी होगी । उसमें दिया था, फिर एग्जेम्शन्स को हटा दिया गया । फिर 25 लाख इर्रीगेशन में दोनों को कैंसिल करेंगे, तो टोटल तो वही है । इसलिए गलतफहमी हुई । वहां से 25 लाख की आमदनी नहीं हुई, इसलिए एस्टीमेट कम हो जायगा, टोटल फिगर हमारा जो 8:51 का बना रहता था 4:89 लाख और अगले साल जो नए कर से आमदनी होगी 3: 62 करोड़, तो दोनों तरफ बराबर होते हैं...

श्री भैरोंसिंह: 25 लाख इर्रीगेशन का बेसिस क्या है, जो आय होने वाली है ?

श्री मथुरादास माथुर: एस्टीमेटेड है, लैंड अंडर कल्टीवेशन । विभाग ने कैल्कूलेट करके दिया है, जो रेट्स मुकर्रर किए हैं, नोटीफिकेशन निकल चुका है, उस आधार पर गेहूं में कितना एरिया कल्टीवेट होगा, या जब, इस तरह से उस हिसाब से कैल्कलेट किया है ।

(12 मध्यान्ह)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि यह जो इंश्योरेन्स और प्रोविडेन्ड फन्ड का पैसा है, प्रोविडेन्ड फन्ड तो अब नेग्लीजेबल रह गया है, उसको हम लोगों को सिक्योरिटीज में जमा कराना चाहिये । मैं सिक्योरिटीज खुद बेचता हूं और बोरोइंग के लिये जाता हूं और जिन मुलाजिम का सरकार में पैसा है उसको वेज एण्ड मीन्स पर रखता हूं । सिक्योरिटीज और वेज एन्ड मीन्स में जो मैं काम में लेता हूं, उन दोनों पर 5¾ (पौने छः) परसेन्ट ब्याज देता हूं । इसलिए यह केवल एक मेन्टल एक्सरसाइज हो जावेगी । रेट ऑफ इन्टरेस्ट 5¾ है । मार्केट से जो फ्लोट करते हैं उसकी भी और जो सरकारी मुलाजिमों से लेते हैं, इंश्योरेन्स उसकी भी वही है । इसलिए यह जो गलतफहमी है, वह दूर हो जानी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि

(श्री मथुरादास माथुर)
कोटन वेस्ट के साथ यह कर दिया इसलिये मिल मालिकों को फायदा होगा । कोटन यार्न वेस्ट की एक केटेगरी शामिल है । दूसरे कोटन पर 3 परसेन्ट और कोटन वेस्ट पर 7 परसेन्ट है । वेस्ट मिलें हैं वे ही कपड़ा बना कर बेंचती है यदि दूसरी मिलों में जाता है वस्ट तो 1 परसेन्ट मिलता है कोटन वेस्ट गिद्दे वगैरा बनते हैं उसके लिये 3 परसेन्ट है । समाजवाद के सोने के तार में मेख अ'गई है इसलिए मैंने यह कहा है ।

अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि प्रोपर्टी पर सीलिंग होना चाहिये। यह भारत सरकार को करना है । हमने भी कहा है । हमने तो यहां तक कह दिया है कि संविधान की आड़ आती है तो उसको भी ठीक करे ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : भारत सरकार कहती है कि राज्य सरकार करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार करेगी तो करेगी, यह विचाराधीन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : समाजवादी सदस्य कहते हैं कि संविधान की आड़ आ रही है तो उसको फाड़ कर फेंकों ।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, वित्त के मामले में इधर से और उधर से माननीय सदस्यों ने जो मुद्दे उठाये,उनका मैंने नम्रता पूर्वक उत्तर देने की कोशिश की । अब जो गैर वित्तीय मामले हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा।

कोलायत से आने वाली माननीय सदस्या ने कहा कि बीकानेर वूलन मिल्स को पांच हजार स्पिन्डल्स का लाइसेन्स मिला था । यह बीकानेर के लिये पूरे राजस्थान के लिये मिला था । बीकानेर के लिये 1,250 का ही फोरिन एक्स्चेंन्ज मिला । वायबिल युनिट हो इसलिये 2,500 स्पिन्डल्स की बिल्डिंग बनी हुई है । 1,250 रिजर्व रहेंगे । राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया है कि 1,250 सीकर में और 1,250 जोधपुर में, जो कि वूलन प्रोडक्शन एरियाज हैं, वहां लगाये । बीकानेर से हटा कर नहीं लेजा रहे हैं । 1,250 तो वहां लगा चुके हैं और 1,250 और लगाये जायेंगे ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : टेक्सेज में आप क्या छूट कर रहे हैं उसके लिये फरमायें।

श्री मथुरादास माथुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ पांच सात मुद्दे ऐसे हैं, नोन फाइनेन्शियल मेटर्स हैं, उनके लिये माननीय सदस्यों ने कहा । यह चार्ज लगाया गया कि लास्ट टाइम भंगी मुक्ति सम्बन्धी घोषणा की थी, उसको पूरा नहीं किया । हेड लोड रिमूव करने के लिये पचास लाख रुपये का प्रोविजन रखा था । इस अमाउन्ट को म्युनिसिपेलिटीज को डिस्ट्रिब्यूट कर चुके हैं। पानी और बिजली के लिये भी रुपया भेज चुके हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नहीं मिले हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बोर्ड को भेज चुके हैं। यू०आई0टी के लिये भी कार्यवाही कर रहे हैं । मुख्तलिफ रूप से लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को भेज दिया गया है । किसी को महीना भर हुआ, दो हफ्ते हुए ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): कितने महीने बाद ?

श्री मथुरादास माथुर : लेप्स नहीं है। यह कहा था कि पचास लाख रुपया देंगे। 5½ करोड़ के टैक्स लगाये। 2½ करोड़ ही बैठा। लेकिन फिर भी गांधी शताब्दी वर्ष में घोषणा की गयी थी इसलिये चाहे आधी आमदनी हुई हो फिर भी उस रुपये का भुगतान कर दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां कुछ माननीय संदस्यों ने क्राप इन्श्योरेन्स की बात कही। यह सबजेक्ट भारत सरकार से ताल्लुक रखता है और हमसे ताल्लुक नहीं रखता है। क्रोप इन्श्योरेन्स राजस्थान में होना बड़ा मुश्किल है। इसके लिये अटेम्प्ट भी करेंगे तो भी गरीब किसान तो उसका प्रिमियम दे भी नहीं सकता।

श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा) : रिकमन्ड तो कर सकते हैं।

श्री मथुरादास माथुर : जहां ढाई तीन वर्ष लगातार अकाल पड़ता हो, किसान क्राप इंश्योरेन्स का इतना प्रीमियम देने के लिये तैयार हो जावे जब कि वह बैटरमेन्ट लेवी, इरिगेशन चार्जेज आदि भी पे नहीं कर सकते हैं, यह मुझे संभव नहीं लगता है। भारत सरकार को रिकमन्ड कर सकते हैं।

श्री नत्थीसिंह : इसी सदन में राज्य सरकार की ओर से घोषणा की गई थी कि कृषि बीमा योजना के लिये राज्य सरकार की ओर से भारत सरकार को निवेदन किया गया है और भारत सरकार के कृषि मंत्री जगजीवनरामजी ने विचार किया है और यह योजना क्रियान्वित की जायेगी। यह घोषणा भूतपूर्व कृषि मंत्री परसरामजी ने की थी। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि राज्य सरकार विचार नहीं करेगी।

श्री मथुरादास माथुर : अगर उन्होंने कहा है तो मैं जानकारी ले लूंगा। चार पांच साल पहले बात कही होगी। पग चलने वाली बात होती तो अब तक सामने आ जाती। मैंने जो बात कही है, वह ठीक है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढा): क्या राज्य सरकार इसको किसानों के हित में नहीं मानती है ?

श्री मथुरादास माथुर : योजना बहुत सी किसान के हित में हो सकती है। क्राप ईन्श्योरेन्स प्रीमियम जो हेवी होगा, उसको पे करने वाला एक दो किसान ही होगा लेकिन औसत किसान जो बेटरमेन्ट लेवी, ईरिगेशन चार्जेज नहीं दे सकता, वह यह प्रीमियम दे सकेगा, यह संभव नहीं मालूम होता है। मुझे यह किसान के फायदे की स्कीम नजर नहीं आती। भारत सरकार करे तो करे।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार उचित समझती है या नहीं ?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय मंत्री जिनके पास यह पोर्टफोलियो था, वह लिख चुके हैं भारत सरकार को।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सदन में यह भी सुझाव दिया कि कोमर्सियल बेंक्स से जो लोन मिलता है, कुए खोदने के लिये उसको चुकाने की अवधि जो पांच सात साल रखी है, उसकी बजाय दस साल की कराने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये। मैं इसके लिये निवेदन करूंगा कि मैं इसके लिये पूरा प्रयत्न करूंगा।

एक बात बहुत जोरों से कही गई कि जागीरदार, टोंक को जालोर में भूमि दे दी

(श्री मथुरादास माथुर)

गई। यह बात दांता रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य ने उठायी थी। इसके बारे में रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जब उनके विभाग की मांगें आयगी उस समय वे इसका जवाब देंगे।

इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों ने यह भी कहा था कि पंचायत समितियों के पास कुछ काम नहीं है, अतः पंचायत समितियों को समाप्त कर देना चाहिये। मैं सदन के माननीय सदस्यों को निवेदन कर देना चाहता हूं कि राज्य सरकार का पंचायत समितियों को भंग करने का कतई इरादा नहीं है।

श्री मदनसिंह : वे तो अपने आप ही भंग हो रही हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल (बयाना) : इनको बन्द करने के बारे में पूरी स्टडी नहीं की गई है......

श्री देवीदत्त गाडिया : अगर पंचायत समितियां भंग होगई तो आपको सरपंचों का सहयोग कब मिलेगा ?

एक माननीय सदस्य : यह तो आपकी मजबूरी है। आप कर भी कैसे सकते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : हम पंचायत राज के हामी हैं। हम कभी इन संस्थाओं को भंग नहीं होने देंगे।

श्री नत्थीसिंह : भंग करने के लिये हम नहीं कहते लेकिन पंचायत राज को आपने ऐसा मुर्दा बना दिया है कि आप उनको मीठा जहर पिला पिला कर मिटा रहे हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मीठा जहर नहीं दिया जायगा अमृत दिया जायगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे ख्याल से पंचायत समितियों को भंग करने के लिये एक भी माननीय सदस्य ने नहीं कहा होगा। मेरा कन्स्ट्रक्टिव सजेशन था कि दो पंचायतों को मिलाकर एक पंचायत कर दी जाय जिससे करोड़ों रुपये की मितव्ययता होगी।

श्री मथुरादास माथुर : मैंने आपका नाम नहीं लिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ) : मैंने कहा है बड़े जोरों के साथ कहा है और उसके साथ दलील भी दी है।

श्री गोरधन सोनी (नागौर) : क्या आप यह समझते हैं कि पंचायत समितियों को समाप्त कर देने से पंचायत राज खत्म हो जायगा ?

श्री मथुरादास माथुर : इसी लिये मैं जोरों से कहता हूं पंचायत समितियों को भंग करने या पंचायत राज को उठाने का या इसमें कमी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है।

श्री गोरधन सोनी : पंचायत समितियों में धन का दुरुपयोग होता है, इसलिये हमने कहा है।

श्री देवीदत्त गाडिया : पंचायत राज में सुधार करने के लिये आप क्या करने जा रहे हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : पंचायत राज्य में जो सुधार हो रहा है उसका प्रमाण है। हरी क्रान्ति जो आप देख रहे हैं, यह पंचायत राज का ही तो फल है। आज पंचायतों द्वारा अच्छा खाद, अच्छा बीज, अच्छे हल प्रयोग करने के लिये सलाह दी जाती है, इसी से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : यह तो आपका एग्रीकल्चर विभाग करता है, इसमें पंचायत समितियों का कहां हाथ है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप राजस्थान की जनता की पर केपीटा इनकम को देखिये कितनी बढ़ रही है, उस हिसाब से आपको पता चलेगा लोगों की स्थिति बद से बदतर हो रही है ।

श्री मथुरादास माथुर : विरोधी दल के नेता से मेरा निवेदन है जब काल पड़ जाता है तब हरि क्रान्ति भी सूख जाती है । लेकिन जब ज़माना अच्छा होता है अच्छा बीज और अच्छा खाद होता है तो अच्छा उत्पादन होता है और वैसी स्थिति में मुसीबत के लिये कुछ अनाज बचा कर रख भी सकता है । हम पूरे राजस्थान का इरिगेशन पोटेन्शियल बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सबसे बड़ा अकाल तो आप हैं । हरि क्रान्ति आने का सवाल ही कहां है ।

श्री मथुरादास माथुर : समय पर हरित क्रान्ति के साथ साथ लाल क्रान्ति भी.....

एक माननीय सदस्य : तो आप क्रान्ति लाने में लगे हुए हैं ।

श्री मथुरादास माथुर : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा था कि कोआपरेटिव संस्थाओं को जो बन्द कर रहे हैं, उसके कारण जो 60 के करीब इन्स्ट्रक्टर्स हैं वे बेकार हो जायेंगे। इनके द्वारा 26 हजार कोआपरेटर्स को ट्रेनिंग देने की बात थी। ये संस्थायें ठीक प्रकार से नहीं चलीं, इसके लिये कोआपरेटिव यूनियन की अध्यक्षा श्रीमती कमला बेनीवाल मेरे से मिली। उनका यह कहना था कि इसमें रुपया फिजूल जा रहा है। इसलिये कोआपरेटिव आफिस बीयरर्स की जो टीम है उसको समाप्त कर दिया जाय। एक जिले के लिये एक दो क्लर्क और एक इन्सपेक्टर इससे कोई काम नहीं चल सकता इसके लिये हमें इन्स्टीट्यूशनल ट्रेनिंग के लिये एक दो संस्थाओं को कायम करना चाहिये। इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है। इस टीम के लिये 25 हजार आदमियों को ट्रेनिंग देना भी मुश्किल है वैसी हालत में राज्य सरकार दो संस्थाएं खोलने का विचार कर रही है। जिले में दो तीन आदमी बैठे रहें इससे कुछ काम होता नहीं । दो फण्डामेण्टल ट्रेनिंग इन्स्टीटयूशन्स खोल दी जाय, इस पर विचार कर रहे हैं। इसके अन्दर स्टडी टीम के लिये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो कोआपरेटर्स हैं स्टेण्डर्ड के लोग हैं, उनको शिक्षित किया जायगा।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : जिन कर्मचारियों को आपने सरप्लस कर दिया है उनका क्या होगा ?

श्री मथुरादास माथुर : उन कर्मचारियों के बारे में चर्चा चल रही है, उनके बारे में विचार हो रहा है। वे राज्य सरकार के मुलाजिम तो है नहीं जो हम उनको अन्य विभागों में एबजोर्ब कर लें। इन्स्टीटयूशन्स खोलने का जब फैसला हो जायगा इनको एबजोर्ब करने के बारे में सोचा जा सकता है।

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : आपने जो कमला बेनीवाल की बात को लेकर कहा है उन्होंने यह नहीं कहा कि इन लोगों को बेकार कर दिया जाय। आप उनका नाम लेकर उनको बदनाम करने की चेष्टा कर रहे

Page No 24

(श्री रामसिंह कुड़ी)

हैं। आपके खिलाफ मोतीलालजी ने चुनाव लड़ा उनसे बदला लेने के लिये आप यह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर ।

श्री मथुरादास माथुर : मेरे खिलाफ मोतीलालजी चुनाव लड़ें या आप लड़ें या कुम्भारामजी लड़ें मुझे कोई अन कन्टेस्टेड तो आने देने का नहीं। चुनाव में तो एक दूसरे का मुकाबला होता ही है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 25 हजार आदमियों को ट्रेनिंग देने का सवाल है वह एक साथ कोई भी नहीं दे सकता। यदि आज हाउस के सदस्य के लिये ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की जाय तो कौन ट्रेनिंग के लिये तैयार है? इसी तरह से 25 हजार कोआॅपरेटर्स हैं वे कब ट्रेनिंग लेने के लिये राजी होंगे। इसलिये यह एक तरह से वेस्ट मनी हो रहा था इसलिये इसको बन्द कर दिया। इसके ऊपर जो चार लाख खर्च होता था उसके लिये कोआॅपरेटिव यूनियन की अध्यक्षा ने जो सुझाव दिया कि यह वेस्ट हो रहा है इसलिये इसको बन्द कर दिया।

श्री नाथीसिंह : माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा आपने जो पिक्चर दी है, वह गलत दी है। इसकी ट्रेनिंग के लिये भारत सरकार ने पैसा दिया है अब सारा का सारा सिस्टम बदल दिया है। मैं यह दावे के साथ कहता हूं कि आपने इसको व्यक्तिगत कारणों से बन्द करने का निश्चय किया है। आप इसकी अहमियत को न समझें और बन्द कर दें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन जो इसके 60 इन्स्ट्रक्टर्स है, जो एम● ए० और बी० ए० पास हैं, उनका क्या होगा? पंजाब सरकार ने भी इस सिस्टम को बदला था लेकिन जितने भी इन्स्ट्रक्टर्स थे उन सब को सर्विस में लिया गया। आप दो संस्थायें उदयपुर और गंगानगर में खोलने का विचार कर रहे हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा 6 आदमी खपा देंगे बाकी के कहां जायेंगे? आपको इन लोगों ने ट्रेनिंग में मदद दी है आज आप उनको बेकार कर रहे है आखिर वे कहां जायेंगे?

श्री मथुरादास माथुर : जहां तक इन 60 व्यक्तियों को एबजोर्ब करने का सवाल है मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूं हम इनको एबजोर्ब करने का प्रयत्न करेंगे? मेरे पास कोआॅपरेटिव विभाग तो है नहीं जो मैं एक दम कह दूं कि इनको ले लिया जायगा। जहां तक होगा जिन जगहों के काबिल होंगे, उनको लगाने का प्रयत्न करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो लोग बी० ए०, एम० ए० पास हैं, ओवर एज हो गये है, आखिर वे जायेंगे कहां ?

श्री नाथीसिंह : इसका जवाब सहकारी मंत्री देंगे। पर वे कमजोर हैं। सुखाड़ियाजी ने गड़बड़ कर दी। अपने पास रखते इस महकमे को तो इतना अन्याय नहीं होता वित्त मंत्रीजी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इण्डि-विजुअली किस प्रकार से उनमें से लिया जावे, इसके बारे में सरकार विचार कर रही है। हमारा इरादा भी है कि जो कम्पीटेन्ट हों उन स्थानों के लिये कि जिनके लिये तै किया जावे, उनको तो स्क्रुटिनी करवा कर जिसमें पी० एस० सी० के मेम्बर भी होंगे, ले लिया जावेगा। इस आधार पर मान कर नहीं चला जा सकता कि कैसे ही भरती

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
कर लिया गया हो, उनको सबको ले लिया जावे।

श्री भरथींसिह : जिस वक्त इनको भरती किया गया, आपको मालूम होना चाहिये भारत सरकार का एक प्रतिनिधि होता था, आपके विभाग के दो प्रतिनिधि अलग अलग होते थे और तब वे सिलेक्ट करते थे। इसमें सारा रुपया भारत सरकार का था।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : गवर्नमेंट सर्विस में भरती करना होगा तो तरीका है इसके लिये सरकार का। उनमें से भी एज रिलेक्सेशन किया जा सकता है। फिर इसके अलावा कम्पीटेन्सी के लिये तो जज करना ही होगा। यह नहीं हो सकता कि भारत सरकार के या यहां के प्रतिनिधियों ने भरती कर लिया है इसलिये ले लिया जावे।

श्री रामसिंह कुड़ी : डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतम किये तब तो ऐसा नहीं किया गया।

श्री मदनसिंह : समाजवाद की विचार धारा तो आपने ऐसे बिखेरी है जैसे नहर की ड्रिस्ट्रिब्यूटरीज फैल गई हों।

श्री अध्यक्ष : भाषण नहीं। प्रश्न।

श्री मथुरादास माथुर : मेरा भाषण पूरा होने के बाद आप प्रश्न पूछ लें क्योंकि समाजवाद को या तो मैं समझा हूं या आप।

श्री मदनसिंह : मैं एक प्रश्न का जवाब आपसे लूंगा। यह नहीं कि आपने कह दिया और मैं मान गया।

श्री मथुरादास माथुर : जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने संविधान की धारा 360 की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। मैं भी इसकी तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस धारा का उपयोग तब होता है जब किसी प्रान्त की फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी नहीं रहे या उसकी फाइनेन्शियल पोजीशन थ्रेटन्ड हो जावे। इसमें थ्रेटन्ड शब्द का प्रयोग किया गया है।

मैं अदब से कहना चाहता हूं कि राजस्थान की न तो फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी और न फाइनेन्सियल क्रैडिट थ्रेटन्ड है। इसलिये 360 की धारा का उपयोग करना संविधान के खिलाफ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस धारा की चर्चा सियासी रूप में की जावे यह तो समझ सकता हूं बाकी नहीं।

श्री भैरोंसिंह : सियासी रुप में नहीं करता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : तो फिर यह तो ऐसा ही है जैसे कोई हाकिम जब हार जाता है तो जामिन मांगता है। और तरीकों से काम नहीं चला तो 360 का उपयोग किया गया। पर इससे भी काम नहीं चलेगा। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य से कि वे भी सियासत में पुराने खिलाड़ी हैं। 360 की धारा का उपयोग करने के लिये मांग करने की बात का अहलाम उनको रात को हुआ होगा। और सुबह अर्ज कर दिया। अगर आप हमसे चर्चा करते तो मैं उनको तभी बता देता हमारे जो शेअर हैं, जो पब्लिक लोन फलोट किया है उनकी बाजार में कीमत सौ रुपये की सौ रुपये पचास पैसा है। अगर मेरी फाइनेन्शियल स्टेबिलिटी नहीं होती तो बाजार में शेअर के ये भाव हमारे नहीं होते। ऐसे भी मौके आते हैं जब लोगों के सौ रुपये के शेअर अस्सी पिचहत्तर में बिकते हैं। इसलिये इससे हमें घबराने की जरुरत नहीं है। यह हाल हमारा ही नहीं है,

(श्री मथुरादास माथुर)

सभी प्रान्तों का है। पब्लिक डेट ज्यादा होना इन्सालवेन्सी की निशानी नहीं है, बल्कि जिनकी फाइनेन्सियल स्टेबिलिटी होती है जिनकी क्रैडिटवर्दीनेस होती है उनको लोन मिलता है।

मेरा पब्लिक डेट बढ़ा इसका क्या कारण है। माननीय सदस्य जानते हैं। आप भी जानते हैं। एक तो यह है कि राजस्थान जब बना तो यहां की इण्डस्ट्री और इन्डस्ट्रियल पोटेन्शियेलिटी और इण्डस्ट्रियल स्ट्रक्चर दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में कम थे। इसलिये हमको इन्फ्रा स्ट्रक्चर क्रीएट करने के लिये 507 करोड़ का खर्चा करना पड़ा। 60 पर्सेन्ट रुपया नॉन प्लान का था। इर्रिगेशन रोड वाटर सप्लाई में खर्च हुआ।

अब माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विरोधी दल के नेता लोग जयपुर से आने वाले दो जबान बोलते हैं। एक तो यह कहते हैं कि इन्वेस्टमेन्ट करो, उसका रिटर्न ज्यादा लेना चाहिये। ईर्रिगेशन और पावर आदि का यह सारा प्रोजेक्ट हमारा 200 करोड़ का है। हम कोशिश करते हैं कि इसका उपयुक्त रिटर्न मिले। वे भी कहते ह कि रिटर्न मिलना चाहिये। पर दूसरी तरफ विरोध भी वे ही करते हैं कि इर्रिगेशन की रेटें नहीं बढ़नी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह : इर्रिगेशन को नान-टैक्स रेवेन्यू नहीं मानते हैं। अब आपने जो स्टेण्डर्ड फिक्स कर दिया है वह खुदा की देन नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : टैक्स नहीं है। सेस है। सर्विस है। फीस है। अब पीने का पानी के देने का सवाल हो तो समझ में आ सकता है गरीब को दें तो कुछ न लें। पर जो पानी गल्ला पैदा करता है। उस पर तो कुछ लेना ही होगा। नहीं तो उस पर आप भी चर्चा करते हैं। तो मेरा नम्र निवेदन है, बुरा न मानें, उनके विचार के लिये मैं कहता हूं, दो भाषा बोल कर उधर तो 360 की बात राष्ट्रपति से कहना चाहते हैं रिटर्न नहीं आने की या कम आने की बात कह कर। इधर लोगों को कहें कि आन्दोलन करो। तो दो बातें तो मत करो। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि यह जो हमारा पब्लिक डेट है इसका कारण मुख्यतः हमारा जो इन्फ्रा स्ट्रक्चर क्रीएट करना था उसके लिये है। आपको मालूम है हमने 31-3-69 तक 32 करोड़ 65 लाख का करजा लिया था। अगले साल 44 करोड़ का और हो गया।

श्री भैरोंसिंह : एक बात और बता दीजिये आप कोई कर्जा ले सकते हैं भारत सरकार की अनुमति के बिना?

श्री मथुरादास माथुर : भारत सरकार की अनुमति के बिना मैं नहीं ले सकता तो हिन्दुस्तान का और कोई सूबा भी नहीं ले सकता।

श्री भैरोंसिंह : मैं आपके लिये पूछता हूं।

श्री मथुरादास माथुर : यह स्टेट और फेडरल सिस्टम में, स्टेट और सेन्टर के रिलेशन्स का सवाल है। लोन फ्लोट जब कोई स्टेट करती है तो रिजर्व बैंक की परमिसन के बिना नहीं कर सकती। बम्बई प्रान्त भी नहीं कर सकता। कोई प्रान्त नहीं कर सकता इसलिये कि फेडरल स्ट्रक्चर में फाइनेन्शियल सिस्टम यही है। तो यही रूल हमारे पर भी लागू होगा। तो ऐसा कोई प्रश्न राजस्थान के लिये ही हो, यह नहीं है।

(श्री मथुरादास माथुर)
राजस्थान सरकार को पूछना पड़ता है रिजर्व बैंक को तो बम्बई, मद्रास को और वेस्ट बंगाल को भी पूछना पड़ता है। मैं यह भी निवेदन कर दूं कि मेरा जो यह पब्लिक डेट बढ़ा है जिसका डेफिसिट पर रिफ्लेक्शन आता है सभी सूबों का यही हाल है। दो चार नहीं है। उत्तर प्रदेश की मिसाल देता हूं। जब आपके माननीय मुख्य मन्त्रीजी ने रोका तो उत्तर प्रदेश में रुपया बहुत इकट्ठा करने के सोर्स थे। पर राजस्थान को 14 करोड़ ही मिले थे जब राजस्थान बना था। तो हमें कर्जा लेकर इन्फ्रा स्ट्रक्चर करना पड़ा। इसलिये पब्लिक डेट ज्यादा हुआ। तो यह तो विकास की निशानी है। हमारी क्रेडिटवर्दीनेस है। इन्टरेस्ट पूरा होना चाहिये। पैटर्न पूरा होना चाहिये। यह पूरा है। इसकी हम कोशिश करते हैं। इसलिये आज राजस्थान में पब्लिक डेट रिटर्न करने के लिये पोलिटिकली आपकी भी जिम्मेदारी है। राजस्थान सरकार की ही अकेले की नहीं है। भैरोंसिहजी अपनी सूरत अपने शीशे में देखें तो मालूम पड़ जावेगा।

श्री भैरोंसिह : उस शीशे में सूरत माथुर साहब की आवेगी।

श्री विजयसिह : दोनों ही सामने खड़े होकर देखें तो मालूम हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : रोजाना ही मालूम पड़ता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिह: वित्त मंत्रीजी का भाषण स्पिरिटेड है। अपनी पोजीशन को बड़ी मुश्किल से जस्टिफाई करते हैं इसके लिये आपको कांग्रेचुलेशन्स देता हूं। पर आपका यह जो पब्लिक डेट है और क्रेडिटवर्दीनेस है यह किसके आधार पर है यह भी कह दें। यह दुष्काल के आधार पर है ? अगर दुष्काल नहीं होता ? फिर आप चाहें जितने जवाब दें सन्तोषजनक नहीं हैं। आप दिवालिया हैं। यह तो साफ है।

श्री भैरोंसिह : इतना ही नहीं, आप इन्दिराजी पर निर्भर हैं। अगर वे नाराज हो जावें तो कल जाते नजर आएं।

श्री मथुरादास माथुर : हम उन पर निर्भर हैं फेडरल स्ट्रक्चर में फाइनेन्स के मामलों में भी। स्टेट और सेन्टर का जो सम्बन्ध है उस नाते हम निर्भर हैं।

दिल्ली पर जो रेस्पांसिबिलिटी डवलपमेंट की है, संविधान में भारत सरकार पर दी है। उसके मुकाबले में डवलपमेंट की हमारे ऊपर भी जवाबदारी है और भारत सरकार पर भी है इसलिये अगर वह नॉन-प्लान में या जो गेप रहता है उसको वह पूरा करती हैं तो हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करती है। यह हमें समझना चाहिये और विरोधी दल के नेता को इस बात का अन्दाजा होना चाहिये और उनको यह बात मान लेनी चाहिये। अगर भारत सरकार रीजिड हो जाती है फाइनेन्स के मामले में तो स्टेट वर्सेज सेन्टर की बात पैदा हो जाती है। आज सारी जवाबदारी हमारे ऊपर है। खाना, पीना, बिजली, शिक्षा, दवाई दारू, यह सब हम करते हैं। हमारी जो लिस्ट है वह कितनी लिमीटेड है उसको भी आप देखें। इसलिये भारत सरकार की जवाबदारी है और यह उसकी कांस्टीट्यूशनल देनदारी है कि वह हमारा जो गेप है उसको पूरा करे। हमारा यह जो गेप रहता है उसके लिये ही हम डेफीसिट करते हैं,

(श्री मथुरादास माथुर)
ओवर ड्राफ्ट करते हैं और भारत सरकार से एड हॉक लोन लेते हैं इसलिये मैं, माननीय अध्यक्ष, तसल्ली से यह कहना चाहता हूं कि माननीय भैरोंसिंहजी ने, जो एक समझदार आदमी हैं, 360 के तहत राष्ट्रपति को जो सम्बोधन किया है उसको वापिस ले लें। राजस्थान के पेट्रियोटिज्म के प्रति यह तकाजा है कि इसको वे वापिस ले लें और इसका कोई पोलिटिकल स्टंट न बनावें और अगर बनाया भी तो इसका कोई वजन नहीं पड़ेगा जैसे मेरे पर इसका कोई असर नहीं हुआ। स्टेट की क्रेडिट वरदीनैस को देखते हुवे इसका कोई असर नहीं होगा और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तकरीर समाप्त करता हूं। इसमें मैंने जो नजरिया समाजवाद का पेश किया है उसके बारे में मैं अपनी स्पीच में बहुत कुछ कह चुका हूं। हमारा रुख उधर है, हमारे कदमों का रुख समाजवाद की ओर है। मुझे विश्वास है कि सदन के सभी सदस्य इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मदन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे दो स्पेसिफिक सवाल हैं।

श्री मथुरादास माथुर : मेरी एक बात रह गई है।......

श्री अध्यक्ष : एक सवाल रह गया है। उसे पहले.....

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान अधिनियम 29, सन् 1964 की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा तुरन्त प्रभावी वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ०5(22) एफ०डी० । सी०टी०। 70-71, दिनांक 9 मार्च, 1970 में निम्नलिखित संशोधन करती है : संशोधन : उक्त अधिसूचना से उपलब्ध सूची क्रमांक 5 के सामने स्तम्भ 2/3 से संबंधित स्तम्भों में प्रतिस्थापित की जायेगी। (क) सब पुराने गोटा, गोटा-किनारी, सलमा सितारा और बादला, सोना चांदी अथवा स्टेनलैस स्टील से निर्मित 5% उपरोक्त (क) में नहीं आने वाले पर 3 प्रतिशत।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में जैसे बैंकों के राष्ट्रीयकरण की नीति समाजवाद के लिये आप लोगों ने कही, वैसे ही मैं उम्मीद करता था कि राजस्थान की सरकार और स्पेशली हमारे वित्तमंत्रीजी कम से कम इस बजट भाषण में यह कहेंगे कि कलैक्टिव फार्मिंग राजस्थान में कम्पलसरी होगा, यह नहीं कहा। अगर आप कलैक्टिव फार्मिंग कम्पलसरी करते तो यह समाजवाद की ओर एक कदम और होता। इसके सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा है और जो सीलिंग की बात आपने कही है उससे तो जमीन के टुकड़े हो जाते हैं। अंत-पंत में जो आनेवाला युग है वह समाजवादी होगा.....

श्री अध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : मैं समझता हूं, राजस्थान सरकार को ऐलान करना चाहिये.....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य। भाषण नहीं......

आप प्रश्न पूछ लीजिये और उनका क्लेरिफिकेशन हो जायेगा।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरा कलैक्टिव फार्मिंग का सुझाव है।

Page No 29

(श्री मदनसिंह)

दूसरा जो टैक्स आपने पैट्रोल पर लगाया है वह टैक्स गरीब सबके पर लगा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये वित्त मंत्री महोदय को यह बताना चाहूंगा कि पैट्रोल पर जो टैक्स लगा है वह अब बड़े आदमियों पर नहीं लगा है बल्कि.....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय सदस्य। भाषण नहीं।

श्री मदनसिंह : पैट्रोल पर यह जो टैक्स लगाया है वह कन्जूमर पर पड़ता है बेचने वाले पर नहीं। इसका भी आप क्लेरिफिकेशन कर दें।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ प्रश्न करिये माननीय सदस्य।

श्री मदनसिंह : इसलिये जो टैक्स लगाया है अध्यक्ष महोदय, वह किस पर पड़ता है एक तो यह प्रश्न और दूसरा...

श्री अध्यक्ष : दो प्रश्न हो गये। ऑर्डर, आर्डर।...

श्री मदनसिंह : एक तो यह कि इस टैक्स का प्रभाव कन्जूमर पर पड़ता है या बचने वाले पर और दूसरा कलैक्टिव फार्मिंग के सम्बन्ध में मेरा प्रश्न है कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या पोलिसी है ? इसका क्लेरिफिकेशन हो जाये।

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैंने वित्त मंत्रीजी को अपने भाषण में निवेदन किया था।

श्री अध्यक्ष : समाचार पत्र सदन में नहीं पढ़े जाते हैं। माननीय सदस्य।......

श्री गोरधन सोनी : जो 5,000 की टर्न ओवर पर टैक्स लगाया है वह काफी कम है। गांव वाले एक बोरी अनाज बेचते हैं तो उनको एक बोरी पर दो रुपया मिलता है और एक महीने में 60 रुपया ही वे कमा पाते हैं और एक साल में 720 रुपया ही कमाते हैं। बाजरा बेचने वाले एक व्यापारी का टर्न ओवर भी साल में 20 हजार रुपये के लगभग हो जाता है। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सीमा आपने 5,000 रुपये की रखी है वह काफी कम है और इस टर्न ओवर पर जो सेल्स टैक्स लगाने की बात है वह बहुत ही अनुचित है इसलिये इसको बढ़ाकर जैसे अन्य चीजों के लिये है यह सीमा 30 हजार रुपये तक की जानी चाहिये। दूसरा निवेदन यह था कि यह जो सीमेन्ट और सीमेन्ट से बनी वस्तुओं पर जो टैक्स लगाया है उससे लोगों को बड़ी तकलीफ होगी। इसलिये इस पर भी वित्त मंत्रीजी को राहत देना चाहिये। इसके अलावा वित्त मंत्रीजी ने इस बार होटलों पर भी टैक्स लगा दिया है.........

श्री अध्यक्ष : जिस प्रश्न पर कुछ नहीं कहा है वह न कहें।......

श्री मथुरादास माथुर : तो मैंने अपना भाषण पढ़ा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रश्न यहां अनुपयुक्त है।

श्री मथुरादास माथुर : राज्य सरकार जो निर्णय लेती है वही यहां कहता हूं।

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी ने कुछ नहीं कहा है तो इसका प्रश्न नहीं है।............

श्री मथुरादास माथुर : I am not expected to argue every point.

(श्री मथुरादास माथुर)

When I have not announced anything that means Govt. does not want to do that.

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। एक्सरसाइज बुक के ऊपर मैंने अपने बजट भाषण में कहा था एक एक्सरसाइज बुक पर पहले हमारे यहां छूट थी। व्यापारी इस छूट का गलत इस्तेमाल करते थे और इसमें बहुत ही लीकेज होता था। इस लीकेज को रोकने के लिये मैंने इस बार एक्सरसाइज बुक को भी इन्क्लूड कर लिया था मगर सदन के माननीय सदस्यों की यह मांग थी कि इससे विद्यार्थियों पर असर पड़ता है इसलिये माननीय सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए मैंने इसे एकजम्प्ट कर दिया है।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल): अकालग्रस्त क्षेत्र में जो लोन दिया गया था, पंचायत समितियों ने जो लोन दिया था उसकी वसूली की जा रही है जब कि सरकार ने यह कहा है कि ये वसूलियां नहीं की जा रही हैं।

श्री मथुरादास माथुर : इसलिये तो 4 करोड़ का घाटा हो गया।

श्री आईदानसिंह : वसूलियां की जा रही हैं.....वसूली की जा रही है, मैं अर्ज कर दूं।

श्री मथुरादास माथुर : कोपरेटिव बैंक वाले करते हैं, नत्थीसिंहजी से कहो मैं नहीं करता हूं।

श्री आईदानसिंह : वसूली हो रही है। आपने फरमाया 6 करोड़ का घाटा हुआ है इसलिये वसूली नहीं हुई।

श्री मथुरादास माथुर : यह घाटा यह साल खतम हो रहा है उसके लिये कहा है आगे के लिये तो और है....

(कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): अध्यक्ष महोदय, वैसे तो बच्चों पर आपने फीस लगाई है जो इनकम-टैक्स पे करते हैं उनके लिये लगाई है लेकिन लड़कियों के लिये बहुत जरूरी है और कस्बों में तो लड़कियों का अब पढ़ना शुरू हुआ है। अध्यक्ष महोदय, जिसके पांच पांच लड़कियां हों तो उसको तो पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जायगा। एक एक लड़की को निकालना भी आज मुश्किल है। इसलिये लड़कियों की फीस माफ कर सकें तो अच्छा हो। एक लड़की को निकालना भी बहुत जिम्मेदारी की बात है।

श्री मदनसिंह : लड़कियां ज्यादा पैदा मत करो।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री बालसिंह सोढा : जैसा कि आसन ने फरमाया जिसमें वित्त मंत्रीजी मान रहे हैं वे वहीं के वहीं हैं तो भ्रष्टाचार की व्यवस्था नहीं की गई है। आपका यह छेद..

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर आर्डर।

(माननीय सदस्य बराबर बोलते रहे, अश्रव्य)

माननीय सदस्य। ऑर्डर प्लीज।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक क्लेरिफिकेशन मुझे यह लेना है मेरे चुनाव क्षेत्र में बहुत गरीब मछली वाले रहते हैं जो 10, 12 मन मछली सिर पर लेकर बेचते हैं – मेरी बात छोड़िये मैं तो एबसोल्यूट वेजिटेरियन हूं लेकिन वे मेरे पास आये थे। उन्होंने मुझे डिफिकल्टी बताई है। इनको मछली का ठेका दिया जाता है और उस ठेके के द्वारा राज्य सरकार मछली बेचती है। यह उदाहरण के लिये है क्योंकि मुझे पता नहीं, उनका एक बिल मंगवाया था–यह राजस्थान सरकार मत्स्य पालन क्षेत्र में कुछ जिलों में जैसे जयपुर, उदयपुर में तालाब हैं वहां पर उनको ठेके दिये गये और वहां पर गवर्नमेंट ने मछली बेची, जब आप मछली बेचते हैं तो आप सेल्स टैक्स कैसे लेंगे। मैं समझता हूं राजस्थान भर में 8 लाख का ठेका मछलियों का जाता है चूंकि गवर्नमेंट मछली बेचती है और जब कहीं नाके पर से निकलती है – अगर एक ट्रक में 50 किलो मछली होती है तो उसको आर्बीट्रेशन में चार्ज किया जाता है और वह यह है कि आप मछली देते हैं, सेलर गवर्नमेंट है तो आप किस तरह सेल्स टैक्स वसूल करेंगे? राजस्थान में 8 लाख का ठेका करीब राजस्थान गवर्नमेंट देती है, कुछ जगह रॉयल्टी से भी देती है जसे उदयपुर में 10 हजार की मछली पकड़ते हैं तो आप सेल्स टैक्स लेते हैं– इमीजियेटली कुछ व्यवस्था आपने की है। कुछ गरीब आदमी हैं उनको परेशानी न हो लीगल आसपेक्ट को आप एग्जामिन करें। तीन पर्सेन्ट में मैंने उनको राजी किया और बताया कि राजस्थान के विकास के लिये पैसा चाहिये और जो मछली खाना पसन्द करते हैं कलकत्ता, हावड़ा की तरफ, उनको पैसा देना चाहिये। परन्तु मैं कहता हूं जैसे एक लाख का ठेका आपने दिया तो आप उसे पर वहीं सेल्स टैक्स ले लीजिये और उस ठेके की बोली एक लाख तीन हजार कर दीजिये। तीन पर्सेन्ट से तीन हजार और एक लाख का ठेका तो एक लाख तीन हजार में ठेका दीजिये। आप उसके टैक्स के तीन हजार रुपये वहीं जमा करा लीजिये लेकिन यह हिसाब–किताब रखना न तो उनके बस की बात है और न ही वे ऐसा कर सकते हैं इसलिये उस नाते उनका चेकिंग नहीं होना चाहिये। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जैसे दिल्ली का बोर्डर है और ट्रक भरा हुआ जारहा है अब अगर मछली दो घंटे रुक गई तो मछली सड़ जायगी इसलिये मेरा निवेदन है कि चूंगी चौकी पर कोई सेलस टैक्स न लगायें। अभी का एक मामला है मछली ट्रक से जा रही थी और उनसे बोर्डर पर तीन सौ रुपये मांगे गये, तीन सौ रुपये उनसे ले लिये गये और रसीद भी नहीं दी गई क्योंकि ट्रक वालों को यह भय था कि अगर दो घंटे भी मछली रुक गई तो सड़ जायगी इसलिये या तो इसको एक्जेम्प्ट करें, इस नाते मेरा निवेदन है कि गरीबों पर ध्यान रखें और ठेके के साथ ही सेलस टैक्स की रकम वसूल कर लें जैसे एक लाख का ठेका हो तो एक लाख तीन हजार उनसे ले लें और 50 हजार का ठेका हो तो 50 हजार पर डेढ़ हजार रुपया उसी के साथ जोड़कर ले लें अगर आप लेने के लीगली हकदार बनते हैं तो।

श्री मथुरादास माथुर : माननीय सदस्य ने मछली के लिये कहा। राज्य सरकार किसी ठेकेदार को जब तालाब दे देती है तो वह मछली निकाले और अपनी मजदूरी करें। एक मन मानो ज्यादा निकलती है तो भी वह निकाले क्योंकि उसको ठेका दे दिया गया है और राज्य सरकार रॉयल्टी बेसिस पर कर देती है तो ज्यों ही वहां से मछली निकली

(श्री मथुरादास माथुर)
हम तो फर्स्ट पॉइन्ट पर उससे टैक्स ले लेंगे जैसे दारू पर लेते हैं......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आप ले लीजिये ।

श्री मथुरादास माथुर : वहीं पर ले लेंगे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं लेते हैं वहां पर ।

श्री मथुरादास माथुर : वहीं पर ले लेंगे, जैसा बताया ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): यह बात तो ठीक है लेकिन मछली का....

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री मथुरादास माथुर : अब दूसरा प्रश्न..

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मछली दिल्ली, कलकत्ता जा रही है तो क्या करेंगे ?

श्री मथुरादास माथुर : तीन पर्सेन्ट ले लेंगे राजस्थान का ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह तो आप ले लें, बेईमानी करके....

श्री अध्यक्ष: ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आप ऐप्रीशियेट करेंगे मैं कहता हूं जो मछली दिल्ली या कलकत्ता जा रही है आप उस पर राजस्थान का सेल्स टैक्स कैसे लेंगे ? राजस्थान में तो वह बेच ही नहीं रहा ।

श्री मथुरादास माथुर : जस्टीफाइड है । मान लीजिये राजस्थान में, जयपुर में तालाब हैं मछली यहां बिकी तो तीन पर्सेन्ट सेल्स टैक्स ले लूंगा ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : श्री राम नारायण ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वित्त मंत्री महोदय से नीति सम्बन्धी एक जानकारी चाहता हूं । वह जानकारी यह है कि राजस्थान सरकार ने इकोनोमी की है जैसा उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है लेकिन इकोनोमी करते वक्त रेफ्रीजरेटर और हीटर के एक्सपेन्सेज हैं उसको कम नहीं किया है । इसको कम नहीं किया गया तो इसकी क्या आवश्यकता है ? आपके आई० ए० एस० और आर० ए० एस० ऑफिसर्स हैं वे रेफ्रीजरेटर और खश खश की टटियों में काम करते हैं और जो सेक्रेटेरियेट में बैठकर लाखों रुपया खर्च करते हैं । इस बारे में कभी आपने सोचा है कि इस खर्चे को कम किया जाय ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने भाषण में जिक्र नहीं किया इस बात पर ।

श्री मथुरादास माथुर : क्या ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने अपने भाषण में कहीं पर इस बात का जिक्र नहीं किया है ।

श्री रामनारायण चौधरी : आप फारिन टूर्स पर आई० ए० एस० आफिसर्स को भेजते हैं और लाखों रुपया खर्च करवाते हैं । बड़े बड़े ऑफिसर्स आपके फॉरिन जाते हैं, उन पर रुपया फिजूल खर्च होता है । आज आपने 12 महीने पहले ही शिक्षा सचिव को फॉरिन म भेजा था, आज उनका क्या अर्थ रहा उनको पी० डब्ल्यू० डी० में भेज दिया गया ।

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

श्री मदन सिंह : वित्त मंत्री जी कुछ बताना चाहते थे। मैंने पूछा था कन्ज्यूमर्स पर डाइरेक्ट टैक्स पड़ता है और एक कलेक्टिव फार्मिंग पर पूछा था।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) श्री मुकुटबिहारी लाल।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : मेरा प्रश्न साफ है। मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यह टैक्सेशन में जो लीकेज है, जो इवेजन है उसको रोकने के लिये आप क्या प्रभावकारी कदम उठाना चाहते हैं ? जितना सैल्स टैक्स आता है, उतना महीना बंध जाता है चाहे वह मोटर वेहिकल का हो, चाहे वह सैल्स टैक्स का हो, चाहे नाकों का हो, मैं पूरे डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। आपके, रेवन्यू में जो लीकेज है उसको चैक करने के लिये क्या आप प्रभावकारी योजना रखते हैं?

श्री मथुरादास माथुर : माननीय अध्यक्ष महोदय, दो–तीन प्रश्न मेरे सामने हैं जो माननीय सदस्यों ने पूछे हैं। एक तो यह है कि मदनसिंह जी ने कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में राज्य की क्या नीति है ? कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में उनके विचार क्या हैं ? वे कलेक्टिव फार्मिंग को एक्सप्लेन कर दें।

श्री अध्यक्ष : आप एक्सप्लेन करवायेंगे तो आगे का बिजिनेस....

श्री मदन सिंह : समाजवाद के लिये कलेक्टिव फार्मिंग जरूरी है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष: वे समझ गये, माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन सिंह : लोग तो भाषण देते हैं मैं एक प्रश्न पूछता हूं...

श्री अध्यक्ष: आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आ रहा है।

श्री मथुरादास माथुर : सवाल यह है कि समाजवाद लाने के लिये कोआपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग दोनों ही हैं।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री महोदय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : अगर आपका मतलब कलेक्टिव फार्मिंग से जो रशिया या चाइना के अन्दर हुआ उससे है तो हम उसके पक्ष में नहीं हैं। यह मैं स्पष्ट कर दूं कि जहां जो किसान खातेदार थे उनकी सब की जमीन लेकर सब ने कलेक्टिव फार्मिंग कर दी तो उस राय के हम नहीं हैं, लेकिन मिलजुलकर किसान कोई कोआपरेटिव फार्मिंग करें तो उसको हम पसन्द करते हैं।

श्री मदन सिंह दांता : यह आज तक होना नहीं है और समाजवाद आना नहीं है। दूसरे टैक्स कन्ज्यूमर्स पर लगता है। आपने पैट्रोल पर लगाया है जो कि रिक्शा वाले आज भी आपको रो रहे हैं। बड़े आदमी पैट्रोल पर कम पैसा खर्च करते हैं। आज राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पैट्रोल गरीबों पर कन्ज्यूम हो रहा है इसलिये पैट्रोल पर से टैक्स कम होना चाहिए।

श्री मथुरादास माथुर : हिन्दुस्तान की योजना का जो प्रारूप है सहकारी खेती का वह ज्वाइन्ट फार्मिंग और कोआपरेटिव फार्मिंग है। कम्पलसरी जो हम लोग लाना चाहते हैं समाजवाद वह डेमोक्रेटिक तरीके से लाना चाहते हैं इसलिये डेमोक्रेटिक सोशियेलिज्म

(श्री मथुरादास माथुर)

में सब को खेती करनी पड़ेगी और जमीन जब्त कर ली जायेगी वह बात मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट कर दी और मैं भी करना चाहता हूं। पैट्रोल के लिए समझ गया कि वह गरीब आदमी काम में नहीं लेता है। आप भी समझ गये और मैं भी समझ गया।

टैक्स इवेजन के लिये मैंने अपने इस बजट में और पहले साल के बजट में भी सैल्स टैक्स और कौमर्शियल टैक्स में लीकेज को रोकने के लिये और प्लग करने के लिए हमने स्क्वैड बना रखा है और उसके लिए डिप्टी कमिश्नर है, जगह जगह सी० टी० ओज हैं वह यही काम करते हैं। आप असेसी हैं और आपका असेसमेंट हो गया और आपने दे दिया फिर भी हमने देखा कि बड़ा आदमी है और उसका टैक्स कम आया तो उसको जाकर दुबारा देखेंगे और उसको रि-असेस करके वसूली करेंगे। इस तरह से करने से लाखों रुपया इकट्ठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्य एक साथ प्रश्न पूछने खड़े हुए) श्री हंसराज आर्य, मैं एक माननीय सदस्य को अवसर दे चुका हूं उनका प्रश्न पहले आने दीजिए।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा वित्त मंत्री जी से पूछूंगा कि लीकेज को कैसे रोका जाये, इसके लिए अगर आप कोई कमी विचार सुनना चाहें तो व्यवहारिक तरीके से मैं समझता हूं कमी मैं दूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हंसराज आर्य।

श्री हंसराज आर्य (भादरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गंगानगर जिले में बैटरमेन्ट में जहां दो किश्तें वसूल करने का आदेश था उसको वापिस लेते हुए एक किश्त का आदेश दिया गया था? यदि हां तो तुम्हारे भाषण में 5 एकड़ तक माफ और 5 से 15 एकड़ तक एक किश्त और 15 एकड़ से ऊपर वाले से 2 किश्त ली जायेंगी उसका क्या मतलब हुआ इतने बड़े आन्दोलन के बाद भी क्या सरकार की आंख नहीं खुली अभी तक?

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी....

श्री मथुरादास माथुर : जो बजट में..

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्रीजी, मैं दूसरे दूसरे प्रश्न भी आपको दे देता हूं ताकि एक साथ समाप्त हो जायें।

श्री बृद्धिचन्द जैन।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने सम्पूर्ण नशाबन्दी के लिये पहले अप्रेल, 72 डेट फिक्स की थी। अब उसके बारे में क्या निर्णय है? आप 72 पर यह दृढ़ हैं या नहीं?

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की अधिक जनसंख्या गांवों में रहती है, और इस बजट भाषण में हाई स्कूल से हायर सेकेन्डरी में उन्नत करने का प्रवधान है। शिक्षा का प्रचार हो रहा है तो मिडिल स्कूल को हाईस्कूल में उन्नत करने का प्रावधान नहीं है इसलिये आपको इस बारे में क्या कहना है?

श्री फूलचन्द बाफना (समेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था और यह प्रश्न उठाया था कि आज जंगल धड़ाधड़ कट रहे हैं और इसलिये वर्षा कम होती है। इस विषय में आपकी क्या नीति है ?

श्री बिरदाराम (जालोर सु०): अध्यक्ष महोदय.....

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामसिंह कुड़ी : एक बात तो सुनलें।

श्री अध्यक्ष : हां, सुन लेंगे।

श्री मथुरादास माथुर : अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार की इस समय 30 हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी करने की मन्शा है। इस साल मिडिल स्कूल को हाई स्कूल करने की मन्शा नहीं है क्योंकि गत साल से बहुत सों को किया था, करीब 100 से ज्यादा को।

श्री नाथूराम : फिर आदिवासी क्षेत्र में कैसे शिक्षा का प्रचार होगा.........

श्री मथुरादास माथुर : मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट करने का प्रावधान इस बार बजट में नहीं है।

श्री अध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गांवों में मिडिल स्कूल बनाने के लिए क्या है ?

श्री मथुरादास माथुर : जंगल सुरक्षित रहें और जंगल नहीं कटें राज्य सरकार की नीति है, और आपको कभी इसमें दिलचस्पी हो तो हमारे फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब का भाषण सुन लें तो आपको तसल्ली हो जायेगी।

श्री फूलचन्द बाफना : वर्षा कम होती है क्या यह सही है ?

श्री मथुरादास माथुर : प्रॉहिबिशन के बारे में जो राज्य सरकार ने डेट फिक्स की थी उससे बदली कब है ? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैटरमेंट लेवी के सिलसिले में राज्य सरकार की जो घोषणा हुई है बजट के जरिये से वह घोषणा ही स्टेण्ड करती है जिसके अन्दर 5 एकड़ तक सब को माफ यानी कोई वसूली नहीं होगी। 5 से एक मुरब्बा तक 1 किश्त और 16 से ऊपर वाले से दो किश्तें यानी जो 11 और 22 रुपया होती थीं

श्री हंसराज आर्य : फिर आपने दो किश्तों से 1 किश्त करने का आदेश क्यों दिया ? उसका मतलब क्या था ? क्यों आपने पेम्फलेट बांटे और पुस्तिकायें बांटी ?

श्री अध्यक्ष : वह अलग से प्रश्न है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। दो-तीन बातें ही पूछना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि मैंने बहुत कोशिश की पर कैपिटा इन्कम की कोई न कोई निर्धारित रकम का अनुमान लगाने की। मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान में परकेपिटा बेसिस के ऊपर 30 रुपया माहवार भी मान लिया जाय तो आज प्राइस इन्डेक्स को देखते हुए एक आदमी को खाने के लिये कितने रुपये चाहिये माहवार, यह भी आप उसका अनुमान लगायें। मैं मानता हूं कि आप डेमोक्रेटिक सोशियेलिज्म के अन्दर विश्वास रखते हैं। कोरे सोशियेलिज्म में विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन क्या आप यह समझते हैं कि परकैपिटा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इनकम का आज जो आधार लगाया जाये और प्राइस इन्डेक्स के साथ उसका मुकाबला किया जाये तो कन्डीशन्स आज राजस्थान के अन्दर ऐसी नहीं हैं कि डेमोक्रेटिक सोशियेलिज्म को पनपा सकें। एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं।

दूसरे मैं जो माननीय सदस्य श्री फूल चन्द बाफना ने पूछा जंगलों के संबंध में और वित्त मंत्री महोदय ने अभी कहा कि हमारी करोड़ों रुपयों की पूंजी लगी है, और हमारे असेट्स हैं, तो असेट्स एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जंगल तो आपके करोड़ों रुपयों के कट चुके। आपने करोड़ों रुपये खर्च करके दिवालिया बन गये। और आपने जंगल में दीवालें बनाई। अब दीवालें क्या असेट्स हैं या डेड असेट्स हैं इसका भी बाई वे आफ क्लेरीफिकेशन करना है, अगर आपकी इच्छा हो, उचित समझें तो आप कृपा करके दो शब्द इस संबंध में स्पष्टीकरण के कहें।

कोआपरेटिव के संबंध में मेरा, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना है कि जहां तक मेरी जानकारी है 20 करोड़ रुपया कोआपरेटिव मूवमेंट के अन्दर आपने खर्च किया है। इसका मैं विरोध नहीं करता लेकिन आप वित्त मंत्री हैं, राज्य के तो आपको कम से कम यह तो जानकारी होनी चाहिए कि यह इतनी बड़ी विपुल धनराशि खर्च की गयी है वह उचित रूप से खर्च की गयी है या अनुचित रूप से? इतनी विपुल धनराशि खर्च करने के उपरान्त आपको क्या लाभ है अथवा हानि है? यह तो कटमोशन के द्वारा भी हो सकता है। दो शब्द आप मुझे कृपा करके इस संबंध में स्पष्टीकरण का उचित समझें तो कहें।

(1 म० प०)

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: दिवालिया के संबंध में इतना ही कहना चाहता हूं कि आज मेरी आमदनी 1 लाख की है और यदि मेरे पर कर्जा 6 लाख का है और मैं यह कहूं कि मेरे तो मोटर भी है, मेरे तो महल भी हैं, बागात भी हैं तो वह एसेट्स मानकर आप अपने आपको दिवालिया घोषित करेंगे या सालवेन्ट घोषित करेंगे? मैं अपने आपको दिवालिया कहूंगा। इस आधार पर मैंने राज्य सरकार को दिवालिया कहा है।

श्री अध्यक्ष: संक्षेप में वित्त मंत्रीजी।

श्री मथुरादास माथुर: अध्यक्ष महोदय, मैं पहले उनके अन्तिम प्रश्न को लेता हूं और उसका जवाब देता हूं। मैं राजस्थान सरकार को न तो दिवालिया मानता हूं और न कहने को तैयार हूं। करोड़ों रुपये लगाकर हम राजस्थान कैनाल, भाखरा प्रोजेक्ट बान्ध बनाते हैं और चम्बल का बान्ध बनाते हैं और इनको गिने ही नहीं, एसेट्स के अन्दर यह कैसे हो सकता है? अगर इनको एसेट्स के अन्दर नहीं गिनेंगे तो फिर तो लोन ही लोन रह जायगा। इसलिए ये एसेट्स हैं। मैंने जंगल की पूरी वेल्यू करके एसेट्स नहीं गिने हैं जंगल जो खड़े हुए हैं राजस्थान के अन्दर और जो जमीन पड़ी हुई है तो उस जमीन को एसेट्स नहीं गिना है, लेकिन जिन चीजों को हमने कर्जा लेकर बान्धा है या बनाया है जैसे मेटल रोड 500 मील की है तो वह एसेट है, क्योंकि उसका रिटर्न मिलने वाला है मोटर विहिकल टैक्स और पैसेन्जर टैक्स आदि के रूप में। बन्धा बान्धा है तो उससे इरिगेशन रेट्स और बेटरमेंट लेवी

(श्री मथुरादास माथुर)

मिलेगी। कम मिलती है या ज्यादा मिलती है यह बात अलग है। इसलिए ये एसेट्स हैं। अगर इनको निकाल दिया जाय तो राजस्थान सरकार के पास क्या है? बैंक में रुपया रख कर रेडी कैपिटल रखें तो कोई भी स्टेट नहीं रखती और न ही रख सकती है। इसलिए मैं नेता महोदय से निवेदन करूंगा कि एसेट्स के बारे में दुबारा चिन्तन करें कि एसेट्स क्या होने चाहिए। राजस्थान सरकार के पास पूरे एसेट्स हैं इसलिए वह दिवालियां नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एसेट्स हैं लेकिन वे ओवर एस्टीमेटड हैं।

श्री मथुरादास माथुर : ओवर एस्टीमेटेड नहीं बल्कि अन्डर एस्टीमेटेड हैं इसलिए कि जब पैसा लगाया था उस वक्त के एस्टीमेट्स हैं। आज उनकी सोशियल वेल्यूज बढ़ गई हैं। एक सडक बनती थी पहले मान लें कि 20 हजार में तो उसकी वेल्यू आज 30 हजार हो गई है।

श्री अध्यक्ष : दूसरा प्रश्न।

श्री मथुरादास माथुर : दूसरे प्रश्न का उत्तर, माननीय अध्यक्ष, यह है कि कोऑपरेटिव के अन्दर लगाया है तो उसके लिए उस इन्वेस्टमेंट के लिए उनको कोई ऐतराज नहीं है। अच्छा है। मैं आपसे कहूं कि स्माल टर्म लोन जो मिलता था सेन्ट्रल गवर्नमेंट से वह 5-6 करोड़ का था वह आज 18 करोड़ पर पहुंच गया है। वह किसानों को दिया जाता है। आज 18 करोड़ का लोन नहीं दे सकते हैं वह दे रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को स्ट्रेंग्थन किया गया है इसकी वजह से 18 करोड़ का हमने कर दिया है। यह मैं मानता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से जितना रिटर्न होना चाहिए वह नहीं होता है, लेकिन उसका सोशियल रिटर्न मिलता है। यह कोई बनिये की दूकान नहीं है कि वह उसका फिस्कल रिटर्न ही देखे। कोआॅपरेटिव मूवमेंट को मजबूत करने के लिए यह कर्ज दिया गया है। हमने जो प्राइमरी कोआॅपरेटिव सोसाइटीज को लोन दिया है उससे कोऑपरेटिव आन्दोलन मजबूत होगा।

दूसरी बात मेरा यह जंगल के लिए निवेदन है कि यह कहा गया है कि जंगल कट रहे हैं और बहुत ज्यादा कट रहे हैं और इसकी चर्चा होती है। वे नहीं कटने चाहिएं। यह जब इसकी डिमाण्ड आये तो किसी पर्टीक्यूलर एरिया में ज्यादा कटते हैं और वापस नहीं लगे हैं तो उसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय दे देंगे।

अब रहा पर कैपिटा इनकम और प्राइस इन्डेक्स का सवाल तो मैंने बजट के भाषण में सारे प्राइस इन्डेक्स बढ़ने के कारण बताये हैं। मैंने पर कैपिटा इनकम का शुरु में इसलिये जिक्र नहीं किया कि आज राजस्थान की जो हालत है फेमिन पड़ रहा है तो अपने आप पर कैपिटा इनकम गिरती है। जमाना अच्छा हो जाय और मानसून फेवरेबल हो जाय तो पर कपिटा इनकम बढ जाय, क्योंकि पर-कैपिटा इनकम में 49 पर्सेन्ट कन्ट्रीब्यूशन एग्रीकलचर का है। अच्छी खेती हो जाय तो आमदनी बढती है। 80 पर्सेन्ट आबादी गांवों में रहती है। इन्डस्ट्री और ट्रेड भी उसके कम्पोनेन्ट्स हैं लेकिन वे पूरा इकोनॉमिक इफेक्ट नहीं रखत हैं जितना कि एग्रीकलचर रखता है। इसलिए समझ नहीं पाया कि

(श्री मथुरादास माथुर)

एक साल में अकाल पड़ गया तो गिर गया। जमाना अच्छा हो गया तो वह बढ़ गया। इसमें डेमोक्रेटिक सोशियेलिज्म की बात कहां रहती है? हमारे उद्देश्य को पूरा करने में रोड़े आते हैं। अकाल भी आजाय तो भी हम चलेंगे; इनको एवायड करके चलेंगे जब तक कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन स्टेट के और कोऑपरेटिव के पास में न आजायं। यह बेसिस लेकर हम चल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें।

अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में समय का बंटवारा

अनुदानों की मांगों पर विचार करने से पूर्व मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस सम्बन्ध में गत कुछ वर्षों से अपनाई जाने वाली पद्धति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित होगा, मांगें समूह में प्रस्तुत की जावेंगी। मांगों पर कटौती प्रस्तावों की संख्या काफी होती है और समयाभाव के कारण यह संभव नहीं होगा कि कटौती प्रस्तावों की सूचना देने वाले सभी माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जा सके।

जैसा कि पिछले वर्षों में परिपाटी रही है, सभी मांगों पर दिये गये कटौती प्रस्तावों को प्रस्तुत किये हुए समझा जाय और उन्हें सदन में पृथक से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। जिन माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जायं वे अपने सारे कटौती प्रस्तावों पर एक साथ उसी समय बोलने की कृपा करें। किसी पार्टी के माननीय नेता या अन्य प्रमुख सदस्य जो उनकी पार्टी की ओर से बोलना चाहें वे अपने विचार व्यक्त कर सकेंगे, किन्तु वे अपनी पार्टी के समय के भीतर ही बोल सकेंगे।

माननीय सदस्यों को यह भी ज्ञात होगा कि मांगों पर होने वाली बहस के दौरान उठाए गए प्रश्नों के उत्तर मंत्री महोदय द्वारा उसी दिन दिये जायेंगे और उसके बाद उन मांगों पर मत दान होगा। जिन कटौती प्रस्तावों के संबंध में माननीय सदस्यों को समयाभाव के कारण उत्तर न मिल सके तो उनके विशेष आग्रह पर सरकार की ओर से संबंधित माननीय सदस्यों को लिखित उत्तर मिल जाये एसा मेरा निवेदन है।

मांगों पर विचार व्यक्त करने के लिये मोटे तौर पर सरकारी पक्ष को 2 घन्टे का समय दिया जायेगा जिसमें मंत्रियों द्वारा उत्तर देने का समय भी सम्मिलित होगा, स्वतन्त्र पार्टी को 40 मिनिट, जनसंघ को 35 मिनिट, भारतीय क्रान्ती दल को 25 मिनिट व अन्य दलों आदि को 10 मिनिट से 20 मिनिट का समय दिया जावेगा।

अनुदान की मांगों का प्रस्तुतिकरण

मांग संख्या 18

कृषि मंत्री, श्री शोभाराम।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करूंगा कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31—कृषि के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 6,01,98,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे।

श्री अध्यक्ष : श्री मनफूल सिंह, राज्य मंत्री ।

श्री शोभाराम : मैं एक और मांग रख देता हूं ।

श्री अध्यक्ष : रखिये ।

मांग संख्या 38

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नती और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,85,000 ० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : यातायात मंत्री, श्री अमृत लाल यादव...(विराम) श्री मनफूलसिंह ।

मांग संख्या 19

राज्य मंत्री, पशु पालन (श्री मनफूलसिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,20,43,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : श्री अमृतलाल यादव ।

मांग संख्या 20

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,67,51,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री अध्यक्ष : कटौती प्रस्ताव, श्री नत्थी सिंह ।

मांग संख्या 18, 19, 20 एवं 38 पर प्रस्तुत किये गये कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या 18

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) :

1. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के सम्बन्ध में राज्य सरकार की कोई सुदृढ़ योजना न होने के कारण, इस विषयक सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 19

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पशुपालन हेतु, पशुपालकों को ऋण की कोई योजना नहीं होने सम्बन्धी सरकार की नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 20

3. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के चुनावों में, अनाधिकार हस्तक्षेप संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

4. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर कर दिया जाय (राज्य

(श्री नत्थीसिंह)
सरकार द्वारा सहकारी प्रशिक्षकों की सेवा-मुक्ति संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन)

5. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सरकार की वर्तमान नीतियों के कारण सहकारी आन्दोलन सुदृढ़ नहीं हो रहा है ; इस संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

6. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा पाली जिले को जोधपुर उप-रजिस्ट्रार के क्षेत्र से हटाकर उदयपुर में मिलाने संबंधी शासकीय आदेश के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 38

7. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95-कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कृषि सम्बन्धी अन्वेषण को जिलों में समुचित सुविधा न होने सम्बन्धी सरकार की इस विषयक नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 18

8. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढ़ाने के बारे में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 19

9. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पशुओं में उत्पन्न रोग की रोकथाम हेतु सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 20

10. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (सहकारिता के अंतर्गत सरकार की ऋण देने की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 18

श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :
11. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि को उचित रूप से प्रोत्साहित नहीं करने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 19

12. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु मेलों में सुव्यवस्था का प्रभार पशुपालकों को देने व उन्हें अच्छी नस्ल के पशु देने संबंधी चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 20

13. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन की असफलता व सहकारी धन के दुरुपयोग के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 18

दुर्गालाल बाढ़दार, (हवामहल, जयपुर) :
14. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर

Page No 41

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

दिया जाय (हरितक्रान्ति को विभाग द्वारा उचित प्रोत्साहन न देने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

15. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर पशु चिकित्सालय के कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र की असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

16. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रार कार्यालय में विभिन्न पेंन्डिग केसेज शीघ्र निवटाने पर चर्चा के लिए)।

17. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रार कार्यालय में अस्थायी अल्प वैतनिक कर्मचारियों को स्थायी करने पर चर्चा के लिए)।

18. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की अधिकार प्रिन्टिग प्रेस सहकारी समिति के लेखों का उचित निरीक्षण न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

19. श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा प्रति वर्ष फसलों की किस्म में किये जा रहे परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

20. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा हाइब्रीड क्रोपस के लगातार फेल होने पर भी वार वार किसानों द्वारा ऋण मांगने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

21. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि विभाग के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसलों को रोग व कीटाणुओं से बचाने में विभाग की निष्क्रियता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

22. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग की नस्ल सुधार में अदूरदर्शिता पर चर्चा, के लिए)।

मांग संख्या 20

23. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा की जा रही अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

24. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को दिये गये ऋण की वसूली में बरती जा रही ढिलाई पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

25. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि तल जल बोर्ड द्वारा बाड़मेर जिले के निम्नलिखित ग्रामों में इस वर्ष म ट्यूब वैल खुदाने के विषय पर चर्चा के लिए:- झाक, काहू का खेड़ा, बांदरा, हुडां की ढाणी, छीतर का पार, सवाऊ पदमसिंह, रावतसर ग्राम में वाडीवाला कुओं के पास शिवकर, देरासर, पावूसरीया, नांद बाटाडू)।

26. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय Hydrcgeological Reconnaissance योजना के अंतर्गत बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों को भू-तल जल प्राप्ति की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा स` नहीं किये जाने के कारण उक्त जिलों में, जो कि पहले सेही पिछड़े हुए हैं, विकास की गति न बढ़ाने पर चर्चा के लिए,।

27. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छोटे काश्तकारों को कृषि उत्पादन के लिए आसान ब्याज पर समुचित ऋण की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

28. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में राजस्थान के विख्यात पशु मेले के विकास में राज्य सरकार की उदासीनता की नीति का अननुमोदन)।

29. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में Intensive Cattle Development Scheme लागू करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

30. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में पशुपालन विभाग की ओर से राजकीय थार पारकार ब्रीड का फार्म स्थापित करने पर चचा के लिए)।

मांग संख्या 18

31. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला कृषि कार्यालय, कपासन द्वारा खरीद किए गए कल्याण सोना बीज में हुए घोटाले तथा बिना प्रोसेस किये हुए गेहूं को किसानों को बेच देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

32. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन व सिंचाई साधनों की वृद्धि में विभागीय असफलता पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

33. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन खेती के साथ प्रमुख धन्धा है, किन्तु इसमें विभागीय वर्तमान दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है, इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

मांग संख्या 20

34. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता आन्दोलन की असफलता स्वार्थी लोगों के कारण है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

35. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक व विशेष कर उनियारा तहसील में कोई सघन कृषि कार्यक्रम न लेने पर चर्चा के लिए)।

36. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में कृषि कार्यों में कोई प्रगति न होने के बारे में चर्चा के लिए)।

37. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में और विशेष कर उनियारा तहसील में कृषि की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

38. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में भेड़ पालकों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है और वहां पर स्थित विभाग को भी हटा लेने पर चर्चा के लिए)।

39. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में पशुपालन विभाग द्वारा शिथिलता से कार्य करने के बारे में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

40. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भू-संरक्षण कार्यों हेतु अनुदान की राशी कम कर देने व कृषकों से अग्रिम धनराशि जमा कराने के फलस्वरूप होने वाले नुकसान पर चर्चा के लिए)।

41. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में रिसाव, भरैत व कटाव के फलस्वरूप हो रहे नुकसान से कृषि उत्पादन में आ रही कमी पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

42. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में पशु विकास की व्यवहारिक योजना नहीं होने से हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

43. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 पया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में सहकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा पक्षपात पूर्ण रवैया अपना कर पिछले तीन सालों में सहकारिता की भावना को आघात पहुंचाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

44. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय "न लाभ न हानि" की योजनाओं को गलत रूप से चलाने के कारण हुये नुकसान पर चर्चा के लिए)।

45. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि जल मण्डल, जोधपुर द्वारा स्टोर के संधारण में हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

46. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नगरपालिकाओं को खाद बनाने के लिये दिये गये ऋण के दुरुपयोग करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

47. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय वरिष्ठता सूची गलत तरीके से बनाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

48. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल मण्डल द्वारा नल कूप खोदने में की जा रही मनमानी कार्यवाही के कारण नल कूपों के असफल होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

49. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी प्रशिक्षकों के लिए सहकारी संघ को दिये जा रहे अनुदान में कमी किये जाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

50. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि विकास बैंकों द्वारा दिये जा रहे ऋण की प्रणाली में सरलीकरण न किये जाने पर चर्चा के लिए)।

51. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय समिति, डीडवाना, जिला नागौर में बरती गई अनियमितताओं पर चर्चा के लिए)।

52. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (क्रय विक्रय समिति, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा किये गये अनियमित कार्यों पर चर्चा के लिए)।

53. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गान्धी चर्म उत्पादक सहकारी समिति, लाडनूं, जिला नागौर द्वारा राजकीय सहायता के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

54. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मारवाड़ बालिया नमक उत्पादन सहकारी समिति, जिला नागौर की समापन की कार्यवाही रोके जाने पर चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति, ललासरी, जिला नागौर, के मंत्री द्वारा ऋण का गबन कर लेने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

56. **श्री कल्याणमल मीणा** (जहाजपुर-सु०): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फसलों में कीड़े लग जाने से फसलों को होने वाली क्षति के संबंध में चर्चा के लिए)।

57. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले में कृषि उत्पादन हेतु बजट में कोई व्यवस्था न होने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

58. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बिसाऊ कस्बे में पशु चिकित्सालय नहीं खोला गया है तथा उस क्षेत्र में पशु चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

59. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी प्रशिक्षकों को इस वर्ष हटाये जाने तथा बजट में सहकारी प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 38

60. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति एवं अन्वेषण की योजना के अंतर्गत झुंझुनूं जिले में कोई कार्य नहीं करने बाबत चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

61. **श्री देवेन्द्र कुमार मीणा** (गोगुन्दा-सु०): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (उदयपुर जिला आदिवासी कृषकों को कृषि कार्यों में पूर्ण सहयोग नहीं मिल रहा है इस संबंधी सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 19

62. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर के आदिवासियों के पशु धन विकास में विभागीय सहायता न मिलने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

63. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों द्वारा ग्रामीणों को वांछित सहायता न मिलने संबंधी चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

64. **श्री नाथूलाल करोल** (जमुवारामगढ़): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि पैदावार का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है और बीज व खाद व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

(श्री नाथूलाल करोल)

मांग संख्या 19

65. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन विभाग द्वारा पशुधन की रक्षा न करना और उनकी वृद्धि की ओर ध्यान न देने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 18

श्री पृथ्वी सिंह (बाली) :

66. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शंकर बीजों के भाव निर्धारित करने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

67. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले में पैकेज प्रोग्राम के अंतर्गत खरीदे गये कृषि यंत्रों के संबंध में चर्चा के लिए) ।

68. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषि उपज मंडियों में सुचारू ढग से कार्य चालू नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 19

69. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में गोचर भूमि छुड़ाने के बारे में विभागीय निष्क्रियता के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 20

70. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों के लम्बे अर्से तक चुनाव नहीं करवाने बाबत चर्चा के लिए) ।

71. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डिफाल्टर एवं डिफेक्ट समितियों का लिक्विडेशन नहीं करने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

72. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाली तहसील में सहकारी समितियों में गबन के मामलों के संबंध में चर्चा के लिए) ।

73. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी ऋण वितरण एवं वसूली के संबंध में चर्चा के लिए)।

74. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के अंतर्गत पाली जिले को जोधपुर डिवीजन से निकाल कर उदयपुर डिवीजन में मिलाने बाबत चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 18

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) :

75. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सरकारी कृषि फार्मों में चल रहे गबन व घोटाले के विषय में चर्चा के लिये) ।

76. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 47

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कम कर दिया जाय (कृषि विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति में चल रहे पक्षपात व अनियमितताओं पर चर्चा के लिए) ।

77. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग द्वारा खाद व गन्ना, गेहूं, बाजरा आदि बीजों की खरीद में भारी घोटालों पर चर्चा के लिए) ।

78. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भूमि जल बोर्ड में धन का खुला दुरुपयोग हो रहा है एवं जिला कोटा आदि में अधूरे पड़े कार्य पूरे नहीं हो रहे है, इस पर चर्चा के लिए)।

79. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में पक्ष पात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

80. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (पशु चिकित्सा विभाग से मत्स्य पालन विभाग अलग न करने संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

81. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयसमन्द झील में मछली पकड़ने का ठेका सरकारी नीति के विरुद्ध देने के संबंध में चर्चा के लिए)।

82. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा विभाग अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति में चल रहे पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

83. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में पशु चिकित्सक के रूप में शिक्षित डाक्टरों की बेरोजगारी व सरकार द्वारा नौकरी नहीं दिए जाने के बारे में चर्चा के लिए)।

84. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशु चिकित्सा विभाग में कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति व पदोन्नत्ति में चल रहे पक्षपात व भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

85. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ बंधे में मछली पकड़ने के ठेकेदार को अनुचित व भ्रष्ट तरीकों से लाभ पहुंचाने के संबंध चर्चा के लिए ।)

मांग संख्या 20

86. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थानान्तरण तथा पदोन्नति में चल रहे पक्षपात पर चर्चा के लिए) ।

87. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले की शाहबाद

Page No 48

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

व अटरू कृषि फार्मिंग सोसाइटीज के फर्जी व नियम विरुद्ध रजिस्ट्रेशन पर चर्चा के लिए)।

88. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय(जिला कोटा में सारोला (अटरू) मंडोला, फतेहपुर, अकलेरा आदि गांवों की सहकारी सोसाइटीज में भारी घोटालों पर चर्चा के लिए) ।

89. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी सोसाइटियों व बैंकों में चल रहे गबन व घोटालों संबंधी चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 38

90. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान भू-जल मण्डल एवं एक्सप्लोरेट्री ट्यूब वैल्स आर्गेनाइजेशन द्वारा हिन्डौन, चिड़ावा (जिला झुन्झुनूं) आदि स्थानों पर लगाए गए ट्यूब वैल्स पर अन्य लोगों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 18

91. **श्री मूलचन्द कटेवा** (पिलानी) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग का प्रचार व मोटे अनाज के उन्नत बीज व बारानी काश्त के बीज की व्यवस्था के संबंध में सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

92. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला मुख्यालयों पर भूमि परीक्षण के लिये लेबोरेट्री स्थापित किए जाने पर चर्चा के लिए) ।

93. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषकों को उन्नत बीज की कृषि करने का प्रशिक्षण दिए जाने पर चर्चा के लिए) ।

94. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमिगत पानी की सर्वे के संबंध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 19

95. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटाकर 1 रुपया कर दिया जाय (नस्ल सुधार योजना संबंधी सरकार की असफल नीति का अननुमोदन) ।

मांग संख्या 18

96. **श्री जगन्नाथ पटेल** (टोडारायसिंह): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टोंक में कृषकों को समय पर खाद बीज नहीं मिलने पर चर्चा के लिए) ।

97. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31- कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री जगन्नाथ पटेल)

कम कर दिया जाय (खाद- बीज के संबंध में वसूली और अधिक ब्याज की वसूली पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 19

98. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला टौंक में टोडारायसिंह में पशुपालन व समय पर ऊन की रक्षा नहीं होने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 38

99. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टौंक जिले में कृषि उन्नति हेतु किये जा रहे कार्यों में अव्यवस्था सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

100. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपज मंडी में योजना के विपरीत नई भूमि की खरीद पर चर्चा के लिए) ।

101. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली में कृषि मण्डी के लिये जो उपलब्ध जमीन है उसका उपयोग न होने पर चर्चा के लिए) ।

102. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली की कृषि उपज मंडी कमेटी द्वारा नई जमीन कृषि के लिये खरीदी, इस पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 20

103. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर (पाली जिले को सहकार क्षेत्र में जोधपुर डिविजन से हटाकर उदयपुर डिवीजन में डालने पर चर्चा के लिए) ।

104. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय दिया जाय (पाली शहर के सहकार भंडार की अनियमित कार्यवाहियों पर चर्चा के लिए) ।

105. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले का Deputy Registrar, Co-operative कार्यालय उदयपुर ले जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

106. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों का कार्यालय स्थानान्तर किये जाने के बावत चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 18

107. **श्री सुवालाल चौधरी** (दूदू) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के उपयोग हेतु प्राईवेट कम्पनियों द्वारा ट्रैक्टर्स का भारी ब्लैक किये जाने पर चर्चा के लिए) ।

(श्री सुवालाल चौधरी)

108. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति दूदू के क्षेत्र में भू-गर्भ जल श्रोतों की खोज लगाने में कृषि विभाग द्वारा पक्षपात करने पर चर्चा के लिए)।

109. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों के छात्रों को कृषि संबंधी शिक्षा दिलाने में सरकार का प्रोग्राम असफल होने पर चर्चा के लिए)।

110. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की उपज बढ़ाने हेतु जयपुर जिले में पानी की उचित व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

111. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को उचित मूल्य पर खाद-बीज, कृषि-यन्त्र व दवाइयों नहीं मिलने पर चर्चा के लिए)।

112. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील फुलेरा में ग्राम सरथला की झील के पानी का लिफ्ट स्कीम से सिंचाई करने पर चर्चा के लिए)।

113. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को बैंक व अन्य संस्थाओं से ऋण लेने में कागजी सबूत पेश करने में भारी खर्चा करना पड़ता है इस पर चर्चा के लिए)।

114. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार द्वारा 15 एकड़ से कम भूमि वाले किसान को बैंक से ऋण दिलाने की गारन्टी नहीं देने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

115. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भेड़-बकरी हेतु सार्वजनिक चरागाह में सुधार नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

116. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33- पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल की स्थिति पैदा होने पर पशुओं के लिये चारे पानी की उचित व्यवस्था नहीं करने पर चर्चा के लिए)।

117. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

118. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दूदू में कृषि सहकारी समिति को गलत तरीके से भंग कर के 400 बीघा जमीन को गलत खातेदारी में देने पर चर्चा के लिए)।

119. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम

Page No 51

(श्री सुखालाल चौधरी)

सेवा सहकारी समिति बोराज, तहसील दूदू के धन के दुरुपयोग पर चर्चा के लिए)।

120. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के प्रोग्राम को सही ढंग से चलाने में सरकार असफल रही है इस पर चर्चा के लिए)।

121. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि सहकारी समितियों के माध्यम से भूमिधारियों द्वारा भूमि ग्रहण करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

122. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरा पाटन): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि की उन्नति में सरकार की असफलता पर विचार करने हेतु चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

123. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झालावाड़ जिले में मनीलेंडर्स को लाइसेंस प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयां हो रही हैं, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

124. **श्री फूलचन्द बाफना** (सुमेरपुर) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कर दिया जाय (कृषि का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है, एवं उत्पादन की वितरण व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

125. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत इस मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन पर बराबर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अतः योजना बद्ध कार्य किया जाय, उस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

126. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता का कार्य ढंग से नहीं हो रहा है और जिन्हें लाभ पहुंचना चाहिये उन्हें लाभ नहीं मिलता इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

127. **श्री प्रभीलाल यादव** (बहरोड): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बहरोड क्षेत्र में कृषकों Improved seed को सही न मिलकर बीज खराब मिलने से खरीफ व रबी में जो क्षति पहुंची है, उस पर चर्चा के लिए)।

128. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद–बीज वितरण और वसूली में धांधली के संबंध में चर्चा के लिए)।

(श्री प्रभीलाल यादव)

मांग संख्या 19

129. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा मोढू, तहसील बहरोड़, जिला अलवर में वेटेरिनरी अस्पताल खोलने पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 20

130. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी समितियों को वास्तविक रूप से प्राथमिकता नहीं देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 38

131. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिन क्षेत्रों में भूमि उपजाऊ एवं पानी अच्छा हो वहां पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए और क्षेत्र अन्वेषण के लिए नीति निर्धारित करने में राजनैतिक पहलू नहीं लाने पर चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 18

132. **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (बनेड़ा): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर, 1 रुपया कर दिया जाय (हरित क्रांति की योजना संबंधी सरकार की नीति का अननुमोदन) ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) :

133. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा शंकर बीज वितरण संबंधी सरकार की नीति असफल रही है, इस विषयक सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

134. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने में सरकार की नीति असफल रही है, सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन) ।

135. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन संबंधी आंकड़े गलत तैयार किये जाते हैं, इस पर चर्चा के लिए) ।

136. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग द्वारा बीज वितरण व बीज के दाम अधिक लेने व बीज घटिया देने पर चर्चा के लिए)।

137. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ व जैतसर कृषि फार्म की व्यवस्था ठीक नहीं है, इस पर चर्चा के लिए) ।

138. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में कृषि प्रसार अधिकारियों की कोई उपयोगिता नहीं है, इस पर चर्चा के लिए) ।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

139. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला श्री गंगानगर में गन्ने की पैदावार का पूरा मूल्य किसानों को नहीं मिलता है, इस पर चर्चा के लिए)।

140. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (कृषि उत्पादन के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने में सरकार असफल रही है; इस पर चर्चा के लिए)।

141. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद का कारखाना गंगानगर जिले में लगाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए)।

142. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खेती के लिए कंट्रोल रेट पर किसानों को ट्रैक्टर देनें में भारी पक्षपात पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

143. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कम कर दिया जाय (पशु नसल सुधार संबंधी सरकारी असफल, नीति का अननुमोदन)।

144. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डा० श्री राम पशु चिकित्सालय, नोहर के संबंध में हो रही शिकायतों के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

145. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में सहकारी समितियां बोगस बना कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

146. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समितियों का एकीकरण करने से सहकारी आन्दोलन को बहुत नुकसान हुआ है इस पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

147. **श्री नन्दलाल बैरवा** (पाटन सु०) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में कृषकों को खाद-बीज समय पर न मिलने तथा अच्छा खाद-बीज न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

148. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गांवों में पशुओं की नसल सुधार के लिये विशेष योजनाबद्ध कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

149. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में सहकारी विभाग के आधीन संचालित ग्रामीण

(श्री नन्दलाल बेरवा)
सहकारी समितियों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

150. श्री शिवनाथ सिंह (गुढा) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन बढाने के लिये सिचाई के साधन जुटाने तथा सिचाई में पड़ने वाले खर्चे को कम करने पर चर्चा के लिए)।

151. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कुओं से सिंचित कृषि पैदावार पर पड़ने वाले भारी खर्चे को कम करने पर चर्चा के लिए)।

152. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31- कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (काटली नदी, जिला झुंझुनूं के क्षेत्र में ग्राम मनकसास से ग्राम मैनपुरा तक के गांवों से तांबा योजना खेतड़ी के लिये पानी लिये जाने की योजना से करीब 25 गांवों के कृषि कुओं का पानी सूख जाने की आशंका पर चर्चा के लिए)।

153. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि के लिये खाद सस्ती दरों पर उपलब्ध करवाने पर चर्चा के लिए)।

154. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उपयोग हेतु खरीदे जाने वाले पंम्पिग सैट आदि की कीमत में बढोतरी को रोकना तथा पंम्पिग सैटों की खरीद में गरीब किसानों को रिबेट देने पर चर्चा के लिए)।

155. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि कार्यों के लिये व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिये जाने वाले की भुगतान की अवधि को पांच साल के बजाय दस साल करने पर चर्चा के लिए)।

156. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि बीमा चालू करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

157. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में कृषि विकास परिषद की स्थापना पर चर्चा के लिए)।

158. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि संबंधी नीति निर्धारण करने तथा कृषि पर भार को कम करने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

159. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुन्झुनूं सहकारी बैंक लि० झुन्झुनुं, के चुनाव करवाने तथा बिगड़ी स्थिति सुधारने पर चर्चा के लिए)।

160. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से

(श्री शिवनाथ सिंह)
100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकारी संघ के Instructors की सेवायें समाप्त किये जाने के नोटिसेज के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

161. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्रीय भूमि विकास बैंक तथा झुन्झुनूं भूमि विकास बैंक के मार्फत उदयपुरवाटी पंचायत समिति के बागोली–गुढ़ा तथा मैनपुरा ग्रामों में करीब 70 लाख रुपये के कृषि कार्यों के लिए ऋण दिये जाने वाली योजना खटाई में पड़ जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए)।

162. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता के प्रति सरकार के उदासीन रवैये तथा सहकारिता के क्षेत्र में आम गिरावट पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 38

163. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति हेतु भूमि–जल सर्वेक्षण व अनुसंधान योजनाओं की ओर ध्यान देने पर चर्चा के लिए)।

164. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उन्नति के लिये सरकार द्वारा किये गये अपर्याप्त प्रयत्नों पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

165. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि उत्पादन के लिये किसानों को खाद पानी व बीज की उचित व्यवस्था करने के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

166. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया कर दिया जाय (अकाल पीड़ित पशुओं के लिए घास की जो व्यवस्था हो रही है, इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 20

167. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (व्यापार में सहकारिता को प्रमुखता दी जाय, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

168. श्री नन्दलाल (किशनगंज सु०) मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा जिले में असिंचित कृषि वाले स्थानों पर कुओं को बिजली देने के संबंध में व ट्यूब वैल्स लगाने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

169. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100

(श्री नन्दलाल)
रुपया कम कर दिया जाय (सुअर पालन योजना को समस्त राजस्थान में लागू किये जाने हेतु चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 18

170 **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई-माधोपुर) : मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर सब डिविजन में राष्ट्रीय कृत बैंकों की शाखाओं द्वारा किसानों को ऋण दिए जाने की अभी तक व्यवस्था न किए जाने के विषय में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 20

171. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में 50 रुपये कम कर दिये जायं (केन्द्रीय सहकारी बैंक संगठन माधोपुर में जीपों के दुरूपयोग से नावाजिब खर्चे में कमी करने सम्बन्धी मितव्ययता) ।

172. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (जिला सवाई माधोपुर की पंचायत समिति एवमं हिण्डोन में विभाग द्वारा राज्य की नवीन नीति के अनुसार एक पंचायत क्षेत्र में एक सहकारी समिति न रख कर एक से अधिक प्राइवेट सहकारी समितियां यथावत रहने देने के कारण पक्षपात बरतने सम्बन्धी चर्चा के लिये) ।

173. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रजिस्ट्रार द्वारा केन्द्रीय सहकारी बैंक के सदस्य के परिभाषा में प्राथमिक सहकारी समिति को सदस्य, न मानकर प्राथमिक समिति के 'सदस्य' को सदस्य माने जाने के निर्देश से सवाई माधोपुर में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

174. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (प्राथमिक सहकारी समिति झोरड़ा, पंचायत समिति हिन्डौन, जिला सवाई माधोपुर, के लगातार दो वर्षों से Defaulter होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

175. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ट्रेण्ड ग्राम सेवक उपलब्ध होते हुए भी सहकारी समितियों में केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा व्यवस्थापकों की नियुक्तियों के सम्बन्ध में प्रथक नियम रजिस्ट्रार सहकारी समितियों द्वारा बनाये जाकर पृथक नियुक्तियां जिला स्तरीय समिति द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 18

176. **श्रीमती मदनकोर** (पचपदरा): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार राज्य में पड़तल, कृषि योग्य और अयोग्य (बंजर) भूमि को सुधारने में असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए) ।

177. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि. के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्रीमती भवनकौर)

रुपया कम कर दिया जाय (मरूस्थल क्षेत्र की मृदा का संरक्षण करने में राज्य सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

178. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शुष्क क्षेत्र और सूखी खेती के विकास की उपेक्षा हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

179. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मरूस्थल में अनार और अंगूर के विकास का कोई कार्यक्रम नहीं, इस संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

180. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में विदेशी उत्तम नस्ल की गायों और भेड़ों के फार्म की स्थापना में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिए)।

181. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की उत्तम कांकरेज और थरपारकर नस्ल के पशुओं के दूसरे राज्यों को बेचान से यहां की नस्ल को बनाये रखने में सरकार असफल रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

182. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चारे और चरागाह की राज्य में कमी होते हुये भी अन्य राज्यों के पशुओं को चराई हेतु राज्य में सुविधा दी जा रही है, इस पर चर्चा के लिए)

183. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के पश्चिमी क्षेत्र का पशुपालन मुख्य व्यवसाय होते हुये भी पशुपालन विकास नहीं किया गया, इस पर चर्चा के लिए)।

184. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निकृष्ट पशु अन्य राज्यों से राजस्थान में लाये जाने के असफल प्रतिबन्ध पर चर्चा के लिए)।

185. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33-पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के पशुओं के लिये चारे और चराई की समुचित व्यवस्था न होने संबंधी चर्चा के लिए)

मांग संख्या 20

186. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फर्जी सहकारी समितियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लग रहा है, इस सम्बन्धी चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री किशनलाल शर्मा (नाथद्वारा) : 187. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31-कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खाद बीज वितरण और उसकी वसूली के संबंध में चर्चा के लिए)

Page No 58

(श्री किशनलाल शर्मा)

मांग संख्या 20

188. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय। (सहकारी क्षेत्र में वनस्पति घी का कारखाना खोलने की मांग पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

श्री हंसराज आर्य (भादरा): **189**. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (किसानों को सुधरे व बढ़िया बीज, तकावी व सुधरे औजार नहीं मिल रहे हैं, इस चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

190. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल के समय मरे पशुओं की जानकारी आज तक नहीं है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

191. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी विभाग में हो रही धांधलियों एवं अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 38

192. मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95–कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि विभाग ने जो जल अन्वेषण किया है, उससे किसानों को अभी तक पूरा लाभ नहीं मिल रहा है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 18

193 श्री शंकरलाल (जैतारण): मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जैतारण तहसील के गांव मोहराई में नलकूप का कार्य अभी तक चालू नहीं हुआ, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

194. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत इस मांग को घटा कर 1 रुपया, कर दिया जाय (पशुपालन केन्द्रों की स्थापना व संचालन में शिथिल नीति का अननुमोदन)।

मांग संख्या 20

195. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, का पद समाप्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

196. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (सहकारी शिक्षा के प्रचार में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

197. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि

(श्री शंकर लाल)
विकास बैंकों द्वारा समय पर व सरलता से ऋण नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 18

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर-पश्चिम): 198. मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31–कृषि के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि प्रधान देश होते हुए भी राज्य सरकार द्वारा कृषकों को उचित व समय पर सहायता न मिलने पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

199. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33–पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पशुपालन के लिए आम जनता को लाभ नहीं मिलता और इसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

200. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34–सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारी आन्दोलन की असफलता पर चर्चा के लिए)।

श्री गंगासहाय (कठूमर) : **201.** मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समितियों में स्थित चिकित्सालयों की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

मांग संख्या 20

202. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में होने वाली अनियमितताओं व धांधलियों के संबंध में चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 19

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर): **203.** मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रींगस पशु चिकित्सालय का भवन पर्याप्त नहीं होने से जनता की दिक्कतों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए)।

204. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33- पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रींगस पशु चिकित्सालय में उपयुक्त साधन व पर्याप्त दवाईयां नहीं होने से पशुओं का इलाज ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इस पर चर्चा के लिए)।

205. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्री माधोपुर पंचायत समिति में गैर नस्ल व बेकार सांडों के रहने से गायों की नस्लें खराब हो रही है, इस पर चर्चा के लिए)।

मांग संख्या 20

206. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम सेवा सहकारी समिति, गुढा, श्री माधोपुर को उसकी क्षमता के अनुसार ऋण व अनुदान न मिलने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

207. मांग संख्या-20, मुख्य शीर्षक

(श्री हरलालसिंह खर्रा)

34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंक सीकर में हुए घोटालों व भ्रष्टाचार के सम्बंध में उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

208. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूमि बन्धक बैंक सीकर द्वारा कृषकों को समय पर लोन नहीं मिलने से उत्पन्नस्थिति पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 19

श्री गोकुलचन्द (खैरथल सु०) : 209. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खैरथल जिला अलवर) में पशु चिकित्सालय खोले जाने के विषय पर चर्चा किये जाने हेतु).।

श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा) : 210. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33—पशुपालन के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (Veterinary qualified doctors की बेरोजगारी पर चर्चा के लिए) ।

मांग संख्या 20

श्री देवीलाल (साराड़ा) : 211. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34-सहकारिता के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा क्षेत्र की सहकारी समितियों को सुचारू रूप से चलाने के संबध में चर्चा के लिऐ) ।

212. **मोहनलाल मोदी** (नीम का थाना): मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 100 34—सहकारिता के अन्तर्गत मांग में से रुपया कम कर दिया जाय (सहकारिता विभाग में बढते हुये भ्रष्टाचार को रोकने के विषय पर चर्चा के लिये) ।

अनुदान की मांग संख्या 18,19,20 एवं 38 पर विचार

श्री नत्थी सिंह (भरतपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सारी आर्थिक स्थिति कृषि उत्पादन पर निर्भर है और इस कृषि के सम्बन्ध में इस सदन में कई बार बड़ी चर्चा हुई है। राजस्थान में हरितक्रान्ति भी हुई है और सारा ढांचा बदला भी गया है। इस सम्बन्ध में मैं दो तीन बातों की ओर हमारे कृषि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सबसे पहली बात जिसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, वह यह है कि लोगों के लिए अच्छा बीज, सिंचाई की सुविधा और जमीन – इन तीन चीजों की आवश्यकता होती है। इनके साथ साथ दूसरी बात है कि भाव सही रूप से उन्हें मिल सकें – इसके लिए भी व्यवस्था होना अत्यन्त आवश्यक है। जहां तक दाम बांधो नीति की बात है, मैं समझता हूं, इस बात को यहां उठाने की जरूरत है नहीं। असल में किसान लोगों को तभी फायदा होगा, जब उन्हें अपनी पैदा की हुई चीजों के सही दाम मिल सकें। इसके साथ ही साथ कारखानों में पैदा की हुई चीजें भी उन्हें सही दाम पर मिल सकें। उसके लिए राज्य सरकार की नीति का प्रश्न है। राज्य सरकार की नीति यह होनी चाहिए, उत्पादन के मूल्य से दस पर्सेन्ट ज्यादा कीमत पर कारखानों में पैदा की हुई चीजें मिल सकें और खेती के उत्पादन में जो खर्च आता है, उससे ज्यादा

(श्री नत्थीसिंह)

खर्च नहीं हो तो किसान की हालत में थोड़ा सा सुधार हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। कृषि मंत्री जी, इस सम्बन्ध में इस सदन में दो बातें सामने आ रही हैं। उनके सम्बन्ध में जब तक आप मजबूत नहीं होंगे तब तक किसान में खुशहाली नहीं आ सकती है। पहली बात तो दाम बांधो नीति के सम्बन्ध में है और दूसरी बात कृषि बीमा के सम्बन्ध में है। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय ने जवाब दिया कि यह सम्भव नहीं है। मैं समझता हूं कि यह उनका मुगालता है कि कृषि बीमा चालू करने से बड़े किसानों को तो फायदा होगा और छोटे किसानों को नहीं होगा। वास्तव में यह बात नहीं है। ओला पड़ें, दूसरे प्राकृतिक प्रकोप आयें और किसानों की खेती नष्ट हो तो उससे छोटे किसानों को नुकसान होता है। इसलिए छोटे किसानों की मदद के लिए सरकार सामने आये, छोटे किसानों के कृषि बीमा के लिए सरकार व्यवस्था करे और समस्त किसानों के लिए कृषि बीमा का प्रबन्ध करे, तभी किसान का हित हो सकता है। आज जो कृषि क्षेत्र का व्यवसाय है, यह नुकसान का व्यवसाय है। इस व्यवसाय को मुनाफे का व्यवसाय नहीं कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कृषि में लगे हुए आदमियों की सही तौर पर हालत सुधरे तब तो आपको इस बात पर जोर देना होगा कि कृषि बीमा लागू हो।

इसके साथ साथ हमारे मंत्रिमण्डल के मंत्री महोदयों को कृषि का ज्ञान नहीं है, उनको किताबी ज्ञान है कृषि के सम्बन्ध में। एक तरह से उनको कृषि का सही ज्ञान हो, इसके लिए उनके दिमाग को कन्वर्ट करने के लिए महनत करनी पड़ेगी। वह आप कितनी कर पायेंगे, यह बात दूसरी है। मैं समझता हूं कि आपमें क्षमता है, आपमें कृषि का ज्ञान ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। यह हो जाय तो दूसरी बात

(1. 12 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

आप स्वयं कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सुस्ती दिखा रहे हैं इस मामले में, लाएतलाली दिखा रहे हैं – वह पता नहीं क्यों? आपने कृषि उपज मण्डी कानून बनाया, वह इसलिए बनाया कि किसानों को उपज की कीमत सही तौर पर मिले। इस सम्बन्ध में आज किसानों के दिमाग में बहुत परेशानी है – उपज के भाव नहीं गिरें, सही तौर पर उनकी उपज की बोली लगे। यह जो कृषि उपज मण्डी कानून है, इस कानून में कई कमियां बताई गई थीं। उन कमियों की जांच करने के लिए एक नाहर कमेटी बनाई गई थीं। उस कमेटी की रिपोर्ट आ गई है लेकिन उसके ऊपर आज की तारीख तक कोई बड़ा कदम नहीं उठा सके हैं। उस कानून को सुधारने के सम्बन्ध हैं, जो कानून आज है, मुझे बड़ा खेद है कि उन्यासी मंडियों में वह कानून लगा हुआ है, लेकिन अलवर की मण्डी में, जहां पर से आप आते हैं, वह कानून लागू नहीं है। मुझे बड़ा दुख है ....

श्री शोभाराम : है।

श्री नत्थीसिंह : आप जो कहेंगे, वह मुझे मालूम है। मैं आपको बता दूं कि वह कानून केवल कागज पर लागू है, प्रभावकारी रूप से वह कानून लागू नहीं है। इसका भरतपुर को नतीजा भुगतना पड़ता है। भरतपुर

(श्री नत्थीसिंह)

के व्यापारी हमसे कहते हैं कि शोभाराम जी मजबूत हैं इसलिए उन्होंने अलवर में यह कानून लागू नहीं किया पूरी तरह से। भरतपुर में लागू है, तुम क्या कर रहे हो। मैं कहता हूं कि शोभाराम जी तो समाजवाद की बात कहते हैं, उन के द्वारा ऐसी बात नहीं होगी कि कृषि उपज मण्डी कानून अलवर में प्रभावकारी रूप से लागू नहीं हो। लेकिन अब मेरा मन बन गया है कि आपके मन में कमजोरी है इसलिए ही अलवर में कृषि उपज मण्डी कानून पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसका असर पड़ौसी जिले में पड़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस कानून को पूरे राजस्थान में सब जगह पूरे मन से लागू किया जाय।

इसके साथ साथ दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि आप कृषि की उन्नति के लिए अन्वेषण की, अनुसंधान की बात करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है ? आप सही मायने में किसानों की हालत सुधारना चाहते हैं तो जिस किसान के पास जमीन है, उस किसान की जमीन में बोने के लिए बीज का ग्रेडेशन करने के लिए, पानी कैसा है - इसकी जांच करने के लिए, फसल कौनसी पैदा हो सकती है - इसकी जांच करने के लिए व्यवस्था करें। आप दुर्गापुरा फार्म की बात कह कर चलते हैं कि यहां पर जांच होगी और यहां से व्यवस्था चलायेंगे। मेरा निवेदन है कि इसके लिए निश्चित रूप से आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। हो सकता है कि सब जिलों में यह व्यवस्था न हो, लेकिन उन जिलों में, जिन्हें आप कृषि के सम्बन्ध में उन्नत मानते हैं, उन जिलों के हैडक्वार्टर पर इस तरह की प्रयोगशाला होनी चाहिए ताकि किसानों को फायदा हो सके। इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपसे मेरी खास शिकायत यह है, राज्य सरकार की नीति थी कि जो जिले कृषि के सम्बन्ध में उन्नत हैं और जो पुराने राज्य की राजधानी थीं, उनका आप विकास करेंगे। आप भरतपुर जिले को कृषि के सम्बन्ध में उन्नत जिला मानते हैं तो भी आपने क्या किया, वहां पर कृषि विभाग का संचालक रखें, वह नहीं रख कर वहां पर उप-संचालक रखा। लेकिन आपने क्या किया ? मंत्री बनते ही जो संचालक की जगह पर उप-संचालक का दफ्तर वहां पर रखा गया उस डिप्टी डाइरेक्टर के दफ्तर को भी वहां से हटा दिया। इसके लिए भरतपुर वाले आपको कभी माफ नहीं कर सकते हैं। हम आपसे अपेक्षा तो ज्यादा प्राप्त करने की रखते थे, लेकिन आपने मंत्री बनते ही हम पर ही हाथ साफ कर दिया। मेरी मांग है कि आप इस पर पुनः विचार करें और उसके साथ साथ भरतपुर में डिप्टी डाइरेक्टर का दफ्तर भेजें। इसके साथ साथ मेरी मांग है कि भरतपुर है, गंगानगर है, दूसरे जो सात आठ जिले हैं, जिनको कृषि के मामले में उन्नत मानते हैं, उन सब जगहों पर मिट्टी की जांच करने के लिए, पानी की जांच करने के लिए, बीज की जांच करने के लिए इस तरह के केन्द्र बनाने चाहिए। यह आप कर पायेंगे तो वास्तविक रूप से आप किसानों की कुछ सेवा कर पायेंगे। वास्तव में यह बात मैंने कही है, यह ठीक कही है, इसके लिए आप अपने स्तर पर कर सकते हैं वह करने की कृपा करें।

पशुपालन के सम्बन्ध में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो मैं पशु पालन मंत्री से कहूंगा कि जहां पर पशु मेले

(श्री नत्थीसिंह)

लगते हैं, उनके आधार पर आपका यह विभाग काफी आमदनी करता है। मेरा निवेदन है कि आपकी यह नीति है, यह व्यवस्था है कि सारा पैसा सारी जगह से खींच कर राज्य के खजाने में लाना चाहते हैं और जिन स्थानों पर वह खर्च होना चाहिए, वहां खर्च के लिए नहीं मिलता है। भरतपुर का मेला है, परबतसर का मेला है, नदबई का मेला है, वहां पर जो आमदनी होती है, उसका बड़ा भाग पशुधन की उन्नति करने के लिए, पशुधन में ज्यादा सुधार लाने के लिए और मेले को अधिक उन्नत बनाने के लिए वहीं खर्च वहीं किया जाना चाहिए। हम मेला कमेटियों में जाते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुभव है कि कलेक्टर, जिन्हें उनका चेअरमैन बनाया है, वह कहते हैं, हम क्या करें, हम मजबूर हैं। इस पैसे को इन स्थानों पर खर्च करने के लिए हम स्वयं कुछ नहीं कर सकते। राज्य सरकार भेजेगी तब यहां खर्च हो सकता है। इस नीति में निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए।

दूसरी सब से बड़ी बात में यह कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान में पशुपालकों की दशा सुधारना चाहते हैं तो एक योजना, जो राजस्थान में चालू नहीं हो पाई है, चालू होनी चाहिए। आज पशुपालन और सहकारिता की एक समस्या मिली जुली है, आज पश्चिमी राजस्थान में जितने भी कोआँपरेटिव बैंक हैं, उनका लोन देने का काम है। मेरी अपनी मान्यता है कि उनको सक्षम इकाई बनाने के लिए उनमें बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इस बात पर ध्यान दिया है मैंने कि केवल वहां कृषि के लिए ही अल्पकालीन ऋण दिया जाता रहा है लेकिन पशुपालन, जो लोगों का मुख्य धन्धा है, को भी अल्पकालीन ऋण देने के काम को उसके साथ जोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से वह बैंक सुदृढ़ होंगी और किसानों की दशा भी सुधरेगी। इस विषय में रिजर्व बैंक के साथ में हमने चर्चा चलाई, लेकिन राज्य सरकार आगे नहीं आ रही है, इसलिए इस मामले में पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल पा रही है। वह समस्या क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, वह समस्या यह है कि आज बात यह करते हैं कि उत्पादन के आधार पर ऋण व्यवस्था को ढालना चाहते हैं। लेकिन आज जब उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा सारा सोचने का तरीका सिक्योरिटी बेस्ड है। हम सोचते हैं, क्या सुरक्षा है कर्ज की? वह सुरक्षित रह पाता है या नहीं। इसलिए जब बात उठती है पशुपालन के लिए अल्पकालीन ऋण देने की, चारे की व्यवस्था करने के लिए, नस्ल सुधार के लिए, दूध के लिए, तो मध्यकालीन ऋण तो दे देते हैं दुधारू पशु खरीदने के लिए लेकिन अल्पकालीन ऋण नहीं देते हैं, इस काम के लिए। इसके अन्दर सबसे बड़ी दुविधा है जो रिजर्व बैंक महसूस करती है, वह यह है कि इसकी सिक्योरिटी क्या होगी? पश्चिमी राजस्थान के भाग में पशुओं का माइग्रेशन होता है, केटल बाहर चली जाती है और काफी कैटल मर जाती है, वह वापिस नहीं आती है। मेरा कहना यह है कि पशुपालन विभाग और सहकारी विभाग को इस बात के लिए बैठ कर विचार करके निश्चित रूप से कोई प्रबन्ध करना चाहिए। पशुपालन के लिए ऋण देने में सबसे बड़ा रोड़ा आता है वह है गारन्टी का। तो उसके लिये गारन्टी राज्य सरकार को

(श्री नत्थीसिंह)

देनी चाहिए । राज्य सरकार की पशु-पालन के विकास के लिए यह जिम्मेदारी हो जाती है । अभी तक राजस्थान का पशु पालक सक्षम नहीं हुआ है, इस कर्ज को चुकाने के लिए किन्हीं कारणों से । ऐसी स्थिति में जब तक यह योजना लागू नहीं हो पायेगी, तब तक पश्चिमी राजस्थान के अन्दर सहकारिता का आन्दोलन बल प्राप्त नहीं कर पायेगा और वहां के लोगों की हालत भी सुधर नहीं सकेगी । मैं कहना चाहता हूं कि जो गारन्टी की बात कही जाती है, उसमें यह बात कही जाती है कि कोऑपरेटिव सैक्टर को गारन्टी दे रखी है, कोऑपरेटिव में जितना पैसा लगा रखा है उनको मैंने देखा है । उपाध्यक्ष महोदय, आज कोऑपरेटिव के बारे में लोगों में भ्रम है । बहुत लोग यह समझते हैं कि कोपरेटिव आन्दोलन में नाली में पैसा बहाने की तरह पैसा बहाया जाता रहा है । इधर बहुत से लोग यह समझते हैं कि कोपरेटिव को सरकार बहुत जोर दे रही है । लेकिन तस्वीर दोनों धारणाओं से बिलकुल भिन्न है । जो गारन्टी की बात कही जाती है, उसके लिए मैं कहता हूं कि पशु पालकों को ऋण दिया जाय, उसकी गारन्टी राज्य सरकार दे । आज तक मेरा दावा है कि जहां तक गारन्टी देने का सवाल है, राजस्थान सरकार ने पैंतीस करोड़ की गारन्टी दी है । लेकिन राजस्थान में एक भी मामला ऐसा सामने नहीं आया है जिसमें राजस्थान सरकार ने गारन्टी को इन्वोक किया हो । इसके बावजूद भी आप कहते हैं कि यह कमजोर आन्दोलन है । कमजोरी कहां है, कमजोरी क्या है–यह मैं आगे बताऊंगा लेकिन कोपरेटिव की व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि आज तक राजस्थान सरकार के सामने कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि गारन्टी इन्वोक की जाय । इस बात को बजट में भी देखा है । इसलिए मैं सहकारिता मंत्री को कहना चाहता हूं, विशेष तौर से आपसे मुझे यह शिकायत है, मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि आपकी नीति कमजोर है । इस बात की आपने घोषणा कर दी, सहकारिता को पनपाने के लिये गारन्टी देने के बारे में आपने घोषणा कर दी कि व्यवसायी बैंक से किसान कर्ज लेंगे तो उसकी गारन्टी देंगे । लेकिन जो योजना बनाई छोटे किसानों के लिए कर्ज देने के लिए, उसमें गारन्टी देने के प्रश्न पर कितना फर्क है । व्यवसायी बैंक के लिए सरकार की घोषणा है कि बोरोअर की तरह किसान है, वह कर्ज लेगा तो उसकी गारन्टी देंगे । वह केवल आपने अपैक्स बैंक के लिए किया है । लेकिन जो सहकारी बैंक है, सेन्ट्रल बैंक है, उससे कर्ज लें तो उसकी गारन्टी नहीं देते हैं । अपैक्स बैंक से लेने पर ही गारन्टी देते हैं । आखिर उसमें क्या खतरा नजर आता है । इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस व्यवस्था को बदला जाय, व्यवसायिक बैंक के लिए अल्टीमेटली बोरोअर की गारन्टी देते हैं, तो यह कमजोर वर्ग है, किसान पशु पालक है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में दूसरी जगह से भिन्न परिस्थितियां हैं, इसलिए अल्टीमेटली बोरोअर की गारन्टी सरकार को देनी चाहिए । किसान और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बीच में सरकार गारन्टी दे । यह करेंगे तो बैंकों के अन्दर समानता आयेगी । यह नहीं है ।

व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, 14 बैंकों को छांट कर उनका राष्ट्रीयकरण किया गया । हमारे वित्त मंत्री

(श्री नत्थीसिंह)

कहते हैं कि कोओपरेटिव मूवमेंट बहुत कमजोर है, उन्हें हमको कुछ नहीं कहना है। इसके लिये मेरी एक मांग यह है कि हमारे सहकारिता मंत्रीजी और कृषि पशुपालन मंत्रीजी ये दोनों मिल कर इस बात को राज्य सरकार से नीति के रूप में मनवायें, इससे हम सहकारिता आन्दोलन की और किसानों की बहुत बड़ी सेवा कर सकेंगे।

वित्त मंत्रीजी तो इस बात का उत्तर नहीं दे सके, चुप ही रह गये कि आज यहां कोओपरेटिव मूवमेंट कमजोर क्यों है। आप मद्रास में जायें, महाराष्ट्र में जायें और देखें कि वहां पर सहकारिता आन्दोलन को मजबूत करने के लिये क्या क्या किया जा रहा है। हमारे यहां तो सहकारिता के आन्दोलन को पैट्रोनाइज करने के नाम पर कुछ पूंजी और इन्टरफीयरेंस के नाम पर सहकारिता आन्दोलन की सारी नकेल आपने अपने हाथ में ले रखी है। अगर आप हमारे यहां पर भी सहकारिता आन्दोलन को अपने पैरों पर ही खड़ा रखना चाहते हैं तो जिस प्रकार मद्रास में महाराष्ट्र में वहां की सरकार ने बाई ऑर्डर यह कर दिया है कि सरकारी विभागों का, दूसरे विभागों का, देवस्थान विभाग का सारा पैसा, सारे फंड्स कोओपरेटिव बैंक्स में जायेंगे। परआप यहां यह नहीं कर सकते। राज्य का पैसा कोओपरेटिव बैंक्स में जायेगा तो उससे शाख बढेगी और जनता से और ज्यादा से ज्यादा पैसा इन बैंक्स में आयेगा। रिजर्व बैंक ने भी इस प्रकार की सिफारिश की है ऐसे सब फंड्स कोओपरेटिव बैंकस में जाने चाहियें, पर इस सिफारिश को भी सरकार ने नहीं माना है।

इसके अलावा अब में एक बहुत महत्व पूर्ण बात कहना चाहता हूं, सहकारिता विभाग आज एक बड़ी पीडा अनुभव करता है। सहकारिता मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय सदस्य बैठे हैं। व्यक्तिगत आधार पर इस विभाग में बड़े विचित्र ऑर्डर होते हैं। आपका एक आदेश मिला कि पाली जिले को कोओपरेटिव मूवमेंट का जहां तक सम्बन्ध है उदयपुर जिले में मिला दिया जायगा। जिन माननीय सदस्यों को इसमें रुचि है उनसे मैंने बात की कोओपरेटिव एक ओटोनोमोस संस्था है, जनता की संस्था है, जनता का आन्दोलन है। पाली से 150 मील दूर उदयपुर और 40-45 मील दूर है जोधपुर। पाली का सारा संबंध जोधपुर से है। जोधपुर के नीचे पाली को न रख कर उदयपुर के नीचे रखा जा रहा है। अगर यह इसलिये किया जा रहा है कि एक अफसर से आपकी रंजिश है, और उसका आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते इसलिये पाली जिले को उदयपुर जिले के के नीचे रख दिया। इससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। आपको जो भी आप कार्यवाही करें, व्यक्तिगत राजी या नाराजी के आधार पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार पर करनी चाहिये।

सहकारिता मंत्रीजी कहते हैं कि मैं दबाव में नहीं आता, मैं किसी का दबाव नहीं मानता। आप छोटे-मोटे ट्रान्स्फर्स के मामलों में दबाव में नहीं आते इससे सहकारिता आन्दोलन का कुछ बनता बिगड़ता नहीं है: अगर आप वास्तव में दबाव को नहीं मानते तो इस मामले में आपको दबाव में नहीं आना चाहिये। इतना बड़ा अन्याय सहकारिता आन्दोलन के साथ हो रहा है, यह बड़े दुख की बात है। कल तो आप भरतपुर

(**श्री नत्थीसिंह**)

से नाराज हो जायेंगे तो उसको भी उदयपुर से या किसी और से जोड़ देंगे । इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे मामले को इतने हल्के ढंग से डील विथ नहीं किया जाना चाहिये ।

अब मैं एक और महत्वपूर्ण मामले के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं । आज प्रशिक्षितों को बेकार कर दिये जाने के बारे में चर्चा चल रही है, कई माननीय सदस्यों ने, और मुख्य मंत्रीजी ने भी इस संबंध में कहा । मुख्य मंत्रीजी ने पैरामेंट ट्रेनिंग के बारे में कहा । मुझे भी इसमें बहुत खामियां नजर आती हैं जो लोग, पैरामेन्ट ट्रेनिंग में लग रहे हैं उनके लिये कहा कि हम उन लोगों के बारे में एक बोर्ड बनायेंगे । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला बोर्ड ओटोनोमस बोडी थी । सारे जिला बोर्डों के कर्मचारियों को राज्य सरकार ने अपनी सर्विसेज में एब्जोर्ब किया । पंजाब सरकार ने इस ओटोनोमस बोडी के कर्मचारियों को आपनी सेवाओं में एब्जोर्ब किया । इसी तरह से राजस्थान सरकार को भी जिम्मा लेना चाहिये कि भारत सरकार के अनुदानों पर ये संस्थाएं चली हैं, उनमें काम करने वाले कर्मचारियों का चुनाव सही ढंग से हुआ है, केन्द्र के प्रतिनिधियों का और यहां के प्रतिनिधियों का सेलेक्शन बोर्ड बैठा और उन्होंने इनको सर्विसेज के लिये चुना है, वे कर्मचारी हर लिहाज से अच्छे कार्य करने वाले हैं । उनको निश्चित रूप से रोजगार मिलना चाहिये । मैं आशा करता हूं कि इसके लिये सहकारिता मंत्रीजी निश्चित रूप से दृढ़ कदम उठायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात सहकारिता आन्दोलन के संबंध में कहना चाहता हूं । दो बड़े काम सहकारिता क्षेत्र में हुए हैं । एक तो पंडित नेहरू जिंदा थे तो उनके मुंह से सहकारिता आन्दोलन के संबंध में कई बार सुना, उनके ये शब्द मोटी पोथियों में छपे हुए हैं । उनका यह स्पष्ट अभिमत था कि सहकारिता आन्दोलन को यदि आगे बढाना है तो इसमें सरकारी हस्तक्षेप बिलकुल नहीं होना चाहिये । गांधीजी का नाम तो मैं इसलिये नहीं लेना चाहता कि क्योंकि आज ये गांधीवादी गांधीजी की तो केवल शताब्दी मना लेते हैं, बाकी जो गांधीजी के सिद्धान्त हैं, उनसे इन राज चलाने वाले गांधीवादियों को कोई मतलब नहीं है, एक तो सत्ताधारी गांधीवादी हैं, इनको गांधीजी के सिद्धान्तों से कुछ भी लेना देना नहीं है, दूसरे मठाधीश गांधीवादी हैं जो केवल गांधीजी के सिद्धान्तों का नाम लेते हैं और तीसरे हम जैसे कुजात गांधीवादी भी हैं जो गांधीजी के सिद्धान्तों के लिये सरकार से लड़ रहे हैं, अवज्ञा आन्दोलन करने को तैयार हैं । सहकारिता क्षेत्र में हम गांधीजी के ट्रस्टीशिप वाले सिद्धान्त के अलावा सब सिद्धान्तों को मानते हैं ।

श्री शंकर लाल : कुजात से सुजात कब बनोगे ?

श्री नत्थीसिंह : जब तक आप सत्ता से हट नहीं जाते तब तक तो कुजात ही रहेंगे। आप हटोगे तब सुजात बनेंगे ।

तो आज गांधीजी को तो बिलकुल ही भूल गये । नेहरू जी ने इतना प्रीच किया कि कोओपरेटिव मूवमेंट को ऐसा बनाओ कि उनमें बिलकुल सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । परसों मैं एक जगह गया

(श्री नत्थीसिंह)

तो वहां एक कोओपरेटिव बैंक के अध्यक्ष ने मुझे एक चिट्ठी बताई। डी० ओ० था, वह सहकारिता मंत्रीजी का लिखा हुआ नहीं, क्योंकि वे तो शायद कोओपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को डी० ओ० लिखना शान के खिलाफ समझते हों, सहकारिता मंत्रीजी के निजी सचिव ने कोओपरेटिव बैंक के अध्यक्ष को डी० ओ० लिखा कि आप जो एक आदमी के डेपुटेशन के लिये कहते हो, यह आपके लिये बड़ी अशोभनीय बात है। यह सब देखना हमारा काम है। मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ। आज सहकारी आन्दोलन को जन आन्दोलन मानते हैं, उसके लिये हमारे मंत्री जिनको हम सहकारी मूवमेंट का संरक्षक, मार्ग निदेशक मानते हैं, उनका सहकारी आन्दोलन के प्रति इस प्रकार का व्यवहार हो यह कहां तक उचित है।

सहकारी संस्थाएं स्वतन्त्र इकाइयां हैं और सरकार का इनसे कोई लेना देना नहीं है कि वह उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करे। सरकार का केवल यह काम है देखने का कि उनमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इनका ऑडिट ठीक तरह से हो, अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी हो तो उसके लिये सजा दें। यह सरकार को हक है पर यह हक सरकार को कतई नहीं है कि उनके प्रशासन में हस्तक्षेप करे। अगर सरकार सहकारिता आन्दोलन के प्रशासन में इस प्रकार का हस्तक्षेप करेगी तो सरकार कोओपरेटिव अन्दोलन को जिंदा नहीं रखेगी मार कर छोड़ेगी। हां, अगर सरकार कोओपरेटिव मूवमेंट को अपनी कठपुतली मात्र बना देना चाहती है तो इसका भी नुस्खा मैं आपको बाद में बताऊंगा।

लेकिन सहकारी आन्दोलन कमजोर इसलिए है कि इसमें द्वैता है, दो तरफ से शासन चलता है, जब तक यह बात रहेगी तब तक सहकारी आंदोलन अपने पैरों पर नहीं चल सकता, नीचे जायेगा तरक्की नहीं कर सकता इसलिए इस पर पुनः विचार करें। गांधीजी की परम्परायें तो आपको याद नहीं हैं लेकिन नेहरू जी की परम्परायें आप याद करें। आप बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव्ज को देखें, इस देश में नेशनल कोआपरेटिव यूनियन और दूसरी संस्थाओं के जो सहकारिता के संबंध में निदिष्ट सिद्धान्त हैं, उनको पढ़ें। तो जो द्वैता चल रही है, वह नहीं चलेगी। आप सहकारी समितियों में गबन रोकें, उनके अकाउंट्स ऑडिट करानें में, दोषियों को सजा दें लेकिन सरकार का कोई दायित्व नहीं कि इनकी व्यवस्था चलाने के लिए हम आदमी कहां भेजेंगे। आपके निजी सचिव का पत्र पढ़ कर दुख हुआ। मंत्री महोदय को स्वयं अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, अगर नहीं बदलेंगे तो नीचे के लोग कहां बदलेंगे ?

दूसरी जो कुसेवा आपने सहकारी आंदोलन के साथ की है, वह है 31 अक्टूबर का चुनाव संबंधी एक नियम। आपने नियम बनाया कि सारे चुनाव रजिस्टार, सहकारिता विभाग करायेगा। बहुत दिनों से आपके दिमाग में तमन्ना थी कि चुनाव रजिस्ट्रार करायेगा तो बहुत बड़ी तरक्की सहकारिता आंदोलन में आ जायगी। मैंने पहले भी कहा था और आज फिर दोहराता हूं कि मुझे डर लगता है कि कहीं आपने रजिस्ट्रार के ऊपर जिम्मेदारी रख दी और कहीं सरकार ने चुनाव अपने हाथ में ले लिया तो जैसे पंचायत समितियों में चुनाव बंद हो गए, ग्राम पंचायतों में चुनाव बंद हो गये और

(श्री नत्थीसिंह)

नगरपालिकाओं में चुनाव बंद हो गए, वैसे ही सहकारी समितियों के चनाव भी बंद न हो जायं और हुआ यही। मुझे बड़ा अचम्भा हुआ जब सहकारिता मंत्रालय से यह आदेश प्रसारित हुआ कि 13 जिलों में कोआपरेटिव के चुनाव नहीं कराये जायेंगे क्योंकि अकाल की स्थिति है। सरकार का कोई हक नहीं कि कानून से आप सहकारी समितियों के चुनाव रोकें। वित्तीय संस्थाओं या स्वशासित इकाइयों का खुद का यह काम है कि कैसे करें। आप अधिकार लेते हो चुनाव कराने का, शिकायत आपकी यह है कि सहकारी समितियां समय पर चुनाव नहीं कराती। आप अकाल के नाम पर 13 जिलों में चुनाव नहीं कराते हैं। लेकिन चुनाव के नाम पर ये चुनाव नहीं रोके गए हैं बल्कि राजनैतिक आधार पर रोके हैं। सिर्फ दो जिले ऐसे थे जहां आपके आदमी नहीं आते थे तो दो जिलों के नाम पर आपने 13 जिलों का बहाना लिया। इस तरह गलत आधार पर सरकार ने अपने हाथ में काम लिया है, इससे सहकारी आंदोलन की सेवा नहीं हो सकती।

इसके साथ साथ एक नीति विषयक बात है। क्या अच्छी व्यवस्था की है। चुनाव रजिस्ट्रार करायेगा, लेकिन चुनाव में गड़बड़ी की अपील होगी सहकारी विभाग के रजिस्ट्रार के पास। वही चुनाव कराने वाले वही आरबीट्रेशन कराने वाले। जनतंत्र में शासनतंत्रवाद नहीं होगा। नेहरू और गांधी की नहीं बल्कि अमृतलाल यादव की परंपरा इस तरह को जनतंत्र में होती है।

इतना ही नहीं नियमों में क्या है, ? एक सुंदर क्लॉज है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं हो, अंधा हो उसके लिए रिप्रेजेन्टेशन ओफ पीपुल्स एक्ट में भी संशोधन हो गया है कि वह अपने साथ एक आदमी ले जा सकता है, वह अपने आदमी से वोट दिलायेगा लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, हमारा वोट दिलायेंगे, हमारा अधिकारी चुपचाप दिलायेगा। कितना अन्याय है। उसके बाद क्या ? किसी अधिकारी के लिए मुझे व्यक्तिगत अनुभव है। हमारे मंत्री महोदय दौरा करने जाते हैं और सी० ओ० को बुलाते हैं, डांटते हैं कि अमुक सोसाइटी का चुनाव तुमने ऐसे कैसे करा दिया ? गजब की बात है। मंत्री स्तर पर सी० ओ० को डांटा जाय कि चुनाव ऐसे कैसे कराये। रजिस्ट्रार को अधिकार है, लेकिन मंत्री को कहीं नहीं या मंत्री डी० आर० को आदेश दें कि चुनाव ऐसे होगा, यह कहां का लोकतंत्र रहा ? इसलिए, मंत्री महोदय, यह जान बूझ कर सदन में इसलिए कह रहा हूं कि आप इन बातों का गलत अर्थ लेने के आदी हैं लेकिन नीति के मामले में आपको सही दिशा में सोचना चाहिए, नहीं तो इस सहकारी आंदोलन की आप सेवा नहीं कर सकते, आप कुसेवा करेंगे और सहकारी आंदोलन जिसे हम जीवित रखना चाहते हैं, जिससे आगे समाजवाद की आधारशिला के रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए वित्त मंत्री ने कहा है एक सांस में कि कमजोर है और दूसरी सांस में छलांग भरी है 18 करोड़ की। इस तरह से दोनों बातों से दो दिशाओं में जाते हैं। इसलिए नीति विषयक मामले में साफ तौर से दिमाग रखना चाहिए। अगर राज्य सरकार का अंदाजा है कि सहकारिता में लोग अच्छे चुनाव नहीं कर सकते और कोई एजेंसी हो तो मुझे आपत्ति

(श्री नत्थीसिंह)

नहीं है। इससे पहले मैं इस बात का विरोधी था कि कोई इंटरफीएरेंस करे लेकिन जब मैंने हालात देखे कि नीचे के स्तर पर इतना हस्तक्षेप करते हैं तो मेरा निश्चित मत है कि चुनाव के लिए निश्चित रूप से एक स्वतंत्र संस्था का काम है इलेक्शन कमीशन को दें और किसी अदालत की एजेंसी चुनाव के विरुद्ध पिटीशन सुनवायें। वह तय करें लेकिन सहकारी विभाग को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। उसका काम सहकारिता का प्रमोशन करना है, मार्ग दर्शन करना है, कोआपरेटिव को सुधारने का प्रयत्न करना है।

(घंटी)

इसलिए जो आपकी चाव है अपने हाथ में इस बात को रखने का, वह छोड़ो।

तीसरी बात, मैंने पहले भी व्यवसायिक बैंकों की कोआपरेटिव के संबंध में गारंटी की बात कही थी। उसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं। वित्त-मंत्री ने अपने भाषण में जिस तरह से व्यवसायिक बैंकों और कोआपरेटिव ऋण की बात कही थी उसमें एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि क्या हो रहा है। एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कोरपोरेशन की कई स्कीम्स आई, जगह 2 ऋण दे रहे हैं। भूमि विकास बैंकों के मार्फत ऋण दे रहे हैं लेकिन हमारे साथ शर्त लग जाती है कि 500 से 1,000 फीट तक कोई कुआं नहीं हो। व्यवसायिक बैंक बीच में आता है। एक साल से आवेदनपत्र देकर किसान घूमते हैं। पैसा इसलिए नहीं मिलेगा कि व्यवसायिक बैंक घुस गई। समन्वय में कठिनाई आई। मंत्री महोदय को तो नीति बनानी चाहिए उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हैड आफ डिपार्टमेंट को जिम्मेदार बनाये, गल्ती हो तो उसको खींचो, क्यों छोटे छोटे अधिकारियों के पास आप जाते हैं। समन्वय न होने से गलत तरह से लोन दिया जाता है। उस दिन वित्त मंत्री कह रहे थे कि व्यवसायिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है, उनके विषय में जवाब देने का हक हमें नहीं है कि कैसे रुपया देते हैं लेकिन दूसरी तरफ हमारी जो सरकारी नीति विभाग तय करता है, उसमें वह मंत्रिमंडल स्तर तक जाते हैं। आप इस बात को देखें कि किस तरह से किसान के पास जल्दी से जल्दी पैसा मुहैय्या हो सके, इस तरह से योजना बनायें और लोन सुरक्षित रहे, यह लक्ष्य आपके सामने रहना चाहिए। बाकी बैंकों पर छोड़ दीजिए और बाकी दखल छोड़ दें।

अंत में एक निवेदन करूं कि हमारे पुराने सहकारिता मंत्री ने एक नियम बना दिया। हो सकता है उनके जिले की समस्या बड़ी विचित्र रही हो। नियम यह बनाया कि जिले का कोई सैक्टर जिले में ही रहेगा। यह नियम तो सब विभागों में है लेकिन कोआपरेटिव विभाग के सिवाय कहीं लागू नहीं हुआ है। यहां से किसी को भेजना चाहें तो कानून लागू होगा और लेना चाहें तो कानून नहीं। कई उदाहरण दे सकता हूं। इस तरह से लोगों में असंतोष बढ़ता है। सहकारी क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के मानस को समझिये। मामूली तरीके से उनको ट्रीट करते हैं यह उचित नहीं है। वह भी स्वाभिमान रखते हैं। यह अब नहीं चल सकता। इस मूवमेन्ट में लोगों का दिमाग, काम करने की शक्ति और जनता का सहयोग आना चाहिये तब ही यह आन्दोलन चल सकता है। सही दिशा में इसको चलाइये। आपने जो बहुत सी प्रणालियां अपनायी हैं

Page No 70

(श्री नत्थीसिंह)

उनको त्याग दीजिये और चलायेंगे तो यह मूवमेन्ट चल नहीं सकता ।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती मदनकौर ।

श्रीमती मदनकौर (पचपदरा) : उपाध्यक्षजी, आज कल भूमिहीनों को भूमि देने के अभिप्राय से भूमि सुधार को बहुत महत्व दिया जा रहा है । मैं राज्य सरकार का ध्यान उस क्षेत्र की ओर दिलाना चाहती हूं जो पड़तल और बंजड़ के नाम से राजस्व रेकार्ड में अंकित है ।

उपाध्यक्षजी, जिस राज्य में कृषि योग्य भूमि बिना उपयोग पड़ी रहे और भूमिहीन बेरोजगार बैठे रहें उस राज्य की कानूनी और प्रशासकीय व्यवस्था को दोषपूर्ण ही कहा जायेगा । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि राज्य सरकार इस प्रकार की सारी कृषि योग्य भूमि को रिक्लेम करे और भूमिहीन किसानों में उसका आवंटन करे । राज्य का विस्तृत क्षेत्र पड़तल और बंजड़ पड़ा है लेकिन उसको भी कृषि योग्य बनाया जा सकता है । यह सच है कि राजस्व रेकार्ड में उसको कृषि योग्य नहीं बताया गया है लेकिन आज के विकसित ज्ञान और वैज्ञानिक टैक्निक से कृषि की एक 2 इंच भूमि को किसी न किसी योग्य तो अवश्य बनाया जा सकता है । चाहे उसको कृषि योग्य बनाया जाय, चाहे वहां चरागाह बनाया जाय, चाहे वन लगायें जायं लेकिन एक एक इंच भूमि का उपयोग करना बहुत आवश्यक है । मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगी कि ऐसी सारी भूमि पर भूमि विकास का कार्यक्रम हाथ में लें । भूमि का विकास करें । इससे राज्य सरकार कृषि स्नातकों, भूमिहीनों और शिक्षित नवयुवकों को काम दे सकेगी और बेरोजगारी की समस्या भी कुछ हद तक सुलझा सकेगी । मैं यहां यह भी कह देना उचित समझती हूं कि जो सरकारी पड़तल भूमि पड़ी हुई है उसकी क्षति तेज गति से हो रही है । अगर उस भूमि का समय रहते रिक्लेमेशन नहीं किया गया तो उसका इतना ह्रास हो जावेगा कि उसको पुनः उत्पादक प्रर्याप्त धन और समय से बनाया ही नहीं जा सकेगा ।

उपाध्यक्षजी, भूगर्भ में स्थित स्त्रोतः तेल, गैस, धातु अथवा अन्य खनिज ही नहीं बल्कि पानी भी समय के साथ लुप्त नहीं होगा और आज नहीं तो कल भी प्राप्त हो सकेंगे संभवतः भविष्य में विकसित विज्ञान और तकनीक के आधार पर और अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकेंगे लेकिन भूमि की क्षति एक बार हो गयी तो कभी भी उसे उपयोगी नहीं बना सकेंगे । इसलिये मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगी कि उस भूमि के विकास के व्यापक कार्यक्रम हाथ में ले ओर शीघ्र ही कार्यान्वित करें ।

उपाध्यक्षजी, आज कल हरित क्रान्ति की बात भी बड़ी जोर शोर से कही जा रही है । लेकिन इसके विपरीत पश्चिमी राजस्थान में भूख, प्यास और अभाव फैला हुआ है । एक तरफ सिंचाई के साधन, खाद और उन्नत बीज का फायदा उठा कर लोग समृद्ध बनते जा रहे हैं और दूसरी ओर गरीबी फैल रही है और इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ रहा है जिसके फलस्वरूप असंतोष पनप रहा है जिससे भयंकर परिणाम होने की आशंका है । अतः राज्य सरकार को चाहिये कि उस क्षेत्र के विकास की तरफ ध्यान दें । भूमि सुधार, कृषि विकास,

(श्रीमती मदनकौर)
सिंचाई के साधन और शुष्क खेती की ओर ध्यान दिया जाय तो पश्चिमी राजस्थान के लिये ये कार्यक्रम बड़े उपयोगी साबित होंगे ।

इसके साथ साथ कुछ बातें पशुपालन के सम्बन्ध में भी निवेदन करना चाहूंगी । पशुपालन की दृष्टि से हमारा प्रदेश देश भर में प्रधान है और राज्य का पश्चिमी क्षेत्र ही नहीं प्रदेश का सारा ही क्षेत्र बहुत अंशों तक पशुपालन पर आधारित है । बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारी राज्य सरकार ने इस व्यवसाय को विकसित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाये । आज हमारे राज्य की बढ़िया नस्ल की कांकरेज व थरपारकर गायें दूसरे राज्यों में बेची जा रही हैं उन पर प्रतिबंध न होने, नाली नस्ल को निकृष्ट गायें दिन प्रतिदिन हमारे राज्य में आ रही हैं और राज्य सरकार ने उन पर प्रतिबंध नहीं लगाये जाने और राज्य सरकार की ओर से पशु नस्ल सुधार की ओर कोई कारगर कदम न उठाये जाने के कारण पशुपालन का धन्धा बरबाद हो गया और लोगों की स्थिति दयनीय बनती जा रही है ।

इसी के साथ साथ मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगी कि राज्य के पास पर्याप्त चरागाह नहीं हैं । पशुओं से जो चीजें प्राप्त की जाती हैं उसके लिये मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है । उसके फलस्वरूप रबारियों और गूजर जो यह धन्धा करते हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय बन गयी है । राज्य में चारे और चरागाह का अभाव होते हुए भी पड़ौसी राज्यों के पशु वर्षा ऋतु में हमारे यहां चराई के लिये आते हैं उन पर कोई रोक नहीं और फीस भी नहीं ली जाती और सूखे पशु जो हमारे पड़ौसी राज्यों के होते हैं वे हमारे राज्य में लाये जाते हैं और जब वे दूध देने लगते हैं तो बम्बई आदि बड़े शहरों में ले जाये जाते हैं । इससे हमारे चरागाहों पर कुप्रभाव डालते हैं और फायदा उसका दूसरे राज्यों को मिले यह बहुत दिन तक बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए । चरागाह हमारे यहां अपर्याप्त हैं, चारा दूसरे राज्यों से मंगाते हैं और दूसरे राज्यों के पशु भी यहां पर चरायें तो चरागाह का विकास कभी संभव नहीं होगा । राज्य सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए ।

इसके साथ साथ, उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करूंगी कि हरियाणा और पंजाब जो कृषि प्रधान राज्य हैं, उन्होंने पशुपालन के विकास की ओर बड़ा ध्यान दिया । आस्ट्रेलिया और दूसरे विदेशी राज्यों से गायें और भेड़ें बहुत बड़ी संख्या में वहां पर लायी गयी हैं । सरकारी क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में बड़े फार्म स्थापित किये गये हैं लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारा राज्य पशु प्रधान राज्य होते हुए भी हम एक भी फार्म स्थापित नहीं कर सके । हाल ही में आस्ट्रेलिया ने हरियाणा और पंजाब को हजारों भेड़ें और सैकड़ों गायें अनुदान के रूप में दी हैं । इसलिये मैं राज्य सरकार से मांग करूंगी कि आस्ट्रेलियाई गायें, कांकरेज नस्ल की गायों का एक एक फार्म बाड़मेर जिले में कायम करें और उनसे जो पशु प्राप्त हों उनका वितरण जिले के दूसरे गांवों में किया जाय ।

उपाध्यक्ष जी, पंजाब ने हरित क्रान्ति के साथ साथ दूध की क्रान्ति का नारा भी हाल ही में दिया है और हमारा

(श्रीमति मदनकंवर)
राज्य जो पहले ही दूध और घी का भंडार था, बहुतायत में था, कई लोग महीनों तक दूध पर ही आधारित रहते थे, आज उस दूध और घी की कमी आ रही है। उस धन्धे में कमी आ रही है। हमारा राज्य रसातल की ओर जा रहा है। पशुपालन का पतन हो रहा है। इसलिये पशुपालन धन्धे को समुचित रूप से विकसित किया जाय ताकि वह फिर विकसित हो सके और राज्य की आर्थिक स्थिति का ठोस आधार बन सके। इसके साथ ही मैं अपने कटौती प्रस्ताव रखती हूं।

श्री हरलालसिंह खर्रा (श्री माधोपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारिता के बारे में अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

हमारे सीकर जिले में भूमि बंधक बैंक थी। शाखा खुले हुए चार-पांच साल हो गये। सीकर भूमि बन्धक बैंक से काफी पैसा भी बांटा गया है। इसके बारे में पहले भी सदन में चर्चा हुई है शिकायतें भी हुई है और इसमें भयंकर भ्रष्टाचार हुआ है। इसके साथ साथ दो तीन बातें और हैं वह मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि विशेष तौर पर वहां पर जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसके बारे में सहकारी विभाग ने कुछ भी विचार नहीं किया है।

सब से मोटी बात तो यह है कि आपको वहां के पांच सात केसेज ऐसे मिलेंगे जिसमें पूरा भ्रष्टाचार हुआ है। एक क्र क है जिसकी मौत हो चुकी है उसके बाद भी पांच छः साल से उसके नाम से लोन उठा हुआ है उसका नाम पहले भी बताया गया था आज मैं फिर बता दूं। उसका नाम रतनाराम है। डारियावास का वह रहने वाला है। उसकी मृत्यु हुए छः साल होगये फिर भी उसके नाम से 20 हजार रुपये ट्रेक्टर खरीदने के नाम से उठे हुए हैं। और उसके बाद वह लोन उसके लड़के के नाम से होगया आखिर बैंक ने उसको लोन किस प्रकार से दिया ?

दूसरा बैंक ने एक नम्बर का ट्रेक्टर एक किसान को दिया उस पर लोन मिल गया उसके बाद उस ने वही ट्रेक्टर दूसरे को बेचा, उसको भी उसी ट्रेक्टर पर लोन मिल गया इस तरह से वह ट्रेक्टर तीसरे को बेचा गया उस पर भी उसको लोन मिल गया इस तरह एक ही नम्बर के ट्रेक्टर से पांच सात काश्तकार को लोन दे दिया गया। इसकी जांच भी नहीं हुई. वहां का सेक्रेटरी और एल० डी० ओ० निलम्बित हैं। लेकिन, केवल मोअत्तिल करने से समस्या का हल होने वाला नहीं है। यह जो घोटाला हुआ है बैंक में, हिस्सा पूंजी होती है, बहुत से काश्तकारों से हिस्सा पूंजी भी नहीं काटी गई है और लोन दे दिया गया है। कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट नहीं हुई फिर भी उनको लोन अदा कर दिया गया।

गुढा सहकारी समिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उसने पंचायत समिति, श्री माधोपुर गोदाम बनाने के लिए ऋण लिया था। पहली किश्त देने के बाद कार्य आरम्भ किया गया, नक्शे के मुताबिक और कायदे के मुताबिक भवन नहीं बना। बनते कार्यालय गोदाम टूट गया था। वैसी हालत में विकास अधिकारी ने उस सहकारी समिति को किसी आधार पर लोन का पेमेण्ट कर दिया। स्टेंडिंग कमेटी और पंचायत समिति के विपरित निर्णय लिया है। मैं सहकारी मंत्रीजी से जानना चाहूंगा आखिर इसके लिये कौन जिम्मेदार है आखिर किससे आप वसूल करेंगे ?

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

इसके साथ साथ मह सहकारी समिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वहां के एक सदस्य ने एक दूसरे सदस्य के नाम से लोन उठा लिया। यह मामला सहकारी विभाग में चला व ट्रिब्यूनल में चला। वहां से फैसला हो गया कि सदस्य ने जाली हस्ताक्षर करके पैसा उठा लिया है। पांच-छः महीने हो गये, सहकारी विभाग अभी तक सोया हुआ है। ट्रिब्यूनल का फैसला हो जाने के बाद भी सरकार और सहकारी विभाग उस बारे में कार्यवाही करना नहीं चाहते।

अब मैं पशुपालन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। श्रीमाधोपुर में पशु चिकित्सालय के लिए कोई भवन नहीं है, पशुओं को रखने आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दवाइयां और अन्य औजारों की बात तो अलग रही। किराये के मकान में जहां यह व्यवस्था है वहां पशुओं के ठहरने की व्यवस्था नहीं है।

अब मैं कृषि के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। हरित क्रान्ति जोरों से हो रही है और होनी भी चाहिए। खास तौर से जो उन्नत बीज कृषकों में बांटे जा रहे हैं वे मिलावट के होते हैं। उसमें गड़बड़ होती है इसके बारे में मेरा सुझाव है कि सारे के सारे उन्नत बीज सरकार अपने फार्मों में पैदा करें और वह कम रेट पर काश्तकारों को दें। इस साल भी काश्तकारों ने लाल बहादुर गेहूं 100 रुपया और 500 रुपया किलो पर खरीदा है। कुछ साधन सम्पन्न जो लोग होते हैं वे सीधे विभाग से सस्ते दामों पर ले लेते हैं। आने वाले फसल में पांच-सात रुपये किलो यह बिकेंगे इससे केवल साधन सम्पन्न लोग ही फायदा उठाते हैं। गेहूं के बीज में फिर मिलावट कर देते हैं। गत साल भी बीज निकला था। उसमें भी मिलावट थी। विभाग ने जांच भी की थी। इस बारे में मेरा सुझाव है कि बीज जो निकाले जायं वे सब सरकारी फार्मों में से निकाले जायं। और उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोडक्शन कमेटी के सुझाव के अनुसार बांटा जाय। जिस पंचायत क्षेत्र में इसकी काश्त होती है वहां के सरपंच, प्रधान और वहां के एम० एल० ए०, तहसीलदार, बी० डी० ओ० ये सब इस बात की तसदीक करें कि जो बीज दिया गया है वही यह है। तब जाकर सही बीज प्राप्त हो सकता है। नहीं तो एक मन में दस मन मिलाकर दे दिया जाता है।

आज, उपाध्यक्ष महोदय, कृषक हरित क्रान्ति में अपना योग देना चाहता है लेकिन जिस प्रकार का खाद वह चाहता है उससे मिलता नहीं है। अगर पंचायत समिति की मार्फत ये चीजें दी जायं तो हरित क्रान्ति सफल हो सकती है।

इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर औजारों की रिपेयर्स के लिये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को वर्कशॉप खोलने चाहिये ताकि साधारण औजारों की रिपेयर्स हो सके। वहां प्रयोग शाला भी हो जो फसलों में रोग आदि लग जाते हैं उसको रोकने का प्रयत्न करें।

गत साल पंचायत समिति, श्री माधोपुर में आमों की फसल पर रोग लग गया था। उसके लिये पंचायत समिति को हमने कहा उन्होंने इसके बारे में एग्रीकल्चर ऑफिसर से सम्पर्क किया। डि० एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से जानकारी मिली कि आमों के रोग पर दवा छिड़कने के लिये मशीन नहीं है जिससे कि रोग की रोकथाम हो सके। इस तरह से

(श्री हरलाल सिंह खर्रा)

गेहूं वगैरह पर रोग हो जाया करते हैं अतः इसका प्रबन्ध डिस्ट्रिक्ट्स में होना चाहिये ताकि रोगों की रोकथाम की जा सके।

(2 म० प०)

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहनलाल मोदी।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम-का-थाना) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कट मोशन सहकारिता विभाग में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के संबंध में है।

मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में सहकारिता की जो योजनाएं हैं वे सारी भ्रष्टाचार के कारण फेल हो गई हैं और जितनी सहकारिता की सोसाइटीज हैं वे आज भ्रष्टाचार के अड्डे बनी हुई हैं और राजनीति के अड्डे बनी हुई हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं नीम-का-थाना की एक सोसाइटी की मिसाल देना चाहता हूं। उस सोसाइटी के अंदर बी० के० डी० का दफ्तर चलता है। उसमें रोज इस पार्टी की भी मीटिंगें होती हैं। वहां पर सारी कार्यवाही इस पार्टी की चलती है। क्या सरकार के ऐसे आदेश हो गये हैं?

यहां मैं इस डिपार्टमेंट के बारे में जितनी भी सोसाइटीज हैं उनके बारे में भी निवेदन करना चाहता हूं। आज इस फैलते हुए भ्रष्टाचार को किस प्रकार मिटाया जा सकता है? राजस्थान की जनता इस बढ़ते हुए भ्रष्टाचार के कारण दुखी है। जिधर जाइये उधर सिवाय पैसे के कुछ भी नहीं है। पैसा दो तो काम, नहीं तो धक्के खाओ। आज जनता इससे बड़ी परेशान है। मैं स्वयं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिस विभाग के मंत्री हैं, हमारे जो सहकारिता के मंत्री है, उनके स्वयं के बारे में बताना चाहता हूं। मेरे एक साथी शीशरामजी, जो चूरू से इस सदन के सदस्य हैं, ने एक रसीद मुझे बताई थी उसके अंदर यह लिखा हुआ था : "15 हजार रुपये प्राप्त किये यदि आपका काम नहीं हुआ तो रुपये वापिस कर दिये जावेंगे"......।

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री) : यह गलत बात है। यह गंभीर बात है। माननीय सदस्य जिस प्रकार से बात कह रहे हैं, मैं यह चाहता हूं कि वह रसीद पेश करदें अगर उनके पास हो तो.....।

श्री मोहनलाल मोदी : यादव साहब! कैसे गलत बात बताते हैं। इसके लिये कोई कमेटी बिठाई जाये अगर कोई जांच करानी है तो......

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप यह रसीद उनसे मंगा लें और अगर रसीद नहीं है तो ये अपने शब्द वापस लें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने तो शब्द आज तक वापस लेना नहीं सीखा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य..

श्री अमृतलाल यादव : ये गलत बात कह रहे हैं। इस तरह का गलत इल्जाम लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : जो इल्जाम आप लगा रहे हैं, वह रसीद आप पेश कर दें।...

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने निवेदन किया है यह रसीद मुझे चूरू से आने वाले सदस्य श्री शीशरामजी ने दिखाई है और जिसके अंदर ये शब्द लिखे हुये थे... 15 हजार रुपये.....

Page No 75

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, ये कैसे कह रहे हैं माननीय सदस्य को कहना चाहिए। किसी माननीय सदस्य के लिये दूसरे माननीय सदस्य को कहने की जरूरत नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम) : कट मोशन में साफ हैडिंग है भ्रष्टाचार पर चर्चा...

श्री शंकरलाल : दूसरे माननीय सदस्य को कहने की जरूरत नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : सही चीज की आपको जानकारी दी है.........

श्री अमृतलाल यादव : ऐसी कोई रसीद मेरी है तो मैं इस सदन से इस्तीफा देने को तैयार हूं अगर नहीं है तो माननीय सदस्य इस्तीफा दें।

श्री मोहनलाल मोदी : इस्तीफा देने की बात जमीन पर भी आई थी.....

श्री भगवानदास शास्त्री : सैकड़ों इश्यू चल रहे हैं....

श्री रावतराम (छापर-सु०) : ये अनुसूचित जाति के हैं इसलिये आरोप लगाये जाते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य इतने संगीन आरोप लगायें तो सदन यह मानकर चलता है कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं और सही कह रहे हैं। जब आप एक रसीद का हवाला देते हैं तो यह लाजमी हो जाता है कि आप वह रसीद प्रस्तुत कर दें ताकि मंत्री महोदय द्वारा भी सफाई दी जा सके, किसी तरह की जांच कराई जा सके। आप इसको यूं टाल नहीं सकते कि वह किसी तीसरे व्यक्ति के पास है। आप जब हवाला देते हैं तो उसको पेश करना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : हाउस की कमेटी गठित कर दें तो रसीद पेश कर देंगे..

श्री शंकरलाल : रसीद पेश करने में क्या दिक्कत है? दूसरे माननीय सदस्य की कैसे बात कर रहे हैं?

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने सदन के एक सदस्य का नाम लिया है। आप चाहें तो उनसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ऐसी कोई रसीद उन्होंने मुझे दिखाई या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप जब कह रहे हैं बोनाफाइड तरीके से तो इस बात से भी आप सेटिस्फाइड हैं कि उस रसीद पर जिसका लिखा हुआ है उसी व्यक्ति के दस्तखत हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): मैं निवेदन कर दूं, यह ऐसा विषय आ गया है कि जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उससे मंत्री महोदय इन्कार कर रहे हैं। अगर मंत्री महोदय यह मानते हैं इसमें कोई तथ्य नहीं है और जान बूझकर उनको बदनामी करने के लिये यह कहा जा रहा है तो वे प्रिविलेज मोशन मूव कर सकते हैं......

श्री उपाध्यक्ष : वह प्रक्रिया तो हमेशा अपनाई जा सकती है लेकिन अगर कोई आरोप लगाते हैं तो विद डयू केअर और काशन होना चाहिये। इसलिये ये जो आरोप लगाते हैं तो यह कह दें कि मैंने देखा है और मैं सन्तुष्ट हूं इस बात से कि जिसके दस्तखत हैं वे उसी व्यक्ति के दस्तखत हैं....

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, "No allegation of a defematory or increminatory nature shall be made by a member against any person unless a member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply."

श्री उपाध्यक्ष : ये नियम इसमें लागू नहीं होता । जो व्यक्ति सदन में उपस्थित हों, जिनकी जानकारी में कहा जाता है, वह हां या ना कह सकते हैं ।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने यह कहा है कि मैंने वह रसीद देखी है ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या आप इस बात से सन्तुष्ट हैं कि जिसके दस्तखत बताये हैं वे उसी के दस्तखत हैं ताकि सदन उससे जानकारी कर सके ?

श्री भगवानदास शास्त्री : बिल्कुल सन्तुष्ट हैं । सतीशजी ने भी पहले प्रस्ताव दिया है ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रामनारायणजी आपने क्या फर्माया ?

श्री रामनारायण (मंडावा) : मैंने यह निवेदन किया है कि जिस रसीद के बारे में जिक्र है और जिसे पेश करने के लिये कहा जा रहा है वह जाली भी हो सकती है । कौन कह सकता है कि वह सही ही हो ?

श्री उपाध्यक्ष : कोई व्यक्ति सदन के प्रांगण में यह बात कहे तो अपनी तरफ से सन्तुष्ट होने के बाद ही वह बात इस सदन में कहता है, यह माना जाता है । उसके बाद वह रसीद उसके पास न हो तो यह सदन उस रसीद को मंगवा सकता है । परन्तु यह जरूरी है कि माननीय सदस्य इस बारे में सन्तुष्ट हों ... इसलिये आप यह फर्मा दें कि मैं सैटिसफाइड हूं इस रसीद पर...।

श्री शंकरलाल : व्यवस्था का प्रश्न है उपाध्यक्ष महोदय । आसन की तरफ से यह बताया गया है कि इसके लिये सदस्य सैटिस्फाइड हों तो यह कहें कि वे सन्तुष्ट हैं । मगर सन्तुष्ट हैं तो उसका आधार भी बताया जाना चाहिये । अगर कोई माननीय सदस्य बिना आधार के ही कह दें कि उन्होंने ऐसा किया और मैं सन्तुष्ट हूं और उसका कोई आधार नहीं बताया जाता है तो यह उपयुक्त नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : वह बाद की बात है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : आप दबाते क्यों हैं ? यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री शंकरलाल : दबाने की बात नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज ।

श्री भगवानदास शास्त्री : आजादी है बोलने की । अगर कोई भाषण दे रहा है तो उसके ऊपर दबाव क्यों डालते हैं ?....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य आसन अपने पैरों पर है । माननीय सदस्य, आसन अपने पैरों पर है । स्थान ग्रहण करें ।

चूंकि माननीय सदस्य यहां कह रहे हैं कि यह किसी तीसरे व्यक्ति के पास है और

(श्री उपाध्यक्ष)
वे उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि वे रसीद दें या न दें। लेकिन माननीय सदस्य को यह तो कहना होगा इसकी जैनाइननैस के बारे में कि क्या वे यह महसूस करते हैं, वास्तव में जिस व्यक्ति के दस्तखत बताये जाते हैं वे उसी व्यक्ति के हैं ?

श्री शंकरलाल : माननीय सदस्य ने इस सदन के एक सदस्य का नाम यहां बताया है, उन माननीय सदस्य को कहा जा सकता है कि वे रसीद पेश करें। यह सदन चाहे तो माननीय सदस्य को आहूत किया जा सकता है कि उन्होंने यह रसीद उनको दिखाई है या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह बाद का मामला है।

श्री शंकरलाल : जब तक इनकी बात न हो माननीय सदस्य से इसकी जानकारी की जाये। जो संबंधित व्यक्ति है उससे पूछा जाये।

श्री उपाध्यक्ष : अपन तहकीकात तो इसकी अभी कर नहीं रहे हैं। वे जो कहना चाहें अभी कहने दें।

श्री अमृतलाल यादव : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की प्रवृत्ति चलती है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको स्पष्टीकरण भी लेना होगा। इस तरह से कह कर कोई ब्लेक मेल किया जावे तो यह ठीक नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि अगर उन्होंने इस प्रकार की कोई रसीद देखी हो तो उसे सदन में अवश्य पेश करें, नहीं तो केवल बात कह कर किसी को बदनाम करना यह ब्लेक मेलिंग करने की प्रैक्टिस है। इससे माननीय सदस्य की भी प्रैस्टिज घटेगी। इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिये।

फिर यह मेरे पर व्यक्तिगत आक्षेप है, और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर यह साबित करदें कि ऐसी कोई मेरी रसीद है तो मैं इस सदन से इस्तीफा दे दूंगा और नहीं तो माननीय सदस्य इस्तीफा दें। मेरे इन शब्दों को आप नोट करें। सदन इसका साक्षी है।

माननीय सदस्य किन्हीं कारणों से मेरे प्रति व्यक्तिगत द्वेष रखते हैं। मैं, माननीय उपाध्यक्ष, यह याद दिलाना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर था तब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न किया था कि अमृतलाल यादव ही बड़ी कार में क्यों चलता है। क्योंकि मैं किसी जाति विशेष से सम्बन्ध रखता हूं इसलिये उनके दिल में मेरी जाति से नफरत है। अगर वे यह प्रश्न पूछते कि सभी माननीय मंत्री बड़ी गाड़ियों में क्यों चलते हैं तो मैं समझ सकता था कि इकोनॉमी के पोइन्ट से वे यह कहते हैं। मैं उन्हीं बातों को कह रहा हूं जो सदन में कही गई हैं। अगर ये झूठी हों तो सदन की कार्यवाही उठा कर देख सकते हैं।

माननीय सदस्य को मेरे से व्यक्तिगत द्वेष है। मैं पिछले तीस सालों से सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में हूं इस बीच मेरे पर ऐसा कोई आक्षेप नहीं आया। मैंने किसी को कोई रसीद लिखी हो या मैंने किसी से कुछ लिया दिया हो इस बात को अगर वे साबित कर दें तो मैं अपने पद से स्तीफा दे दूंगा। मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा और यदि वे साबित नहीं करें तो वे सदन से इस्तीफा दे दें। जिस प्रकार के आक्षेप माननीय सदस्य की तरफ से हर बार मेरे पर होते रहे हैं उनको अब तक मैं सहन करता चला गया हूं जिसकी सीमा हो गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री अमृतलाल यादव)

इस प्रकार के इल्जाम सदन में काम करने वाले लोगों पर लगाये जाते रहे तो उनके लिये काम करना मुश्किल हो जावेगा । कोई किसी व्यक्ति पर अनुचित दवाव डाल कर काम नहीं करा सकता । कोई मुझ पर यह दवाव डालना चाहे कि तुम मेरा यह काम करो, नहीं तो मैं तुम पर सदन में अमुक इल्जाम लगाऊंगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा । तो मैं यह बहुत ही नम्र निवेदन कर रहा हूं, पहले भी किया था कि इस बात का फैसला हो जाना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम ।

श्री रावतराम : माननीय सदस्य ने सदन के दूसरे सदस्य पर जो इस तरह के आरोप लगाये हैं वे बहुत सीरियस हैं । सदन के माननीय सदस्य श्री मोहनलाल मोदी ने जो आरोप लगाये हैं उन पर अब जैसी स्थिति है, जिस प्रकार का स्पष्टीकरण सामने आया है वह और भी गम्भीर है कि व्यक्तिगत जेलेसी को लेकर ये उन पर आरोप लगाते जाते हैं और चूंकि वे शिड्यूल्ड कास्ट के सदस्य हैं इसलिये सब मिलकर उनको दबाते जाते हैं । इसमें मेरी मंत्री महोदय के प्रति पूर्ण सहानुभूति है । मैं निवेदन करूंगा कि जो गलत आरोप मोहनलालजी ने यादवजी पर लगाये हैं उनको वापिस लिया जाना चाहिये । उनको उनसे क्षमा-याचना करनी चाहिये और इस तरह यह मामला यहीं रफा दफा कर दिया जाना चाहिये ।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मैं भी थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा । अभी माननीय मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण किया कि श्री मोदीजी व्यक्तिगत रूप से उनसे नाराज हैं इसलिये वे उन पर लान्छन लगा रहे हैं । और साथ ही यह भी कहा कि चूंकि वे किन्हीं कारणों से नाजायज काम करके उनको सन्तुष्ट नहीं कर सके इसलिये वे उन पर सदन में गलत आरोप लगाते हैं, तो मेरे खयाल से यह भी एक तरह से मंत्री महोदय का माननीय सदस्य पर आरोप है । इसलिये वे भी इस बात को स्पष्ट करें कि ऐसे कौनसे कारण थे जिनसे वे व्यक्तिगत द्वेष उनसे रखते हैं और किस नाजायज काम के लिये उन्होंने उनको कहा और जिसके न करने की वजह से उन पर आरोप लगा रहे हैं । इसलिये इसका भी स्पष्टीकरण होना चाहिये । वरना हमारे दिमाग में यह बात रह जावेगी कि किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से नाजायज काम नहीं कर सकने के कारण से यह सब हुआ है ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरी कोई उनसे व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है । सिर्फ भ्रष्टाचार की वजह से मैं नाराज हूं । मैं भ्रष्टाचार की शिकायत उनसे करता रहा हूं । सदन में भी कहना चाहूंगा कि उनकी श्रीमतीजी के नाम से जो 15 बीघा जमीन एलॉट हुई थी उसके बदले में उन्होंने 24 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा था । इसके लिये मैंने शिकायत की । मुख्य मंत्रीजी को लिख कर सौंपा था ।

श्री भैरोंसिंह : जो सन्दर्भ यहां इसका मिल रहा है उसके सम्बन्ध में यदि माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां उपस्थित हों तो यह रसीद वाला मामला अपने आप में स्पष्ट हो जावेगा ।

श्री उपाध्यक्ष : रसीद के बारे में तो व्यवस्था दे दी । उनके पास तो रसीद है नहीं । तीसरे माननीय सदस्य के पास बताई जाती

(श्री उपाध्यक्ष)

है। अब इस पर माननीय मंत्री महोदय का कहना यह है कि आरोप यह उन पर गलत लगाया गया है तो अब इसे दुबारा सदन में तो किसी प्रस्ताव के द्वारा ही लाया जा सकता है तो दुबारा अगर कोई प्रस्ताव प्रस्तुत होगा तो विचार होगा और माननीय सदस्य से वह रसीद भी मांग ली जावेगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, यह एक गम्भीर आरोप लगाया गया है कि अनुचित काम करवाने के लिये दबाव डाला गया और चूंकि वह अनुचित काम किया नहीं इसलिये नाराज हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने ऐसे कौनसे अनुचित काम के लिये आपको कहा जिसके नहीं करने के कारण वे आपसे नाराज हैं यह बतायें आप।

श्री उपाध्यक्ष : एक काम के लिये एक घटना के लिये माननीय मंत्री महोदय ने कहा है और यह वेग तरीके से कहा है कि काम कराना चाहते थे। किसी एक घटना का रेफरेन्स नहीं दिया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : या तो माननीय मंत्रीजी अपने शब्दों को वापिस लें, नहीं तो साफ बतायें कि किस कारण से वे नाराज हैं किस अनुचित काम के नहीं करने से नाराज हैं? वह अनुचित काम बतावें। यह बहुत गम्भीर आरोप है एक सदस्य का दूसरे सदन के सदस्य पर। यदि इस प्रकार की परिपाटी चली और आसन से इस प्रकार के आदेश नहीं हुए तो इस सदन में ऐसे आरोप-प्रत्यारोपों की बाढ़ आ जावेगी जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं होगी। इससे सदन की गरिमा गिरेगी। सदस्यों की गरिमा घटेगी।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें मैं गाड़ियाजी की बात से इत्तफाक करता हूं। बात तो ठीक है। इसमें ध्यान सब को रखना चाहिये। पर जब सदन में एक बात कह दी और आरोप अगर गम्भीर है और विशेषाधिकार का हनन होता है तो उस मामले को और तरह से उठाया जा सकता है। श्री मोदी।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीन सालों से लगातार देख रहा हूं कि हरिजन मंत्री के साथ कई कांग्रेसी सदस्यों का बरताव अच्छा नहीं रहता। अगर ऐसा होता है तो इस बात को हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर रसीद है ऐसी तो वे पेश करें। नहीं तो इसके लिये वे माफी मांगे।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने जितने शब्द कहे हैं वे सही हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुख्य मंत्रीजी होते तो मामला स्पष्ट हो जाता।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री महोदय से न तो किसी अनुचित काम के लिये कहा न उनके घर कभी गया हूं। किसी उचित काम के लिये भी नहीं कहा। इस बारे में माननीय मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है बिल्कुल गलत कहा है। न मैंने किसी तरह का दबाव दिया है। अनुचित काम तो दूर मैंने तो किसी उचित काम के लिये भी नहीं कहा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या ये हरिजन मंत्री हैं, इसलिये आप बात करना भी पसन्द नहीं करते इनसे?

श्री मोहनलाल मोदी : यह तो आप ही समझ सकते हैं।

श्री मदनसिंह दांता : ऐसी बात अगर आप कहते हैं कि वे इनके घर कभी गये ही नहीं, इनसे किसी उचित काम के लिये भी नहीं कहा, तो क्या आप किसी मंत्री के पास कभी गये ही नहीं? जब औरों के पास गये और इनके पास नहीं गये तो इसका तो मतलब साफ है कि आप वाकई में इनसे नाराज हैं। इनसे आपकी नाराजगी तो आपके कथन से ही स्पष्ट झलकती है।

आप सुखाड़ियाजी के पास जाते हैं, दूसरे मिनिस्टरों के पास जाते हैं, पर उनके पास नहीं जाते तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपको उनसे द्वेष है। आपको उनकी जाति के बारे में द्वेष है। आप नफरत करते हैं इसलिये नहीं जाते उनके पास।

श्री मोहनलाल मोदी : इन्होंने जाति के बारे में कहा कि मैं कोई जाति से द्वेष रखता हूं यह बिलकुल गलत बात है। मेरा ड्राइवर है वह शिड्यूल्ड कास्ट का है।

श्री नत्थीसिंह : ड्राइवर क्यों, कोई रसोइया है कि नहीं?

एक माननीय सदस्य : रसोड़े में है कि नहीं कोई जिसमें मोदीजी खाना खाते हैं।

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने यह आरोप उन पर जरूर लगाया था कि उनकी श्रीमतीजी के नाम 15 बीघा जमीन एलॉट हुई थी उसके बदले में उन्होंने 24 बीघा पर कब्जा कर लिया और जब जांचा गया तो वह 24 नहीं 29 बीघा पाई गई। अब इसी से अन्दाज लगाया जा सकता है कि मंत्री महोदय के खिलाफ मैं झूठा आरोप लगाता हूं या जो सही बात है वह मैं कहता हूं।

अब मैं इस विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। मेरे इलाके में खटकड़ नामक ग्राम की सहकारी समिति, पंचायत समिति, नीम-का-थाना के अन्तर्गत है जहां के एक अध्यक्ष हैं भूराराम नाम के उनको 5,600) रुपया बीज गोदाम के लिये लोन दिया गया। उसका उन्होंने अपने खेत में मकान बना लिया। यह इन सोसायटियों में काम हो रहा है। इस तरह से बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिये यह जरूरी है कि इस भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिये सख्ती से कदम उठाया जावे और आये दिन जो इस तरह की शिकायतें मिलती हैं उनको दूर किया जावे और जनता जो इससे दुखी है उसके लिये जनता को राहत दिलाने की कोशिश की जाय।

एक मैं और निवेदन करूं कि श्री मांगीलाल बालेचा, सहायक रजिस्ट्रार, के बारे में विधान सभा में प्रश्न आया था। उनके खिलाफ टी० ए० बिलों के बहुत से आरोप थे जिनमें रजिस्ट्रार ने रिकमण्ड किया कि उनको सस्पेण्ड कर दिया जावे। लेकिन दो-तीन वर्ष से मामला चल रहा है, आज तक सस्पेन्ड नहीं किया गया। यह क्या तरीका है? यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का तरीका है। इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। मैं एक निवेदन और भी करूं नीम के थाने में क्रय-विक्रय संघ के बारे में है। मैंने पहले भी कहा था काफी घोटाले हैं। एक केरोसीन के टैंक में 90 ड्रम शोर्ट हो गये। उसके बारे में आज तक कार्यवाही नहीं हुई। कितना भ्रष्टाचार सोसाइटीज में होता है? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा इसको रोकने के लिये सरकार को कदम उठाना चाहिये। मैं सीकर भूमि बंधक बैंक के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। अभी मेरे एक साथी श्री हरलालसिंहजी ने भी कहा था, वैसे इस बैंक में जितने भी लोगों को लोन दिया गया है उनके अन्दर बराबर पर्सेन्टेज

(श्री मोहनलाल मोदी)

दिया गया है, और बहुत से लोगों के नाम भी नहीं है और लोन दे दिया गया। इसके बारे में जांच नहीं की जा रही है। लाखों रुपये का जो लोन दिया गया है वह फर्जी है। किसान को नहीं मिला है। दूसरे लोग ऊपर की ऊपर हजम कर रहे हैं।

श्री विजयसिंह : बहुत जरूरी है।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं किसानों के लोन के बारे में निवेदन कर रहा था कि किसानों को लोन दिलाने के बारे में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये कि किसान को सस्ते तरीके से और बिना परेशानी के लोन मिल सके। आज जो बैंक की लोन की व्यवस्था है वह बहुत ही दिक्कत वाली है। बड़ी मुश्किल से कई महीनों के बाद चक्कर लगाने पर लोन मिलता है। मैं समझता हूं इसकी व्यवस्था के लिये कोई सरल तरीका अपनाना चाहिये। बिना किसी खर्च के घर बैठे लोन मिल सके, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, आज हम समाजवाद की बात करते हैं। आज हमारे यहां का किसान सीकर झुंझनूं जिले का किसान है उसको लगान की दर ज्यादा देनी पड़ती है। उसको इतनी मंहगी जमीन पड़ती है—सिंचाई बहुत मंहगी पड़ती है और आज उनको कोई रियायत नहीं मिल रही है। आज गंगानगर है, वहां के किसान को हमारे यहां के किसान से मुकाबला करें तो बहुत फरक है। हमारे यहां का किसान फटे चिथड़े पहिने हुये और बाजरी मक्के की रोटी खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है और एक गंगानगर का किसान है जिसको रोज शराब की एक बोतल चाहिये और खाने में भी न जाने क्या क्या चाहिये। इन किसानों की तरफ भी राज्य सरकार ध्यान देगी। राजस्थान में जो सिंचाई करते हैं कुओं से उनसे जो लगान लिया जाता है वह अधिक है। चाही जमीन का लगान न लेकर बारानी जमीन का लगान लिया जाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : इस तरह किसान कह कर बगावत न करें। ये हमेशा गंगानगर की तरफ आंख उठाकर देखते हैं। गंगानगर वालों ने इनकी हवा निकाल दी है। मैं कहता हूं आप लोग भी साथ दें ताकि इस सरकार को हटा दें और नये कानून बनाकर तमाम राजस्थान के काश्तकारों को मदद करें। इसलिये आपके इस तरह कहने से.....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामचन्द्र आर्य : कभी मानने वाले नहीं है। कभी अमृतलालजी यादव की पिटाई करवाते हैं तो कभी दूसरे मंत्री की पिटाई करवायेंगे। यह सारा दोष मुख्य मंत्रीजी को...

(शोरगुल, व्यवधान-अश्रव्य)

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह): (साथ साथ बोलते रहे, अश्रव्य)

श्री प्रद्युम्नसिंह (उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन): इस तरह की बातें करते हैं जैसे दिमाग खराब हो गया हो।

(व्यवधान, अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : माननीय रामचन्द्रजी आर्य बोल रहे हैं और माननीय प्रद्युम्न सिंहजी कहते हैं इनका दिमाग खराब हो गया है। यह बिलकुल अन-पार्लियामेंट्री शब्द है। इसको निकाल दिया जाय।

(माननीय कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रामचन्द्र आर्य : हम इनका दिमाग ठीक कर सकते हैं...

श्री नत्थीसिंह : दिमाग खराब हो गया फिर कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

'दिमाग खराब है' को अपने आप में अनपार्लियामेंटरी नहीं कह सकते हैं ।

श्री नत्थीसिंह : इनका दिमाग पागलपन की सीमा को पहुंच गया है । अमृतलालजी यादव पर इनकी जब मार पड़ रही थी तो एक नहीं बोले और जब मुख्य मंत्री की मार पड़ी तो सारे बोलने लग गये ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा दिमाग बिल्कुल खराब है इस सरकार के लिये लेकिन जनता के लिये नहीं है - जनता के लिये नहीं, सरकार के लिये अवश्य दिमाग खराब है । जनता के लिये तो बिल्कुल सही है । सरकार के जो गुर्गे हैं उनके लिये खराब है ।

श्री विजयसिंह : मैं उपाध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाहता हूं श्री आर्य को चाहिये कि उनका दिमाग दुरुस्त कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर, आर्डर । श्री मोदी ।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं जो किसान कुओं से सिंचाई करते हैं, उन पर विचार करना चाहिये और चाही जमीन का लगान न लेकर बारानी का लगान लेना चाहिये क्योंकि वे मेहनत करके कुआ बनाते हैं और अपने बैलों को लेकर कड़ाके की सर्दी पड़ती है, उसमें, उपाध्यक्ष महोदय वह किसान 4 बजे खेत पर जाता है और खेती करते हैं दिन भर और 6 बजे वापिस घर आता है । मैं निवेदन कर दूं 32 रु० एकड़ का लगान किस प्रकार पड़ता है । दस रुपये बीघा से एक एकड़ पर 16 रु० का लगान है चाही का और 5 एकड़ का होल्डिंग है तो 16 रु० के हिसाब से उस पर 80 रु० हो गया, 80 रु० सरचार्ज हो गया इसलिये 32 रु० का लगान पड़ता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं यहां के किसानों की तरफ भी ध्यान देकर राज्य सरकार उचित कार्यवाही करेगी ।

श्री मदनसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह ।

(श्री मुख्य मंत्री जी के खड़े होने पर)

मुख्य मंत्रीजी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): क्षमा करें, मैं बीच में इसलिये खड़ा हुआ हूं अभी नीम-के-थाने से आने वाले माननीय सदस्य ने श्री अमृतलालजी यादव पर यह आरोप लगाया कि 15 हजार की कोई रसीद है जो अभी यहां पर उपस्थित नहीं है और दूसरे माननीय सदस्यों का नाम उन्होंने लिया । मैंने अभी यादवजी से विचार विमर्श किया है उन्होंने इसका खन्डन किया है लेकिन यह भ्रम न रहा जाय उस लिहाज से मैं यह चाहूंगा कि श्री मोहनलालजी मोदी ने जिस रसीद का जिक्र किया है उस रसीद को सदन की मेज पर रख दें ताकि जल्दी से जल्दी किसी प्रकार की कोई शंका हो वह न रहे । जो कुछ वास्तविकता है भी या नहीं भी है इन सारी

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

चीजों का यहीं पर मालूम हो सकेगा । मैं यह चाहूंगा जल्दी से जल्दी हो ।

श्री भैरोंसिंह : मैं भी एक निवेदन करना चाहता हूं । मुख्य मंत्रीजी के पास किन्हीं व्यक्तियों ने रसीदें पेश की हैं । वे भी इसके साथ साथ सदन की मेज पर प्रस्तुत कर दी जाय.....

श्री नाथीसिंह : जो जांच पड़ताल की है, वह भी बतादें ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मेरे पास कोई रसीद नहीं है ।

श्री भैरोंसिंह : मेड़ता के लोगों ने रसीदें दी हैं ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मुझे कोई रसीद नहीं दी है । अगर यह बताया गया है तो गलत है ।

श्री भैरोंसिंह : आपको फोटो स्टेट कापी भी दी है ।

श्री मदनसिंह : मैं चाहूंगा मुख्य मंत्री जी ने जिस प्रकार रसीद मांगी है वह ठीक है । मेरा आरोप यह है कि इस विधायक ने नीम-के-थाने में 50 हजार का घोटाला किया है । बिजली में 420 करके रेट कम कराई है । ऑडिट रिपोर्ट में यह कहा है कि 50 हजार इनमें निकलते हैं, वह भी सदन की मेज पर रखी जाय । दूसरों पर आरोप लगाते हैं । खुद पर भी आरोप हैं । इन मंत्रीजी के संबंध में शिकायत करते हैं और दूसरे मंत्रियों से मिले रहते हैं । एक हरिजन मंत्री हैं, उस पर चार साल से बराबर आक्रमण करते जा रहे हैं । नीम-के-थाने के विधायक होने के नाते 50 हजार का घोटाला हुआ है । ऑडिट रिपोर्ट में आया है. ये बिजली लगाने वालों से मिल गये । यह भी रिकार्ड सदन की मेज पर रखा जाना चाहिये ।

श्री मोहनलाल मोदी : या तो माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें या कोई जानकारी हो तो उसे सदन के अन्दर पूरी तरह रखें । न तो मुझे किसी प्रकार की जानकारी है और न मैंने कोई रियायत कराई है । मैं जिस फैक्टरी का डायरेक्टर हूं, उस फैक्टरी को 30 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली का देना पड़ता है जबकि दूसरी इन्डस्ट्रीज को 3 पैसा यूनिट में कोटा में बिजली मिलती है । आपके आरोप झूठे हैं । इसलिये आपको यह भ्रम नहीं रहना चाहिये । अब जिले में आपकी पूछ नहीं हो रही है इसलिए ऐसी बातें करते हैं । इसलिए यह सरासर गलत है और आपको इस प्रकार सदन में बिना जानकारी के बातें नहीं करनी चाहिएं । आपको जानकारी नहीं है । अगर है तो मैं चेलेन्ज के साथ कहता हूं कि आप उनको सदन में रखें । जो मुख्य मंत्रीजी ने रसीद के बारे में कहा तो मैं पूरा प्रयत्न करूंगा अगर मुझे मिल सकी तो जरूर पेश करूंगा ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसके ऊपर बहुत ऐतराज के साथ कहना चाहता हूं कि इस सदन के अन्दर किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई एलीगेशन लगायें, चाहे वह मंत्रिमण्डल के सदस्य हों या फिर मंत्रिमण्डल के बाहर हों उस एलीगेशन को लगाने में आथेन्टिक प्रूफ होना चाहिए । 'अगर मिल गई तो पेश कर दूंगा' तो मैं समझता हूं कि एलीगेशन लगाने के पहले इन सारे प्रश्नों पर सोचा जाना चाहिए था । यह कह कर एलीगेशन

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)

लगा देना और उसके बाद में भ्रम में डाल देना गलत बात होगी।

श्री मोहनलाल मोदी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी के सामने भी इस रसीद का जिक्र जरूर आया है और मुख्य मंत्रीजी ने शायद रसीद देखी नहीं है लेकिन उसका जिक्र जरूर आया है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : आप और बात करते करते मुझे रसीद दिखाई गयी कहने लग गये। यह सरासर गलत है। मुझे कोई रसीद नहीं दिखायी गयी। अब इसको और आगे बढ़ा चढ़ा कर भ्रम में न डाला जाये।

श्री विजयसिंह : अब आंखें दिखाई जा रही हैं।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से बिजली में भ्रष्टाचार हुआ है मैं भी कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से लाकर कागजात दिखाऊं। इनको आप जरूर सजा दें।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं चैलेन्ज के साथ कह रहा हूं....

श्री उपाध्यक्ष : अब इस पर बहस न हो। श्री पृथ्वीसिंह ....

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक चैक का जिक्र किया था जिसको मुख्य मंत्रीजी ने देखा है और उसको एन्टी-करप्शन में भी भेजा है और उसका आप पक्ष ले रहे थे यहां पर।

श्री मोहनलाल मोदी : मुझको चैक की जानकारी भी जिस दिन आपने कहा आपके पूछने से हुई है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपको बहुत बड़ा भ्रम है। मैं कोई गलत काम के लिए किसी आदमी को कहने को न सोचता हूं और न मैंने कहा है।

श्री मदनसिंह दांता : उपाध्यक्ष महोदय, खुद सपोर्ट कर रहे थे जिस चैक को मैंने मुख्य मंत्रीजी को दिया है और उन्होंने होम मिनिस्टर को जांच के लिए दिया।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी ने रसीद के बारे में तो कहा लेकिन माननीय सदस्य ने माननीय मंत्रीजी के ऊपर जमीन के संबंध में आरोप लगाये उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। मुख्य मंत्रीजी कोई उत्तर थोड़े ही दे रहे हैं बहस का।

श्री रामचन्द्र आर्य : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाये जाते हैं। मालिक का दिल सही नहीं होता है तो चोरों में फूट पड़ती है। इसलिए चोरों में फूट पड़ रही है और जनता के दिन अच्छे आ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। श्री पृथ्वीसिंह।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान विधान सभा में पेश हुए बजट की कुछ मांगों पर विचार-विमर्श चल रहा है उस पर मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

(श्री पृथ्वीसिंह)

आज राजस्थान भारतवर्ष का एक कृषि प्रधान एवं पशुपालन से गुजारा करने वाला प्रान्त है। उसमें खेती के साथ साथ पशुपालन का विभाग भी जोड़ा गया है। यहां की करीब 90 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आश्रित है और जिनका मुख्य धंधा कृषि एवं पशुपालन है। आज हमारे सामने भारतवर्ष के अन्दर एक हरि क्रांति का नारा दिया जा रहा है और राजस्थान में भी इसी हरि क्रांति की रुपरेखा तैयार करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमारी सरकार जनता को बारबार यह आश्वस्त करना चाहती है कि राजस्थान के अन्दर हरि क्रांति आने वाली है, यहां पर प्रॉडक्शन बढ़ने वाला है, यहां पर नहरें और ट्यूब वैल्स लगने वाले हैं जिनसे बड़ा भारी उत्पादन बढ़ेगा, यहां पर बिजली आने वाली है परन्तु जहां तक हम देख पाये हैं जितनी इनकी योजनायें थीं, जितना करोड़ों और अरबों रुपया इन योजनाओं के अन्तर्गत खर्च कर दिया उसका 1/5वां हिस्सा भी ये उपलब्ध नहीं कर पाये हैं और जितना काम होना चाहिए था वह आज नहीं हो पाया है। इसका मुख्य कारण, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे कृषि विभाग का दूसरे विभागों से समन्वय नहीं है, इनका दूसरे विभाग से कोऑर्डीनेशन नहीं है। इनका कोऑर्डीनेशन मुख्य रूप से राजस्व विभाग से होना चाहिए, इनका कोऑर्डीनेशन मुख्य रूप से विद्युत् विभाग से होना चाहिए, इनका कोऑर्डीनेशन मुख्य रूप से सिंचाई विभाग से होना चाहिए, इनका मुख्य रूप से कोऑर्डीनेशन पशुपालन विभाग से होना चाहिए ताकि आज जिस हरी क्रांति की तरफ हम कदम बढ़ाना चाहते हैं उसमें सारे विभाग मिल कर के सारे विभागों में कोऑर्डीनेशन स्थापित करके हमारा कृषि विभाग सफल हो सकता है। लेकिन जिस हरि क्रान्ति का नारा दिया जा रहा है वहां देखने को मिलता है कि जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर जिले के अंदर हमने हरियाली भी 9 सालों में नहीं देखी है। वहां बरसात के दिनों में धूल के बादल दिखाई देते हैं। वहां बरसात की एक बूंद भी नहीं गिरती। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर, भू-जल मण्डल की सर्वे हुई है उसके आधार, पर निवेदन करूंगा कि जैसलमेर, बाड़मेर एवं जालोर ऐसे जिले हैं जिनकी भूमि के नीचे से जल के बड़े भारी स्रोत उपलब्ध हो सकते हैं। उनको आप निकालने की चेष्टा कीजिए। राजस्थान कैनाल को लाने की चेष्टा कीजिए और जालोर के अंदर जो एक बार कहा गया था कि नर्बदा की योजना लागू होने वाली है उसको लागू करने के लिए कृषि विभाग की तरफ से आप कदम उठाइये। अगर कृषि विभाग कुछ निष्क्रिय दिखाई देता है तो आपको चाहिए कि आप इस केस को परश्यू करें। आपकी एक सरकार है, मंत्रालय अलग अलग हो सकते हैं। अगर आपका सम्पर्क स्थापित हुआ तो निश्चित रूप से राजस्थान कैनाल आयेगी और नर्बदा की योजना लागू होगी। भू-जल मण्डल से आप पानी उपलब्ध करा पाये तो यहां पर हरि क्रांति होगी नहीं तो जिस ढंग से बेरोजगारी बढ़ रही है, जिस ढंग से लोग परेशान हो रहे हैं, फैमीन की दृष्टि से लोग भूखों मर रहे हैं वहां हरि क्रांति न होकर खूनी क्रांति होगी, वहां पर लाल क्रांति होगी। उस क्षेत्र पर आज पाकिस्तान की नजर है, वह आंखें गड़ाये बैठा है और अगर यह पिछड़ा हुआ इलाका रह गया तो हमारे ऊपर आक्रमण होगा और

(श्री पृथ्वीसिंह)

वह हमारी उस भूमि पर कब्जा कर बैठेगा। वहां पर हरि क्रांति तो नहीं होगी पर खून की नदियां जरूर बह जावेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अण्डर ग्राउन्ड पानी को लिफ्ट करने के लिए निवेदन करना चाहता हूं। आप अण्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से सम्पर्क स्थापित करें। वहां पर टयूब वैल्स लगवाइये, बोरिंग करवाइये और जहां राक्स वगैरह आ जाती हैं वहां पर कम्प्रेशर और ब्लास्टिंग लगाकर उनको कुओं में उतरवाइये। नीचे वहां बहुत पानी बह रहा है और उससे सिंचाई की व्यवस्था करवाइये।

मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार ने 5 रिग्स खरीदे हैं। वह फाइनेन्स डिपार्टमेंट ने परचेज कर लिए। वह रिग्स आज फेमीन डिपार्टमेंट वाले कहते हैं कि हमें परचेज करने चाहिए थे इसलिए आपने जिस ढंग से यह परचेज किये हैं वह हमको अमान्य है और हम उनको काम में नहीं लेते। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृषि मंत्रीजी आप उसको काम में लीजिये और उनका सदुपयोग कीजिए। उनकी फाइनेन्स और फेमीन की लड़ाई है। क्या किया जाय? दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा उठाना चाहिए तो आपके विभाग को इससे फायदा उठाना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि में जो हाईब्रीड सीड्स पैदा होते हैं उनके बारें में और उनकी परचेजेज के बारे में भी दो शब्द निवेदन करूंगा। यह एक राज्य सरकार की तरफ से पैम्फलेट निकाला हुआ है उसमें बताया था कि हाईब्रीड सीड बाजरे की प्रति एकड़ जो उपज होती है वह प्रति एकड़ पैदावार 2 क्विन्टल होती है जिसका खर्चा 395 रु० होता है, हाईब्रीड ज्वार जिस पर 390 रु० प्रति एकड़ खर्चा आता है उसकी उपज ढाई क्विन्टल प्रति एकड़ पैदा होती है और संकर मक्का जिसका खर्चा 216 रु० बताया था उसकी उपज 5 क्विन्टल प्रति एकड़ बताई थी। तो, उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करूं कि इन्होंने सेल्स रेट रखी है उनका ब्यौरा इस ढंग से दिया है। बाजरा जो इन्होंने काश्तकारों को दिया है वह रु० 800 क्विन्टल के हिसाब से बेचा है, ज्वार जो बेची है वह 750 रु० क्विन्टल के हिसाब से और संकर मक्का 700 क्विन्टल के हिसाब से बेची है तो मेरे हिसाब से संकर बाजरा जो 395 रु० से होता है वह संकर बाजरा 800 प्रति क्विन्टल के हिसाब से काश्तकारों को दिया है। ज्वार जिसके मूल्य में 390 रु० का खर्चा आता है उसको 750 प्रति क्विन्टल के हिसाब से काश्तकारों को दिया है और 216 रु० संकर मक्का पर खर्चा आता है वह 700 रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से काश्तकारों को दी है। इस प्रकार से मैं आपसे निवेदन करूं कि इस विभाग ने जितना खर्चा आता है उसकी डबल कीमत करके काश्तकारों को बेचा है। इतना मुनाफा जो दुनिया भर में कोई भी आदमी नहीं उठा सकता है उतना कृषि विभाग ने हाईब्रीड बीज बेच कर मुनाफा कमाया।

इसके साथ साथ मैं एक और निवेदन कर दूं कि जो काश्तकार हाईब्रीड सीड प्रोड्यूसर्स हैं उनसे परचेज का जो रखा है तो उनसे वे लेते हैं 80 पर्सेन्ट और 20 पर्सेन्ट उनके निजी उपयोग के लिए रखते हैं तो मैं निवेदन करूं कि जो 20 पर्सेन्ट बीज उनके पास रह गया था वह उन मालिकों ने पंचायत

(श्री पृथ्वीसिंह)

समिति जो बीज का वितरण कर रही थी उसके बिल्कुल आधों आध भाव के अन्दर बेचा है और पंचायत समितियों में बीज का ढेर का ढेर सा लगा रह गया। इसका आपने उत्तर दिया था कि यह बात असत्य है। इसका प्रमाण यह है कि मैंने स्वयं सुमेरपुर पंचायत समिति के अंदर 4 रु० प्रति किलो के हिसाब से बाजरे का हाईब्रीड सीड जिस पर आर० एस० आई० की छाप लगी है वह परचेज किया है जो कि आपकी पंचायत समिति 8 रु० किलो के हिसाब से बेचती थी।

इसके साथ साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपका पैकेज प्लान राजस्थान में 1961 में लागू हुआ था और उसके लिए 2,14,340 रु० के कृ यन्त्र आपके एग्रीकलचर इन्जीनियर्स ने खरीदे थे और उनके वितरण की क्या व्यवस्था हुई कि आपने उनके ढेर के ढेर पंचायत समितियों के अन्दर बांट दिये और कह दिया कि इन्हें बेचो। उपाध्यक्ष महोदय, वे यन्त्र बड़े डिफेक्टिव थे और पंचायत समितियों ने लोगों को दे दिये और पंचायत समितियों ने कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे दिये, लेकिन वे यन्त्र आज भी वहां पड़े हुए हैं। अगर मैं झूठ नहीं बोलता हूं तो मैंने खुदने अपनी आंखों से देखा है कि इन यन्त्रों के बीच में वृक्ष उग गये हैं और वे इतने मोटे हो गये हैं कि उनकी परिधि डेढ़ फुट की हो गई है और वे यन्त्रों के अन्दर खड़े हैं और आपके यन्त्र बेकार पड़े हैं। न तो उन यन्त्रों का कोई मूल्य वसूल हुआ है और न वे यन्त्र किसी काम में आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ट्रेक्टरों के लिए एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन खोलने की बात कही गई है यह कहा गया है कि यह हमारे बस की बात नहीं, यह एग्रीकल्चर विभाग के बस की बात नहीं है और इसके लिए निगम बन गया है तो उसका उत्तर वह नहीं दे सकते हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि काश्तकारों का फायदा आपको सोचना पड़ेगा। काश्तकारों ने रशियन ट्रेक्टर डीलर्स के पास बुक कराये थे वे आर्डर यों ही पेंडिंग रह गये और एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन के मारफत जिन्होंने बुक कराये थे आर्डर तो उनको पहले ट्रेक्टर का वितरण हो गया। मैं निवेदन करूंगा कि एग्रो इन्डस्ट्रियल कार्पोरेशन इसकी व्यवस्था करे कि चाहे खुद बेचे लेकिन जिन्होंने डीलर्स के पास आर्डर बुक करवाये हैं उनको प्रायोरिटी दिलवायें ताकि जिन्होंने दो-दो, तीन-तीन साल से बुक करा रखे हैं उनको ट्रेक्टर मिल सकें।

मैं एक चीज का और आपसे निवेदन करूंगा कि आपका एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पोरेशन प्रत्येक ट्रेक्टर के साथ में आपके वर्कशाप में बने हुए दो इम्प्लीमेन्ट्स जबरदस्ती दे रहा है, उसको आप रोक कीजिये और उसको मत दिलवाइये, क्योंकि मार्केट के अन्दर वह सस्ते भाव से मिलता है जबकि कार्पोरेशन दुगुने भावों में बेचता है और अनाप-शनाप मुनाफा उठाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कृषि उपज मंडी समितियों के बारे में निवेदन करूंगा। आपने 150 कृषि उपज मंडियों का निगम किया है उसमें न तो आपने उनको कोई यार्ड दिया है न कोई रुपया। अभी मंडियों के अन्दर काम भी चालू नहीं किया गया कि कृषि उपज मंडी समितियों की हालत यह हो गई है कि स्टाफ को तनख्वा देने के लिये समितियों के पास में पैसा नहीं है। वे राज्य सरकार से लोन लेना चाहती हैं लेकिन राज्य सरकार

Page No 88

(श्री पृथ्वीसिंह)

लोन नहीं देती है तो स्टाफ वालों का काम कैसे चलेगा ? कई कई सेक्रेटरीज को तो दो-दो साल से वेतन नहीं मिल रहा है, तीन-तीन साल से वेतन नहीं मिल रहा है। आपको उनके वेतन की व्यवस्था करानी चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर सीलिंग लागू किया जा रहा है । यह हवा हिन्दुस्तान में फैली हुई है भूमि सुधारों के नाम पर काश्तकारों की गर्दन पर सीलिंग की तलवार लटका रखी है । उसके लिए आपको व्यवस्था करनी चाहिए । यह आपके विभाग से संबंधित नहीं है यह मैं जानता हूं । यह राजस्व विभाग का मामला है, पर आपने आपके जो एग्रीकल्चर के स्पेशियेलाइज्ड फार्म्स हैं उनके लिए उसमें छूट दे रखी है। उन पर काश्तकारों ने लाखों रुपया इन्वेस्ट कर दिया है, किसी ने ट्यूब वैल खुदवाये हैं, किसी ने मेड़ें बनवाई हैं, इस तरह से लाखों रुपया व्यय करने के बाद में उपज को बढ़ाया है तो आपको चाहिए कि राजस्व विभाग से कोआॅर्डिनेशन स्थापित करके उस छूट को बरकरार रखने की कोशिश की जाय । आपके कानून के अन्दर लिखा हुआ है कि ऐसे फार्मों को छूट दी जायगी जिनके विघटन से उत्पादन में गिरावट आयेगी । तो मैं निवेदन करूं कि वहां पर ऐसे कृषि फार्मों का विघटन होने से उत्पादन में कमी आनी है तो उनको बचाने की कोशिश की जाय । नहीं तो हमारे सामने ऐसा संकट खड़ा होगा कि समाजवाद का थोथा नारा लगा रहे हैं उससे कहीं संकट का सामना न करना पड़े ।

मैं दो शब्द पशु पालन के बारे में भी अर्ज करूंगा । पशु-पालन विभाग को भी इस तरह की छूट मिली हुई है। एग्रीकल्चर के स्पेशियेलाइज्ड फार्म्स को जिस ढंग से छूट दी गई है उसी प्रकार की पशु पालन जिसमें हॉर्स ब्रीडिंग है, केटल ब्रीडिंग है, शीप ब्रीडिंग है इनको सीलिंग के अन्तर्गत एक्जेम्शन दिया हुआ है । राज्य सरकार की घोषणा के द्वारा यदि वह एक्जेम्शन विड्रा होता है, यद्यपि स्ट्रिक्टली वह आपके विभाग का मसला नहीं है, लेकिन आप राजस्व विभाग से कोऑर्डिनेशन स्थापित करें, राज्य सरकार से स्थापित करें और इस छूट को बरकरार रखवाने की कोशिश करना चाहिये । आप कोशिश कीजिये, नहीं तो आपने जो दूध, दही, मक्खन और घी की नदियां बहाने के मनसूबे बान्धे हैं वे बेकार हो जायेंगे....

श्री भगवानदास शास्त्री : वह पंचामृत हो जायगा ।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, अगर आपने व्यवस्था नहीं की और आपने अच्छी नस्ल के पशुओं को बचाने की कोशिश नहीं की तो आपका यह स्वप्न साकार नहीं हो पायगा और मनसूबे अधूरे रह जायेंगे । और आपका पशुधन नष्ट हो जायगा । आपके विभाग की दवाइयां खाकर तो पशु जिन्दा नहीं रह सकते हैं । उनको चरने के लिए भूमि चाहिए, ग्रास फील्ड्स चाहिए । हरि घास चाहिये अगर यह एक्शन नहीं लेंगे तो सारे के सारे मर जायेंगे और अनर्थ हो जायगा ।

मैं आपको यह भी निवेदन करूंगा कि आपके गांवों के अन्दर गोचर भूमि छुड़वाने के लिये कदम उठाने चाहिए, हालांकि यह मामला आपके विभाग का नहीं है, यह भी राजस्व विभाग का मामला है । उसके लिए आपको राजस्व विभाग से कोऑर्डिनेशन करके जिन गांवों में गोचर भूमि उपलब्ध

(श्री पृथ्वीसिंह)

नहीं है वहां पर गोचर भूमि छुड़वायें। राजस्व विभाग यह व्यवस्था नहीं कर रहा है। मैं आपको उदाहरण दूं कि पाली जिले के अन्दर 22 गांवों के अन्दर गोचर भूमि नहीं है और मवेशी भूखों मर रहे हैं, फेमीन के अन्दर वे मारे मारे फिर रहे हैं, और उनकी हालत अगर आप देखें तो बड़ी अजीब हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द कोआपरेटिव के लिए भी निवेदन करूंगा। हालांकि मेरी पार्टी के लिए समय बहुत कम है, फिर भी मैं इस पर दो शब्द निवेदन करूंगा। पाली जिला, जो हमारे कोआपरेटिव सेक्टर में है, वह दूसरे सेक्टर में भी हमेशा जोधपुर के अन्दर रहा है। हमेशा से पाली जिला राजनैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से जोधपुर, मारवाड़ स्टेट के अंग के रूप में रहा है। इसको न मालूम किन कारणों से अब चेंज करके वहां जो असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार है......

श्री अमृतलाल यादव : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार नहीं, डिप्टी रजिस्ट्रार।

श्री पृथ्वीसिंह : नहीं असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार। पाली के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस का संबंध है उसको जोधपुर से ट्रान्सफर करके....

श्री बालसिंह सोढ़ा : डिप्टी रजिस्ट्रार उदयपुर के अन्दर में दे दिया है।

श्री पृथ्वीसिंह : डिप्टी रजिस्ट्रार पाली में नहीं है। असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार है, आपने उसका संबंध ट्रान्सफर किया है जोधपुर से उदयपुर के अन्दर....

श्री अमृतलाल यादव : डिप्टी रजिस्ट्रार अभी जो जोधपुर के अन्दर है उसके जुरिस्डिक्शन में यह था। अब यह उदयपुर के जुरिस्डिक्शन में आ गया है।

श्री पृथ्वीसिंह : यही कह रहा हूं कि आपने असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के जोधपुर से संबंध की जगह अब उदयपुर ट्रान्सफर कर दिया है....

श्री अमृतलाल यादव : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार तो प्रत्येक जिले में रहता है।

श्री पृथ्वीसिंह : असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार जो वहां है उसका डिप्टी रजिस्ट्रार जोधपुर से संबंध लगता था, वह अब वहां नहीं रह कर उदयपुर के डिप्टी रजिस्ट्रार से उसका संबंध रहेगा। आप सोचिये कि पाली की जो कोआपरेटिव सोसाइटी हैं और जो पाली की जनता है उसकी क्या दशा होगी। क्या उदयपुर में जाने में टाइम नहीं लगता है? कोआपरेटिव सेक्टर के लोगों को अपनी बात बताने के लिए और अपनी कोई मांग रखने के लिये अब उदयपुर जाना पड़ेगा। अभी तक पाली का सारा कारोबार संबंध हैड ऑफिस जोधपुर से होता था, मैं निवेदन करूं कि आप जोधपुर से पाली के संबंध हटा कर जो उदयपुर से संबंध जोड़ा है उस प्रस्ताव को विथड्रा करके पाली के असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को, जो डिप्टी रजिस्ट्रार जोधपुर के मातहत काम करता है, उसी स्थिति में रहने दीजिये। मुझे जानकारी मिली है और आपके इस काम के हिसाब से मुझे मालूम पड़ता है कि आपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह किया है। कुछ वहां के कांग्रेसी विधायक हैं उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार जोधपुर से असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार के संबंध ट्रान्सफर करवाने चाहे हैं, क्योंकि वह अपना काम करवाने में कामयाब नहीं हुए, क्योंकि वह डिप्टी रजिस्ट्रार एक ईमानदार आदमी

(श्री पृथ्वीसिंह)

है, वह उनके जो कारनामे हैं उनको खोलना चाहता है और उनके खिलाफ केसेज बनाना चाहता है, जिससे नाराज होकर उन्होंने आपके पास एप्रोच किया और उस पर उस असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार पाली के ऑफिस को जोधपुर से हटा कर उदयपुर में मिलाने का निर्णय लिया है। यह कतई ग़लत निर्णय है। इससे पाली जिले के अन्दर आग भड़केगी, और आपने निर्णय वापिस नहीं लिया तो संघर्ष होगा और उस संघर्ष की सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी और मिनिस्टर महोदय की होगी। आप इस बात को ध्यान में लीजिए you take a note of it and change the headquarter.

श्री मूलचन्द डागा : यह बात सही है। यह गलत निर्णय है।

श्री पृथ्वीसिंह : यह गलत निर्णय है, यह आपकी तरफ से आवाज आ रही है। इसलिए आप सावधान हो जायें और इस कदम को वापिस लें। नहीं तो आन्दोलन होगा और उस आन्दोलन की जिम्मेदारी आपकी होगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अब आप फर्माइये।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, सहकारी विभाग का जो प्रगति विवरण निकला है, जो 1969-70 का प्रगति विवरण है, मुझे अफ़सोस है, इसमें एक बात नहीं लिखी। वह यह नहीं लिखी कि यह विभाग उदयपुर की ओर बढ़ रहा है। जोधपुर के रजिस्ट्रार के ऑफिस को उदयपुर लाया जाय–यह बहुत बड़ा काम किया है। यह गलत काम है, यह गलत कदम है और नापाक कदम है–इसको वापिस लेना चाहिए। यह प्रजातन्त्र है, इसमें इस प्रकार का कदम उठा लेते हैं कि जोधपुर में ऑफिस था उसको पैंतालीस मील की जगह पर अब 145 मील दूर ले गये। 145 मील दूर किस कारण से ले गये, यह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यह निर्णय किस कारण से लिया ? क्या कलेक्टर की रिपोर्ट थी ? क्या किसी ऑफिसर की रिपोर्ट थी ? क्या रजिस्ट्रार साहब मि० बली ने रिपोर्ट दी थी ? या डिप्टी सेक्रेटरी ने रिपोर्ट दी थी ? क्या कारण था जब आप जानते हैं कि आज उदयपुर डिवीजन के नीचे कुल 58 तहसीलें हैं, और जोधपुर के नीचे पच्चीस तहसील रह जाती हैं। तो जहां 58 तहसील हैं वहां पच्चीस तहसील के ऑफिस को उधर क्यों ले जाने की कोशिश की यह मैं आपको बताना चाहता हूं। उदयपुर में 18 तहसील हैं, भीलवाड़ा में 11 तहसील हैं, चित्तौड़ में 14 तहसील हैं, डूंगरपुर में 3 तहसील हैं, बांसवाड़ा में 5 तहसील हैं और वहां पर दूसरी तरफ जोधपुर में 5 तहसील हैं, पाली में 5 तहसील हैं, बाड़मेर में 5 तहसील हैं, जैसलमेर में 6 तहसील हैं, जालोर में 6 तहसील हैं और सिरोही में 5 तहसील हैं।' आप कोई प्रशासनिक कारण बतायें..............

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : उदयपुर के एम० एल० ए० कितने हैं और जोधपुर के कितने हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, इन्ट्रप्शन करना नियम विरुद्ध है....

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : आपसे सीखा है।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, बिना मतलब खड़े हो जाते हैं, यह शोभा नहीं देता है। इसी प्रकार से यह कदम भी बिना सोचे समझे उठाया गया है—यह इनको शोभा नहीं दे रहा है।

श्री शंकरलाल : बिना सोचे समझे नहीं सोच समझ कर लिया है।

श्री मूलचन्द डागा : जो तहसील बनाई हैं उनके बीच में क्या डिस्टेन्स है, उसको ले लीजिये। क्या डिस्टेन्स है वह मैं बताता हूं। पाली का जोधपुर से पड़ता है 45 और उदयपुर से पड़ता है 161। यह बताता है कि उदयपुर का विकास हुआ है। वहां पर झील देखने के शौकीन हों वह जायं। लेकिन वहां हर एक आदमी को घुमाने का इरादा है। आप हर एक व्यक्ति को 165 मील का भत्ता देना चाहते हैं। तो जोधपुर पाली से 45 मील पड़ता है, उदयपुर पड़ता है 165 मील, रायपुर पड़ता है 88 मील, उदयपुर पड़ता है 208 मील, बलाई है 93 मील वह है 113 मील, खारची है 100 मील, उदयपुर है 99, सोजत है 100 मील, वह है 187 मील। कोई कारण बताया जावे ? कोई व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया है वह देख कर किया है। सब विधायक सके खिलाफ हैं सिवाय एक के। तो जो स्टेटमेंट निकला है वह मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। वह स्टेटमेंट था, वह स्टेटमेंट यह था..

श्री पृथ्वीसिंह : स्टेटमेंट मेरे पास है।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे दीजिये। तो समस्त विधायकों ने इसका विरोध किया है। अभी क विधायक बोले, पृथ्वीसिंह जी। एक बैठे हैं फूलचन्दजी,, यह भी पाली जिले के हैं। तो इस प्रकार का स्टेटमेंट नहीं निकालना चाहिये। अगर विधायकों के प्रभाव से ऑफिस की इकाई पलटते हैं, तो अगर किसी विधायक ने कह दिया है. सबने कह दिया है तो मैं भी उसमें शामिल हो जाऊं। लेकिन कोई इसका प्रशासनिक कारण नहीं था कि आप पाली जिले को उदयपुर में मिला दें। इसका कोई कारण नहीं है। यह गलत कदम है और नासमझी का कदम है...

श्री रामसिंह कुड़ी: यह आपकी कमजोरी है।

श्री मूलचन्द डागा : नेकनीयति, ईमानदारी और सहकारिता का तकाजा है, न्याय यह कहता है कि गलत कदम है। आपने कैसे कर दिया यह मुझे मालूम नहीं। मिनिस्टर साहब कहें कि क्या यह रजिस्ट्रार की ओपिनियन थी ? क्या कलेक्टर पाली ने लिखा ? रजिस्ट्रार ने लिखा है तो पढ़ दें। आपने बिना सोचे समझे यह गलत कदम उठाया है। आप गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं ? आप कहां जाने के लिये कह रहे हैं ? उदयपुर ? आपका यह कदम गलत है। हजारों सहकार बन्धु जो पाली जिले में रहते हैं वह इसका विरोध करते हैं। उनकी आवाज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि इस प्रश्न पर आन्दोलन करें। क्या कारण था इसका ? क्यों यह प्रश्न पैदा हुआ ? आप सोचिये, कितना काम पड़ता है डिप्टी रजिस्ट्रार से ? वह यह काम पड़ता है उपभोक्ता भंडार का उससे काम पड़ता है। खाद बिक्री करने का काम पड़ता है। भूमि बन्धक बैंक का काम पड़ता है। मार्केटिंग समितियां हैं उनका काम पड़ता है। जिला बुनकर समिति है उसका काम पड़ता है। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर कौनसा

(श्री मूलचन्द डागा)

कारण से यह किया है ? क्या सवालात पैदा हुए आपके दिमाग में जिससे अपनी सूझ बूझ में आपने यह गलत कदम उठा दिया। ख्वामख्वाह किसी विधायक ने कहा इसलिए कर दिया। कल कोई दूसरा विधायक कह देगा कि पाली कलैक्टर को हटा कर उदयपुर ले जायें तो ले जायेंगे ? आप कहते हैं कि विधायक ने कह दिया, तो क्या विधायक के कहने से इस प्रकार के निर्णय लेते हैं ? क्या विधायक के कहने से फैसले होते हैं ? यह फैसला गलत है। बिल्कुल यह डिसीजन गलत है.....

श्री रामचन्द्र आर्य : आपकी सुनवाई नहीं होगी।

श्री मूलचन्द डागा : कारण क्या है ? चुनाव में कोई जीत जाता है, कोई नहीं जीत पाता है–उससे इसका मतलब नहीं है। कोई दबाव में आकर कह दे तो क्या कर देंगे ? मैं यह बात कहना चाहता हूं, जबसे नये चैयरमैन बने, आपने क्या किया ? उसने बीस लाख 44 हजार 500 के लोन मंजूर कर दिये, लेकिन एक भी मंजूर नहीं हुआ। यह क्या तरीका रहा ? हम राजनीति में कभी कभी सरकारी कर्मचारियों को घसीटना चाहते हैं। उसका दोषारोपण कौन सहे ? मैं समझता हूं कि शोभाराम जी इस पोस्ट पर रहे हुए हैं, उन्होंने ऐसा कदम नहीं उठाया। इस पद पर कई मंत्री रहे, उन्होंने ऐसा एक भी कदम नहीं उठाया। फिर आपको ऐसा कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी ? एक एम०एल०ए० बैठे हैं पृथ्वीसिंह जी उन्होंने इसका विरोध किया है, एक यह हैं, फूलचन्द जी और एक मैं हूं।

(3 म० प०)

(श्री कृष्णकुमार गोयल, सभापति पदासीन)

एक सुरेन्द्रसिंहजी हैं, एक शंकरलालजी यहां बैठे हुए हैं, जब चार एम० एल० एज० यहां बैठे हुए हैं तो आपको उस गलत कदम को हिम्मत के साथ वापिस लेना चाहिये।

श्री शंकरलाल : कदम सही है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : घर के ही कह रहे हैं कि सही कदम है।

श्री मूलचन्द डागा : गलत काम करके सही कहते हैं तो यह और गलत है।

श्री शंकरलाल : सही है।

श्री मूलचन्द डागा : अब मैं एक दूसरी बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पाली में एक समय एग्रीकल्चर ऑफिसर, एग्जीक्युटिव इन्जीनियर, चीफ टाउन प्लानर और कलैक्टर पाली सबने मिलकर 65 एकड़ जमीन एक्वायर की। नाम लेकर कहना चाहता हूं सत्यप्रसन्नसिंह भंडारी उस समय एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे, दफा 70 के तहत एक्वायर की गई, जमीन उन्होंने दे दी, सवा लाख रुपये का उस जमीन पर वेअर हाउस बना, सवा लाख रुपये का एक पोस्ट ऑफिस उस जमीन पर खड़ा कर दिया गया। वहां की कृषि उपज भूमि को अपने नाम उठाने के लिए दूसरों ने बिना जमीन का ऑक्शन हुए आपका स्टे होते हुए भी खरीद ली। आपका स्टे हो गया, जो जमीन स्टेडियम के लिये थी, इसके लिये उपरोक्त पांचों अधिकारियों ने निर्णय लिया, चीफ टाउन प्लानर वहां पांच बार गये, कलैक्टर गये, ढाई लाख की बिल्डिंग बन गई। इतना

(श्री मूलचन्द डागा)

होते हुए भी जो जमीन उपयोगी नहीं, प्लान्ड नहीं, उस जमीन को खरीद रहे हैं। कभी कभी हम जो कदम उठा लेते हैं, जो हम प्लान बना लेते हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, इस प्रकार के गलत कदम उठा लेते हैं, इसके संबंध में मैं निवेदन करना चाहता था।

जो लोन एप्लीकेशन्स काश्तकारों ने आपको दी हैं, अगर उनमें से कोई गलत है तो मत करिये, पार्टीबाजी को छोड़ दीजिये, किसी के दबाव में मत आइये, जो सही मालूम होती हैं उनको तो स्वीकार कीजिये। जो किसान हैं, सहकारिता आन्दोलन में विश्वास करते हैं, नये आदमी भी सहकारिता आन्दोलन में आते हैं, उनके कदम को रोकिये नहीं, वे लोग सहकारिता में आपका कोऑपरेशन चाहते हैं तो आप उन लोगों को कोऑपरेशन दीजिये।

इन्हीं दो बातों का ध्यान मैं अपने कट-मोशन्स से दिलाता हूं।

श्री सभापति : श्री जुझार सिंह।

श्री जुझारसिंह (रामगंज मंडी) : सभापति महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव कृषि विभाग, सहकारिता और पशुपालन न तीनों पर ही हैं लेकिन मैं मुख्यतः कृषि विभाग पर ही अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, कृषि की उन्नति के लिये सबसे प्रमुख चीजें हैं भूमि, पानी, इन्पुट्स और ऑर्गेनाइजेशन। ये चार चीजें कृषि के लिये आवश्यक हैं। कृषि विभाग की राजस्थान बनने के बाद में सिस्टेमेटिक रूप में तरक्की हुई है। रियासतों के टाइम में कृषि विभाग अलग विभाग के रूप में नहीं चलता था। राजस्थान के बनने के बाद में कृषि विभाग अलग रूप में आया और मुझे खुशी है कि आज कृषि विभाग एक मेजर विभाग के रूप में माना जाने लगा है, इसका बजट भी 6 करोड़ तीन हजार का है और इससे 1 करोड़ 57 लाख की आमदनी होने लगी है।

हमको मुख्य रूप से आज यह देखने की आवश्यकता है कि कृषि विभाग जो इससे उम्मीदें की जाती हैं उनकी पूर्ति करता है या उनमें कमी है। मैं मेरे कुछ सुझावों की तरफ कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा और आशा करूंगा कि आप उन पर गौर फरमा कर जो आवश्यक समझें वह कदम उठायेंगे।

कृषि विभाग में सबसे प्रमुख बात प्रोडक्शन बढ़ाने के लिये है। इसके लिए पानी की जरूरत होती है। हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसमें कृषि के लिये सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं। हमारे कोटा डिस्ट्रिक्ट में मेजर इरिगेशन भी है, मीडियम इरिगेशन भी है, माइनर इरिगेशन भी है, लिफ्ट इरिगेशन भी है, इन्टेन्सिव कल्टिवेशन भी है, अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की स्कीम भी है। वहां भूमि भी है, भूमि की समस्याएं भी हैं, रिसाव की, हरीजन की समस्याएं हैं, मतलब कि जो कृषि के करने के लिये जितनी चीजों की आवश्यकता है, वह सब चीजें हमारे जिले में मिलती हैं। उनके बारे में कृषि विभाग क्या कर रहा है और उसमें क्या क्या खामियां हैं इसकी ओर मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कृषि विभाग की स्थापना 51-52 या उससे पहले हुई। राजस्थान में खाद्य की सबसे बड़ी समस्या थी। 51-52 में राजस्थान

(श्री जुझारसिंह)

खाद्यान्नों के मामले में डेफिसिट में चलता था। आम दिनों में इसकी डेफिसियेन्सी 50 हजार टन से एक लाख टन तक हुआ करती थी। इसलिये इन पहली योजनाओं में भी मुझे देखने में आया कि कृषि विभाग की नीति इरिगेशन के साधन बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा जमीन को अन्डर कल्टिवेशन लेने की थी। उसका एक मकसद यह था कि ज्यादा से ज्यादा जमीन को अन्डर कल्टिवेशन लाकर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाय और जो राजस्थान में डेफिसियेन्सी फूड प्रोडक्शन की है, उसको कम किया जाय। हमारी फर्स्ट फाइव ईयर प्लान इसी मकसद को लेकर चली, सकिन्ड फाइव ईयर प्लान में भी इसी मकसद को ले कर चला गया और इस प्रोग्राम में तेजी लाने के लिये पावर के प्रोगाम को हाथ में लिया गया और कृषि विभाग इस नतीजे पर पहुंचा कि सलेक्टेड एरियाज में, कम्पेक्टेड एरियाज में सघन कृषि का कार्यक्रम को लेकर चलना चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो पैटर्न आफ एग्रीकल्चर आपने एडोप्ट किया है, जिसको राजस्थान के सब जिलों में बढ़ाना चाहते हैं वह सघन कृषि कार्यक्रम है। मुझे एक रिपोर्ट पढ़ने को मिली है, उसके कुछ अंश मैं यहां पर पढ़ कर सुनाना चाहूंगा, वह है :

Report of Working Group on the formation of the Fourth Plan, Land & Water Development Department, Ministry of Food and Agriculture, Government of India.

इसकी 1968 की रिपोर्ट है, उनके सर्टेन ओब्जेक्शन्स हैं, उनसे मैं सहमत हूं क्योंकि वे कृषि के एक्सपर्ट्स के ओब्जर्वेशन्स हैं, कृषि मंत्रीजी भी उनसे सहमत होंगे। एक बहुत इम्पोर्टेन्ट उनका ओब्जर्वेशन यह है:

"Extensive irrigation facility resulted in production of one-fourth of additional ton compared to non-irrigation area."

एक्स्टेन्सिव इरिगेशन फैसेलिटीज हैं उनसे नॉन इरिगेटेड कल्टिवेशन के मुकाबले में सिर्फ 1/4 टन एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा है। उसके कहने का मतलब यह है कि नॉन-इरिगेटेड के मुकाबले में एक्स्टेन्सिव इरिगेशन फैसेलिटीज से ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होता है। इसलिये इन्टेन्सिव इरिगेशन फैसेलिटीज के पैटर्न को बढ़ावा दिया जाय। इसके लिये आवश्यक चीजों की तरफ मैं कृषि मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहूंगा और कृषि मंत्रीजी को उन चीजों की तरफ ध्यान देना चाहिये। कृषि मंत्रीजी की कान्स्टीट्युएन्सी में इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम चल रहा है। मेरे यहां पर भी इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर का प्रोग्राम है।

मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूं और आज फिर रिपीट करना चाहता हूं कि जब एग्रीकल्चर प्रोग्राम, पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर प्रोग्राम सघन कृषि की तरफ चला गया है तो इसके लिये आवश्यक चीजों की तरफ विभाग क्यों नहीं ध्यान देता। सघन खेती के कामयाब करने के लिये मैंने सबसे पहले जैसे निवेदन किया, जमीन पानी, इन्पुट्स और ऑर्गनाइजेशन, चार चीजें जरूरी होती हैं। जमीन वहां पर है, जमीन में कटाव है, कोटा क्षेत्र में आप, सभापतिजी जानते हैं कि कोटा क्षेत्र राजस्थान में सबसे ज्यादा एरोडेड क्षेत्रों में से है, जो फारेस्ट इन्क्वायरी कमेटी श्री बुलियान की

(श्री कुम्भारसिंह)

रविन सर्वे कमेटी बैठी थी । उन्होंने सर्वे किया है । उनके अनुसार राजस्थान में करीब 8 लाख एकड़ सोइलएरोजन है । उसमें से 6 लाख से ज्यादा एकड़ेज कोटा जिले में आती है । यह अपने आप में सोचने की समस्या है कि जिस जिले में इतना हेवी एरोजन हो उस जिले में राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये । मेरे क्षेत्र में भी जहां पर चम्बल के बाद सबसे ज्यादा एरोजन 1:23 लाख एकड़ बताते हैं, सांगोद में परवन नदी पर बताया है । इसके साथ साथ वहां पानी का साधन भी है लेकिन पानी सस्ता कैसे मिले, इसकी व्यवस्था कृषि विभाग को करनी चाहिये ।

एक निवेदन कृषि मंत्री से करना चाहता हूं कि अभी जो पानी के रेट्स हैं लिफ्ट के, वह 152) से 180) तक हैं । अगर आपकी कृषि में इस तरह के हेवी रेट्स चार्ज किये जायेंगे तो जो प्रॉडक्शन प्रोग्राम है वह सफल नहीं होगा । जैसे मैंने फूड एण्ड एग्रीकल्चरल विभाग की रिपोर्ट के बारे में निवेदन किया था, उन्होंने आबजर्व किया है कि एक्सटेन्सिव इरिगेशन से सिर्फ ½ प्रॉडक्शन ज्यादा होता है प्रति टन के हिसाब से तो आगे इन्टेन्सिव इरिगेशन के जहां आपने प्रोग्राम्स लिए हैं, वहां बिजली की व्यवस्था नहीं की है, सस्ते पानी की व्यवस्था नहीं की है । वहां पर आपने पैटर्न ऑफ़ ऑर्गनाइजेशन को भी आपने चेंज नहीं किया । वही विलेज लेविल वर्कस है, वही एक्सटेन्शन एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स हैं, वही इन्पुट्स हैं । इसलिए अगर आपका एग्रीकल्चरल पैटर्न जो आप नया अपनाना चाहते हैं उसके साथ साथ आपके एडमिनिस्ट्रेटिव और दूसरे साधनों का समावेश नहीं किया जाता तो आपका पैटर्न सफल नहीं होता ।

मैं आपकी जानकारी के लिए निवेदन करूं कि जहां तक विलेज लेविल वर्कर का सवाल है, इन्टेन्सिव एग्रीकल्चर के लिए आपने हिन्दुस्तान में करीब करीब 500-600 परिवारों पर एक वी० एल० डब्ल्यू० काम करता है और उसके साथ साथ और बहुत से ऐसे एक्स्ट्रा काम करने पड़ते हैं, कभी डेटाज इकट्ठे करने पड़ते हैं, कभी जनगणना के काम, कभी दूसरे काम उनको करने पड़ते हैं । इस तरह जो उसको ज्यादा ध्यान कृषि उत्पादन के संबंध में देना चाहिए, उसमें वह अपना पूरा समय डिवोट नहीं करता है और उनको 500-600 परिवारों को केटर करना होता है । उसके मुकाबले में जापान में 175 के पीछे एक वी० एल० डब्ल्यू० काम करता है, ग्रीस में 200 और इजराइल में जहां कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, सघन खेती को जहां सफल बनाया है, वहां पर एक वी० एल० डब्ल्यू० जो यहां से ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट और ज्यादा इक्वीप्ड होता है, वह 50 परिवारों पर एक होता है । इसका अर्थ हमारे यहां 10 गुना ज्यादा परिवारों को एक वी० एल० डब्ल्यू० केटर करता है, वह टेक्नीकली ट्रेन्ड नहीं होता है, दूसरे काम और उसको दिए होते हैं । इसलिए आपको कृषि को बढ़ावा देना चाहिए । और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपका जो आर्गनाइजेशन हो, वह ट्रेन्ड हो और उसके पास एग्रीकल्चर को फोलो करने का पैटर्न हो ।

मैंने बजट के समय भी निवेदन किया था परन्तु कृषि मंत्री महोदय ने मुझे बजट के जवाब के समय वित्त मंत्री द्वारा जब

(श्री जुझारसिंह)

नहीं मिला है इसलिए आप इस सवाल पर विचार करें और आपके विभाग की तरफ से कोई राय कायम करें। मैंने निवेदन किया था कि खेती के सफल संचालन के लिए यह आवश्यक है कि खेती का छोटे से छोटा कोई यूनिट कायम किया जाय और उसी तरह से सीलिंग के लिये कोई यूनिट हो। आज कल हमारा पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर दो टाइप्स का है एक पेयर ऑफ बुलक्स जिसके माध्यम से छोटे से छोटा काश्तकार खेती कर सकता है। एक बैल की जोड़ी से कम एरिया वाली खेती सफल नहीं हो सकती, इसलिए सीमा कायम करें। एक बैल की जोड़ी और एक कृषक परिवार के पास कितनी जमीन कम से कम होनी चाहिये, उसका अलग अलग जिलों में साइज कायम किया जावे। उसी तरह से आज के आधुनिक युग में जो मशीन युग है और मशीनों से खेती होने लगी है, ट्रैक्टर के लिये जमीन की क्या साइज हो, एक आदमी के पास कितनी जमीन ट्रैक्टर पर आवश्यक होती है इस चीज की भी आवश्यकता है। जब तक माडर्न वे ऑफ एग्रीकल्चर नहीं अपनाते और पुराने परम्परागत कृषि के लिए कोई सीमा नहीं बांधते हैं तब तक आपको व्यवहारीक रकबे का कोई अन्दाज नहीं होगा। कोई दो तीन बीघा जमीन, एक बीघा जमीन, इस तरह के रेग्यूलराइजेशन और एलाटमेंट्स होते रहेंगे जिसके कारण छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन बंट कर, कृषि का विकास नहीं होगा। इस प्रश्न पर मैं आशा करता हूं कि अलग अलग जिलों में यदि कृषि की भलाई चाहते हैं तो इस बात के लिए कोशिश करें यह कि यूनिट कौनसा हो।

इसके साथ साथ कृषि मंत्री से यह भी निवेदन करता हूं कि कास्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत आवश्यक चीज है। कोटा जिले के अनुभव से मैं कह सकता हूं कि और दूसरे इलाकों कृषकों से भी मेरी बात हुई उस आधार पर कह सकता हूं कोटा में बीड्स की समस्या है, हेवी सोइल्स हैं, पानी के बाद "वाह" है आने में देरी लगती है, उसको देखते हुए कोटा में जोडेजरटेड एरियाज हैं, उसके मुकाबले में करीब 4 गुना ज्यादा कास्ट ऑफ प्रॉडक्शन होता है। इसलिये हर जिले में उसकी सोइल, क्लाइमैटिक कन्डीशन्स और दूसरी बातों को ध्यान में रखते हुए वहां पर बीड्स कितने पैदा होते हैं, पानी का क्या हाल है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए हरेक जिले के लिए "कॉस्ट ऑफ प्रॉडक्शन" पर कॉस्ट वर्क आउट करना चाहिये।

उम्मेदगंज का जो फार्म है, वह बड़ा एक्सपेरीमेंटल फार्म है, उसके आंकड़े मैं देता हूं। वह फार्म 600 एकड़ का फार्म है। 1968-69 में जो खर्चा आया है वह है 2,15,653), एस्टेब्लिशमेंट में 29 कर्मचारी हैं, 6 ट्रैक्टर्स हैं, हल चालक 9 और भी दूसरे लोग हैं और इनकी आमदनी उन्होंने करीब 4 लाख रुपए की बताई है लेकिन यह आमदनी जो बड़ी इन्फलेटेड आमदनी है, क्योंकि सीड मल्टीप्लीकेशन फार्म है और इस पर जो उत्पादन होता है उसको मार्केट प्राइज से 4-5 गुना ज्यादा रुपया दिया जाता है। इस फार्म पर प्रति एकड़ जो खर्च आता है वह 395 रुपए और कुछ पैसा है। इसलिए कृषि मंत्री से निवेदन है कि इस सिलसिले में अलग अलग जिलों की सूची तैयार करायें कि हर जिले में कास्ट ऑफ प्रॉडक्सन कितना होता है और उस हिसाब से कृषि की नीति निर्धारित करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उससे अव्यवहारिक नीति एग्रीकल्चर की बनेगी और उससे काश्तकारों का नुकसान हो सकता है।

(श्री जुझारसिंह)

अभी आंकड़े जो मैंने दिए हैं चौथी योजना के उनके हिसाब से जो कृषि विभाग ने बताया है कि चौथी योजना के बाद राजस्थान में करीब 85 लाख टन उत्पादन होने लगेगा और उस उत्पादन में करीब 32:60 लाख में हाई ईल्डिंग वेराइटीज खरीफ क्राप्स में और 12:40 लाख रबी में होगी इस तरह से टोटल एकड़ेज 45 लाख में सघन खेती का कार्यक्रम करके 85 लाख टन उत्पादन चौथी योजना में आवेगा।

राजस्थान का जो टोटल एरिया अंडर कल्टीवेशन है, उसका यह परसेंटेज चौथी योजना के बाद में भी 2-3 प्रतिशत के करीब पहुंचता है इसलिए कृषि को किसी तरह से सफल बनाने के लिये अल्टीमेटली यह प्रोग्राम भी बाकी नहीं बनता। इस प्रोग्राम के तहत अभी राजस्थान में कहा जाता है कि हरित क्रांति आ गई है, और कई बातें इस बारे में कही जाती हैं।

मैं मानता हूं कि मेरे यह कहने के बावजूद भी कि हरित क्रान्ति का नारा बहुत जल्दी लगा है आप नहीं मंजूर करेंगे परन्तु जिस एरिया पर हमारे इरिगेशन के सोर्सेज़ हैं वह 52 लाख एकड़ पर डेवलप हो पाये हैं और उनमें से भी जहां एक्स्टेन्सिव एग्रीकल्चर का सवाल है वहां "वन फोर्थ" पर ही एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होने लगा है। यह मैं नहीं कह रहा हूं यह तो आपकी खुद की रिपोर्ट है। सघन खेती इसका एल्टरनेटिव था और जब तक सघन खेती की तरफ आप नहीं जाते हैं तब तक हरित क्रान्ति का नारा थोथा नारा है। 7 लाख एकड़ रकबा रबी में हाई ग्रील्डिग वेराइटी प्रोग्राम में है और 7 लाख 2 हजार का खरीफ का प्रोग्राम है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बाद बढ़ कर वह 45 लाख होगा–दोनों क्रोप को मिला कर। यह टोटल एरिया का 2/3 परसेन्ट होता है। यदि इसी इन्टेन्सिव प्रोग्राम पर कहने लगे हैं कि हरित क्रान्ति होने लगी है तो अभी वह बहुत दूर है। ड्राई एरियाज हैं उनमें भी हाई यील्डिग वेराइटी या ऐसे बीज निकाल कर पर एकड़ यील्ड बढ़ा सकें तो उस ओर आपको ध्यान देना चाहिये। उन्हीं के आंकड़ों के अनुसार मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 400 लाख एकड़ से ज्यादा एरिया अन्डर प्लाऊ है उसमें से 52 लाख में सिंचाई होने लगी है। चौथी पंचवर्षीय योजना में 52 लाख से 62 लाख हो जावेगी और इसमें से 45 लाख चौथी योजना के बाद हाई यिल्डिग में होगा वह भी दोनों क्रॉप को मिलाकर। उस ओब्जर्वेशन में यह भी बताया गया है कि 12 से 15 परसेन्ट एरिया है डबल क्रॉप में सिंचित होने लगा है। सारा एरिया डबल क्रॉपिंग में नहीं आता है। मेजर इरिगेशन स्कीम हैं, इरिगेटेड एरिया है वह स्टेबिलाइज नहीं हो पाये हैं चम्बल के भी नहीं हो पाये हैं। उसको फुल इरिगेटेड एरिया मान कर एवरेज और सीलिंग और दूसरी बातें करते हैं वह सब आपके ओजर्वेशन के अनुसार ही अनडू हो गई हैं। वह एरिया स्टेबिलाइज नहीं हुआ है। उसको वन क्रॉप एरिया ही मान कर चलना चाहिये और उसी अनुसार प्रोग्राम बढ़ाना चाहिये।

उसी तरह से, सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं वह भी खेती के सम्बन्ध में और खास तौर से कोटा का इलाका है जिसमें सबसे ज्यादा

(श्री जुझारसिंह)

नुकसान होता है । हमारे क्षेत्र में, गांवों में पांच-सात साल में बकरियों और भेड़ों की तादाद जरूरत से ज्यादा बढ़ गयी है । उनकी वजह से आलरेडी इरोडेड एरियाज हैं उनमें इरोजन ज्यादा हो गया है । खेती का डिपार्टमेन्ट कुछ नहीं कर सकता जब तक इस डिपार्टमेन्ट का दूसरे डिपार्टमेन्ट से कोऑर्डिनेशन न हो । आपके डिपार्टमेन्ट की पॉलिसी रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट, फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट से को ऑर्डिनेटेड होनी चाहिए । दूसरी वेरियस बातों के लिये आपकी स्कीम्स नहीं हैं । आपने बीहड़ के अलॉटमेन्ट के लिये नीति बनायी । तीन साल पहले राजस्थान सरकार ने अनाउन्समेंट किया कि रिवीन एरियाज को कल्टीवेशन के लिये रिलीज किया जावेगा । विधान सभा में एक प्रश्न भी पूछा गया कि रिवीन एरियाज को कल्टीवेट करने की पॉलिसी के निर्धारण के पहले क्या राजस्थान सरकार ने उस एरिया का सर्वे करा लिया गया और क्या 100 और 50 एकड़ में क्षेत्र उपलब्ध हो सकेंगे तो जवाब मिला कि सर्वे नहीं हो सका है । मैंने यह भी प्रश्न किया था कि रिवीन कल्टीवेशन पॉलिसी के कारण दुष्परिणाम होंगे और इरोजन ज्यादा बढ़ेगा और क्या इस सम्बन्ध में एक्सपर्ट की राय ले ली गयी है तो जवाब मिला कि किसी एक्सपर्ट से राय नहीं ली गयी । इतनी बड़ी समस्या के बारे में एक्सपर्ट की राय न ली हो और राजस्व विभाग के पास आंकड़े न हों कि सौ और पचास एकड़ के टुकड़ों में एरिया उपलब्ध होगा या नहीं-उसकी जानकारी न हो और फिर केबिनेट का डिसिजन हो और लोग-बागों को प्रोत्साहन दिया जाय और इरोडेड एरियाज में वे लोग खेती करने लगें तो खेती की पैदावार नहीं बढ़ने वाली है है और इससे कृषि विकास का कार्यक्रम नहीं बढ़ेगा ।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़े में ही निवेदन करना चाहता हूं । कृषि विभाग की उन्नति के लिये कृषि मंत्री यह भी देखें कि कोटा क्षेत्र में जो मार्जिनल लैंड्स हैं उन पर दिन ब दिन इन पिछले सालों से ट्रेसपासिंग हुआ है और राजस्व विभाग की नीति है वह फाल्टी है । सन् 1961 में यह कहा कि जितने एरियाज में ट्रेसपासिंग हुआ है उन सब एरियाज को रेगुलेराइज कर दिया जावेगा । सन् 1962 में भी यही हुआ । और यह क्रम रेगुलेराइज करने का सन् 1962 से लेकर दिसम्बर, 1966 तक पहुंच गया । लोग यह समझते हैं कि सन् 1961 का चला 1966 तक पहुंचा है तो आगे भी पहुंचेगा । इसलिये मार्जिनल एरियाज पर ट्रेसपासिंग होता जा रहा है और उस क्षेत्र का इरोजन बढ़ता जा रहा है । इसलिये आपके कृषि के प्रोग्राम को सक्सेसफुल चलाने के लिये आपको प्रोग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं है बल्कि आपको दूसरे डिपार्टमेन्ट्स से कोऑर्डिनेशन करने की आवश्यकता है । और प्रॉबलेम हों तो उनको उनसे मिल कर सुलझाना चाहिये ।

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट के लिये ।

सभापति महोदय, सांगोद तहसील में पचास गांव रेवेन्यू से फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट में ट्रान्सफर किये गये थे । उनमें जरूरत से ज्यादा इरोजन है और उन गांवों को ट्रान्सफर कर देने के बाद, मार्जिनल अलॉटमेन्ट को बन्द

(श्री जुझारसिंह)

करके इरोडेड एरियाज में अफोरेस्टेशन करके इरोजन को रोका जाने का प्रोग्राम था। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सन् 1965 में यह डिसिजन लिया गया, पचास गांवों में ट्रेस्पासिंग की वजह से 25 बीघे के प्लाट्स उपलब्ध नहीं हैं और फोरेस्ट डिपार्टमेन्ट को भी मजबूर होकर कहना पड़ा कि अफोरेस्टेशन पचास गांवों में इसलिये नहीं किया जा सकता कि कन्टीगुअस एरिया उपलब्ध नहीं है। यह सीरीयस प्रॉबलेम है। एरिया को प्राथमिकता न देकर प्रोबलेम को प्राथमिकता देनी चाहिये और आपकी योजना के माफिक 25 और 50 एकड़ के एरिया उपलब्ध नहीं हैं, प्रॉबलेम सीरियस है उसको उसी तरह से ट्रीट करके सॉइल कन्जर्वेशन का काम करें। सॉइल इरोजन के बारे में मेरा कट मोशन था। लोन और सब्सिडी ....

श्री सभापति : आपके दल का समय समाप्त हो चुका है।

श्री रामसिंह कुशी : बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और खास तौर से कोटा डिविजन का है इसलिये इनको समय दिया जाय।

श्री जुझारसिंह : एक दो मिनिट में ही समाप्त कर रहा हूं।

पैटर्न लिविंग सब्सिडी सॉइल कन्जर्वेशन डिपार्टमेन्ट के लिये रखी गयी है। उसमें 25 पर्सेन्ट सब्सिडी दी जाती थी और 75 पर्सेन्ट लोन दिया जाता था और काश्तकार को अपने पास से कुछ नहीं देना पड़ता था। इससे कोटा तहसील में सॉइल कन्जर्वेशन का काम ठीक चल रहा था। अब काश्तकार को सर्टेन पर्वेज देना पड़ता है इससे प्रोग्राम में बाधा पहुंचेगी। इसलिये कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि पूर्व पेटर्न को मंजूर करें।

एक बात और निवेदन करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। सभापति महोदय, वह मैं पशुपालन विभाग के सम्बन्ध में कहूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में ही। एक दो मिनिट में ही कह दीजिये।

श्री जुझारसिंह : जैसा कि, सभापति महोदय, आपको मालूम ही है चम्बल क्षेत्र में अब पहले की तरह चराई का क्षेत्र नहीं है। वह चराई का क्षेत्र समाप्त हो गया है। अब वहां पर बीड़ नहीं है किसी तरह के चरागाह नहीं हैं। इसलिये चम्बल जैसे क्षेत्र में और चम्बल की तरह जहां भी ईरिगेटेड लैंड है वहां किसी को मवेशी रखना है तो वह घर पर रखे। खेत में पैदा करके उनकी चराई करावे। इसलिये इन क्षेत्रों में जानवरों के विकास के लिये, पशुधन के विकास के लिये यह आवश्यक हो गया है कि जमीन छोड़ी जाये। अगर नहीं छोड़ी जायेगी तो उस क्षेत्र में आदमी जानवर नहीं रख सकेंगे। यह पशुधन की उन्नति और विकास के लिये आवश्यक हो गया है। जहां पर चरनोट नहीं है, पशुधन की चराई के लिये पूरी सुविधा नहीं है उस क्षेत्र के लिये सरकार को यह व्यवस्था करनी चाहिये ताकि इन्डीविजुअल कल्टीवेटर को पशुओं को पालने के लिये प्रोत्साहन मिले।

दूसरा निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि वहां पर मालवी ब्रीड का पशु मिलता है। इसलिये अच्छी किस्म का पशु, अधिक मिल्क देने वाला पशु हरियाणा ब्रीड का उस एरिया में राज्य सरकार द्वारा

(श्री जुझारसिंह)

रिकमण्ड किया जाना चाहिये ताकि लोगों को बैल के साथ दूध का भी फायदा मिले। यह पैटर्न कोटा के सिंचाई क्षेत्र में किया जाना चाहिये ।

चूंकि समय काफी कम है और, सभापति महोदय, दो-तीन बार घंटी बजा चुके हैं इसलिए इतना ही निवेदन कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं ।

श्री सभापति : श्री रामनारायण ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभापति महोदय, कृषि के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । कृषि के मामले में झुंझुनू जिले में कोई नया काम नहीं हुआ है । अधिकांशतः झुंझुनू जिला एक फसली इलाका है और कृषि विभाग की ओर से आज तक कोई कार्यक्रम लागू नहीं हुआ है। मुझे जानकारी मिली है कि नागोर, जोधपुर, चूरू वगैरह सभी जगह कृषि विभाग ने योजनाएं तैयार करवाई हैं जब कि झुंझुनू जिले में आज तक कोई योजना तैयार नहीं करवाई गई। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग इस बात का अन्वेषण करे कि इस एक फसली इलाके में जो डेजर्ट है, सेमी-डेजर्ट है वहां पर कम पानी से, जहां वर्षा का अभाव रहता है वहां कम पानी में बाजरा, मोठ, ज्वार आदि का उत्पादन अच्छा हो । ये जो चीजें हैं, इनकी जो पैदावार वहां होती है उसका ऐसा बीज तैयार किया जाये जिसके अन्दर कम पानी की जरूरत हो। इसके लिये, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि रेगिस्तानी इलाके में कुछ ऐसे पेड़ और पौधें हैं जो कि गर्मियों के दिनों में जब बरसात नहीं होती है फलते-फूलते हैं । इसलिये उनका जो बीज है उसका अन्वेषण कृषि विभाग करे कि वह बिना पानी के किस तरह डेजर्ट में फलता-फूलता है । उदाहरण के तौर पर फोग का पेड़ है। यह एक ऐसा पेड़ है जो सर्दी निकल जाती है और गर्मी आने पर फलता-फूलता है जब कि उस इलाके में कहीं भी कोई पानी नहीं है । 100 हाथ नीचे तक पानी का पता नहीं है । फिर वह कहां से हरा-भरा हो जाता है ? वह किस प्रकार से पानी को रिजर्व करता है ? इस आधार पर इन्वेस्टीगेशन करना चाहिये और इस आधार पर बाजरा, मोठ की फसल के लिये बीज तैयार किया जाना चाहिये ।

दूसरा पेड़ कैर है । हमारे इलाके में यह पेड़ भी गर्मियों के दिनों में फल देता है। और बराबर अपने टाइम के अन्दर फल देता है । इसी तरह जाल, पींद का पेड़ है जिसकी भी यही हालत है । इसलिये, सभापति महोदय, मैं कृषि मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इसका अनुसंधान करायें कि इन पेड़ों के बीजों का कि यह गर्मियों के दिनों में कैसे फलता है ? और उसके आधार पर हमें फसलों का बीज तैयार करना चाहिये ।

दूसरा, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पशुपालन के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । झुंझुनू जिला पशुपालन के क्षेत्र में काफी उन्नत है । पशुओं की संख्या अच्छी है और पशुओं की बड़ी कीमत है । आपकी और हरियाणा-दोनों की मिक्स्ड ब्रीड है । हमारे यहां बहुत अच्छी किस्म की गायें हैं जो अच्छा दूध देती हैं। अच्छे किस्म के बुल्स हैं । हमारे यहां बढ़िया किस्म के ऊंट हैं । उनके प्रोटेक्शन के लिये, उनको प्रिजर्व करने और आगे तरक्की के लिये पशुपालन विभाग की तरफ से योजना

(श्री रामनारायण चौधरी)

ना के बराबर है। सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि पशु-पालन विभाग ने वस्सी के अन्दर एक फार्म चला रखा है। जब कि आप वहां देखेंगे कि वहां जो गायें हैं वे अच्छी किस्म की नहीं है, मरी मरी सी हैं जब कि हमारे यहां बैल-ऊंट अच्छी नस्ल के हैं। ऐसे मवेशियों को हमारे यहां सीकर, झुंझुनू में सप्लाई करते हैं। तब वस्सी जैसे क्षेत्र में फार्म रखने की क्या आवश्यकता है? इस पर खर्चा फिजूल में किया जा रहा है। इसलिये इन फार्मों को ऐसी जगह पर रखिये जहां अच्छे किस्म के पशु हैं, जिनकी अच्छी कीमत है और जो पशु दुधारू हैं। इसलिये आपके माध्यम से मेरा मंत्री महोदय को निवेदन है कि आप स्वयं इसको देखें और इसको देख कर एडमिनिस्ट्रेटिव या दूसरे तरीके से जो भी ठीक हो निर्णय करें। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र के अन्दर बिसाऊ एक अच्छा कस्बा है। वहां से 40 मील की दूरी तक कोई पशुपालन का चिकित्सालय नहीं है जब कि अलसीसर में पशु चिकित्सालय है। दूसरी पंचायत समिति में बिसाऊ आता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि अबकी बार बिसाऊ में भी पशुपालन का चिकित्सालय खोला जाये।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर अच्छी किस्म, अच्छी ब्रीड सरकार को सप्लाई करनी चाहिये। बुल की पर्चेजिंग में पंचायत समितियों को एक तरह से कैद दे रखी है। इसके लिये 4-5 व्यक्तियों की एक कमेटी बना रखी है उनमें एक डायरेक्टर, एनीमल हस्बैण्डरी होते हैं। जब तक वे न हों कोई पर्चेजिंग नहीं की जा सकती है। और बुल गांवों के अन्दर नहीं पहुंच पाते हैं। जब कि गांव वाले बढ़िया किस्म का बुल खरीद लाते हैं और इस प्रकार उनको सब्सिडी नहीं मिल पाती है। इसलिये सांडों की खरीद के लिये जो नियम हैं, उनमें आप सरलीकरण कीजिये। सरलीकरण से मेरा मतलब यह नहीं है कि सरलीकरण के नाम पर उसका दुरुपयोग किया जाये। सरलीकरण से मेरा मतलब उसके सदुपयोग से है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये। हमारे पशुपालन मंत्री स्वयं काश्तकार हैं। वे पशुपालन की दिक्कतों को समझते हैं। और किस तरह गांवों के अन्दर सांड की दिक्कत होती है क्योंकि वे स्वयं देहाती क्षेत्र से आये हैं, वे इसको जानते हैं। किसानों को कितनी परेशानी होती है। इसलिये आप इसका सरलीकरण करें और इन टाइम बुल्स को सप्लाई करने की महरबानी करें।

यह भी निवेदन मेरा है कि गांवों के अन्दर पशुओं के चिकित्सालयों की बहुत ही कम व्यवस्था है। जब भेड़ों के अन्दर बीमारी फैल जाती है तो झुंड की झुंड भेड़ें मर जाती हैं। इसी प्रकार से गायें, भैंस, ऊंटों में बीमारी फैलती है तो उसकी व्यवस्था टाइम पर नहीं होती और काश्तकार बरबाद हो जाते हैं। मंत्री महोदय को इस तरफ ध्यान देना चाहिये।

इसके अलावा कृषि मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि के उत्पादन में आप झुंझनू जिले की तरफ विशेष तौर से ध्यान दें। हमारे हां इर्रिगेशन नहीं है उसमें किसी प्रकार भी काश्तकार कुंए से सिंचाई नहीं कर सकते। वहां कुओं के बनाने के अलावा और कोई साधन नहीं है जिससे

Page No 102

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि वे सिंचाई कर सके । इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां के काश्तकारों को अधिक से अधिक कुए खुदवाने के लिए तकावी दी जानी चाहिए । शिड्यूल्ड कास्ट्स के जो किसान हैं उनको कृषि विभाग की तरफ से अनुदान के रूप में सहायता दी जानी चाहिए । यह कार्य समाज कल्याण विभाग पर न छोड़ें । कृषि के मामले में आपको सहायता करनी चाहिए । शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी के तौर पर राशि दी जानी चाहिए ।

झुन्झुनू जिले में बिजली प्राप्त करने के लिये काफी तकलीफ है । वहां के काश्तकार 3,500 रुपया इकट्ठा करके कनेक्शन के लिये दिये हैं फिर भी सरकार ने रेमुनरेटिव स्कीम के अनुसार उनको बिजली नहीं दी है । वहां का काश्तकार जागरूक है फिर भी उसको समय पर बिजली प्राप्त नहीं होती है । लाईन आ गई है लेकिन वह रेमुनरेटिव नहीं होने से उन लोगों को वहां बिजली नहीं देते हैं । कृषि मंत्रीजी यह कह सकते हैं कि उनका बिजली से ताल्लुक नहीं है फिर भी मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप कृषि विभाग से बिजली विभाग को सब्सेडाइज करें इसके अलावा दूसरी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती । एग्रीकल्चर विभाग ऐसी जगहों के लिये, जहां रेमुनरेटिव नहीं हैं बिजली देना, विद्युत बोर्ड को अनुदान दे ।

सभापति महोदय, अब मैं सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । सहकारिता आन्दोलन ऐसा आन्दोलन है जिस समय इसको हमारे देश में चलाया था उस समय इसके प्रति जनता का बहुत उत्साह था, उमंगें थीं, आज वह सब उत्साह-उमंग बिल्कुल ठंडा पड़ गया है । जितना उस समय उमंग और उत्साह था आज उतना ही इस आन्दोलन के प्रति क्षोभ और नफरत है । लोगों की इस आन्दोलन के प्रति उदासीनता बढ़ती जा रही है । ऐसे पवित्र आन्दोलन के बारे में जो एक समय उत्साह था आज क्षोभ क्यों व्याप्त है ? इस बारे में कभी सहकारिता मंत्री जी ने सोचा है ? मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में मनन करें और साथ ही मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप निर्भय होकर इस बारे में महत्वपूर्ण कदम उठायें और मजबूती के साथ उठायें । पहला कदम आपका यह होना चाहिये कि जितनी भी बोगस सहकारी समितियां बनी हुई हैं, ठेका सहकारी समितियां, ग्राम सेवा सहकारी समितियां, ट्रान्सपोर्ट समितियां, औद्योगिक समितियां-ऐसी संस्थायें बना रखी हैं जो मोनोपोली के रूप में चल रही हैं जिनके जरिये परमिट प्राप्त करते हैं, ठेका प्राप्त करते हैं फोरेस्ट का ठेका प्राप्त कर लेते हैं । फिशरीज, ट्रान्सपोर्ट, पी० डब्लू० डी० की कई बोगस सोसाइटीज बनी हुई हैं, उनमें से आप पन्द्रह-बीस सोसाइटीज को एकदम खत्म कर दें और उनके स्थान पर एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर दें । बेकार नम्बर बढ़ा देने से, नवीनीकरण कर सोसाइटीज की संख्या बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है । जिनके सारे काम फर्जी होते हैं, जिनके रेकार्ड फर्जी होते हैं, चुनाव जिनके फर्जी होते हैं, जिनके हिसाब किताब फर्जी, ऑडिट की दृष्टि से, एम्बेजलमेण्ट की दृष्टि से जिनके हिसाब-किताब बिल्कुल ठीक रहते हैं, जिनमें आला दिमाग लगे हुए हैं वे आज हमारी सोसाइटीज के नाम पर एक प्रकार से काले धब्बे हैं जो पिछड़े हुए समाज पर छा रहे हैं । इस प्रकार की

(श्री राम नारायण चौधरी)

फर्जी सोसाइटीज में से मजबूती के साथ, दृढ़तापूर्वक आप निर्णय करके दस बीस को समाप्त कर देंगे तो आपका नाम हो जायगा। आपकी वाहवाही हो जायगी और इस सहकारिता आन्दोलन के प्रति आप पूरा इन्साफ करेंगे।

सभापति महोदय, मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये थे उनमें यह भी प्रस्ताव दिया था कि हमारे कोआपरेटिव मूवमेण्ट को सुचारू रूप से चलाने के लिये, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने इन्स्ट्रक्टर्स नियुक्त किये थे। आज इस बारे में वित्त मंत्री एवं मुख्य मंत्रीजी ने जवाब दे दिया था, फिर भी मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आप इस मामले में मानवता का दृष्टिकोण अपनावें, सभी दृष्टि से सोचें। आपने उस योजना प्रशिक्षण को उचित नहीं समझा तो आप उसको बन्द कीजिये। एक आदमी एक जिले के 25 हजार आदमियों को, कोआपरेटर्स को प्रशिक्षित नहीं कर सकता। यह प्रेक्टिकेबल भी नहीं है।

(3.45 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं खुद भी इसमें विश्वास नहीं करता। गवर्नमेन्ट का लाखों रुपया खर्च हुआ है इसमें जो इन्स्ट्रक्टर्स हैं वे क्वालीफाइड हैं, एम०ए०, डबल एम०ए० तक लोग हैं जो प्रत्येक दृष्टि से क्वालीफाइड हैं। अगर 60 आदमी आप इस महंगाई के जमाने में निकाल देंगे तो उनकी क्या हालत होगी ? आज जब कि सरकार सब को रोजगार देने की सोच रही है, बजट में भी बेकार, बेरोजगार इन्जीनियरों को और शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को भत्ता देने जा रहे हैं वहां इस तरह से 60 आदमियों को बेकार करेंगे तो उन पर क्या गुजरेगी ? यह मैं मानता हूं कि ये सेमी गवर्नमेन्ट संस्थायें हैं, ओटोनोमस बोडीज हैं। वित्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा कि कोआपरेटिव यूनियन के अध्यक्ष ने यह लिखा है कि इन इन्स्टीट्यूशन्स को बन्द कर दिया जाय। आप बन्द कर दें हमें एतराज नहीं है लेकिन उसमें काम करने वाले 60 आदमियों का सवाल है। मैं सहकारिता मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में वे सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और उन लोगों को रोजगार दें। जिस हिसाब से ये एडजस्ट होते हों उनको करने की कृपा करें।

पशुपालन मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके पूर्व जो कृषि मंत्री थे आस्ट्रेलिया गये थे। वहां जाकर भेड़ पालन के बारे में प्रशिक्षण लेकर आये थे। यहां आने पर उन्होंने बड़े जोर-शोर के साथ इस आन्दोलन को चलाया था कि शीप इण्डस्ट्री को बढ़ाया जाय। उसका क्या हुआ ? उसके लिये उस समय हैड आफ दी डिपार्टमेण्ट भी अलग से नियुक्त किया गया था। उसमें कितनी बड़ी भारी गड़बड़ी हुई। इस सवाल को सदन में मैंने भी उठाया था और जनसंघ दल के नेता भैरोंसिहजी ने भी उठाया था, पता नहीं उसका क्या हुआ ? किस प्रकार से करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ उसका कुछ नहीं हुआ।

इसके साथ साथ इस सदन में आप सहकारिता विभाग के भूतपूर्व रजिस्ट्रार के बारे में भी काफी अभियोग लगाये थे, उस समय शोभाराम जी ने आश्वासन दिया था कि हम इसकी जांच करेंगे और दोषी पाया गया तो उनको सजा देने से नहीं चूकेंगे।

(श्री रामनारायण चौधरी)

जिस व्यक्ति पर आरोप लगाये थे उसको प्रोमोशन देकर रेवेन्यू बोर्ड में भेज दिया गया है। जिसके खिलाफ एण्टी करप्शन में चार्जेज पेंडिग हैं स बारे में आपको सोचना चाहिए।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी से कि इस साल अधिक नहीं कर सकते तो कम से कम पांच ट्यूब वेलस का प्रौवीजन झुंझुनू जिले के लिये अवश्य रखें। जिन लाकों में पानी कि कमी है वहां पर ट्यूब वैलस की सुविधा काश्तकारों को दी जानी चाहिये।

फर्टीलाइजर के बारे में निवेदन है कि काश्तकारों को फर्टीलाइजर सब्सि डाइज्ड रेट पर दिये जायं। मंहगे फर्टीलाइजर को किसान काम में नहीं ले सकते। आज किसान को पम्पिग सेट लगाकर पानी की कीमत, बिजली की कीमत ही काफी दे देनी पड़ती है, उसके बाद भी उसकी प्रोड्यूस इर्रिगेटेड जमीन पर बोयी हुई फसल के मुताबिक भावों पर बिकती है। गंग कैनाल, भाखरा आदि से सिंचाई होने पर जो अनाज पैदा होता है उसका ये मुकावला नहीं कर सकते। आज कांग्रेस के शासन में भगवान की कृपा है उसने किसानों की प्रोड्यूस को मनमाने भाव से नहीं बिकने दि । नहीं तो किसान तबाह हो जाता। आज मंहगाई का जमाना है। आज यदि थोड़ी सी मन्दी आ जाती है तो किसान चिल्लाने लगता है। आपको याद होगा कि कुछ वर्ष पहले उद्योग में जब मन्दी आयी थी उस समय उद्योगपति काफी चिल्लाये थे और उस समय काफी उद्योग-पति फेल हो गये थे। आज हमारे काश्तकार की भी स्थिति इसी प्रकार की है। ट्यूब वेल, पम्पिग से फर्टीलाइजर आदि में इन्वेस्टमेंट करने के बाद यदि मंदी आ जाती है तो किसान बिल्कुल ही टिका नहीं रह सकेगा, तबाह हो जायगा।

तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप ऐसे काश्तकारों को सब्सिडी दीजिये। पम्पिग सेट में भी और फर्टीलाइजर में भी भी सब्सिडी दीजिये। हरित क्रान्ति की बात करते हैं। यह हरित क्रान्ति सरकारी फार्मों में और जहां बहुत अच्छी मात्रा में बिजली आ गई है वहां हुई हो तो हुई हो। पर जो पिछड़े इलाके हैं, पानी की जहां गुंजाइश नहीं है, कई वर्षों तक पानी जहां आ नहीं सकता वहां आप कुओं के लिये और पशु-पालन के लिये अधिक से अधिक सुवधाएं दें। इन क्षेत्रों के लिये भिन्न दृष्टिकोण रख कर सोचें। और अधिक से अधिक अनुदान और बजट में खर्चा इन क्षेत्रों के लिये रखें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री महेन्द्रसिंह (पीपलदा): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस विभाग की निष्क्रियता और सुस्ती के कारण जो उत्पादन की स्कीम सरकार ने लागू की है उसके रिजल्ट बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जो आंकड़े इस विभाग ने दिये अगर कृषि विभाग थोड़ा सा भी सक्रिय होता तो ये आंकड़े और भी अधिक अच्छे होते।

इस विभाग में काम करने वाले लोग राजधानी से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक फैले हुए हैं, जाल बिछा हुआ है। फिर भी जितनी प्रगति होनी चाहिये उतनी नहीं हो पाई है, यह अत्यन्त खेदजनक है। मैं एक दो उदाहरण दूं।

(श्री महेन्द्र सिंह)

शंकर बाजरा के आपने आंकड़े दिये कि 4.73 लाख एकड़ में बोया गया, शंकर जवार 0.33 लाख एकड में और शंकर मक्का 0.75 लाख एकड़ में बोया गया। शंकर बाजरा के अनुपात में दूसरों का क्षेत्रफल काफी कम रहा है। इसका कारण क्या है? मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे कोटा जिले में शंकर ज्वार और मक्का की दो क्रोप का काम इस विभाग ने हाथ में लिया और जहां चम्बल कमाण्ड एरिया था वहां इसका काफी प्रचार किया। बीज भी वितरित किया। पर जब वह बीज अंकुरित होकर बढ़ने लगा तब उदासीन होकर अपने अपने दफतरों में बैठ गये। वह बीज उगा पर उसमें दाने नहीं आये। खाद की और पानी की कमी रह गई। दोनों चीजें समय पर दी नहीं गई। परिणाम बड़ा खेदजनक रहा। खाद और बीज का पैसा तक चुकाना किसानों के लिये मुश्किल हो गया। इन दोनों में दो भयंकर बीमारियां लगती हैं। एक तो जब पौधा अंकुरित होता है और दूसरी बीमारी होती है बीज आने पर। इन का ध्यान नहीं रखा गया। इन बीमारियों की रोकथाम नहीं की गई। दवाईयां नहीं दी गई। आलस कर गये। तो इस कारण यह क्रोप फेल हो गई। किसान पर इसका यह असर पड़ा कि शंकर बाजरा का बीज मुफत में भी दें आप तो वे नहीं लेंगे। बड़ी मुश्किल से दबाव देकर किसान को कहा गया कि दो बीघा में भी बोकर देखो पर किसान कहता है कि क्या आप मेरा दो बीघा खेत सुना देखना चाहते हैं। तो आज तो आप पांच रुपया इनाम भी दें तो वे शंकर ज्वार और मक्का बोने को तैयार नहीं हैं। अगर यह विभाग थोड़ी भी सतर्कता से काम करता और कार्यशील होता तो यह क्रोप उस एरिया में काफी पापूलर हो जाती। यह विभाग रिजल्ट की तरफ नहीं जाता। आंकड़े फिक्स करने पर ज्यादा निर्भर रहता है और इसी में विश्वास करता है। फील्ड में जाकर एक्टिव वर्क नहीं करता। जयपुर के इन बड़े बड़े आलीशान भवनों में बैठकर इन दफ्तरों में बैठकर डाइरेक्टर, डिप्टी डाइरेक्टर कागजी घोड़ दौड़ाते हैं, आंकड़े तय करते हैं कागजों में। एक साल जितने एकड़ में यह शंकर बीज बोया तो अगले साल दस पर्सेन्ट या पच्चीस पर्सेन्ट बढ़ा कर लक्ष्य तय कर देते हैं। कागज के घोड़े दौड़ा देते हैं नीचे तक कि तुम्हारे एरिया में इतने क्षेत्र में यह बीज बोया जाना ही चाहिये। कोटा के डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चरल आफीसर को डी. ओ. जाता है कि इतने क्षेत्र में शंकर मक्का बोना है, इतने में शंकर बाजरा बोना है और इतने में शंकर जवार बोनी है। इतना सवाई माधोपुर में बोना है। ये अफसर पंचायत समितियां वालों को ए. ई. ओ. को लिख देते हैं। वे उनको डी.ओ. लैटर इस्यु कर देते हैं। वे ग्राम सेवकों की मीटिंग बुला लेते हैं और उनको कह देते हैं कि ऊपर से लैटर आया है इतने एकड़ में यह काम करना ही पड़ेगा। इसलिये तुम प्रयत्न करके किसान राजी हो या न हो सीड वितरण करके उनको राजी करो। ग्राम सेवक जाते हैं और किसान को प्रलोभन देते हैं कि सीड नया आया है, हम तुम्हारी यह मदद करेंगे, यह देखभाल करेंगे। जो बीमारी पहले लगी थी, अब हम सतर्क रहेंगे और उन बीमारियों की बराबर रोकथाम करेंगे, पानी दिलावेंगे। नुकसान होगा तो डेमेज हम भुगतेंगे। इस प्रकार के झूठे आश्वासन देकर उनको बीज वितरित करते हैं। और ज्यों ही बीज वितरित हो गया सब अधिकारी और कार्यकर्त्ता कानों में तेल

(श्री महेन्द्रसिंह)

डालकर सो जाते हैं। न देखने जाते हैं न अपने दिये हुए आश्वासन पूरे करते हैं। हमारे इटावा पंचायत क्षेत्र में यह निश्चय किया गया कि इतने हजार बीघा में कल्याण सोना बोवेंगे और गांव गांव में आश्वासन दिया कि चिन्ता मत करो। हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। पानी की गड़बड़ व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। किसान कहता है पानी देना आपके अधिकार में नहीं है। वे फिर झूठे आश्वासन देते हैं कि हमने इर्रिगेशन विभाग को कन्ट्रोल में कर लिया है। वे अब बराबर पानी देंगे गांधी सागर में पानी भर गया है। पानी की कमी नहीं है। अगर पानी का अभाव रहा तो हम जिम्मेदार हैं। खाद हम देंगे। फरटीलाइजर हम देंगे। नहीं तो डेमेज भुगतेंगे। कोई चिन्ता की बात नहीं है। इन्द्रगढ़ कोऑपरेटिव सोसायटी ने कहा जितना फरटीलाइजर इटावा में जावेगा सारा सप्लाई करेंगे। सब बात की गारन्टी है। इस प्रकार के आश्वासन दे दे कर उस पंचायत क्षेत्र में मीठा गन्ना, टी. टी. 7 कल्याण सोना गेहूं की जगह जगह खेती कराई गई। पर जब पानी की जरूरत पड़ी तो नहर वालों ने मुंह फाड़ दिया। नहर वाले कहने लगे हमारे पास पानी नहीं है। फसल सूखने लगी तो ए. इ. ओ. से कहने लगे, ग्राम सेवक से कहने लगे पानी दिलवायें हमारी खेती सूख रही है। पानी क्यों नहीं दिलवाते हैं? तो उन्होंने कहा यह हमारे बस की बात नहीं है। हमें मालूम नहीं है इर्रीगेशन विभाग कह कर पलट जाता है। नतीजा यह हुआ, क्रॉप डेमेज हो गई। कल्याण और सोना बीज बोया तो उसके लिये फर्टीलाइजर नहीं, यूरिया नहीं। जहां पानी था वहां फर्टीलाजर नहीं और जहां फर्टीलाजर है वहां पानी नहीं मिला। उस क्रॉप के अन्दर छः सेर दाना भी पैदा नहीं हुआ।

मुझे एग्रीकल्चर विभाग के साथ भी तरस आता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है और हम सोचते हैं कि आगे जाकर आंकड़े बढ़ जायेंगे तो मैं कहता हूं निश्चित रूप से आंकड़े आगे जाकर घटेंगे। यह आंकड़े बढ़ने वाली बात सही नहीं है। वास्तविक आंकड़े नहीं है, कागजी रिपोर्ट के आधार पर है, वास्तविकता तो दूसरी है, वास्तविकता में हमारा विभाग जाना ही नहीं चाहता। अगर वास्तविकता की खोज करने लग जायें तो राजस्थान की जो दशा हो रही है, वह नहीं होती और राजस्थान की ठीक हालत हो जाती।

उपाध्यक्ष जी, मैं इसके साथ साथ सहकारी विभाग के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, विशेष न कहता हुआ एक घटना मंडावर पंचायत समिति की बताता हूं। सुलतानपुर कोटा जिले में है, यह आप जानते हैं। कोऑपरेटिव सोसायटी के जितने पदाधिकारी हैं, वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। लोन लोगों को देने के बजाय अपने घर में ले जाते हैं और अपने घर के काम काज में उसका उपयोग करते हैं। वहां के पदाधिकारियों को 40 हजार का लोन दिया गया है और आज वे उसको दबा कर बैठे हुए हैं। समिति के जो सदस्य हैं, उन लोगों के झूठे दस्तखत करवाये हैं और लोन को जीम गये। उन लोगों ने एक शिकायत आपके सहकारी विभाग में भेजी है। मैं नहीं कह सकता हूं किन कारणों से वह दबाया जा रहा है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। उन लोगों को बैंक से करजा मंजूर हो गया, करजा ड्रा हो गया, ऐसी स्थिति में किसान के साथ

(श्री महेन्द्रसिंह)

पूरा अन्याय हो रहा है। उसकी आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही कारण है उपाध्यक्ष जी, जितनी कोआपरेटिव सोसायटीज हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं 90 पर्सेन्ट कोआपरेटिव सोसायटीज ऐसी हैं जो डिफेक्टिव हैं, कर्जदार हैं, अनाप-सनाप कर्जा लिये हुये हैं। मेम्बर्स के हिस्सों के पैसे दबाकर वहां के पदाधिकारी बैठे हुए हैं। एक बात मैं और बताना चाहता हूं, उपाध्यक्ष जी। वहां पंचायत समितियों के तीन-चार साल से चुनाव नहीं करवाये जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं क्या कारण है 3-3 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं? वह डिफंक्ट चली आ रही हैं। इस बात में ढिलाई बरतने का क्या कारण है? वह कारण पोलीटिकल हो सकता है और विभाग की सुस्ती का कारण भी हो सकता है। प्रोसीजर में भी ढिलाई बरती जा रही है।

(4 म० प०)

पशु पालन विभाग का क्या कहना? एक बार एक नस्ल मंजूर करते हैं और दूसरी बार उसको नामंजूर कर देते हैं। पहले मालवी सान्ड रिकमन्ड किया था। पशु पालन विभाग ने आर्डर भेजा पंचायत समिति को कि मालवी सान्ड खरीद किया जाय और देसी सान्डों का बन्धीकरण करवा दिया जाय। कई मालवी सान्ड खरीदे गये। सान्डों की खरीद में अनाप सनाप घोटाले हुए। फिर इस विभाग ने घोटाले करने के लिए ही अपनी पालिसी बदल दी और यह कहा गया कि हरियाणा सान्ड खरीद किया जाय, मालवी सान्ड को रिजेक्ट कर दिया। मालवी सान्ड को पहले खरीदवा कर काफी इन्वेस्टमेंट करा दिया गया, काफी घोटाला करवा दिया गया और तीन साल पूरे भी नहीं हुए कि अब हरियाणा सान्ड खरीदा जाय, अब इस में भी घोटाले किये जायं। इस प्रकार की योजना आप करते हैं जिससे देश का विकास रुकता है। एक बार मालवी सान्ड रिकमन्ड करते हैं और जब सारे प्रान्त में मालवी नस्ल पूरी हो जाती तो फिर हरियाणा की लाते तो ठीक भी था तो पैसे की बरबादी नहीं होती। अब फिर इसके बाद कहेंगे गिर सान्ड खरीदो। फिर पंचायत समितियों पर गिर सान्ड थोपेंगे। अगर यह राज्य सरकार अपना ठन्डा दिमाग करके सोचे तो राज्य का काफी पैसा फिजूल खर्च होने से बच जाय। राज्य सरकार को जल्दबाजी नहीं करनी करनी चाहिए, सोच विचार कर ही काम करना चाहिए। जल्द बाजी करने से काम बिगड़ता है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

सभापति तालिका संबंधी घोषणा

श्री उपाध्यक्ष : एक आवश्यक सूचना मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा निम्नांकित सदस्य सभापति तालिका के लिए मनोनीत किये गये हैं :—

(1) श्री राम नारायण चौधरी

(2) श्रीमती कान्ता कथूरिया

(3) श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल

(4) श्री विजय सिंह।

श्री दिग्विजयसिंह।

अनुदान की मांगों पर अग्रेतर विचार

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय मेरे भी कृषि संबंधी और

(श्री दिग्विजयसिंह)

पशु पालन संबंधी कटौती प्रस्ताव हैं। बहुत सी समस्यायें माननीय सदस्यों ने रख दी हैं। मैं भी सूक्ष्म में अपने इलाके की कृषि संबंधी समस्यायें रखूंगा और माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम यह मानते हैं कि हमारा जो प्रान्त है, वह मुख्यतया कृषि प्रधान है, कृषि प्रधान प्रान्त है। इसलिए जो भी बात करते हैं, वह खेती के संबंध में बात करते हैं। पर जब हम देखते हैं तो हमारे विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं है और जब तक विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, सही माने में जो आप हरित क्रान्ति ला रहे हैं, वह नहीं ला पायेंगे सिंचाई मुख्य रूप से साधन है जिसके जरिये से कृषि की पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इस संबंध में मेरा यह निवेदन करना है जहां पर विभाग द्वारा यह सर्वे किया जाय कि अमुक अमुक जिले में सिंचाई के साधन अच्छे हैं और अन्डर ग्राउन्ड वाटर की क्षमता ज्यादा है तो उसका सर्वे किया जाना चाहिए और मेक्सिमम जितना युटिलाइज कर सकें, उतना किया जाना चाहिए। क्योंकि आप केवल एक कृषि का विभाग रख कर, केवल बीज ऊपर से डाल दें उससे फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ कितने साधन उपलब्ध हैं और कितने किये जा सकते हैं, वह इससे ज्यादा उम्मीद रखने वाली बात है। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता था कि आपने जो कार्यक्रम अब तक राजस्थान में अपनाये हैं, टोंक जिले की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि टोंक जिला कृषि के लिहाज से एक ऐसा जिला है कि यदि कृषि मंत्री जी और राज्य सरकार अच्छी तरह से ध्यान दें तो मैं मान कर चलता हूं कि वह राजस्थान की ग्रेनरी के रूप में आपके काम आ सकता है। वहां की जो भूमि है वह ब्लैक काटन साइल है और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां गेहूं की पैदावार करीब दो ढाई मन बीघा का काटते हैं। यदि उस क्षेत्र के अन्दर आपने कृषि का कार्यक्रम सघन रूप में चालू किया तो वह आपके लिए अधिक लाभदायक होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसी कि मुझे जानकारी है कि टोंक जिले के अन्दर अण्डर वाटर बोर्ड ने सर्वे किया है और उन्होंने भी राय दी है कि टोंक जिले के अन्दर पानी की काफी क्षमता है और उसको अगर निकाला जाये तो आपकी कृषि की अधिक पैदावार वह बढ़ायेगा। दूसरे टोंक जिला ऐसी स्थिति में है कि हमारे वहां बनास नदी बहती है और पानी की कहीं कमी नहीं है। इसलिये आपने सघन कार्यक्रम के अन्दर इस वर्ष घोषणा की है कि आप टोंक जिले को ले रहे हैं लेकिन उसमें क्षेत्रीय भावना न रखते हुए सही दृष्टि से उसका सर्वे कराके जिन जिन इलाकों में क्षमता है, उसको लें, तो अधिक अच्छा होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, जो कुछ विभाग द्वारा बीज वितरण की व्यवस्था है उस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। आपकी जो बीज वितरण की व्यवस्था है, वह बड़ी कन्फ्यूज्ड है। एक तो आप पंचायत समितियों के मार्फत देते हैं, दूसरे सहकारी समितियों के मार्फत देते हैं और तीसरे विभागीय अधिकारी जो जिले के हैं, उनकी मार्फत देते हैं। तो तीनों में इतनी कठिनाई आती है कि आपस में पत्र व्यवहार में ही समय निकल जाता है और काश्तकारों को सही समय पर बीज नहीं मिलता और यह अनुभव किया गया है कि पंचायत समितियों के पास पहले तो यह लिखा जाता है विभाग से कि आपके

(श्री दिग्विजयसिंह)

पास विभाग से बीज भेजा जा रहा है और उपलब्ध होते ही आप वितरण कर दें। काश्तकार उस इंतजार में रहते हैं कि हमें बीज प्राप्त होगा लेकिन अन्त में विभाग से लिखा हुआ आता है कि हमारे पास बीज नहीं है और पंचायत समितियों को अधिकार दिया जाता है कि वह स्वयं ही कहीं से परचेज कर लें। इस पीरीयड में काश्तकार जो हाई-ब्रीड सीड लेना चाहता है वह अपना समय नहीं चुकाने की वजह से लोकली परचेज करके, सोइंग का काम कर लेता है। इसलिये मेरा सुझाव है कि यह जो वितरण व्यवस्था है इसको आप एक ही एजेन्सी के मार्फत रखें तो बैटर होगा। क्योंकि काश्तकार को सहकारी समिति कहती है कि हमारे पास नहीं है, सहकारी समिति कहती है कि हमें पंचायत समिति से प्राप्त नहीं हुआ तो सहकारी समिति, पंचायत समिति और राज्य के बीच में काश्तकार शटलकाक की तरह घूमता रहता है। और सही माने में हाईब्रीड सीड आप नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक ही एजेन्सी रखिये।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा एक निवेदन और करना है कि जो फर्स्ट क्लास हाईब्रीड सीड देते हैं, उसके साथ ही साथ आप एक बॉण्ड भराते हैं और कहते हैं कि जो प्रोड्यूस होगा, वह गवर्नमेन्ट ही खरीद लेगी। सरकार खरीदे उसमें हमें एतराज नहीं है, अच्छी बात है लेकिन मुझे याद है कि 1968-69 में हमारे उनियारा पंचायत समिति क्षेत्र में आपने सोना कल्याण बीज डिस्ट्रिब्यूट किया और लोगों ने उसे काफी मात्रा में लिया और बाद में जब प्रॉडक्शन हो गया और जब सरकार को बेचने की बात आई तो सरकार ने रिफ्यूज कर दिया कि हम नहीं लेंगे और काश्तकारों के सामने यह और प्रतिबंध है कि वह बाजार में जाकर उसको सोना कल्याण कह कर नहीं बेच सकते। इस तरह से 68-69 में पंचायत समिति उनियारा में करीब 60-70 हजार का बीज ऐसा था जो कि काश्तकारों के पास रह गया और उनका नुकसान हुआ। तो आप कम से कम गारन्टी दें तो जब आप उसको परचेज करने की हां करते हैं तो उसको आपको लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा सुझाव खाद संबंधी है। खाद की जो व्यवस्था आपने कर रखी है, इनसेक्टी-साइड है, उनको आप केश पर देते हैं और लोन के ऊपर उनको प्राप्त नहीं कराते। तो लोन की शायद उन्हीं को सुविधा है जो कि सहकारी समिति के सदस्य हैं। उस संबंध में निवेदन करना है कि खाद और इनसेक्टीसाइड आप दें, काश्तकारों के पास आज उस खाद को परचेज करने के लिए इतनी केपेसिटी नहीं है कि वह आप को पांच-छः सौ रुपये दे दें क्योंकि आप का जो इनसेक्टीसाइड है, वह इतना मंहगा है और खाद के डोजेज जो फर्टीलाइजर के रुप में दिये जाते हैं, वह काफी मात्रा में दिये जाते हैं जो कि काश्तकार एक मुश्त में अदायगी नहीं कर पाता है। इसलिए इस खाद का वितरण जो सहकारी समिति का सदस्य नहीं है, उसको भी बाण्ड के तरीके पर या क्रॉप के ऊपर दे दें। जिस क्रॉप के लिए काश्तकार ले रहा है, उसके अगेन्स में प्लैज करके दे दें तो यह उसके लिए अधिक लाभदायक होगा। क्रॉप की गारन्टी पर दे दें तो क्रॉप आने के ऊपर उस गारन्टी के

(श्री दिग्विजयसिंह)

अगेन्स्ट में पहले आपको वह रिटर्न कर देगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से जो प्रगति रिपोर्ट है, उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाऊंगा। आपने यह जानकारी तो दे दी कि आपने 13 लाख 2 हजार एकड़ के ऊपर हाईब्रीड बीज का उत्पादन कराया लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि इतने लाख एकड़ में बीज गिरवाया तो आपको प्राप्त कितना हुआ ? प्राड्क्शन कितना हुआ ? इसकी जानकारी कहीं भी इसमें नहीं दी गयी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही समाप्त करना चाहता हूं। परन्तु खासकर के निवेदन यह है कि आप यदि योजना बनायें, उन योजनाओं के अन्दर कभी भी खयाल क्षत्रीय भावना का नहीं रखें बल्कि जिन जिलों में पानी की क्षमता अधिक है और कई जिले ऐसे हैं कि अगर एक मानसून फेल हो जाता है तो वहां पानी की क्षमता काफी है तो ऐसे क्षेत्रों को सलेक्ट करके कृषि कार्यक्रम की तरफ वहां ध्यान देंगे तो ज्यादा उपयोगी होगा। मैं निवेदन कर दूं कि राज्य सरकार ने घोषणा की है कि कृषि संबंधी जो लोन दिलायेगी सरकार उसमें लोन बैंक से मिलेगा और उसमें गारन्टी आप देंगे। उस संबंध में मैंने पहले भी गवर्नर के एड्रेस पर बोला था कि जो लोन के लिए काश्तकारों से एप्लीकेशन लेंगे और लोन दिलायेंगे तो इसका तरीका सरल करायें। जो तरीका है वह इक्विटी मार्टगेज का है वह इक्विटी मार्टगेज न करके सिम्पल मार्टगेज करायें ताकि काश्तकार को जल्दी से जल्दी लोन मिल सके और जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन का डिस्पोजल हो।

उपाध्यक्ष महोदय, पशुपालन संबंधी मेरे कटौती प्रस्ताव के संबंध में यही निवेदन करना है कि मेरी समझ में नहीं आता कि राज्य सरकार क्या विचार करके चलती है ! कुछ कनफ्यूज्ड है अपने आपमें। करना बहुत कुछ चाहती है लेकिन कन्फ्यूजन इतना है कि दे कान्ट डू एनीथिंग। आज से पांच साल पहले जिला टोंक के अंदर भेड़ ऊन पालन का केन्द्र कायम किया था और उसी आधार पर भारत सरकार से योजना स्वीकृत होकर 3 करोड़ का भेड़ ऊन पालन का फार्म मालपुरा में स्थापित हुआ है लेकिन यह डिसीजन ले लिया कि वहां पर जो दफ्तर है उसको हटा दिया जाये। एक तरफ तो कहते हैं कि हमें भेड़ ऊन पालन के लिए टोंक जिला ही उपयुक्त है इसलिए भारत सरकार की योजना वहां लागू की गयी और दूसरे यह कहना कि दफ्तर की आवश्यकता नहीं है इसलिए वहां जो इन्सपेक्टर्स थे, उत्पादन करने वाले जो भी गवर्नमेंट के कर्मचारी थे, उन सब को हटा दिया और अब फिर दुबारा दो तीन साल में नये दफ्तर चालू किये हैं तो उस ओर जरा राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आखिर आपकी नीति क्या है ? एक जिले के अंदर 3-4 करोड़ का एक फार्म स्थापित है, भेड़ ऊन का तो फिर वहां दूसरी जगह लगा रहे हैं, यह आपकी बुद्धिमत्ता का परिचायक है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूंगा सुझाव के रूप में कि राजस्थान के अन्दर काफी पशुधन है और यह बात सही है कि आप अर्थाभाव के कारण सब जगह कोप-अप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि हर जिले के अंदर एक मोबाइल वेटरनरी युनिट की स्थापना होना चाहि ताकि वह जिस जगह के ऊपर आपके यहां को व्यवस्था नहीं है डिस्पेन्सरी या हास्पिटल

(श्री दिग्विजयसिंह)

नहीं है तो मोबाइल वेटरनरी यूनिट घूमे और जो पशुओं के अन्दर बीमारी हो उसकी चिकित्सा होती रहे। इसलिए यह मेरा सुझाव है।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं ज्यादा अर्ज नहीं करना चाहता हूं। लेकिन मछली पालन के संबंध में कहना चाहूंगा। मछली पालन का काम सिवाय राज्य सरकार के और कोई नहीं करता है और उसको ठेके के बेसिस पर दिया जाता है, और ठेका देने के बाद जो मुनाफा उसको प्राप्त होता है वह उसी ठेकेदार का होता है इसलिए मेरा निवेदन यह है कि मछली पालन के लिए प्राइवेट एन्टरप्रेन्योर्स या प्राईवेट मछली ट्रेडर्स को कहीं इनीशियेटिव हो, यह प्रगति रिपोर्ट में कहीं भी जानकारी नहीं। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न कहते हुए, यही निवेदन करूंगा कि यह जो ट्रेड है मछली पालन का जैसा कि वित्त मंत्रीजी ने घोषणा की है कि मछली उनके हाथ से छूट जाती रही है और अब के उन्होंने पकड़ लिया है, फिर उसको बजाय कान्ट्रेक्ट देने के खुद ही एस० टी० करें, स्टेट ट्रेडिंग करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि राजा महाराजाओं का विषय था वह अब तो उनसे ले लिया गया और अब यह इन्हीं के पास रह गया है तो यह आपको मुबारक हो।

श्री वृद्धिचन्द जैन : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याणमल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, खेती की फसलें घट जाने के संबंध में मैंने कटोती का प्रस्ताव दिया है। खेती की पैदावार दिनों दिन घटती जा रही है और पैदावार घटने के दो मुख्य कारण हैं। माननीय उपाध्यक्षजी, जो नजदीक से खेती देखने वाले हैं और खेती करने वाले हैं उनको इस बात का पता हो सकता है कि खेती की पैदावार किस वजह से घटती जा रही है और इसके क्या कारण हैं। मैं इस संबंध में बताना चाहूंगा कि आज खेती के संबंध में सरकार हर तरह की व्यवस्था करने जा रही है फिर भी अन्न के उत्पादन में दिनों दिन कमी होती जा रही है। खेती को देशी खाद मिलना बहुत ही जरुरी है। यदि देशी खाद नहीं मिले तो भले ही चाहे कितनी ही अच्छी तरह की अंग्रेजी खाद दी जाय, लेकिन पौधा पनप नहीं सकेगा, और जब पौधा नहीं पनपेगा तो जो अन्न पैदा होता है वह पूरी मात्रा में पैदा नहीं हो पायेगा। आज देशी खाद क्यों नहीं मिल पा रहा है इसका मुख्य कारण पशुओं की कमी है। तो मैं पशु पालन मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाने की कोशिश करूंगा कि काश्तकारों को पशु पालन के लिए जितनी सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाती हैं उतनी सुविधाएं दी जायं और ज्यादा मात्रा में पशु पाले जायं जिससे खाद मिले और खाद मिलने से खेती की अच्छी पैदावार हो सके।

दूसरा यह भी एक कारण है कि कई खेती की बीमारियां लग जाती हैं और उन बीमारियों को किसी भी हाल में रोक नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं रोक पाते हैं कि जो ग्राम सेवक होते हैं या कृषि प्रसार अधिकारी होते हैं वे बिना प्रेक्टिकल रुप से काम किये उन बीमारियों को नहीं रोक पाते हैं। तो मैं तो सरकार से यह निवेदन करूंगा कि कृषि संबंधी जो भी ऑफिसरों की नियुक्ति की जाती है उनकी नियुक्ति उसी बेसिस पर हो कि उनको ट्रेनिंग प्रेक्टिकल रुप से दी जाय

(श्री कल्याणमल)

और उनसे खेती करवाई जाय, और खेती करवा कर जो अच्छा माल पैदा करें उसके आधार पर उसकी नियुक्ति की जाय तो जहां तक मेरा ख्याल है खेती में अवश्य बढोतरी होगी और बीमारी वगैरह की रोक थाम हो सकेगी। उपाध्यक्ष महोदय, केवल कागजों में पढने से ही खेती नहीं हो पायेगी और वे बीमारियों पर रोक नहीं लगा सकते। तो आपके द्वारा सरकार से निवेदन करूंगा कि जो ऑफिसर खेती से सम्बन्धित हैं चाहे वे ग्राम सेवक हों, चाहे कृषि प्रसार अधिकारी हो, उनसे खेती करवाई जाय और जब खेती की सारी बातें समझ ने लगें तभी उनकी इस विभाग में नियुक्ति हो तो ज्यादा अच्छा है।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि आज खेती के लिए काश्तकारों को साधनों की आवश्यकता होती है। कई पंचायत समितियों से उनको लोन दिया जाता है और लोन देने के बाद में काश्तकारों को पर्याप्त मात्रा में कर्जा नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वे उस पैसों का उपयोग नहीं कर सकते हैं खेती के काम में नहीं लगा सकते हैं और अपने बोहरे को जाकर वह पैसा देते हैं। यह मैंने कई बार देखा है। तो उनको इतना ही पैसा मिलना चाहिए और उस पैसा का उपयोग करवाना चाहिए यानी जिस काम के लिए जैसे कुए खोदने के लिए या बान्ध बान्धने के लिए उनको कर्जा दिया जाय तो वह पैसा उन्हीं में खर्च हो। इनको व्यवहस्था भी सरकार की ओर से हो, और जिनको जरूरत हो, उनको उतना ही पैसा मिले। अभी अभी जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और उसके द्वारा इनको कर्जा देने की जो व्यवस्था की गई है, उनको ज्यादा नजदीक से देखें तो उस में भी कई डिफिकल्टीज हैं जिनकी वजह से हर काश्तकार अपने कागज पानड़े व फार्म वगैरह तैयार नहीं कर सके। तो मैं आपकी मारफत सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उसमें भी जितनी सुविधाएं दे सकें, वह देने की कोशिश करें। साथ ही खेती के लिए ट्रेक्टर जो दिये जाते हैं। अब तक ट्रेक्टर का डिस्ट्रिब्यूशन भी सही आधार पर नहीं हो पाया है। अब तक जो ट्रेक्टर दिये गये हैं, वह जो खेती करने वाले खुद काश्तकार नहीं हैं, उनको ट्रेक्टर दिये गये हैं। मैं इस बात का उदाहरण पेश करूं। भीलवाड़ा जिले में आज तक अधिक मांग होने के बाद भी मेरे अन्दाज से उन लोगों को ट्रेक्टर नहीं मिल पाये हैं जिनके पास जमीन हैं जो खुद काश्त करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो काश्तकार हैं जिनको आवश्यकता हैं, उनको यह D. F. O. ट्रेक्टर दिये जायं, न कि जिनके पास बहुत बड़े फार्म हैं उनको यह ट्रेक्टर दिये जायं। इससे उनका सही उपयोग नहीं हो सकता है। तो मैं अब ज्यादा नहीं कह कर इन शब्दों के साथ अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री देवीलाल।

श्री देवीलाल मीणा (सराड़ा सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कटौती का प्रस्ताव सहकारी समितियों को सचारू रूप से चलाने के लिए है। इसके साथ साथ में कृषि पर भी बोलना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में, उदयपुर जिले में मेरे क्षेत्र में जो कृषि का बीज और खाद दिया है, उसमें काश्तकारों को बड़ी कठिनाई पैदा हो रही है। इस वक्त उस क्षेत्र में अकाल का समय है और खाद और

(श्री देवीलाल मीणा)

बीज की वसूली हो रही है। वसूली इस प्रकार हो रही है जो बीज काश्तकारों को रिलीफ के वक्त, गये वक्त एक एक थेली दे दिया, मजदूरों को दे दिया, वह वापिस उनके नाम लिख दिया गया। वह अठारह रुपये थेली के हिसाब से था। अब जाकर बाईस रुपये सरकार वसूल कर रही है। इसी तरह से बीज की वसूली हो रही है। इधर अकाल है, इधर बीज की वसूली हो रही है। दूसरे जो खाद की वसूली हो रही है, ब्याज दुगनी लगाकर वसूल कर लेते हैं। अभी उनकी हैसियत देने जैसी नहीं है। इधर तो इस इलाके में अकाल की समस्या पैदा हो रही है, मजदूरी बराबर नहीं मिल रही है, इधर बीज और खाद की वसूली हो रही है। इस बारे में मंत्री महोदय विचार करें कि किस तरह से वसूली हो। हम नहीं कहते कि वसूली नहीं होनी चाहिए लेकिन ब्याज की दर अधिक लग रही है। इस तरह वसूली नहीं होनी चाहिए। अठारह रुपये थैली थी, उसके अब बाईस रुपये, साढे बाईस रुपये वसूल कर रहे हैं। साढे बाईस रुपये मेरे अन्दाज से नहीं होते हैं, उसकी जगह अठारह, उन्नीस रुपये वसूल होने चाहिए, लेकिन इस पर ब्याज अधिक लगा दी गई है। जो खाद की वसूली है, कई समय पर खाद दी गई है जो वसूल हुई है, दुबारा दी गई है उसकी भी वसूली हो। लेकिन उस पर ब्याज की दर ज्यादा है। इसलिये कृषि मंत्री जी विचार करें कि यह समस्या किस तरह से हल हो सकती है उस क्षेत्र में।

सहकारी समितियों के द्वारा भी खाद बीज दिया जाता है। इधर पंचायत समिति ने भी डाइरेक्ट दिया है खाद बीज। सहकारी समितियों द्वारा दिया गया है वह भी खाद और बीज है। लेकिन इस पर ब्याज दुगनी है। इस पर विचार करके इस समस्या को हल करें। वह बहुत गरीब इलाका है। वहां पर एक मुश्त सारी वसूलियां हों तो वह दे नहीं पायेंगे।

सहकारी समितियां आदिवासी क्षेत्र में भी हैं लेकिन उनका ढंग क्या है। हिसाब-किताब उन सहकारी समितियों में रखने वाला नहीं है क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। जो सलाहकार लोग होते हैं जो सहकारी समितियों के सेक्रेटरी हैं, वह वहां जो कार्य करने वाले व्यवस्थापक हैं उन लोगों को ट्रेन्ड नहीं करते हैं। उन्हें कोई न कोई हिसाब-किताब रखने के लिए, सोसाइटी चलाने के लिए आदमी ट्रेन्ड करना चाहिए ताकि हिसाब-किताब अच्छी तरह से रख सकें। उनको ट्रेनिंग दी जाय ताकि सहकारी समितियां अपने तरीके से चला सकें। वहां खाद भी वितरण हो जाता है काश्तकारों के नाम पर। मैंने कई सहकारी समितियों में देखा है, उनके नाम पर खाद दुगना लिखा हुआ है, बीज दुगना लिखा हुआ है लेकिन उनको याद नहीं है। यह तरीका अच्छा नहीं होता है। या तो उनके सलाहकार अच्छे नहीं हैं, ट्रेन्ड आदमी नहीं है जिससे वह उनको सलाह नहीं दे सकते हैं या व्यवस्थापकों को सलाह नहीं दे सकते हैं इसलिए हिसाब-किताब खाद और बीज के मामले में ठीक ढंग से नहीं रहता है। काश्तकार चाहे ले जायं या नहीं ले जायं उनके नाम लिख दिया जायगा और वापिस वसूली के वक्त जब उनको याद दिलाते हैं तो उनको याद नहीं आता है। इसलिए कोई ऐसा रजिस्टर रखा जाय जिसमें जो खाद और बीज दिया जाता है वह उनके नाम में रहे और दर्ज करके उनसे वापिस वसूली कर ली जाय। समिति में भी हिसाब रहना चाहिए दोनों तरफ का हिसाब तो अच्छा

(श्री देवीलाल मीणा)

रहेगा। दूसरा यह जो खाद और बीज वाली वसूलियां हैं इनकी ओर ध्यान दिया जाय और इनकी अकाल के समय वसूली नहीं किया जाय। इसके लिए कोई न कोई तरीका निकाल कर इस पर ध्यान दें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह !

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ): उपाध्यक्ष महोदय, जब मेवाड़ राज्य में कहीं भी सहकारी समिति नहीं थी तब हमारे दीगोद में सहकारी समिति शुरू की थी जिसके जरिये हमने कइयों को कुए के लिए ऋण दिलवाये, कइयों के खेत गिरवी से छुड़वाये। धीरे धीरे सहकारी समितियों की यह हालत हो गई है कि अब उनको देख कर बड़ा दुख होता है। ऐसा लगता है कि सहकारिता को राहू, केतु और शनि खा रहे हैं। आज सहकारिता में बदनियती, जातिगत और व्यक्तिगत स्वार्थ-पूर्ति और पार्टीबाजी हो रही है। मैं संक्षेप में निवेदन करना चाहता हूं कि आज जोइन्ट कृषि की क्या हालत हो रही है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जोइन्ट कृषि समिति का नाम मैंने यह रख दिया है–जमीन हड़पो संयुक्त कृषि सहकारी समिति। क्या करते हैं ये ? अपनी जमीन तो अपने पास रखते हैं और राज्य की जमीन है, वह कहीं गरीब के पास चली न जाय इसलिए उस पर भी कब्जा करना चाहते हैं। निल की खेड़ी, त्रिवेणी संगम के पास जमीन है वह पटवारियों और तहसीलदार श्री लक्ष्मीशंकर के द्वारा लोगों को मिल गई। संयुक्त कृषि सहकारी समिति तो शुरू भी नहीं हुई और लोगों को जमीन एलॉट हो गई। वे कई बार एक ट्रेक्टर लाये थे लेकिन ज्यों ही ट्रेक्टर लाते गांव के स्त्री पुरुष जमीन पर लेट जाते। आखिर चटर्जी कलेक्टर थे उन्होंने दृढता से काम लिया, नहीं तो वह जमीन चली गई थी।

इसी प्रकार थड़ोदा में काफी जमीन है। उस जमीन को भी हड़पने की कोशिश की। लसोड़ नाम का बीड़ जंगलात में था। अब वह बीड़ जंगलात से निकला है। लेकिन दो साल पहले ही, पता नहीं किस किस का नाम लिखा और पन्द्रह-पन्द्रह बीघा प्रत्येक व्यक्ति को एलॉट कर दी गई। उस रकम को दो वर्ष तक पड़े रखा और अब उस हुक्म के अनुसार जमीन चाहते हैं वह नाजायज है। मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत सहकारी मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि रोजाना जंगलात की बढ़िया जमीन इन 'जमीन हड़पो समितियों' द्वारा हड़प ली जाती है। इन पर प्रतिबन्ध लगायें नहीं तो यह लोग अपनी जमीन तो अपने पास रख लेते हैं और दूसरी जमीन और हड़पना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सांगानेर जाता हूं तो मैं देखता हूं कि जिन खेतों में गधे लौटा करते थे वहां पर आज कृषि की ऐसी बढ़िया उन्नति हुई है। वहां पर ग्राम सेवक और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने इतना बढ़िया काम किया है कि वहां पर प्रदर्शन के लिए फार्म बनाया हुआ है और एक एक बालिश्त की बाल है। यह प्रशंसा के लायक है। और मैं बधाई देना चाहता हूं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि उसने बहुत अच्छा काम किया है।

इसके साथ ही साथ तीन चार बातें और कहना चाहता हूं। आपको भारत के हृदय का काम दिया हुआ है। जब तक देश में बाहर से अनाज आता रहेगा, यह देश कंगाल रहेगा। राजस्थान इसमें पहल कर

(श्री मनोहरसिंह महता)

सकता है। इसका छः सात मंत्रियों से संबंध जुड़ता है। एक तो सिंचाई मंत्री से इसका संबंध जुड़ेगा। जहां जहां पर आप तालाब और बांध बना सकते हैं वहां वहां तालाब और बांध बनाइये। मैं आपके माध्यम से उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन कर दूं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो कि लगान का··

(4.30 म. प.)

(श्री विजयसिंह, सभापति, पदासीन)

विरोध करते हैं। वहां पर बांध बनाकर जमीन पर लगान लगायेंगे तो खुशी खुशी देंगे। जहां पर बारानी जमीन है और लोगों ने खुद कुए खुदवाये हैं उन पर लगान मत लगाइये क्योंकि खुद अपनी महनत से कुए बनाये हैं और उन्होंने राज्य से उधार रुपया लिया है। और जो कुआ बनवाया है वह अपने परिश्रम से बनवाया है।

दोगोद के पास त्रिवेणी नदी है, बनास है, नदियों का जाल बिछा हुआ है। वहां सरकार दो तीन साल से बांध के काम में लगी हुई है इसके लिये बधाई देता हूं कि वह बांध का काम कर रही है। लेकिन लिफ्ट इरिगेशन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि वहां बड़े बड़े देह भरे हुए हैं, पर उनके पानी का कृषि के लिए उपयोग करने की दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं कृषि मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आप बिजली मंत्रीजी से मिलिये और कहिये कि वहां लिफ्ट इरिगेशन की योजना को क्रियान्वित करें। लेकिन इसमें यह बात है कि लिफ्ट इरिगेशन की दरें ऊंची होती हैं, इनमें समानता लाने के लिये आप ऐसा कीजिये कि बांध से सिंचाई की दरों को ऊंचा कीजिये और लिफ्ट इरिगेशन और बांध से इरिगेशन की दरों में समानता लाइये।

तीसरी बात मैं पशुपालन मंत्रीजी से कहना चाहता हूं। गाय और खेती का अटूट संबंध रहा है और रहेगा। मैं तो किसानों से कहता हूं कि तुरन्त नतीजे देखना चाहो तो गायों के लिये एक अच्छी नस्ल का सांड जरूर रखो, छोटे छोटे जो नारक्ये हैं उनको वधिया कीजिये और अच्छे सांड से गाय हरी होगी तो आपको बहुत अच्छे बैल मिलेंगे। गांव गांव में अच्छे सांड रखे जायं और गांव वालों को प्रेरित किया जाय कि वे उन सांडों की देखभाल करने के लिए एक आदमी का खर्चा भुगतें। राज्य की तरफ से कोई इसके लिये अनुदान दो तो दो, पर मैं अनुदान के पक्ष में नहीं हूं। खेती अच्छी हुई तो अनुदान मिलने बन्द हो गये हैं। किसान देखता है कि मेरे खेत में 20 मन की बजाय 40 मन पैदा होने वाला है तो फिर वह आपके अनुदान की परवाह नहीं करता। वह खुद अच्छे बीज और खाद का इन्तजाम कर लेता है। दोगोद समिति में 2 लाख का खाद बेचा है। धाकड़ खेड़ी में मैंने देखा है कि वहां के मुखिया लोग किसानों और पशुपालकों को कहते हैं कि जितने तुम्हारे ये छोटे छोटे नारे हैं, इनको वधिया करो। वे अच्छा सांड रखते हैं। तो इस तरह की बातों की ओर लोगों को आज प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

आप बिजली मंत्रीजी से कहिये, पशुपालन मंत्रीजी से कहिये, पंचायत राज मंत्रीजी से कहिये कि शिक्षा-विक्षा का काम छोड़ो इस पर तो मैं इसकी मांग पर जब बहस होगी तब कहूंगा क्योंकि शिक्षा आज इतनी भ्रष्ट हो गई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। सांगानेर का ग्राम सेवक रात दिन काम कर

(श्री मनोहरसिंह महता)

रहा है, उसको तरह सब काम में लग जायं। एग्रीकल्चर ऑफीसर, एक्स्टेंशन ऑफीसर बी०डी०ओ० बनें तो फिर वही दोहा याद आने लगेगा, मूंणों में घी भरा रहता था, एक एक जापे में औरतें मण मण घी खा जाती थीं, खायों में धान भरा रहता था। आज यह हाल है:

मूंणों में भरती घिरत, खायां में भरता नाज,
अब चोल्या में नाज अर, शीशी में घी आज।

यह स्थिति बदल गई। आप राजस्व मंत्रीजी से कहिये कि जमीन उनको दें जिनकी औरतें और बच्चे खेतों में जाते हैं। पर आज तो स्थिति इस प्रकार है:

खेती करे न हाथ सूं, धरा न पावे आज।
खेती करे जु-हाथ सूं, धरा न पावे आज॥

मैं तो राजस्थान का सौभाग्य मानता हूं कि शोभारामजी जैसे चरित्रवान व्यक्ति आज इस विभाग के मिनिस्टर हैं। आपको अपने जीवन काल में ऐसी स्थिति ला देनी चाहिए कि राजस्थान में अनाज का एक भी दाना बाहर से नहीं आये। जब तक बाहर से राजस्थान में अनाज का एक भी दाना आयेगा राजस्थान भी भिखारी ही रहेगा।

अन दे धन दे, दूध दे, अर देवे हथियार।
बरसे नहीं सो मांग ले, जल अमरीका जार॥

लेकिन राजस्थान के लिये यह दोहा झूठा साबित होगा। फिर दूध दही की नदियां बहें, खूब अनाज यहां पैदा हो, तभी हम आपका आभार मानेंगे और इतिहास आपका आभार मानेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री अमीलाल यादव!

(अनुपस्थित)

श्री शीशराम जी। आपको यह अपना भाषण 15 मिनिट में समाप्त करना है।

श्री शीशराम ओला (बिसाऊ) : मैं 5 मिनिट में ही समाप्त कर दूंगा।

माननीय सभापति महोदय, आज सदन में कृषि, सहकारिता और पशुपालन पर विचार व वाद-विवाद चल रहा है। मैं आपके द्वारा कृषि मंत्रीजी, पशुपालन मंत्री जी और सहकारिता मंत्रीजी से तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि श्री मोहन मोदी ने एक ऐसी शंका डाल दी कि कल शीशराम ने उनको 15 हजार की रसीद बताई....

एक माननीय सदस्य : नहीं आपके लिए नहीं कहा।

श्री शीशराम ओला : मेरा उससे संबंध नहीं है।

मैं दो बातों पर बोलना चाहूंगा, पशुपालन और कृषि के संबंध में क्योंकि कृषि और पशुपालन से मेरा संबंध है। सहकारिता विभाग की तो झुन्झुनू जिले में अजीबो गरीब स्थिति है उसके लिये सरकार को सोचना है, मंत्रीजी को सोचना है। इस बाईस वर्ष के अर्से में हमने योजनाबद्ध कार्य खेती और पशुपालन के लिए नहीं किया, यदि किया तो सफल नहीं हुआ या कागजों पर ही रहा बजट आये, बजट में खेती का जिक्र किया गया लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था हमको देखने को नहीं मिली कि जिससे हम काश्तकारों को कह सकें कि सरकार ने खेती

(श्री शीशराम ओला)

के लिए यह यह प्रयोग किये और यह यह आपके सामने हैं, और इन प्रयोगों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िये ।

ट्यूब वैल्स का जिक्र रामनारायणजी ने किया । मैं कहना चाहूंगा कि झुन्झुनू जिले में बेहद अटूट पानी है, जमीन में नीचे पानी का भंडार है, नदी बह रही है, पर वहां के लिये ट्यूब वैल का कोई जिक्र नहीं । ट्यूब वैल वहां करने की बात आई है जहां पानी है नहीं । मैं उसके विरोध में नहीं पर खेती के लिए भी सरकार को ट्यूब वैल्स बनाने चाहियें । यदि खेतो के लिये ट्यूब वैल्स नहीं बनाये जाते तो अमेरिका के अनाज का उपयोग नहीं किये जाने का जिक्र किया जा रहा है वह कैसे होगा । मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को सब जगह इसकी सर्वे करवानी चाहिए ।

इसके साथ ही साथ सरकार को चाहिए कि सब जगह इस चीज को सर्वे करवाये कि किस जगह किस प्रकार का बीज और किस प्रकार का खाद काम में लेना अधिक लाभदायक होगा और किसानों के सामने निश्चित रूप से यह रखना चाहिये कि अमुक क्षेत्र में इस प्रकार का बीज, इस तरह का खाद, इस तरह की खेती को इस्तेमाल करना चाहिए । डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति स्तर पर एक एक प्रयोगशालाओं के फार्म खोले जायं । उस जमीन को देखते हुए कि किस तरह का अनाज किस तरह का बीज वहां सफल हो सकता है, किसानों के लिए डिमोन्सट्रेशन फार्म हों और उसके माफिक किसान खेती करें तो किसानों के लिये यह लाभदायक होगा ।

लेकिन हमारे यहां सब कुछ इसके विपरीत हुआ है । डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर का झुन्झुनू में हैडक्वार्टर था, वह सीकर में ट्रान्सफर कर दिया । तो यह किसानों को राहत देने की बात है या किसानों को तकलीफ देने की बात है ? कृषि मंत्रीजी बतायें कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर का हैडक्वार्टर झुन्झुनू से हटा कर सीकर भेजा या नहीं । अगर भेजा है तो कैसे सोचें कि किसानों को सरकार राहत देने वाली है ।

पशुपालन के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हरियाणा नस्ल के सांडों से हमारे यहां अच्छे बछड़े बछड़ी होते थे, हरियाणा नस्ल की बछड़ी अच्छी गाय बनती थी और खूब दूध देती थी और हरियाणा नस्ल का बछड़ा बहुत अच्छा बैल बनता था जिसकी बहुत अच्छी कीमत उठती थी । पर आज हिन्दुस्तान भर में झुन्झुनू जिले में ही बगैर नस्ल के छोटे छोटे सांड देखने को मिलेंगे । बकरा भी उससे बड़ा हो सकता है इतने छोटे छोटे सांड हमारे वहां मिलेंगे । यह कृषि विभाग, डायरेक्टर और अधिकारी क्या रिपोर्ट करते हैं, क्या प्रोग्रेस बताते हैं, क्या उन्नति की बात करते हैं ? कुछ समझ में नहीं आता ।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 5 सदस्यों की एक कमेटी रख दीजिये जो वहां जा कर जांच करे कि झुन्झुनू जिले में सांडों की क्या स्थिति है । किसानों को यदि अच्छे सांड भी आप नहीं दे सकते तो काहे को कागज खराब करते हो । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हरियाणा नस्ल के सांड हर गांव में सरकार की ओर से मिलें ।

और उनके पशुओं के लिए ठीक से

(श्री शोशराम श्रोला)

व्यवस्था हो। पंचायत समितियों के पास एक स्कीम शुरू की गई। साल डेढ़ साल पंचायत समितियों के पास रही। गायों के बछड़े बीमार हो जाते थे, तो दवाइयां देते थे, किसान को राहत मिली। किसान महसूस करने लगा कि आखिर सरकार ने उनकी सुनी, किसानों के हितों के प्रति सरकार जागरूक है लेकिन इसके विपरीत हुआ, आज वह स्कीम बड़े बड़े शहरों में शुरू की, पंचायत समितियों से वापस ले ली। मेरी समझ में नहीं आया कि कहां यह बीमारी हुई, पहले किसान के लिए योजना लागू की, फिर वापस ले ली। यह प्रजातन्त्र के विरुद्ध है। मेरी समझ में नहीं आता कि फिर बेकार ही सदन का समय क्यों खोया, खर्चा लगा और जो कुछ हमने किया, वह वापस ले रहे हैं, तो क्या बैठ कर बातें करें। ये सब बातें सरकार के सामने और सदन के सामने हैं।

इसी तरह बिजली की बात है। सरकार किसान को बिजली देती है, बिजली की किसान को जरूरत है खास तौर से बुवाई के समय। मार्च के महीने में सिंचाई के लिये उनको बिजली की जरूरत है। काश्तकार जिस तरह बारिश को देखता है, उसी तरह बिजली की तार को देखता है। लेकिन बिजली तो एक सैकंड आई दूसरे सैकंड में गायब और फिर उसकी मोटर जल जाती है, भोलाभाला किसान इस तरह से राज्य सरकार से परेशान है। अगर राज्य सरकार की यह हालत रही तो कोई कारण नहीं कि किसान हाई कोर्ट में बिजली विभाग के खिलाफ जाय। उनकी फसल जले, उनकी मोटर जले। यह विभाग किसान की तरफ देखता नहीं। न हमारे देश की तरफ देखता, न हमारे राज्य की तरफ देखता। एक तरफ अकाल के नाम से करोड़ों रुपये की बरबादी करते हैं, दूसरी तरफ खड़ी फसल जल जाती है। इसलिए विद्युत मंडल के बारे में कहता हूं कि जितनी किसान के साथ अव्यवस्था है, शायद किसी के साथ नहीं हो सकती।

उसके अलावा पड़ौसी राज्य पहले पंजाब, आज कल हरियाणा, हॉर्स पावर के हिसाब से मैक्सीमम व मिनीमम एक मोटर के लिए 300) या कुछ तय करके हर साल लेते हैं, 10 रुपया दिन का शायद, इसी तरह की उनकी स्कीम है, आप मंगाकर देखें। यहां 14 पैसा प्रति यूनिट है जब कि पड़ौसी प्रान्तों में किसानों को अपनी खेती में सिंचाई के लिए बिजली बहुत कम कीमत पर दे देते हैं। तो मैं मंत्री महोदय के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि किसानों को बिजली सस्ती रेट पर और 400-500) रु० साल, कुआं चलाए या नहीं, इस तरह से लिया जाय ताकि न बिजली विभाग को और न किसान का नुकसान हो। इसका उदाहरण है कि मीटर चलता रहता है, तो ऐसी चीज उसमें लगा दी वायरमैन से मिलकर या इंजीनियर से मिलकर कि वह यूनिट न बता सके तो विद्युत् मंडल को भी नुकसान, तो आप अगर इसकी व्यवस्था कर दें योजनाबद्ध तरीके से तो न इस तरह का भ्रष्टाचार होगा न अव्यवस्था होगी और न किसान को परेशानी होगी। इसलिए आज किसान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पशुपालन विभाग व कृषि विभाग को इस तरह योजनाबद्ध तरीके से हल करना चाहिए, किसान की दिक्कत को समझना चाहिए वरना आज किसान सचेत हो गया है, अपने हितों के बारे में वह जान चुका है, मेरी समझ में नहीं आता कि वह कब तक यह बात बरदाश्त करता रहेगा। मैं समझता हूं, आज 50 प्रतिशत

(श्री शीशराम ओला)

बेरोजगारी की जो समस्या है, वह आसानी से हल हो सकती है।

इसलिए मैं फिर मंत्री महोदय से आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि झुन्झुनू जिले में अधिक से अधिक ट्यूब वैल्स खोद कर सरकारी खर्चे पर किसान को सुपुर्द कर दें ताकि वहां का किसान काश्त में प्रगति दिखा सके।

इसी प्रकार से पशु चिकित्सा मंत्री से कहना चाहूंगा कि वह 10-15 मील के एरिया में कम से कम एक चिकित्सालय उनके लिए खोलें।

(4.55 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो सांड घटिया नस्ल के हैं उनको बधिया किया जाय ताकि वह नस्ल को न बिगाड़ें। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया बोलने का। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री सुआलाल (अनुपस्थित)।

श्री देवीदत्त गाडिया। मैं समझता हूं, आपके भाषण के बाद में सरकार की ओर से उत्तर दे दिया जाय या और भी माननीय सदस्य हैं ?

श्री चुन्नीलाल: समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि माननीय देवीदत्त गाड़िया के बाद में सरकार की ओर से उत्तर दिया जाय।

श्री रोशनलाल: एक घंटा और बढ़ा दिया जाय, यह कृषि का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष: सदन की अनुमति से सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाता है। श्री देवीदत्त गाडिया, समय की सीमा 10 मिनट।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने कटौती प्रस्ताव सहकारिता, पशुपालन व कृषि विभाग पर दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सहकारी मंत्री का जो ऐसे धर्मसंकट के अंदर उलझे हुए हैं, ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज उन पर पर बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों का दवाव है। लेकिन मुझे विश्वास है कि सहकारी मंत्री, जो अनुसूचित जाति के हैं, किस प्रकार से इस विभाग के अन्दर अनुसूचित जाति के सहायक रजिस्ट्रार के साथ ज्यादती की है, उनको प्रमोशन देने में कितना अन्याय किया है, मैं उस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सहकारी विभाग के अंदर कितना घोटाला चल रहा है, किस तरह का षड़यंत्र है, नियमों का उल्लंघन किया है। इस विभाग के अंदर सन् 1954 के अंदर गजेटेड सर्विसेज रूल्स बनाए गए और उन नियमों के अंतर्गत 50 प्रतिशत विभागीय प्रमोशन और 50 प्रति सीधी भर्ती पी० एस० सी० के द्वारा, किया जाता था। इस प्रकार से 1955 में सबोर्डिनेट पोस्ट्स के लिए सर्विस रूल्स बने और उसके अंतर्गत उस समय 2/1 के रेश्यो के हिसाब से बनाए गए और पी० एस० सी० के द्वारा उनको प्रोमोशन मिलना चाहिए। लेकिन, उपाध्यक्षजी, मुझे कहते हुए दुख होता है कि उन नियमों का उल्लंघन करते हुए इस विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया और सन् 1956 के अंदर कुछ मंत्रियों और बड़े बड़े नेताओं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

के दवाव में आकर इन लोगों को लिया जैसे राधाकिशन चौधरी, गोविंदलाल शर्मा और श्री एस० के० माथुर। ये व्यक्ति दूसरे विभाग के अंदर थे, उनको टेम्परेरी पोस्टिंग देकर ए० आर० की पोस्ट पर नियुक्त किया। इतना ही नहीं 1959 के अंदर श्री नाहरसिह जो पहले जल बोर्ड के अंदर थे उनकी सर्विसेज टर्मिनेट हो गई, उसके बाद उनको भी डाइरेक्ट नियमों का उल्लंघन करके नियुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, इस तरह से मनचाहे लोगों को सारे नियमों का उल्लंघन करते हुए, न इनका सिलेक्शन हुआ न पी० एस० सी० द्वारा एप्रूव्ड हुआ लेकिन बड़े आदमियों और नेताओं के दवाव में आकर उनको एक साथ जम्प देकर डिप्टी रजिस्ट्रार आर जोइंट रजिस्ट्रार वना दिया।

(5 म० प०)

इतना ही नहीं उनको जोइन्ट रजिस्ट्रार वनाने के बाद में माननीय उपाध्यक्षजी, श्री राधाकिशन चौधरी, श्री गोविन्दलाल शर्मा, श्री श्रीकृष्ण माथुर, को अनुचित लाभ पहुंचाया: उनको जोइन्ट रजिस्ट्रार बनाने के साथ साथ डबल प्रमोशन दिया और अनुचित लाभ डेपुटेशन पर देकर किया। श्री राधाकिशन चौधरी को जो सहकारी फर्टीलाइजर फैक्टरी कान्डला है उसमें डेपुटेशन पर देकर, जिसका हैड ओफिस जयपुर में है, अनुचित लाभ पहुंचाया। श्री गोविन्दलाल शर्मा को, दिल्ली में नेशनल एग्रीकल्चर फैडरेशन है, उसके अन्दर भेजा गया। श्री श्रीकृष्ण माथुर को केन्द्रीय भूमि विकास बैंक में मैनेजर वना कर अनुचित लाभ पहुंचाया।

श्री रामनारायण चौधरी : ओन ए पोइन्ट ओफ ओर्डर, सर। जिन मामलों के बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं वह राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बैंच में विचाराधीन हैं। जब तक उसका निर्णय न हो जाय यह केस प्रभावित हो सकता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट का डिसिजन है। ए० आर० की पोस्ट को लेकर हाई कोर्ट में अपील है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय गाड़ियाजी। कृपया यह वताइये कि ये मामले हाई कोर्ट की डिविजन बैंच में में पैन्डिंग हैं या नहीं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाई कोर्ट ने ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ यह निर्णय दिया है जिसमें नाहरसिह जी को छोड़ कर बाकी के विभाग में रहने लायक नहीं हैं और तुरन्त उनको हटा देना चाहिये उसको लेकर अपील है।

श्री रोशनलाल शर्मा : हटाना चाहिये या नहीं ? हाई कोर्ट में यह मामला पैन्डिंग है या नहीं ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : वह ए० आर० की पोस्ट को लेकर है। जोइन्ट रजिस्ट्रार और डिप्टी रजिस्ट्रार के लिये नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : जिसको रेफर कर रहे हैं उसमें हाई कोर्ट का जजमेन्ट आपके पास है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : जो मामले हाई कोर्ट की डिविजन बेंच में पेंडिंग हैं उनको नहीं उठाना चाहिये । ए० आर० डी० आर० या क्या होने चाहिये यह अलग बात है । तथ्यों का प्रश्न है । तथ्य हाई कोर्ट के सामने पेंडिंग हैं ।

श्री देवीदत्त गाडिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था रूल्स के अनुसार सीनियोरिटी, सलेक्शन वे ही माने जाते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात कह रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : विभाग की बात कह रहा हूं । उसके लिये नहीं कह रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : उसमें क्या डिसिजन हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : डिसाइड कर दिया । जो मामले सबजुडिस हैं उनकी चर्चा नहीं होगी ।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, रूल्स के अनुसार सीनियोरिटी विभाग में उसी की मानी जाती है जो सीनियर हो और उसी का सलेक्शन हो । एक वक्त में ही प्रमोशन और रिक्रूटमेन्ट होता है सीनियोरिटी उसकी मानी जाती है जो पी० एस० सी० से सलेक्ट होकर आता है । इतना ही नहीं, पी० एस० सी० के द्वारा सलेक्शन और विभाग द्वारा रिक्रूटमेन्ट इन दोनों की सूची पी० एस० सी० द्वारा बन कर आती है वह ही सीनियर माना जाता है । सन् 1956 में विभाग ने ए० आर० का सलेक्शन किया । चार व्यक्तियों का, श्री जे०पी० काला, श्री लुहाड़िया, श्री महादेव प्रसाद और श्री डी० आर० व्यास । जो रेगुलर रूप में सलेक्ट किये गये । 63 में इसी प्रकार से रिक्रूटमेन्ट के द्वारा 15 व्यक्तियों का सलेक्शन हुआ । उसमें से 13 ने जोइन किया । 63 में इस प्रकार विभाग ने प्रमोशन के द्वारा 18 व्यक्तियों का सिलेक्शन किया । इस प्रकार 35 व्यक्तियों का सलेक्शन किये जाने के कारण और इसी बीच में सन् 1959 में पी० एस० सी० के द्वारा 12 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया था, 12 व्यक्तियों को सिलेक्ट किया उस सलेक्शन को राज्य सरकार ने स्वीकार नहीं किया । जो उनके मन चहेते थे वे सलेक्शन में नहीं आये इसलिये पी० एस० सी० के द्वारा सिलेक्ट किये हुए व्यक्तियों को स्वीकार नहीं किया । पी० एस० सी० और सरकार के बीच और विभाग के बीच पत्र व्यवहार होता रहा । लेकिन सरकार ने उसकी उपेक्षा की । इसी प्रकार अपने मन चहेते लोगों को सिलेक्ट करने के लिये सरकार ने नियमों में अमेन्डमेन्ट किया और अनुचित ढंग से कुछ व्यक्तियों को प्रमोट किया । रूल्स का वायोलेशन करते हुए, उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री हुक्मा राम, श्री राधेश्याम, श्री नाथूराम मीणा, को जिन्हें पी० एस० सी० ने सिलेक्ट किया था उनको आज तक प्रमोशन नहीं दिया और वे अपनी जगह पर काम कर रहे हैं । इसी प्रकार से इस विभाग में जितने घोटाले चल रहे हैं उसका मुख्य कारण यह है कि जो भूतपूर्व सहकारी मंत्री हैं, जो आज सदन में नहीं हैं, जिन पर हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने चार्जेज लगाये उन्होंने किसी प्रकार पक्षपात करके रूल्स को बालाये ताक रख कर इस प्रकार की अन्धेरगर्दी की जिससे विभाग में बड़ा भयंकर असंतोष है ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से जो पक्षपात किया गया और उसके कारण से

(श्री देवीदत्त गाडिया)

पी० एस० सी० के द्वारा बेचारे जो आज तक सलेक्ट होकर आये उनको प्रमोशन नहीं मिला। सन् 66 में नियमों के विरुद्ध अनधिकृत नियम बनाये और अपने चहेते लोगों का अपोइन्टमेन्ट किया और दूसरे लोगों के साथ अन्याय किया।

उपाध्यक्ष महोदय, नियम ऐसे हैं कि जो व्यक्ति सीनियर माना जाता है उसको प्रमोशन देना चाहिये। विभाग और पी० एस० सी० द्वारा सलेक्ट हुए उनका सन् 67 में कन्फर्मेशन नहीं किया। इस कारण नहीं हुआ कि अपने मन चहेते लोगों को सलेक्ट करना चाहते थे। जो लोग विभाग में लम्बे अर्से से चलते आ रहे थे उनका कन्फर्मेशन हो जाय तो वे मांग कर लेते कि लम्बे अर्से की सर्विस है, सीनियोरिटी हम को दी जाय, इसलिये नहीं किया और कब किया? जब उनके मन चहेते लोगों को सलेक्ट कर लिया सन् 1966 में। इतनी अन्धेरगर्दी के कारण प्रकाशचन्द्र बागोटिया जो विभाग के आदमी हैं और शिड्यूल्ड कास्ट के हैं और इसी प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की। हाई कोर्ट ने डिसिजन दिया यह सरकार के और उन व्यक्तियों के ऊपर करारा तमाचा है। यह 49 पृष्ठ का हाई कोर्ट का जजमेन्ट पढ़ा जाय तो यह सरकार जो अपने आपको समाजवादी कहती है, यह सरकार जो अपने आपको नियम और कानून के अन्तर्गत चलने वाली कहती है उसका नंगा चित्र सामने आता है। उन्होंने चार्जेज लगाये हैं, हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर खुले आम आरोप लगाये हैं लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह राज्य सरकार जनता पर टैक्स लगाती है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस प्रकार का अन्याय हुआ है और कोई सुनता नहीं है।

दो मिनिट, उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सहकारी विभाग के मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगा कि कोटा जिले के अन्दर जितनी भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं–किशनगंज, शाहबाद, बारां, अटरू के अन्दर भीलों और आदिवासियों को बुला बुलाकर बनायी गयी हैं और इनके कर्ताधर्ता पूंजीपति बन गये हैं जिन्होंने सरकार से सबसीडी और लोन लेकर इन लोगों को इनमें से निकाल दिया है और अपने रिश्तेदारों को इन में भर लिया है। कर्जा लेकर ट्रैक्टर वगैरह खरीद लिये और खेती कर रहे हैं। इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

अटरू में गांधी कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी है जो कई वर्षों से चल रही है। उसका कभी ऑडिट नहीं होता है। कांग्रेस के एक भूतपूर्व मंत्री, श्री अभिन्न हरि उसके कर्ताधर्ता हैं, जिनके पास कोई कागज नहीं है और न वे कभी उसका ऑडिट करवाते हैं। मैं पूछता हूं क्या सरकार इसकी जांच करवायेगी? आज यह सरकार गरीब जनता पर टैक्स लगाती है और कहती है कि हमारे आय के श्रोत कम हैं। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा। जयसमन्द झील के ठेके के बारे में। जयसमन्द झील एशिया की सब से बड़ी झील है। इसके विभाग की रिपोर्ट है, डिपार्टमेन्ट की जो रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि इसके काम को विभाग के हाथ में लिया जाये–मछली पकड़ने से हावड़ा में

(श्री देवीदत्त गाडिया)

बेचने तक का काम हाथ में लिया जाये तो साल भर के अन्दर सारा खर्चा निकालने के बाद राज्य सरकार को 25 लाख की आमदनी हो सकती है लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, इस जयसमन्द झील का ठेका होशियारचन्द जिसके ऊपर काफी गंभीर आरोप हैं जिसने सरकार के ऊपर स्टे आॅर्डर ले लिया उसके साथ ही यह सरकार एग्रीमेन्ट करती है। जिसने स्टे आॅर्डर लाकर सरकार को नुकसान पहुंचाया है उसी को यह सरकार ठेका देती है। मैं पशुपालन मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा आप किस आधार पर 5 साल का ठेका, 5 साल का एग्रीमेन्ट उसके साथ करते हैं और स एग्रीमेन्ट से सरकार को सिर्फ एक लाख 25 हजार से अधिक की आमदनी नहीं हुई है और इसकी सप्लाई हावड़ा के अन्दर 15 रुपया किलो में होती है, 15 रुपया किलो में बेची जाती है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इसमें बदबू आती है। इसके अन्दर सांठ-गांठ कर के, रिश्वत लेकर इस होशियारचन्द को नाजायज तरीके से यह ठेका दिया गया है। इसको 5 साल का ही ठेका क्यों दिया गया। आप चाहते तो एक साल का ठेका दे सकते थे। दूसरे ठेकेदार इससे अधिक कीमत लगाने को तैयार थे लेकिन उनको यह ठेका नहीं दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह जयसमन्द झील का मछली पकड़ने का ठेका एक बहुत बड़ा स्केण्डल है। इसी तरह इस विभाग के रामगढ़ बांध की मछली पकड़ने का ेका जिस ठेकेदार को दिया गया है, उसके पहले उस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बदला गया। मंत्री महोदय क्या आप बता सकते हैं कि इन को क्यों बदला गया? क्यों आपने उस कर्मचारी पर दबाव डाला कि आप छुट्टी लेकर चले जायें। क्योंकि आप के और ठेकेदार के बीच में सांठ-गांठ थी।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अकाल के संबंध में, अकाल पीड़ित क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर और पाली से मवेशी हमारे कोटा जिले में लाई गई और यह मवेशी पशुपालन विभाग के वाहन में आई। इस मवेशी को कोटा तक छोड़ने की व्यवस्था थी लेकिन कोटा से शाहबाद और शिवपुरी तक छोड़ने के लिये कोई वाहन की व्यवस्था नहीं थी। मैंने राजस्थान के महामहिम राज्यपाल महोदय को, मुख्य मंत्री महोदय को इस संबंध में पत्र लिखे कि इसकी व्यवस्था अविलम्ब कराई जाये लेकिन कोई उत्तर नहीं। हजारों की संख्या में यह मवेशी वहां पर मर गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि कोटा जिले के अन्दर किशनगंज, शाहबाद, बारां, छबड़ा, छीपा बड़ौद, अटरू इन स्थानों में पशुपालन के केन्द्र हैं। बारां के अन्दर पशु चिकित्सालय जरूरी है। क्यों नहीं आपने वहां एम० आई० यूनिट कायमकर दिया जब रोग फैलता है तो हजारों पशु मर जाते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि वहां पर एम० आई० यूनिट तत्काल कायम की जाये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कृषि के संबंध में भी मेरा कटौती प्रस्ताव है। इस संबंध में दो, तीन सुझाव देना चाहता हूं। मेरा आपसे यह निवेदन है कि कृषि मंत्री महोदय आपने, आपके विभाग ने सन् 54 से सन् 64-65 तक राजस्थान की पंचायत समितियों के माध्यम से कृषि का खाद व बीज का वितरण किया था, यह खाद व बीज किसानों को जबरदस्ती दिया गया था और आज पंचायत समितियों के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पास और जिला कृषि अधिकारियों के पास इसके सही आंकड़े नहीं हैं और करोड़ों रुपयों की रकम खाद और बीज की विभिन्न पंचायत समितियों में अटकी पड़ी है। मुझे याद है बारां पंचायत समिति में पुराना रिकार्ड नहीं मिला जिन को कि खाद व बीज का वितरण किया गया था, उनके कोई दस्तखत पंचायत समिति के पास नहीं हैं, कोई बोण्ड पंचायत समिति ने किसानों से नहीं लिया और मोटे तौर पर पंच और सरपंच ने फर्जी रिकार्ड तैयार कर लिया और पंचायत समितियां सरकारी दबाव के कारण इस खाद और बीज को जो 54 से 64 तक किसानों को दिया गया था फर्जी कागज तैयार कर के किसानों से वसूल कर रही है। भूतपूर्व सरपंच ने जो लिस्ट दे दी उसके मुताबिक ही पी०डी०आर० के तहत कार्यवाही कर दी जाती है। जब किसानों के कोई दस्तखत नहीं हैं, कोई बाण्ड नहीं हैं फिर किस कानून के तहत आप उनसे यह वसूली कर रहे हैं। आज किसान वैसे ही पीड़ित है। जिन किसानों ने रकम जमा करा दी और जिनके पास रसीदें हैं उनके खिलाफ भी पी०डी०आर० की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह करोड़ों रुपयों की रकम किन कारणों से बाकी है। आपने क्या कार्यवाही की। क्यों नहीं आपने आपके जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की? ए०ई०ओ० जो खाद और बीज का वितरण करने में मुख्य था उसको क्यों नहीं सस्पेण्ड किया? इनको आप सस्पेण्ड नहीं कर सकते, जिला कृषि अधिकारी को आप निलम्बित नहीं कर सकते। लेकिन इन बेचारे गरीब किसानों के ऊपर जो, अनपढ़ हैं और निर्धन हैं, उनके खिलाफ आप पी० डी०आर० की कार्यवाही करते हैं। क्या आपका यही समाजवाद है? आज इटावा पंचायत समिति के अन्दर जो खाद व बीज दिया गया है, उसके अन्दर घोटाला है। इस तरह का घोटाला एक लम्बे अर्से से चल रहा है। इटावा पंचायत समिति का बी०डी०ओ०, रामनारायण शर्मा ने दो दो बार ट्रक का किराया फर्जी बिल बनाकर ले लिया और किसानों को नहीं दिया और आज पी०डी० आर० की कार्यवाही चल रही है। पैसा कौन हजम कर जाये और कार्यवाही किस के ऊपर चले उस समय के ए०ई० ओ० को एक बार निलम्बित किया गया? उसके बाद आपने क्या किया? क्या इसी आधार पर आप कृषि उत्पादन करना चाहते हैं। क्या आपका यही समाजवाद है?

इतना ही नहीं, यह सरकार खाद और बीज के वितरण में किसानों के साथ नाटक करती है। हमारी राजस्थान की सरकार बारां क्षेत्र में अमेरिका से दवा मंगाकर प्लेन से उसका छिड़काव कराती है, लोगों के खेतों पर प्लेन से कराती है....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : दो मिनिट आपने पांच मिनिट पहले मांगे थे। माननीय सदस्य अब भाषण समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो उपाध्यक्ष महोदय, अमेरिका द्वारा खाद छिड़का गया, स्प्रे किया गया। यह हिन्दुस्तान की जनता पर और हिन्दुस्तान के लोकतन्त्र पर कलंक है। क्या हम इसी आधार पर हिन्दुस्तान को जिन्दा रखना चाहते हैं? क्या हम कोटा जिले के बारां क्षेत्र में स्प्रे तक नहीं कर सकते? वहां के किसान तबाह हो जाते हैं और सरकार को कोई लज्जा नहीं आती है और अमेरिक

(श्री देवीदत्त गाडिया)
की मदद लेकर हम गौरवान्वित होते हैं। मैंने बार बार कृषि मंत्रीजी को रिपोर्ट की कि हमारे क्षेत्र की फसल में कीड़ा लग गया है उसको बर्बाद होने से बचावें। मंत्री महोदय कहते हैं स्प्रे हवाई जहाज से करवा दें तो क्या खर्चा किसान दे देगा ? आप किसान से खर्चा मांगते हैं ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अमेरिका की सी०आई०ए० का पैसा नहीं लें ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं इस के साथ में एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे भू-जल मण्डल ने, दूसरे विभाग ने ट्यूब वैल खोदे हैं। जहां खोदे उनका इस सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है।

मैं अभी कुछ दिनों पहले चिड़ावा और हिन्डौन गया था। वहां पर अण्डर ग्राउण्ड वॉटर बोर्ड ने ट्यूब वैल खोदा है उसको मैंने देखा है, उसमें पानी है, चिड़ावा में मैंने देखा पानी है, लेकिन उस ट्यूब वैल पर किसी दूसरे व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है। जिस चिड़ावा में 80 हाथ नीचे पानी है वहां हजारों रुपया खर्च किया। विभाग को बार बार लिखा गया सरकार ने उस कुए पर रकम खर्च की है लेकिन उस पर किसी दूसरे ही व्यक्ति का कब्जा है। उससे पैसा वसूल करने के लिये लिखा लेकिन किसी ने वसूल नहीं किया। हिन्डौन और चिड़ावा दो जगह तो मुझे याद है इनमें कई जगह कुए खुदे हुए हैं लेकिन उसका सरकार के पास कोई हिसाब नहीं है। न उनकी देखभाल ही है।

अन्त में मैं सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आपके हाथ में सहकारी विभाग आया है, आपके रहते कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रोमोशन मिलना चाहिए। लेकिन आप बड़े बड़े व्यक्तियों से घिरे हुए हैं जिनका आप पर दबाव निरन्तर पड़ रहा है। आपके अनुसूचित जाति का होने के नाते मथुरादास जी और दूसरे मिनिस्टर लोग आप पर असर डाल कर जो अनियमितता हुई है, उनके रिश्तेदारों के रखने में जिस प्रकार की अनियमितता हुई है, जिसके लिए हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि इन लोगों का गलत ढंग से प्रमोशन हुआ है, इस निर्णय के बाद भी वे लोग अपने अपने स्थान पर जमे हुए हैं वे जोइण्ट रजिस्ट्रार के पद पर बने हुए हैं। यदि ये इसी तरह से रहे तो आपके जो हरिजन कर्मचारी हैं हुकमाराम आदि इनको तो जिन्दगी में चान्स मिलने वाला नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। आपका समय समाप्त होगया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : जनसंघ के प्रति सोफ्ट कोर्नर हो गया प्रतीत होता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोकुलचन्द।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक कटौती का प्रस्ताव पशुपालन विभाग पर है। सन् 67 के बाद बराबर मैं इस संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करता रहा हूं कि खैरथल बहुत अच्छा कस्बा है, मण्डी है साढ़े ग्यारह हजार की जनसंख्या है। ग्राम पंचायत की जगह नगरपालिका बना दी गई है। नया हायर सैकण्डरी स्कूल वहां बन गया है। इतनी बड़ी आबादी होते हुए भी वहां पर पशु चिकित्सालय का अभाव है अतः वहां इसका होना आवश्यक है।

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

वैसे आज इस मांग के साथ साथ तीन मांगें और हैं—सहकारिता एवं कृषि और पशु पालन। मैं सहकारिता के बारे में अधिक नहीं कहना चाहता। आज हमारा राज्य भी सहकारिता के आधार पर ही चलता है हम यहां विधान सभा में सभी सदस्य सहकारिता के आधार पर वाद-विवाद में हिस्सा लेते हैं, असन्तोष भी जाहिर करते हैं विरोध भी करते हैं। इसलिए जहां सहकारिता है वहां सभी तरह के लोग होते हैं, उन्हीं को मिला कर सहकारी समितियां बनती हैं। मुझे मालूम है सहकारी समितियों की जो प्रबन्ध समिति होती है उसमें पांच व्यक्ति होते हैं। अधिकतर इन समितियों में गांवों के अनपढ़ लोग ही होते हैं जिनको कानून कायदे का ज्ञान नहीं होता। ऐसे गरीब लोगों का वहां नुकसान होता है, इनका शोषण होता है। सरकार को इस बात के लिये सोचना चाहिए कि गरीब और अशिक्षित जो लोग हैं जिनको सदस्य बनाने का अधिकार दिया है उनके अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार हो ? मैंने एक दो समितियां ऐसी भी देखी हैं जो कुछ लोगों को जमीन दिलाकर सहकारी समिति बना लेते हैं जिसमें ज्यादातर हरिजन लोग होते हैं उसके साथ साथ दूसरे सवर्ण जाति के लोग भी होते हैं। दूसरे लोगों ने क्या किया कि ट्रेक्टर आदि खरीद लिये किन्तु जितने फायदे समितियां बनाने से सब को होने चाहिए हरिजन सदस्यों को वह फायदे नहीं मिल सके। इस प्रकार उनको पूरा अधिकार नहीं मिलता। इस प्रकार का जो सहकारिता का रूप है वह तो मैं चाहता हूं कल खत्म होता आज ही खत्म होजाय तो मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। हर बार सहकारी समितियों का चुनाव करते हैं लेकिन आखिर होता क्या है गरीब आदमी को अपने अधिकार नहीं मिलते इसमें परिवर्तन होना चाहिये अगर नहीं होता है तो ऐसी समितियों से कोई फायदा नहीं है।

अलवर जिले में ऐसी एक दो समितियां हैं जिसके नाम भी अगर मंत्री महोदय चाहें तो मैं बता सकता हूं। मैं समझता हूं सरकार के ध्यान में भी वह हैं ऐसा मैं समझता हूं लेकिन वे भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह वोट का राज है इसलिए वे भी मजबूर हैं। सरकार इनमें कितना सुधार कर पायेगी यह मैं नहीं कह सकता।

कृषि के बारे में भी माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। उत्पादन बढ़ना चाहिए, उत्पादन बढ़ा भी है इससे इन्कार नहीं किया जा सकता। आज हम सुनते हैं कि 500 बीघे का फार्म होना चाहिए एक हजार बीघा का होना चाहिए 100 और 125 बीघा का तो है ही तो ऐसे बड़े बड़े फार्म रखने वाले एक दो ही किसान हो सकते हैं। लेकिन आज हालत यह है कि एक रुपये का अनाज पुड़िया में आने लग गया है लोग कहते थे कि वह जमाना आने वाला है जिसमें एक रुपये का अनाज पुड़ियों में आयेगा। आज सवा रुपये का एक किलो अनाज मिलता है। इससे सब लोग परेशान हैं सब लोग तो काश्तकार हैं नहीं जो अनाज पैदा करते हों। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मजदूर वर्ग के हैं। बड़े फार्म वाले तो बढ़िया बीज भी ले आते हैं औजार भी ले आते हैं। पहले के जमाने में किसान अपने गांव के लोगों को पांच-सात सेर अनाज तो ऐसे ही दे दिया करता था जैसे चमार है, कुम्हार है, लोहार है, इनको अनाज दे देता था और उससे अपने काम करा लेता था। वह उनको अनाज देकर ओबलाइज करता था इस पर वे इनका काम कर देते थे। आज तो बड़े बड़े फार्म वाले सोचते हैं कि यह

(श्री गोकुलचन्द जाटव)

तो बड़ा अच्छा बिजीनेस है। रुपये सवा रुपया सेर अनाज मिलता है तो इससे कमाना चाहिए। आज चाहे गरीब हो या अमीर सब को खाने के लिए अनाज और पहनने के लिये कपड़ा तो चाहिए। गरीब बेचारा सरदी में कपड़े कुछ अधिक पहनता है गर्मी में वह बिना कपड़े के भी रह सकता है। उसको गेहूं नहीं मिलता है तो जौ और चने से ही काम चला लेता है लेकिन अनाज तो खाने के लिए चाहिये ही। सरकार ने कन्ट्रोल कर रखा है। एक महीने में दो किलो अनाज एक व्यक्ति को मिलता है। मेरा सरकार से निवेदन है कि आप कन्ट्रोल प्रणाली लागू भी करते हैं तो हर व्यक्ति को पेट भरने के लिए पूरा अनाज तो दें। हर आदमी किसान नहीं है, शहरों में रहने वाले अन्य लोग जो अनाज पैदा नहीं करते उनको कम से कम इतना अन्न तो दीजिये जिससे वे पेट भर सकें। जब अनाज के भाव बढ़ते हैं तो पांच रुपये सरकारी कर्मचारी के बढ़ जाते हैं लेकिन दूसरी तरफ इतनी मंहगाई बढ़ जाती है कि दस रुपया उसकी जेब से निकल जाता है। तो मैं नहीं समझ पाता कि 20 वर्षों में कैसा समाजवाद आया है और अगले पांच सालों में कैसा आवेगा। सरकार इस मामले में सर्वथा असमर्थ रही है और आगे भी क्या समर्थ होगी और कितना कन्ट्रोल कर पावेगी मुझे तो घोर असन्तोष है, विश्वास नहीं है।

पर चूंकि यह पंचायती राज है, हमें कहने को मौका मिलता है, सरकार सुनना भी चाहती है और करना भी कुछ चाहती है, नीयत में उसकी मैं शक नहीं मालूम पड़ता, पर उसकी विवशता क्या है? सरकार क्यों ढीली है? क्यों नहीं कड़ाई से काम लेती है? यह तो राज है, आज हमारे हाथ में है, कल दूसरों के हाथ में जा सकता है, हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में जो हो रहा है, वह हम देख रहे हैं तो यह सब हमें देखकर सख्ती से कुछ काम कर डालना चाहिए। मजबूती से कदम उठाने चाहिए। इतिहास में हमारा नाम रहेगा, चाहें हम रहें या नहीं रहें, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। इतिहास साक्षी है कि न जिन्दगी भर राजा कोई रहा, न विधान सभा में भी हम बैठे रह सकते हैं। इतनी सल्तनतें आईं और गईं पर जिन्होंने जनता की भलाई के लिए काम किया इतिहास में उनका नाम और काम अमर है।

श्री रामसिंह कुशी : नाम लिखाने का अवसर आपका भी आ गया है।

श्री गोकुलचन्द जाटव : तो मैंने ये संक्षेप में विचार रखे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : गोकुलचन्दजी का नाम रिकमेण्ड कर देना चाहिए डिप्टी मिनिस्टरी के लिए।

श्री गोकुलचन्द जाटव : धन्यवाद है आपको।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : समर्थलालजी जो बीच में आ टपके। क्या करें?

श्री गोकुलचन्द जाटव : आप चाहते हैं कि मैं उपर आकर बैठ जाऊं तब आप बनावें, तो यह मेरे से होगा नहीं।

मेरे विचारों से कुछ नाराजगी हो सकती है। पर आज जो हालत देश में और अपने क्षेत्र में दिखाई दे रही है उससे परेशानी होती है। इसलिये कहना पड़ता है क्योंकि राज्य के संचालन में थोड़ा अपना भी हिस्सा मानता हूं और इसलिए अपनी बात कहने की इच्छा.

(श्री देवीदत्त गाडिया)

रखता हूं। अब इससे कौन राजी होता है, कौन नाराज होता है यह अलग बात है। बात तो जनता के सुखी और समृद्धिशाली होने की है। इसके लिये सरकार को सख्ती से कदम उठाने की जरूरत पड़े तो वह भी उठाने चाहिए। तीन बातें मैंने कहीं। एक बात पशुपालन मंत्रीजी से कहनी है। खैरथल की खूबसूरती को और वहां के विधायक को ध्यान में रखते हुए वहां आप पशु चिकित्सालय खोलने का प्रयत्न करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : खैरथल में पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है।

श्री रामकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि विभाग द्वारा चित्तौड़गढ़ में कल्याण सोना बीज खरीदा गया और इसमें जो घोटाला हुआ उसके संबंध में सदन को जानकारी देना चाहता हूं और सरकार का ध्यान उस ओर दिलाना चाहता हूं और साथ ही प्रार्थना करता हूं कि इस घोटाले की जांच कराई जाय और दोषी अधिकारियों को उपयुक्त दण्ड दिया जाय ताकि आगे इस तरह के घोटाले करने का कोई साहस नहीं कर सके। ऐसे लोगों को सबक मिलना ही चाहिए।

स संबंध में मेरे तारांकित प्रश्न का उत्तर सरकार न अतारांकित करके दिया था। चित्तौड़गढ़ में कृषि विभाग द्वारा इस वर्ष कल्याण सोना बीज किसानों को दिया गया कपासन और भोपालसागर तहसील में। किसानों ने वह बीज जमीन में बोया। पर वह बीज उगा ही नहीं। तो इस वर्ष यह जो बीज खरीदा गया वह भैंसरोडगढ़ के नीबड़ी के रिटायर्ड चीफ जस्टिस, राणावत साहब के फार्म का था। वह प्रोसेस किया गया था। चलनी के नीचे निकला हुआ बीज वह था। एग्रीकल्चर विभाग ने इस बात की गारन्टी दी और अपनी सील उस पर लगाई कि यह बीज प्रोसेस किया हुआ है। इस विश्वास पर विभाग की इस सील को देखकर लोगों ने लिया। अब अगर वह छाप सही थी तो यह गड़बड़ी क्यों हुई, बीज उगा क्यों नहीं? इसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफीसर रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उदयपुर स्टेट के श्री राणावत साहब के घर पर गये और उनसे मिलने के बाद चलनी में से निकला हुआ बीज खरीदा गया। तो पिछले दो तीन सालों से विभाग द्वारा ये गड़बड़ियां की जाती रही हैं। इसलिए इन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसकी वास्तव में गहराई से जांच कराई जानी चाहिए कि हर साल ऐसा क्यों होता है।

पिछले साल भी कपास का बीज बोया गया। कपास के डोडे आये पर वह फूला नहीं। कपास उसमें से निकला नहीं। तो ऐसा बीज देकर किसानों के साथ अन्याय क्यों किया जाता है? इससे आपकी पैठ भी उठती है। आपके इन तथा कथित उन्नत बीजों पर से इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण किसानों का विश्वास उठता जा रहा है। इसे आपको सख्त हाथों से रोकना होगा।

पिछले साल प्रतापगढ़ तहसील में किसानों को बांटने के लिये सूरतगढ़ से चना

(श्री रामकुमार नन्दवाना)

मंगाया गया। पर वह चना उगा नहीं। ऐसा बीज देकर आखिर जिले के किसानों के साथ यह एग्रीकल्चर विभाग अन्याय क्यों करता है? तो इन बातों पर गहराई से सोचने की बात है और सख्त हाथों से इनकी पुनरावृत्ति रोकने की आवश्यकता है।

श्री रामसिंह कुड़ी : सारे राजस्थान की ही यही हालत है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में बातें न करें। ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री रामकुमार नन्दवाना : तो इन बातों की ओर जानबूझ कर अगर मैं ध्यान नहीं दूं और सरकार के नोटिस में नहीं लाऊं तो इस अन्याय में भी भागीदार बनने का दोषी होता। मैं चाहता हूं कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से काम ले।

शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को जमीनें आवंटित की गई, 12 महीने हो गये, पर अभी तक उनको जमीनों पर कब्जा नहीं दिया गया। तेरह सौ में से चार, साढ़े चार सौ को जमीनें मिलें और उनका भी कब्जा नहीं दिलाया जावे तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण मेरी समझ में नहीं आया। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए। जो निर्णय गांधी जन्मशताब्दी के अवसर पर लिया गया उसको पूरा किया जाना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : वादा नहीं किया था घोषणा की थी।

श्री रामकुमार नन्दवाना : दोनों एक ही बात है।

शुगर फैक्टरी वाले हमेशा नवम्बर से गन्ना खरीदना शुरू करते हैं। पर अभी मार्च जा रहा है खेतों में गन्ना खड़ा है। खरीद नहीं कर रहे हैं। खरीदते भी हैं तो एक एक दो दो गाड़ियों की चिट्ठियां देते हैं। तो यह परेशानी की हालत किसान के लिये पैदा हो गई है। यही हालत रही तो मई तक गन्ना नहीं खरीदा जा सकेगा पूरा का पूरा, तो हालत बदतर हो जावेगी। इस बारे में सरकार समुचित व्यवस्था करे।

इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले में कोऑपरेटिव सोसायटियों के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा। पंचायत समितियां और कृषि समितियों के माध्यम से किसानों को बीज दिया गया है। अब उनसे जबर्दस्ती वसूलियां हो रही हैं, डबल पैनल्टियां हो रही हैं। कुर्कियां कराई जाती हैं। तो इसके बारे में भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी मांगें प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय........

श्री नत्थीसिंह : दो घंटे पूरे हुये कि नहीं और मंत्रीजी का जवाब भी आना अभी बाकी है। समय बाकी है नहीं।

श्री शंकरलाल : समय बढ़ा दिया गया है।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, लम्बे लम्बे भाषण........

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : कृषि की मांग के संबंध में मैंने एक कटौती का प्रस्ताव रखा

(श्री शंकरलाल)

है और सहकारिता के संबंध में मैंने तीन कटौती के प्रस्ताव रखे हैं। पहले मैं कृषि के संबंध में अर्ज करूंगा। कृषि उत्पादन के लिये राज्य सरकार द्वारा जितना ध्यान दिया जाना चाहिये वह नहीं दिया जा रहा है और इसका खास कारण यह मिलता है कि कुओं में जो बोरिंग द्वारा सिंचाई होती है वह पर्याप्त नहीं है। कुओं में मशीनें नहीं लगाई जा रही हैं। कुओं पर मशीन मंजूर हो जाती है लेकिन उनके मंजूर होने के पश्चात् भी एक दो साल तक मशीन के अभाव में काम चालू नहीं होता है। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कुओं द्वारा सिंचाई करने से उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तो क्यों नहीं मशीनों का प्रावधान किया जाता है। जब सब तरफ से यह मांग है कि कुओं में मशीन लगाई जाय तो क्यों नहीं कुओं के लिये ज्यादा मशीनें उपलब्ध कराई जाती हैं।

विशेषतौर से मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र का जिक्र करूंगा जैतारण-रायपुर का बान्ध है बन गया, 15 गांव ऐसे हैं जो सिंचाई का पानी लेते थे वह बन्द हो गया। उसके लिये प्रतिवेदन भी दिया और वह प्रतिवेदन मुख्य मंत्रीजी को दिया गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं मोराई नदी पर झूवा नाम के व्यक्तिगत आदमी ने कुआ लगाया है उससे 4-5 मील पर सिंचाई होती है। वह कुआ सफलता पूर्वक सम्पन्न हो रहा है वैसे ही कुएं मोराई नदी में और बन सकते हैं और उनसे सिंचाई का काफी पानी दिया जा सकता है। सिंचाई की दर हम देंगे। सिंचाई के पानी का खर्च हम देंगे। इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सर्वे का आदेश दिया था। सर्वे की रिपोर्ट आ गई है और उसमें यह लिखा है मोराई के लिये नल-कूप उपयुक्त है और उसके बाद गये साल सेंक्शन भी हो गया और सेंक्शन खतम भी हो गई और काम चालू नहीं हुआ। नये सिरे से और प्रतिवेदन दिया लेकिन इसके लिये मुझे उत्तर दिया गया बजट नहीं है, फन्ड नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा 15 गांवों में कम खर्च में सिंचाई बढ़ाई जा सकती है और जो सर्वे हो चुका है तो मैं समझता हूं फिर किस प्रकार आप कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना चाहते हैं अभी जैसलमेर और बाड़मेर में ट्यूब वेलस बने हुये हैं वहां रेगिस्तान में हरियाली नजर आती है तो फिर दूसरी जगह क्यों नहीं सरकार इसको हाथ में लेती है?

दूसरा जो मेरा कटौती प्रस्ताव है वह सहकारिता के संबंध में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान के अन्दर जो सहकारिता का आन्दोलन है वह आन्दोलन इस स्टेज पर है कि अभी तक राजस्थान में सहकारी शिक्षा की अत्यन्त आवश्यकता है। 60 जो इन्सट्रक्टर्स हैं उनकी सेवाओं को समाप्त करने का नोटिस दिया गया है। 1 अप्रेल से उनकी सेवायें खतम की जा रही हैं। इसी प्रकार राजस्थान सेवा सहकारी संघ में भी कुछ कर्मचारी हैं जिनको भी समाप्त किया जारहा है। इस तरह 80 व्यक्ति सहकारी शिक्षा के अन्दर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं वह सब बेकार हो जायेंगे। अव्वल तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां आप सहकारिता को समाजवाद से जोड़ते हैं, सब प्रकार से आपने मान्यता दी है और सहकारिता के जरिये ही हम समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं तो आज सहकारी शिक्षा का होना जरूरी है। यह बात मानने लायक है कि सहकारिता संघ में घोटाले हुये हैं सहकारी संघ अच्छी तरह काम नहीं

(श्री शंकरलाल)

करते हैं, सहकारिता संघ में भ्रष्टाचार की शिकायत आती है तो मैं कहता हूं उसको हटाने से क्या होगा ? उसमें आप पूर्ण सुधार कीजिये, भ्रष्टाचार की शिकायत आने पर आप उसकी जांच कीजिये और उस व्यक्ति को हटा दीजिये। मेरा मानना तो यह है कि सहकारिता शिक्षा का और तेजी से प्रचार करना चाहिये, सहकारिता शिक्षा में और ध्यान देना चाहिये इसका मतलब यह नहीं है कि सहकारिता तो हटा दें। सहकारिता आन्दोलन को अगर आप ग्रामों में फैलाना चाहते हैं, उससे आप दूर हो जायेंगे तो आपका समाजवाद कभी नहीं आ पायेगा। 12 वर्षों के बाद आज पेरिपेटेटिक यूनिट को समाप्त किया जा रहा है। अगर आपके पास कोई दूसरी नई स्कीम है तो फिर आप इस पेरिपेटेटिक यूनिट को हटा सकते हैं, फिर तो आप कह सकते हैं कि हम पेरिपेटेटिक यूनिट को नहीं रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आप कोई नई अच्छी योजना लाये लेकिन जब तक कोई नई योजना नहीं लाते हैं तब तक इस पुरानी योजना को क्यों समाप्त करते हैं ? उसमें एम० ए०, एलएल० बी० हैं उन्होंने क्या गुनाह किया है ? आपके यहां काम किया है। 10-12 साल बाद काम करने के आप कहते हैं कि तुम्हारी सर्विसेज 1 अप्रैल से समाप्त की जा रही है। कई तो उपाध्यक्ष महोदय, उसमें ओवर-एज हो गये हैं। उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने 10-12 साल सेवा की और ओवर एज होने के कारण अब वे दूसरी जगह पर भी नहीं जा सकेंगे ? हो सकता है दो चार आदमी खराब हों उनको सस्पेन्ड कीजिये लेकिन सब की सेवाओं को समाप्त कर देना, सब को अन-एम्पलाइड कर देना, सबको घर बैठा देना अन्याय है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर उदारता से विचार किया जाय। कमीशन बैठाकर उदारता की बात की जाय, यह उनका अधिकार है। हम ऐसी कोई बात नहीं कह रहे हैं। सब को सेवा में रहने का अधिकार है। उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब गवर्नमेंट ने जो निर्णय लिया है वह बहुत अच्छा निर्णय है। उन्होंने सब कर्मचारियों को एब्जोर्ब किया है। मेरे पास जो पत्र है। 54 में पंजाब गवर्नमेंट ने निर्णय लिया है। लेकिन उन लोगों को दूसरी जगह लगाया गया–

"Sanction of the Governor of Punjab is conveyed to the taking over of the entire existing field and ministerial staff of the Punjab Cooperative Union on their existing scales of pay and emoluments as shown in the attached statement in Government employment with effect from the first April, 1954."

पंजाब गवर्नमेंट ने उनकी सेवायें समाप्त कीं तो दूसरी जगह उनको सर्विस में लगाया गया। जिला बोर्ड समाप्त किया था तो उन लोगों को सर्विस में लिया था। मैं नहीं समझता, राजस्थान सरकार ऐसा निर्णय ले रही है कि उनकी सेवायें नहीं ली जायं। आप कम से कम मेरिट और डिमेरिट को एग्जामिन करेंगे। सब लोगों को लेने का निर्णय होना चाहिये और किसी काम पर नहीं रखना चाहते हैं तो सरप्लस करके उनको नौकरी पर लगायें। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसिजन लिया था जिसमें बीकानेर एज्यूकेशन डिपार्टमेंट के रेफरेन्स के ऊपर—

"The Government of India agree with recommendation of

(श्री शंकर लाल)

the Committee that after provincialisation, the staff belonging to aided institutions should be treated as regular servants."

यह जो है 24-6-60 का लेटर है जो इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स अजमेर को भेजा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्रीमेंट पर। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जो ऐडेड इन्स्टीट्यूशन थे, जहां पर काम करते थे, उन लोगों की सेवायें समाप्त नहीं कीं। मैं राज्य सरकार से पुर जोर शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा उन लोगों को सर्विसेज पर लगाया जाय। उनकी जो मांग है उचित है जहां तक सर्विस का सवाल है।

दूसरा सहकारिता के संबंध में कटौति प्रस्ताव है वह बैंकों के संबंध में है। कोमर्शियल बैंक काश्तकार को ऋण देगा। पहले जो लोन दिया जाता था उसमें स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस नहीं थी। अब आपने स्टाम्प का निर्णय तो ले लिया है लेकिन रजिस्ट्रेशन पर फीस लगेगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं आप किसान को आकर्षित करना चाहते हैं तो जो रजिस्ट्रेशन की फीस का प्रावधान है उसको खत्म करें। इस तरह अगर हम काश्तकार को आकर्षित कर उसका लाभ उठा सकेंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि रजिस्ट्रेशन की फीस माफ की जाय।

दूसरा जो मेरा निवेदन था वह यह है कि यहां पर यह प्रश्न उठाया गया कि डिप्टी रजिस्ट्रार का जो क्षेत्र है वह पाली का जोधपुर से हटाकर उदयपुर कर दिया गया और यह अच्छा नहीं हुआ-ऐसा माननीय सदस्यों ने कहा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर जाने से पूर्व जहां तक डिप्टी रजिस्ट्रार का पद है एक सहकारी समिति ही नहीं बल्कि जहां जहां डिप्टी शब्द आता है यह सारे पद केवल एक फालतू के पद हैं......

श्री नाथूसिंह : डिप्टी तो डिप्टी स्पीकर के साथ भी आता है। यह कहते हैं कि फालतू का पद है, कितनी गलत बात कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : लेकिन आप सब डिप्टीज को तो इसमें नहीं ले सकते।

श्री शंकरलाल : इसके लिये एक्सेप्शन हो सकता है। सरकार के ढांचे में असेम्बली नहीं आती। जहां तक विधान सभा का प्रश्न है वह सरकार से अलग है लेकिन सरकार में जहां सेक्रेटेरियट में डिप्टी सेक्रेटरी के पद हैं मैं कहना चाहूंगा कि बिलकुल रिडंडेंसिज्म है। कोई भी केस असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जाये, डिप्टी रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रार के पास जाये और फिर रजिस्ट्रार से सेक्रेटरी के पास जाये। अब असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार से केस सीधे रजिस्ट्रार के पास जाना चाहिये और बीच में डिप्टी रजिस्ट्रार का पद केवल मात्र रोड़ा है। जैसे डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट हुआ और इसी तरह से डिप्टी रजिस्ट्रार हुआ.....

श्री मनोहरसिंह महता : जैसे डिप्टी मिनिस्टर हुआ।

श्री शंकरलाल : मैं इसके बारे में क्या कहूं डिप्टी कि मिनिस्टर की क्या उपयोगिता है आप खुद समझते हैं। उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन यह जरूर कहना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव एक्ट के अन्दर जहां रजिस्ट्रार को पावर्स हैं, कुछ पावर्स बाद में असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को हस्तान्तरित की जाती हैं, कुछ डिप्टी रजिस्ट्रार को

(श्री शंकरलाल)
हस्तान्तरित की जाती हैं। जो ज्वाइन्ट रजिस्ट्रार हैं उनके पद आप चाहें दो-चार और बढ़ा दें लेकिन जहां 20-25 डिप्टी रजिस्ट्रार हैं उनके पास कोई काम नहीं है। उनके पास सिर्फ सुपरवीजन का काम है। मैं कहता हूं कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार को पावर्स होनी चाहिये। बाद में रजिस्ट्रार को होनी चाहिए। जोधपुर डिवीजन के अन्दर जहां प्रश्न आया नागौर डिस्ट्रिक्ट पहले से ही बीकानेर में दिया हुआ है। नागौर जोधपुर डिवीजन का अंग है लेकिन उसको बीकानेर के अण्डर में दिया है। जो डिप्टी रजिस्ट्रार का क्षेत्र मान लें कि पाली से उदयपुर दे दिया गया तो मैं कहता हूं कि कोई खास बात नहीं है क्योंकि कोई आमकिसान का वास्ता डिप्टी रजिस्ट्रार से नहीं पड़ता।

श्री नत्थीसिंह : उससे फायदा क्या हुआ ?

श्री शंकरलाल : हमारे यहां असिस्टेन्ट इन्जीनियर जोधपुर का पड़ता है, उपाध्यक्ष महोदय, जैतारण का और रायपुर का। डी० एफ० ओ० हमारे यहां का अजमेर है और असिस्टेन्ट इन्जीनियर इर्रिगेशन का जोधपुर में है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डिप्टी रजिस्ट्रार का पद है वह ऐसा पद है कि जिसका पब्लिक से वास्ता ज्यादा नहीं पड़ता। मैं कहता हूं कि हमारे देसूरी और पाली उदयपुर में थे। यहां सवाल यह नहीं है कि कौन किसमें है लेकिन यहां सवाल राजस्थान का है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जोधपुर डिवीजन के अंदर जैसलमेर और बाड़मेर हैं वहां पर कितनी दूर दूर डिस्ट्रिक्ट हैं जहां जाने की जरूरत होती है। आप जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रार के दौरों का पता लगायें तो मालूम होगा कि पाली सिरोही और जालोर और जैसलमेर और बाड़मेर कितनी बार गये। कितनी सोसाइटीज का निरीक्षण किया जोधपुर डिवीजन में। आज डिप्टी रजिस्ट्रार को ज्यादा समय जैसलमेर और बाड़मेर में लगाना चाहिये और धोरों में जाकर कोऑपरेटिव मूवमेंट को देखना चाहिये। यह एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। इसमें पब्लिक का काम पड़ता हो ऐसी बात नहीं है।

इसके बाद मेरा तीसरा कटौती का प्रस्ताव था वह इस विषय पर था कि लैण्ड मॉर्टगेज बैंक हैं उनके जरिये जो काश्तकारों को ऋण दिया जाता है उस ऋण के लेने में काश्तकारों को बहुत अड़चनें आती हैं। सरलता से नहीं दिया जाता। उपाध्यक्ष महोदय, आज ही मेरे पास मेरे निर्वाचन क्षेत्र के जैतारण के लीतड़िया गांव के दो बावरी आये। उनको एक किश्त दी गयी साल भर पहले। इसका कारण यह है कि लैण्ड मॉर्टगेज बैंक का जो प्रोसीजर है और जो उनके वैलुएशन अधिकारी होते हैं वह समय पर नहीं जाते हैं और जाते हैं तो फाइलें पड़ी रहती हैं। पहले भी यह प्रश्न कई बार विधान सभा में आया है। एक ही नहीं पूरे राजस्थान में मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कोऑपरेटिव मूवमेंट के जरिये भूमि विकास बैंक के जरिये अगर आप काश्तकारों को सरलता से ऋण देना चाहते हैं तो इनके प्रोसीजर को आपको और भी सरल बनाने पड़ेंगे और इनकी दिक्कतों को दूर करने के लिये आपको गम्भीरता से सोचना पड़ेगा ताकि कामर्शियल बैंक और लैण्ड मॉर्टगेज बैंक दोनों मिल कर काश्तकारों को राहत पहुंचा सकें। इसलिये मैंने यह कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि सहकारिता मंत्री इसकी तरफ गम्भीरता से ध्यान देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री चुन्नीलाल इंदलिया। समय 10 मिनट।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी कृषि और सहकारिता व पशुपालन पर कटौती के प्रस्ताव दिये हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के मामले में इस देश का और इस प्रान्त का हर नागरिक और किसान जानता है कि आजादी हासिल करने के बाद यहां के काश्तकारों को सरकार द्वारा कितनी कृषि की प्रगति करने के संबंध में सहयोग मिला है वह तो गांवों में रहने वाले किसान भी जानते हैं। उपाध्यक्षजी, अगर इस देश में, इस प्रान्त में कृषि की सरकार प्रगति करती तो हमको आज अमेरिका से और दूसरे लोगों के सामने अन्न के लिये हाथ नहीं पसारने पड़ते। लेकिन आज इस सरकार की असफल नीति के कारण आज हमें इस देश में भिख मंगों के रूप में दूसरे देशों से अनाज मंगाना पड़ता है। हमारे पास भूमि बहुत है, हमें पानी भी मिल सकता है और कुओं के जरिये भी हम खेती कर सकते हैं लेकिन सरकार की जो नीति है यह किसानों के लिए और इस देश के लिये बड़ी घातक है। अगर सरकार हर किसान के खेत पर कुए में बिजली देकर कृषि के मामले में बढ़ावा दे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस देश का किसान और राजस्थान का किसान दुनियां को अनाज दे सकता है। लेकिन आज जो हम मारे मारे भटक रहे हैं यह सरकार की नीति की असफलता का नमूना है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि के मामले में इस सरकार ने किस को बढ़ावा दिया है ? ऐसे काश्तकारों को बढ़ावा दिया है जो कि या तो सरकार के बहुत नजदीक के रिश्तेदार हैं या फिर स्वयं सरकार खुद जिसको बढ़ावा देना चाहती हैं उसको देती है। किसी भी राजस्थान में बसने वाले गरीब किसान या हरिजन को एक भी ट्रैक्टर आज तक नहीं दिया है। ट्रैक्टर उन लोगों को दिया गया जिनके पास लाखों बीघा जमीन है और राज्य के दलाल के रूप में गांवों में बैठ कर काम करते हैं। उनको सरकार ने ट्रैक्टर दिया है न कि किसी साधारण किसान को। मैं चैलेन्ज के साथ कह सकता हूं कि किसी भी पिछड़ी हुई जाति के गरीब किसान को ट्रैक्टर नहीं दिया है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस बात का जवाब दे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीज के बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसा गला सड़ा बीज लाती है न जाने कौन से गोदाम में से कि जो उगता ही नहीं है। जब हमारे कृषि मंत्रीजी पुराने बुजुर्ग हैं तो बीज उगने का सवाल ही नहीं है। ऐसा पुराना बीज ढूंढकर लाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। सदन की अनुमति से सदन का समय एक घन्टे के लिए बढ़ाया जाता है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : बीज के बारे में काफी माननीय सदस्यों ने चर्चा की है तो बीज का जहां तक सवाल है माननीय उपाध्यक्ष जी सहकारी समितियों के जरिये बीज दिया जाता है लेकिन वह बीज नहीं उगता हैं और खास तौर से हमारे इलाके में तो बारिश ही नहीं होती है।

इसलिए बीज से हमारा खेत तो खराब हुआ सो हुआ लेकिन गंगानगर जिले में और दूसरे सिंचाई के जो इलाके हैं वहां पर भी सरकार इस तरह के बीज देती है।

(6 म० प०)

मैं यह कह रहा था कि कृषि के मामले में यह सरकार असफल रही है

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

यह बात किसी को बताने की नहीं है। यह तो 20 साल का इतिहास है कि हम एक एक दाने के लिए भिखमंगे बने हैं और इस सरकार की नीति ने हमको मंगता बना दिया है और आज हमें अमेरिका के सामने हाथ पसारने पड़ते हैं और भीख मांग रहे हैं यह दण्ड इस सरकार की नीति का फल है।

दूसरा मेरा कटौती का प्रस्ताव सहकारिता के बारे में है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सहकारिता के जरिये जो गांवों के रहने वाले पिछड़े हुए समाज के लोग हैं जो उनका शोषण किया जा रहा है इसका नाम तो बड़ा अजीब ही है। इस सहकारिता के द्वारा कोआपरेटिव में ऐसे लोग घुस गये हैं जो समाज का शोषण करने के लिए सरकार ने छोड़ रखे हैं। आप मानते हैं कि मैं उस इलाके से सम्बन्ध रखता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, जहां कोई भी गांव ऐसा नहीं है, कोई भी बुनकर ऐसा नहीं है, कोई भी काश्तकार ऐसा नहीं है जो कि किसी सोसायटी का सदस्य न हो और जिनके घरों पर कुर्की छपी हुई न हो। सब के घरों पर नोटिस लगे हुए हैं और बेचारे काश्तकारों को पता नहीं है। उनसे कहा गया कि तुम्हारे वोट की जरूरत पड़ेगी इसलिए नाम लिखा लो और एक रुपया आपके नाम से हम जमा करा देंगे। आपका वोट लेने के लिए लोग जायेंगे और आपका आग्रह करेंगे। बेचारे साधारण आदमी हैं झांसे में आ गये। उन बेचारों के नाम पर 80) रुपये जमा करके 800) रु० ले लिये और जब वसूली होती है और उनके पास नोटिसेज जाते हैं कि श्रीमानजी आप में इतने रुपया बाकी है और ब्याज मिलाकर कुल 1,400) रु० बकाया है वह जमा कराओ तो बेचारे मारे मारे फिरते हैं और कहते हैं कि कहां से जमा करायें। ऐसा हर गांव में हजारों की तादाद में लोग हैं। उपाध्यक्षजी आपको भी जानकारी सहकारी समितियों के बारे में है। मैं ईमानदारी और वफादारी से कह सकता हूं कि बीकानेर जिले में ऐसा कोई बुनकर बाकी नहीं है जिसके घर पर कुर्की का नोटिस न लगा हो, जिसका घर नीलाम न हुआ हो, जिसके घर में पुराना रेजा बनाने का जो हथियार था वह भी नीलाम न किया जा चुका हो। यह मैं हकीकत और सही बात कह रहा हूं और हमारे सहकारी मंत्रीजी इस बात को जानते हैं कि इस इलाके में क्या हाल है।

श्री रामसिंह कुड़ी : आपका ... किया हुआ विकास है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : सहकारिता के जरिये आज समाज का शोषण कर रहे हैं। इस नीति का मैं घोर विरोध करता हूं और आशा करता हूं कि इस घातक नीति को चेन्ज करेंगे और सहकारिता को बढ़ावा देंगे।

दूसरा मेरा कटौती प्रस्ताव पशु पालन के संबंध में है। उपाध्यक्षजी, आप उस इलाके से संबंध रखते हैं यानी बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का इलाका जो कि सीमा का इलाका है। इस इलाके में तो इस सरकार की कृपा से बारिश ही नहीं होती है और होती है तो मामूली होती है। उसके बाद भी क्या हुआ? उपाध्यक्षजी, आज उस इलाके में कोई भी पशु नहीं रहा। सारे पशु

(श्री चुन्नीलाल इन्दलिया)

मर चुके हैं, और हमारा धन पशुधन ही मुख्य था। दिन भर में मंत्री महोदय जीप कर चले भी जायं, 100-150 मील तो उन्हें कोई गाय नजर नहीं आयेगी, कोई भेड़ नजर नहीं आयेगी, कोई ऊंट नजर नहीं आयेगा कोई बकरी नजर नहीं आयेगी....

श्री उपाध्यक्ष : यह बात ठीक नहीं है। मैं अभी 15 दिन पहले जाकर आया था।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : लेकिन, उपाध्यक्षजी, आप इस बात को जानते हैं कि 100 में से 99 फीसदी गांवों में पशु नहीं रहे हैं। खेतसिंहजी जानते हैं क्योंकि वे रात-दिन वहां का दौरा किया करते हैं।

श्री नत्थीसिंह : खेतसिंह जी का चक्कर लगता ही रहता है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : पशुपालन हमारा मुख्य धन्धा था लेकिन सारे पशु समाप्त हो गये हैं। सरकार से पशुओं के बारे में जानकारी चाही गई थी कि आज से चार साल पहले कुल कितने पशु थे और कितने अब मर गये हैं, तो ये आंकड़े सरकार के पास में नहीं हैं। मैं पशुपालन मंत्रीजी से जानकारी चाहूंगा कि हमारे इलाके में आज से चार साल पहले कितने पशु थे और आज कितने रहे हैं? तो, उपाध्यक्षजी, 100 में से हमारे इलाके में 10 पशु भी नहीं रहे हैं। यह सारा मातावरण सरकार की नीति का है। भगवान इस सरकार की नीति से नाराज हो गया और हमारे इलाके में बिल्कुल छप्पन-पाट हो गया। जो पशु दूसरे इलाकों में गये वह पैसों से वहां खरीद लिये गये और वापस नहीं आये। जो अच्छी नस्ल की गायें थीं वे हमारी गायें नजर नहीं आती हैं...

एक माननीय सदस्य : ओलों से मरे हैं।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ओलों से तो मरे ही हैं लेकिन इस सरकार की नीति से ज्यादा मरे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार समय रहते अपनी पॉलिसी को चेन्ज करे जिससे इस देश और समाज का भला हो सकता है और आपके राज्य का भी भला हो सकता है और इस संस्था का भला हो सकता है जिसमें मैं भी कभी था। इस संस्था के प्रति वफादारी रखें और इस मां के बारे में, इस कांग्रेस मां के बारे में थोड़ा सोचें और इस मरती हुई का दाह-संस्कार सपूत बेटे होने के नाते करें नहीं तो हम कपूत बेटे तो काम आयेंगे ही। कांग्रेस तो वैसे ही अब नहीं रही है। तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस के जो माननीय नेता महोदय बैठे हैं....

श्री गिरधारीलाल व्यास : पराये जोर पर न बोलो, अपनी बात बोलो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : यह जो भीड़ खड़ी है वह एजेन्टों के रूप में है और पूंजीपतियों के दलाल हैं। हो सकता है कि शोभारामजी जैसे बूढ़े आदमी एकाध रहे हों।

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री) : बिड़ला की कार में चुनाव आपने ही लड़ा है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं तो बिड़ला को जानता नहीं और न राजा को जानता हूं।

श्री नत्थीसिंह : बिड़ला की साया में आप बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वह कार यों ही आ गई थी?

श्री गोकुलचन्द : पूरा जानते हैं झटके से कुछ नहीं होता है ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैंने कांग्रेस का नाम लिया तो इन सारे लोगों की शक्लें चेन्ज हो गई। आपको याद है कि मुकाम पर हम लोग जब भाषण देते थे और कुछ कहते थे तो उस वक्त के राजा-महाराजा चमक कर उठते थे इसी तरह से आप आज भभक रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वे राजा गये और जागीरदार गये इस देश से पर उनकी जगह आप लोग जागीरदार राजा-महाराजा बन बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : आप कौन से कम हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप लोगों के साथ रहा हूं इस लिए आपकी नीतियों को जानता हूं । मैं आपकी नीति पर चला नहीं । उपाध्यक्ष महोदय, ये लोग चिढेंगे । आज मुझे एक कहानी याद आ गई । मैं उसको कहना चाहता हूं । मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, एक गांव में एक किसान था, किसान मेरी तरह का किसान था । तो क्या हुआ कि उस किसान के हाथ से कोई भैंस मारी गई तो उसको डागाजी जैसा वकील मिला । तो वकील सबसे बड़े सुखाड़ियाजी हुए । वकील करने का सवाल आया तो वकील मिल गये । वकील साहब ने कहा कि रुपये दो हजार लूंगा लेकिन अदालत से तेरे को बरी करा लूंगा क्योंकि वहां मेरी अच्छी चलती है । कुछ दे दूंगा और कुछ ले लूंगा । मामूली किसान था बेचारा तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे नहीं है तो शोभारामजी की जमानत दिला दी और बरी होने के बाद दे दूंगा । तो वकील साहब ने उसको पट्टी पढा दी और वकील साहब उसको अदालत में ले गये । वकील साहब ने जैसे आप लोगों को झूठ रटाई जाती है वैसी उसको झूठ रटा दी कि जब तू कोर्ट में जाये तो बोलना नहीं . .

श्री शंकरलाल : बेकार किस्से कहानी में समय खराब हो रहा है और समय नहीं है।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : ये लोग नाराज हो गये ....

श्री उपाध्यक्ष : आप विषय पर अपने प्रस्ताव पर बोलें ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : विषय नीति का है।

श्री शंकरलाल : इनकी पार्टी में दूसरे बोलने वाले नहीं हैं इसलिए ये कहानी किस्से पर आ गये हैं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप नाराज मत होइये ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात जमेगी नहीं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं जमा रहा हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : क्या जमा रहे हैं ?

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : उपाध्यक्षजी मैं बताऊंगा तभी तो जमेगी । एक आदमी से किता भी खा गिया और से जिता भी खा गिया । यह मैं लाके की बात कह रहा हूं ।

(शोरगुल व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : एक बात ही है जो कि आप कांग्रेसियों ने हम लोगों को 20 साल से झूठ बात सिखाई है जिस तरह से वकील ने कहा कि कोर्ट के सामने बोलना मत.........

(व्यवधान)

आखिर जज ने कहा कि तुमने इस भैंस को फाटक में घुसाया ? तो उसने कह दिया-हुर्रर! जज ने देखा, यह व्यक्ति तो बिल्कुल पागल है। इसे बरी करो। उसने उसको बरी कर दिया। उसके बाद में जब महनताने का सवाल आया, वकील के दो हजार महनताने का सवाल आया तो उसने कहा—वकील साहब हुर्रर! तो शीशरामजी, जिस हुर्रर से जागीरदार गये, उसी हुर्रर से राजा गये और उसी हुर्रर से आप लोग भी जाओगे......

श्री शीशराम ओला : इससे मतलब नहीं है। जो रेलेवेन्ट बात हो वह आप कहो। इररेलेवेन्ट मत कहो।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : बस मैं मेरा भाषण समाप्त करता हूं......

श्री मूलचन्द डागा : आपने जो यह बात कही है यह भी हुर्रर !

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं मेरा भाषण लम्बा नहीं करूंगा। मेरे जो कटौती प्रस्ताव हैं उन पर मैंने विचार रख दिया आप जानते हैं इसी हुर्रर से कितने कितने काम हुए हैं, देश में और समाज में। तो आप नाराज क्यों होते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब उत्तर दे दें।

श्री जगन्नाथ : उपाध्यक्ष महोदय, कितने ही नम्बर निकल गये। मुझे मालूम नहीं, चीफ व्हिप मेरा नाम देते हैं या नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जगन्नाथ जी!

श्री जगन्नाथ (टोडा रायसिंह) : उपाध्यक्षजी, मांग संख्या, 18, 19, 20 पर मैंने जो कटौती प्रस्ताव दिये हैं उनके विषय में मैं अपने कुछ विचार निवेदन करूंगा। जो मेरी जानकारी है वह सदन को बताऊंगा। सबसे पहले मैं मांग संख्या 18 के बारे में आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा। जो ओले पड़े हैं उससे जो फसल को नुकसान हुआ है, और जो मेरी जानकारी में है वह मैं सदन में निवेदन करूंगा (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे हुक्म दे दिया है। आप हंसते हो। आप बोले तो मैं भी हंस कर सुना दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कृषि में जो प्रगति की बात है, कृषि में जो प्रगति हुई है वह बहुत हुई है। लेकिन जो नुकसान हुआ है वह मेरे इस बजट भाषण में पढ़ने में नहीं आया। कृषि उत्पादन में जो नुकसान हुआ है मेरे क्षेत्र में 21 फरवरी को, वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे मेरी जानकारी के अन्दर कृषि के अन्दर राजस्थान के अन्दर अच्छी प्रगति हुई है लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर नुकसान हुआ है और कुछ काम हुआ नहीं है, उस विषय में, उपाध्यक्षजी, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा (श्री श्रवणलाल के व्यवधान डालने पर) बोलो मत!

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री जगन्नाथ : टोडारायसिंह की देवली तहसील के अन्दर जो कृषि के अन्दर हानि हुई है......

श्री श्रवणलाल : यह ओले आपकी वजह से पड़े ।

श्री जगन्नाथ : अरे सुन, बोले मत । मैं तेरे को जानता हूं । अब तू बोला तो..

श्री लाबूराम सुलानियां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे शब्दों पर आपत्ति करता हूं ।

श्री जगन्नाथ : राजगढ़ से अजमेर को पानी जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, जो वहां पर 42 कुए लगाये गये हैं उसके कारण देवपुरा छाजड़ी में नेगड़िया, डावरी कलां–इन चार पांच गांवों के अन्दर कम से कम डेढ़ सो, दो सौ कुए हैं। वह कुएं अभी बिल्कुल सूखे पड़े हुए हैं। वहां की जनता से मेरे पास यह जानकारी आई है। मैं राज्य सरकार को भी निवेदन कर दूं कि उसके विषय में कृषि मंत्रीजी ने राजस्व विभाग को जानकारी दी है या नहीं ? यह मेरा अर्ज है....

श्री श्रवणलाल : आप लोगों में पानी नहीं रहा।

श्री जगन्नाथ : मैंने पानी के घर में जन्म लिया है। तेरे माफिक गोलीकाण्ड में जन्मा नहीं हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करें। उधर देखें नहीं।

श्री जगन्नाथ : उधर कुछ भी ध्यान नहीं दिया है। इस कारण जनता पानी बगैर दुख पा रही है। उसने राज्य सरकार से पुकार कर ली लेकिन सुनवाई नहीं होती है। अजमेर को पानी दिया जाता है, उसके लिए जो ट्यूब वैल्स लगे हुए हैं उनके कारण सब कुओं का पानी सूख गया है। उससे वहां की कृषि उत्पत्ति बिल्कुल खत्म हो गई है और जो उधर फसल हुई है उसका आधे से ज्यादा का नुकसान हो गया है। यह मेरी अर्ज है कि मंत्री महोदय राजस्व विभाग को रेवेन्यू के बाबत लिखें कि उनके कुओं में कुछ पानी के लिए कुछ न कराया जाय तो उनका जो लगान है चाही का उसको बदल दें जब तक उन कुओं में पानी नहीं आये तब तक बारानी का लगान उनसे वसूल किया जाय..

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत अच्छा !

एक माननीय सदस्य : धन्य हो ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री जुझारसिंह : फिर भी कांग्रेस वाले ताईद नहीं करते हैं।

श्री जगन्नाथ : कृषि मंत्रीजी को आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि टोडारायसिंह क्षेत्र में चार नदियां हैं, जिनमें मुख्य नदी बनास है। उसके पास की जमीन में पानी पहुंचे तो खेती के लायक जमीन काफी है। उसमें राज्य सरकार फीस चार्ज करले। वहां कुओं में भी पानी काफी है। लेकिन यह कृषि मंत्रीजी से ताल्लुक रखता है, उनके माध्यम से बिजली मंत्री को निवेदन करना चाहता हूं कि उन कुओं में बिजली देने के बाबत काफी अर्ज कर दिया है। काशी खेतड़ी में ट्यूब वैल्स लगे हुए हैं, वहां पर काश्तकार कुओं से खेत

(श्री जगन्नाथ)

जोतते हैं। उनके द्वारा बिजली की मांग करने पर भी उनके कुओं में बिजली नहीं लगाई गई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि उस क्षेत्र में जो जो बिजली की मांग कर रहे हैं उनके कुओं में बिजली लगा दी जाय और जिनके कुओं में पानी सूख गया है और जिनसे अभी रेवेन्यू, लगान चाही वा लिया जाता है उनसे बारानी का लगान लिया जाय। वहां पर जो बनास नदी है, उसमें पानी का बहुत ज्यादा प्रवाह है, उससे अजमेर को पिलाने के लिए पानी चाहिए तो वह दे दें। मैं नहीं कहता कि अजमेर को पानी नहीं पिलायें, अजमेर को पानी दें। लेकिन गोकणतरदेह वहां पर है वहां पर पानी नहीं टूटता है। उसमें ट्यूब वैल्स लगा कर कुए खोदे हैं, वहां से अजमेर को पानी दिया जाय तो चार पांच कुओं को फायदा होगा। यह मैं कृषि मंत्रीजी को इस डिमाण्ड के बाबत कहना चाहता हूं।

पशुपालन की बात यह है कि पशु बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है, पशु नहीं हों तो किसान को न तो कण्डे मिल सकते हैं, न दूध मिल सकता है, न छाछ मिल सकती है। तो किसान भी आधा रह जाता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि कृषि मंत्रीजी रेवेन्यू मिनिस्टर को निवेदन करें कि जो चरागाह हैं, उनको कलेक्टर लोग सरपंचों के प्रस्ताव से और वकीलों के दबाव से, ऐसे चरागाह को जो संवत् 1912 में चरागाह कायम हुए हैं, उनकी कृषि भूमि में बता देते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि टोंक तहसील के अन्दर एक नासिरदा गांव है जिसमें पांच सो बीघा जमीन कन्वर्ट हुई है। वहां पर पशुओं की संख्या के माफिक चरागाह था, उसको बदल दिया। टोडा में रॅडेडा में सवा सो बीघा का चरागाह तब्दील कर दिया गया है। मैं नहीं कहता कि भूमिहीनों को भूमि नहीं दी जाय। भूमिहीनों को भूमि दी जाय लेकिन वह भूमि दी जाय जो काबिल काश्त हो, वन भूमि में से वह भूमि दी जाय। इससे अगर पशुपालन हो जायगा तो जनता के कष्ट दूर हो जायेंगे। मैं इससे ज्यादा निवेदन नहीं करना चाहता।

श्री सभापति : मैं समझता हूं कि अब काफी समय हो गया है।

श्री बिरदाराम : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कुछ समय दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब गवर्नमेंट का जवाब आ जाय।

एक माननीय सदस्य : सरकार की ओर से उत्तर दिला दिया जाय।

श्री बिरदाराम : दो मिनिट मुझे दे दिये जांय।

श्री शंकरलाल : सरकार का उत्तर आ जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बिरदा राम। आप पांच मिनिट बोलेंगे।

श्री बिरदाराम (जालोर-सु०) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कोऑपरेटिव मंत्री महोदय से कि जालौर जिले में इस साल अकाल है इसलिये इस जिले में सोसाइटियों को ज्यादा से ज्यादा ऋण देने की मंजूरी दिरावें और ज्यादा से

(श्री बिरदाराम)

ज्यादा जालौर तहसील में कर्जा मुकर्रर किया जाय।

और एक यह निवेदन है कि हमारे अकाल राहत मंत्रीजी पधारे हैं। हमारे जालौर–भीनमाल से 600 मवेशी इधर के लिये रवाना हुए हैं, बीच में सहायता दी है पर अब वे गायें दूदू में हैं, उनमें से कुछ गायें मर ख़ु़ी है, कुछ गायें काश्तकारों को दे दी हैं। अब 350 गायें उनके पास मौजूद हैं वे गायें हाल (चल) नहीं सकतीं, फिर नहीं सकती इसलिये उनके खाने के वास्ते सरकार की तरफ से चारे का बन्दोबस्त करना चाहिये, कुछ दाने का भी उन गायों के वास्ते बन्दोवस्त करना चाहिये, नहीं तो उन गायों का बचना ही मुश्किल है।

(6.22 म० प०)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति पदासीन)

तो मेरा निवेदन है कि उन गायों के वास्ते कुछ बन्दोबस्त जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये। भीनमाल से ये 600 गायें रवाना कर दीं पर वहां वापिस हजार बारह सौ गायें और हो गई हैं, वहां की गौशाला में हो गई है क्योंकि कोई भी आदमी अपनी मवेशी को गौशाला के सामने छोड़ कर चला जाता है तो गौशाला वाले उन मवेशियों को गौशाला में रख लेते हैं। गौशाला वाले बम्बई से पैसा लाते हैं और जगह से जा कर लाते हैं, अभी जोधपुर से उनको 20 हजार रुपये मिले हैं। उस गौशाला का 1500, दो हजार का रोजाना का खर्चा है तो यह भी से निवेदन करूं कि इस गौशाला की कुछ एड मुकर्रर की जाय। अकाल मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि उन गायों के लिये बन्दोबस्त किया जाय। जैसे कि यहां गायों के वास्ते बोलते हैं कि गायों की रक्षा होनी चाहिये, पशु-धन की रक्षा होनी चाहिये, गायें और बैल नहीं रहेंगे तो दूध और घी कैसे मिलेगा, कैसे खेती की जायेगी? इस वास्ते सरकार से निवेदन है कि इसका बन्दोबस्त किया जाय।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अब थोड़ा सा सेल्स टैक्स के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि सेल्स टैक्स एक मुकरी लगाया जाय, बहियों से देखते हैं उसके बजाय एक दफा बहियां देख कर साल का एक साथ मुकरी लगा दिया जाय जिससे उन लोगों को मुनीम नहीं रखना पड़ेगा। एक मुनीम को सौ, 150 रुपया का महीने देना पड़ता है। इसके बजाय एक मुकर्रर सेल्स टैक्स सवाया भी लगा देंगे तो वे लोग खुशी से दे देंगे, उनको बहियां नहीं रखनी पड़ेंगी। बहियों को सेल्स टैक्स के अधिकारी देखने जाते हैं तो उन लोगों को उन अधिकारियों को भी रुपया देना पड़ता है 100 में से 25 परसेंट सेल्स टैक्स आपको मिलता है, 25 परसेंट आपके अधिकारी खा जाते है और जब वह सेल्स टैक्स के अधिकारी को रुपया देता है तो कुछ फायदा वह भी उठाता है, इस तरह से आपको तो 25 परसेंट ही मिलता है। उसकी नामा लेखा रखने की दिक्कत मिट जायेगी और आपको ज्यादा टैक्स मिल जायगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि एक मुकर्रर सेल्स टैक्स लगा देना चाहिये।

(श्री बिरदाराम)

अकाल राहत मंत्रीजी से एक निवेदन और है कि जालौर के तालाब में एक कुआ खुदवाया जाय, तालाब के आसपास 200 कुए हैं वे कुए बिल्कुल सूख गये हैं। जवाई नदी से नहर लाकर तालाब को खुदवा कर उसमें पानी डलवा दिया जाय तो उन कुओं में पानी हो जायगा और उन कुओं पर बावरी कलबी, चौधरी आदि सभी जातियों के किसान हैं, उनको लाभ हो जायगा। इसलिए मैं निवेदन करुंगा कि जालौर के तालाब को खुदवाने की व्यवस्था की जाय और उसमें जवाई नहर ला कर पानी भरवाया जाय।

मैं बिजली के बारे में निवेदन भी थोड़ा कर देना चाहता हूं। जालौर में गहरे कुएं खुदवाये जायें, वहां पानी भी है नदियां भी हैं, कुए खुदवाने से ज्यादा अनाज पैदा होगा, काश्तकारों को भी फायदा होगा और अनाज भी ज्यादा पैदा होगा। कुओं पर बिजली लगाने से काश्तकार आसानी से खेती कर सकगे। जालोर में बिजली के वास्ते बहुत सी रिपोर्ट दी हुई है। वहां दो मील का बिजली का एरिया बढाने का था पर वह अभी नहीं बढाया है। वहां जल्दी से जल्दी बिजली लगाई जाय सैकड़ों दर्खास्त बिजली लगाने के लिये पड़ी हुई हैं। बिजली के वास्ते पैसा मांगते हैं।

एक माननीय सदस्य : खेतसिंहजी ?

श्री बिरदाराम : खेतजी के वास्ते नहीं कहता, खेतजी की तो बड़ी महरबानी है तो मैं निवेदन करुंगा कि महरबानी करके वहां पर जल्दी ही बिजली का प्रबन्ध करें।

जालोर में नल की योजना है पर वह अभी तक चालू नहीं हुई है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सोनपुर स्कीम से वहां पानी चालू करवाया जाय तो जालोर की जनता को उससे बड़ी सुविधा मिलेगी।

श्री सभापति : श्री नन्दलाल आप पांच मिनट बोलेंगे।

श्री नरसीसिंह : वैसे हमें कोई एतराज नहीं है बैठने में, पर कृषि मंत्रीजी के विभाग की सप्लीमेंटरी डिमांड्स चल रही हैं, इनकी तरफ से भोजन का प्रबन्ध हो जाय।

श्री मनोहरसिंह महता : पंडितजी रामकिशनजी के अभी बच्चा हुआ है आज इनकी तरफ से खाने का इन्तजाम हो जाय।

श्री नन्दलाल (पाटन-सु०) : मैंने अपने कटौती प्रस्ताव कृषि, पशुपालन और सहकारिता के सम्बन्ध में दिये हैं। कृषि के सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने ग्रामसेवक और कृषि अधिकारी लगा रखे हैं पर कई गांव ऐसे हैं जहां आज तक कोई ग्रामसेवक या दूसरा कोई कृषि अधिकारी पहुंचा भी नहीं है। एक गांव में मैं गया, वहां के लोगों ने, वहां के किसानों ने बताया कि ग्राम सेवक का भी कोई स्थान सरकार द्वारा रखा हुआ है, यह आज आपके कहने से हमें मालूम हुआ है, इस नाम का ही हमको आज मालूम हुआ है। ऐसे भी गांव हैं जहां ग्रामसेवक और दूसरे कृषि अधिकारी आज तक नहीं पहुंचे है। उन किसानों को कोई बताने वाला नहीं हैं कि कौनसा बीज बोया जाय, किस प्रकार की कितनी कितनी खाद किस किस

Page No 143

(श्री नन्दलाल)

फसल में डाली जाय। यह सुविधा बताने के लिये जिला या तहसील स्तर पर कृषि सम्बन्धी अधिकारी ग्रामसेवक या दूसरे अधिकारी गांवों में नहीं पहुंच पाते हैं।

कुछ अर्से पहले सरकार ने ग्रामसेवक के क्षेत्र काफी लम्बे कर दिये हैं जिससे सारे गांवों में एक ग्रामसेवक जाने में असमर्थ रहता है। और काश्तकार ग्राम-सेवक के यहां जाते हैं तो उनको ग्राम-सेवक नहीं मिलते हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि ग्राम सेवकों के क्षेत्रों को सीमित रखें तो इससे किसानों को लाभ होगा और काश्तकारों को कृषि सम्बन्धी जानकारी मिलती रहेगी।

मेरा दूसरा कटौती प्रस्ताव पशुपालन के सम्बन्ध में है। हमारे देश में, हमारे राजस्थान में, जिस प्रकार से पशुओं को पालते हैं, पशुपालन के लिये जिस प्रकार के तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, वह पहले के माफिक उपयोग नहीं हो रहा है। मनुष्यों के लिए दवा आदि की व्यवस्था करते हैं वैसी व्यवस्था आज पशुओं के लिये नहीं हैं। मेरे क्षेत्र पूरी पाटन तहसील में जहां की आबादी 80 हजार के करीब है, उसमें केवल तहसील हैडक्वार्टर पर ही पशु चिकित्सा-लय है जहां सारी तहसील में पशुओं में बीमारी फैल जाने की स्थिति में सारे पशुओं को वहां लाने में पशुपालकों की असमर्थता है। क्योंकि वह एक नहरी क्षेत्र है, रास्ते बन्द रहते हैं, बीमारी पशुओं में आती है तो सारे पशुओं को वहां ले जाने में असमर्थता रहती है। इसलिए मैं पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि लाखेरी या उसके आस पास एक पशु चिकित्सालय खोल दिया जाय तो उससे पशुपालकों को बड़ा लाभ होगा और पशुओं में बीमारी की रोक-थाम हो सकेगी। मेरा कटौती का तीसरा प्रस्ताव सहकारिता के बारे में है। सहकारिता के आधार पर सारे देश में आज हमारा संचालन हो रहा है। छोटे लोगों और गरीब लोगों को समाजवाद की ओर ले जाने का विचार नहीं है। इसके अन्दर थोड़ा परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन तो किया है लेकिन और परिवर्तन करना पड़ेगा। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भूमि विकास बैंक के द्वारा ऋण दिया जाता है, उसके अन्दर हमने कई गावों में जाकर देखा जो ग्रामीण सहकारी समितियों से वही लोग पैसा लेते हैं जिनके पास पैसा होता है। गावों में जाकर ग्राम पंचायत वाइज बैंकों निर्माण किया जाता है। जो अध्यक्ष या सेक्रेट्री हैं वही इनके ज्यादातर सदस्य हैं। सहकारी समितियों से कर्जा लेने के बाद किसानों को ब्याज पर देते है। गांव में किसानों को पता भी नहीं रहता कि सहकारी समितियां गांव में बनी हुई है। तो अभियान चलाया जाय इस गांधी शताब्दी वर्ष में। ज्यादा से ज्यादा सहकारी समितियों में आदिवासियों व हरिजनों को सदस्य बनाया जाय और उनके अन्दर उनको ज्यादा से ज्यादा ऋण दिलाया जाय।

मुझे जानकर खुशी हुई थी कि बूंदी जिले में केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स का उद्घाटन भारत के गृहमंत्री श्री चव्हाण के कर कमलों द्वारा हुआ था। बूंदी व कोटा जिले की जनता को जानकर हर्ष हुआ था कि 2.40 करोड़ की लागत से शुगर

(श्री नन्दलाल)

मिल की स्थापना हुई लेकिन आपको मालूम है कि सहकारिता मंत्री ने कुछ दिन पहले हमारे यहां आप लोगों को सदन में बताया था कि शुगर मिल चालू हो गई है। तो सहकारी मंत्री ने जो बात बताई वह वहां की रिपोर्ट के आधार पर बताई। आज मैं वहां से आ रहा हूं इस बात को देखकर और बराबर उस क्षेत्र में सारे किसानों में असन्तोष है अधिकारियों ने बराबर मंत्री व सरकार को अविश्वास में रखा है। मैं पंडित ब्रजसुन्दर शर्मा व यादवजी के साथ बराबर गया। वहां उनसे पूछा कि कारखाना चालू हो सकता है या नहीं लेकिन अधिकारियों ने कहा जब आप चाहें, हम चालू कर सकते हैं। वहां अधिकारियों ने बताया कि हम 20 जनवरी को चालू कर देंगे। उसके बाद कहा 25 तारीख। हमारे मंत्रीजी बराबर इस बात को कहते रहे कि जिस तारीख को आप चालू करें शुगर बना सकें वह तारीख बतादें। उन अधिकारियों ने कहा कि 15 फरवरी को चालू कर देंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट और।

श्री सभापति : नहीं।

श्री नन्दलाल : आखिर 22 फरवरी को उद्घाटन होने के पश्चात् आज तक वह चालू नहीं हुई। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन अधिकारियों कि गलती हुई, जिन्होंने गड़बड़ की, उसकी जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा की जाय और काश्तकारों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए अधिकारियों को दोषी ठहराया जाय और जांच करके वहां के किसानों में जो असंतोष है, उनको विश्वास दिलाया जाय, नहीं तो वे गन्ना काटने में पीछे रह जायेंगे।

श्री अमीलाल यादव (बहरोड): सभापति जी, आज सुबह से सहकारिता, कृषि व पशुपालन पर चर्चा हो रही है। ये तीनों विषय भारतवर्ष के लिए, जो कृषि प्रधान देश और और गरीब देश हैं और जिसके आधार पर पशुओं पर यह देश अपनी जीविका निर्वाह करके बसा हुआ है, तीनों विषय महत्वपूर्ण हैं और कई माननीय सदस्यों ने बातें कही हैं इन विषयों पर। ये तीनों विषय इतने जरूरी हैं जैसे फौज की जरूरत है लेकिन जब हम इस बात को देखते हैं कि वास्तव में इसके अंदर कितनी एक्टिवनेस व ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं तो कृषकों के अन्दर जो गांव के अन्दर आप जाकर देखें तो लोग महसूस करते हैं कि यह सारे किसानों की मेहनत और दिलचस्पी थी जो कुछ हम कृषि के अन्दर उन्नति या उत्पादन में उन्नति पा रहे हैं, यह उनकी स्वयं की इच्छा और दिलचस्पी के आधार पर हम देख रहे हैं लेकिन जहां सरकार की ओर से जो सुविधायें कागज पर या भाषणों के अन्दर मिलती हैं, वह केवल वास्तव में पेपर और भाषणों में हैं, गांवों के अन्दर उस प्रकार की बात नहीं है।

उदाहरण के लिए जिस प्रकार की आज इस विज्ञान के युग में बीज के बारे में तरक्की की है, जितनी हाई ईल्डिंग सीड्स निकाली हैं जो वास्तव में इसमें दिलचस्पी के साथ काम कर रहे हैं, अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि इनको मिलता है? वास्तव में उनको नहीं मिलता है आज शंकर बाजरा ज्येष्ठ बल्कि वैशाख महीने में कृषकों को देना चाहिए जिससे विश्वास हो, उस समय उसकी बोआई की जाय लेकिन पता

(श्री अमीलाल यादव)

नहीं किस प्रकार से उनकी मांग आती है और कैसे वितरण होता है। जब मांग आसाढ में या ज्येष्ठ में की जायगी तो आसोज और कार्तिक में बीज दिया जाता है जिसके अन्दर भी मिलावट। शंकर बाजरा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि अलवर जिले में जितने कृषक हैं, उनको वास्तव में नाम का शंकर बीज मिलता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जो असर वाले व्यक्ति हैं उनको मिलता है। बाकी किसानों को नहीं मिलता है इस प्रकार गेहूं के बीज की भी यह बात है। जो कृषक ज्यादातर तरक्की करते हैं। ज्यादा दिलचस्पी रखते उनकी एफिशिएंसी को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। वास्तव में अगर आगे बढ़ना है तो भेदभाव की बात नहीं होनी चाहिये वास्तव में जो इसके अंदर काम करते हैं, उनको उसी प्रकार से सही समय में बीज देना, खाद देना और जिस अधिकारी की कोई गलती होती है तो उस पर एक्शन लेना चाहिये जिस प्रकार फौज के अन्दर कोई गल्ती की जाती है तो उस पर एक्शन लेते हैं।

मेरा कृषि मंत्री से निवेदन है कि यह जो कृषि का महकमा है, उसके अंदर ज्यादा सतर्कता और इन्टरेस्ट की बात है। इसलिए इसमें किसी को पार्टीबाजी और किसी बात के अंदर उस अधिकारी के खिलाफ या और बातों के अन्दर दिलचस्पी नहीं लेना चाहते हैं बल्कि वास्तव में सही माईने में समय पर बीज खाद नहीं किये जाते हैं।

आज जो वसूलियां चल रही हैं न तो मांगें पेश की जाती है, न बताई जा रही हैं कि आपने कब लिया है। दो-दो तीन-तीन बार वसूली होती हैं। न मालूम किस प्रकार से रेकार्ड रखा जाता है, फिर भी वसूलियों के बारे में घांधलेबाजी है। इस बारे में बाकायदा हाई लेविल पर एक समिति नियुक्त करनी चाहिए जो इस बात की जांच करे कि जो जो इस प्रकार की डिमांड्स पेश की जांय, किसानों को जो तंग किया जा रहा है उनके बारे में प्रयत्न किया जाय।

तीसरी बात में निवेदन करना चाहता हूं

(समय–समाप्ति-सूचक घंटी)

वह कोऑपरेटिव के बारे में है।

श्री सभापति : नो प्लीज।

कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीलाल यादव : ट्रैक्टर्स के बारे में ठीक प्रकार से नीति का पालन करना चाहिए।

श्री सभापति : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमीलाल यादव : वास्तव में जिस तरह से चल रहा है उसी तरह से चलने देना चाहिए यह भावना है उसको दूर करना चाहिए।

दो मिनिट सहकारिता के बारे में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति : जी नहीं। काफी बोल चुके हैं।

श्री आईदानसिंह।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : सभापति महोदय, नल-कूप के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : दल बदलु ों का कमेटी बना कर इन माननीय सदस्य को (श्री अमीलाल यादव) उसका सभापति बना दिया जाय ।

श्री आईदानसिंह : सन् 66 में नल-कू योजना बन कर तैयार हो गयी थी । बी० डी० ओ० के द्वारा खोदे गये थे । पानी के विषय में भी रिपोर्ट साथ साथ तैयार कर ली थी । मुझे अभी मालूम हुआ है कि कुछ नल-कूपों का पानी कृषि के लिये काम में नहीं लाया जा सकता है। उन नलकूपों पर मकान बना दिये गये, पम्प लग गये और एन्जिन भी लग गये । जब यह पूछा गया कि कितने कितने खेतों में सिचाई की जावेगी तो ए० इ० एन० द्वारा यह बताया गया कि तीन चार नलकूप को तो कृषि के लिये काम में नहीं ला सकते हैं । सारा खर्चा करने के पहले राज्य सरकार यह निश्चित कर ले कि पानी उपयोग में ला सकते हैं या नहीं । योजना बनाकर तैयार करते हैं। अब कहते हैं कि इतना खाद देना पड़ेगा और इस प्रकार से अधिक खर्चा होगा । इसलिए मेरा निवेदन है कि पहले सर्वेक्षण करके फिर इन पर खर्चा किया जाय तो सरकार को बचत हो सकती है और नलकूप भी काम में लाये जा सकते हैं ।

श्री सभापति : श्री शिवनाथसिंह : पांच मिनिट ।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : कृषि के सम्बन्ध में जो मांग है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा । हमारा प्रान्त कृषि प्रधान प्रान्त है । सरकार ने कई अच्छे काम किये हैं । मशीनरी भी उपलब्ध हुई और बीज भी । क्या कृषि के सम्बन्ध में जो कुछ करना चाहते थे वह कर चुके हैं और क्या हम आगे बढ़े हैं? इसको एक इन्डस्ट्री के रूप में लेना चाहिए। वर्तमान में काश्तकार के पास जो साधन हैं उनसे आगे बढ़ सकते हैं ? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के ऊपर भार काफी बढ़ गया है । सरकार को नीति निर्धारित करनी चाहिये कि कितना परसेन्टेज कृषि पर निर्भर करना चाहते हैं । कृषि पर निर्भर कराकर उसी पर इतना भार बढ़ाते गये तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि इस पर बहुत भार बढ़ जावेगा और यह धन्धा उपयोगी नहीं रहेगा । जो कृषि के लिये कार्य किये हैं वे नगण्य हैं । यदि इन्डस्ट्री लगानी हो तो पहले यह देखना होगा कि रॉ-मेटिरियल कितना मिलेगा और सब कुछ होने के बाद कीमत निर्धारित होती है । किसान जो उत्पादन करता है उसको नहीं देखा जाता है । उसके लिये जो साधन चाहियें उनको नहीं देखा जाता है । साधन जो मिलने चाहियें उसको वह नहीं मिल रहे हैं । लोन की ही बात लीजिये । कॉमर्शियल बैंकों ने ऋण देना शुरू किया लेकिन इसकी प्राणली काफी कम्पलीकेटेड है । व्योपारी धन्धे पर लोन लेना चाहे तो मिल सकता है । लेकिन काश्तकार को जमीन और मशीनरी को गिरवी रखनी पड़ती है और उसके बाद ही लोन मिल सकता है । जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिये और उन्नित करने के लिए लोन नहीं मिलता है । टर्म ऑफ पेमेन्ट पांच साल का है वह कम है । यह दस साल और पन्द्रह साल का होना चाहिये ।

(श्री शिवनाथसिंह)

कृषि की उन्नति करने के लिये विकास बैंक की स्थापना की थी। कृषि से जो सम्बन्ध रखते हैं वह उससे रखते हैं। मैं चाहता हूं कि सीलिंग हो। लेकिन सीलिंग के कानून में जो लिमिट रखी है उससे सरकार क्या स्थिति लाना चाहती है? दो मुरब्बा रखी। एक परिवार की संख्या 3 बच्चे मानें और दो-पति और पत्नी तो दस बीस साल में परिवार की संख्या कितनी बढ़ेगी? तीन बच्चों के तीन परिवार हो जावेंगे। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि यह जो प्रवृत्ति बढ़ गई है खेती की तरफ दौड़ने की इससे पहले आप निर्धारित करें कि एक परिवार के पास इतनी तो भूमि होनी ही चाहिए। मैं नहीं कहता कि सीलिंग की सीमा बढ़ाओ। लेकिन आप उन लोगों के लिय जमीन सुरक्षित रखें जो खेती से कमा कर खाना चाहते हैं। जितनी जमीन है, उसे एक व्यक्ति को अलॉट न करके सरकारी फार्म बनायें मशीनरी दें उसको और कोआपरेटिव बेसिस पर जो वास्तव में खेती करना चाहते हैं उनको वह जमीन दें। जो खेती नहीं करते हैं और जिनका यह धन्धा नहीं है उनको आज जमीन अलॉट होती है। इसलिए ऐसी नीति बनायें कि वह व्यक्तिगत सम्पत्ति हो, जो अपना खून पसीना एक करते हैं उनको उस पर अधिकार मिले।

पम्पिंग सैट आदि के लिये जो दरें हैं वे बढ़ा दी गई हैं उन पर भी सरकार ध्यान दे। सरकार उनको रिबेट दे।

एक सहकारिता की मांग है उसके लिये निवेदन करना चाहूंगा और सहकारी मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि झुंझनू के बैंक की तरफ ध्यान दें। छः साल से मेरा पड़ा है। चुनाव नहीं करवा रहे हैं। नहीं कराना है तो इसको वाइन्ड अप कर दें। निश्चित रूप से सहकारी मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में भी अपने उत्तर में कहें कि चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं।

राज्य सहकारी संघ के इन्सपैक्टर्स थे उनके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी और मंत्री महोदय ने कहा उससे संतोष नहीं हुआ है। उन लोगों के साथ अन्याय है वह सहकारिता के साथ अन्याय है। उन लोगों को आप प्रोत्साहन नहीं देना चाहते हैं उन लोगों ने गांव गांव जाकर लोगों को ट्रेनिंग दी, सहकारिता की भावना पैदा की। उस संस्था को खत्म नहीं करना चाहिये। किसी एक्सपर्ट की राय नहीं है फिर भी आप खत्म करना चाहते हैं उनकी नौकरी का सवाल है। उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया है 60/70 की संख्या है। संस्था को खत्म करना चाहते हैं तो उनको एब्जोर्ब करना चाहिये। यह स्पष्ट आदेश होने चाहिये कि हम इनको नौकरी में रखना चाहते हैं। वेल क्वालिफाइड हैं। उनकी सर्विस की गारन्टी देनी चाहिये। यह आपको देनी पड़ेगी। चाहे आन्दोलन करवा कर या भूख हड़ताल करवा कर। भूख हड़ताल करने से पहले ही आप उनको गारन्टी दे दें। राज्य सरकार सोचे और गारन्टी द।

कृषि के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्रीजी ने कहा कि कृषि बीमा उपयोगी नहीं होगा। जो किसान इसका फायदा उठाना चाहे उनको उठाने दीजिये। आप कहते हैं कि प्रीमियम नहीं दे सकेंगे। जो द सकेंगे

(श्री शिवनाथसिंह)
वे दे देंगे। राज्य सरकार को छोटे किसानों की मदद करनी चाहिये, कृषि बीमा वास्तव में अच्छी योजना है। इसको काश्तकारों के हित में कह सकते हैं। इसलिए सरकार स्पष्ट घोषणा करें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अच्छी योजना है। पहले इंश्योरेन्स व्यवसाय की तरफ लोगों की प्रवृत्ति नहीं थी। अब धीरे 2 लोगों में इस ओर रुचि बढ़ी है और इससे काफी इंश्योरेन्स हुआ है। इसी प्रकार कृषि बीमा योजना भी लागू करें। यह किसानों के हित में है। अहित में नहीं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : सभापति महोदय।

श्री सभापति : श्री श्रवणलाल। माननीय सदस्य समय सीमा 5 मिनिट।

श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर कृषि के लिये महत्वपूर्ण है। मैं सभापति महोदय, आपके द्वारा मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस जिले के अन्दर पानी का अभाव न हो, जहां कि भूमि अति उपजाऊ हो ऐसे स्थानों की ओर अधिक से अधिक ध्यान विभाग के द्वारा दिया जाना चाहिये। चाहे वह सहायता के रूप में हो, चाहे कोई साधन जुटा कर की जाय वहां की खेती को अधिक से अधिक उपजाऊ बनाया जाय जिससे कि किसानों को राहत मिल सके।

सभापति महोदय, जिला सवाई माधोपुर में ओला वृष्टि हो जाने के कारण वहां के किसानों की हालत बड़ी कठिनाई की हो गई है इसलिए मैं आपके द्वारा यह प्रार्थना करूंगा कि वहां पर कृषि बैंक के द्वारा, भूमि बन्धक बैंक के द्वारा जो ऋण किसानों द्वारा लिया गया था या सहकारी बैंक के द्वारा जो ऋण लिया गया है वहां के किसान उसकी किश्त अदा करने की स्थिति में आज नहीं हैं इसलिए मैं आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि

(6.51 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

जो किसान किश्त जमा नहीं करा सकते हैं उनको किसी प्रकार से स्थगित कर दें और साथ ही साथ सरकार उनको खाद, बीज, चारा आदि उपलब्ध करावें और उनकी खेती की उपज अधिक बढ़ाने के लिये उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा न हो इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अगर वे अपने खेत के सुधार, पंपिंग सैट आदि के लिये कोई लोन लेना चाहें तो वह उनको दिया जाये। उसमें इस प्रकार का कोई बन्धन न हो कि तुमने फलां लोन की किश्त नहीं चुकाई है इसलिए लोन अब नहीं दिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि आप इन नियमों में संशोधन करके इसका ऐलान करेंगे और किसान हल, बीज, खाद, कुआ खोदने के लिए अगर किसी प्रकार का ऋण लेना चाहे तो बिना किसी भेदभाव के उसको ऋण दिलाने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जिला ऐसा है जहां पानी की कोई कमी नहीं है चाहे वह कमाण्ड एरिया हो, नहरी इलाका हो, छोटे छोटे बांध के द्वारा वहां सिंचाई होती है, वहां पानी बहुत उपलब्ध है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसान जो तकावी लोन लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं उसमें उनको बहुत ही परेशानी होती है अमुक तारीख तक जब तक उनको लोन

(श्री भवरलाल)

मिलता है वे विभागों के चक्कर ही लगाते रहते हैं। पहले उन्हें पटवारी के पास जाना पड़ता है उसके बाद में तहसीलदार के पास जाना पड़ता है और किसी प्रकार के जमीन का कागज पूरा होकर लोन विभाग में पहुंच भी जाता है तो वहां से 6 महीने से पहले लोन नहीं मिलता है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करूंगा कि जिन व्यक्तियों के पास जमीन है उनको लोन मिलने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिये। इस प्रकार के नियम बनाये जांय। जमीन एलॉट हो जाती है किन्तु लोगों को लोन नहीं मिलता है। जिसको जमीन एलॉट हो जाये चाहे वह सवाई चक की हो, या किसी प्रकार की लैण्ड हो उसको लोन मिलना चाहिये उसको उस वक्त अनेक प्रकार के साधनों की जरूरत होती है। उस वक्त उसको जमीन का लेवलिंग करने में काफी खर्चा करना पड़ता है। इसलिये ऐसे व्यक्तियों को जिनको कि जमीन का एलॉटमेंट हो गया है और जिनको खातेदारी राइट नहीं मिले हैं, उनको अपनी खेती की पैदावार बढ़ाने के लिये अधिक से अधिक संख्या में लोन दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिये। जहां पर इरिगेटेड लैण्ड है, अधिक पानी होने के कारण वहां लिफ्ट इरिगेशन होता है। वहां सिंचाई की सुविधा है। हमारे सवाई माधोपुर जिले में नदियां इस प्रकार की हैं, जहां पर काफी तादाद में पानी है और उनके अन्दर लिफ्ट से सिंचाई हो सकती है और इसके अनुसार काफी तादाद में किसानों का भला हो सकता है इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें।

इसके अलावा मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बांध से नहर से पानी लिया जाता है उसमें सिंचाई विभाग वाले रोड़ा अटकाते हैं और जब तक उनका लेन देन नहीं हो जाता है वहां के किसानों को पानी नहीं मिलता है। इसलिये इस पर भी ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा लिफ्ट इरिगेशन के लिये अधिक से अधिक संख्या में किसानों को पंपिंग सेट दिये जाने चाहिये ताकि किसान अपने खेतों की पैदावार बढ़ा सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो खाद और बीज दिया जाता है वह बिना सोचे समझे दिया जाता है यह मेरा अनुभव है। हमारे जिले के अन्दर विभाग को यह सोचना चाहिये कि कौनसे स्थान के अन्दर किस किस्म का बीज उपजाऊ हो सकता है और किस प्रकार का खाद वहां माफिक हो सकता है और मददगार हो सकता है। बहुत सी तहसीलों के अन्दर बहुत सा खाद पड़ा हुआ है और नष्ट हो रहा है। कहां श्रीराम फर्टीलाइजर उपयुक्त हो सकता है और कहां यूरिया खाद उपयोगी हो सकता है उसका एक्सपेरिमेंट हमारे जिले के लिये पहले विभाग को कर लेना चाहिये और फिर उसी के अनुसार तहसीलों में खाद दिया जाना चाहिये ताकि किसानों का नुकसान न हो और भला हो। कई तहसीलों में ऐसा हो गया है कि जहां श्रीराम फर्टीलाइजर देना चाहिये वहां दूसरा खाद दे दिया और इसके कारण फसल नष्ट हो गई। इस तरह कहां कैसा खाद देना चाहिये उसकी

(श्री श्रवणलाल)

जांच विभाग द्वारा करानी जानी चाहिये और यह भी जांच करा ली जानी चाहिये कि कौनसी तहसील म किस बीज और खाद का वितरण किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां जो बीज का वितरण किया जाता है वह बड़ी देर से किया जाता है और उसमें बड़ी धांधली की जाती है इसका मेन कारण है जो बड़े बड़े फार्म बना रखे हैं, उनके नाम पर इन फार्मों के नाम पर बीज इकट्ठा किया जाता है और फिर उस बीज को बेचा जाता है जो कि फार्म का बीज नहीं होता है और जो जहां तहां से खरीद कर लिया जाता है। किसानों को यह मालूम नहीं होता है कि वास्तव में यह कौनसा बीज है इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती है और उनको जानकारी तब होती है जब वे उसको अपने खेतों में डालते हैं और वह उगता है। तब उन्हें पता लगता है कि यह बीज असली है या नहीं। इसलिये विभाग के द्वारा इसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये कि जो बीज के देने की पद्धति है वह सही हो और

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसकी जानकारी किसानों को 15 दिन मिल जाये....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर प्लीज। सदन का समय सदन की अनुमति से विचारार्थ मांग के पूर्ण होन तक बढ़ाया जाता है।

(7 म० प०)

श्री श्रवणलाल : बीजों के वितरण में और खाद के वितरण में ढिलाई नहीं होनी चाहिये। किसानों को फसल बोने से पहले ही बीज का मिलना बहुत आवश्यक है।

जहां तक पशुपालन का सम्बन्ध है उसके लिये मेरा यह निवेदन है कि इस ओलावृष्टि के कारण मवेशियों का बड़ा नुकसान हुआ है। इस ओलावृष्टि के कारण कई बीमारियां पशुओं में पैदा हो गई हैं। बरसात के कारण ओले पड़ने के कारण पशुधन में काफी क्षति हो गई है इसलिये मांग करूंगा कि जहां जहां ओलावृष्टि हुई है वहां जो पशुओं में बीमारियां फैल गई हैं उनकी रोकथाम की जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस समाप्त ही कर रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

बहुत से स्थानों पर पशुओं के चरने के लिये जंगलात की जमीन मिलनी चाहिये पहले जब कभी ऐसी स्थिति आती थी उस समय मवेशियों को जंगलों में चराने की इजाजत थी। इसलिये आपसे मांग करूंगा कि जो जंगलात की जमीन है, वहां अच्छा घास है वहां मवेशी अधिक चर सकते हैं। जब मवेशियों को अच्छा चारा मिलेगा तो दूध और घी अच्छा मिलेगा। जंगलों की भूमि में जो चारा है उसको निःशुल्क चरने की इजाजत दी जानी चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जिला सवाई माधोपुर को कृषि सघन क्षेत्र घोषित कर दिया गया था वहां के किसानों को अधिक से अधिक राहत पहुंचाइये खाद और बीज द्वारा राहत पहुंचाइये वहां के किसान की माली हालत ओला वृष्टि की वजह से काफी खराब हो चुकी है अतः उनको अधिक से अधिक राहत देने का प्रयास करेंगे। इतना ही मुझे निवेदन करना है।

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिये खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : अब इस चर्चा को समाप्त किया जाय। अब सरकार की और से उत्तर होगा।

श्री लादूराम सुलानियां (फागी) : मैं पांच मिनट में अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आज सहकारी, पशुपालन एवं कृषि मंत्रालय की मांगों पर विचार हो रहा है। इन विभागों के जितने भी अधिकारी हैं उच्च अधिकारी हैं वे सब रिश्वत खाते हैं यह बात इधर से बैठने वाले और उधर से बैठने वालों दोनों तरफ के माननीय सदस्यों ने कही है कि सारे कर्मचारी रिश्वत खाते है...

श्री उपाध्यक्ष : यह बात डिबेट में तो कहीं नहीं आयी।

एक माननीय सदस्य : ये कमी पूरी कर रहे हैं।

श्री लादूराम सुलानियां : गाड़ियाजी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि 25 लाख की मछलियां सवा लाख में बेच दीं इससे स्पष्ट है कि बाकी का रुपया कौन खा गये ? इस प्रकार के जो अधिकारी हैं उन पर मंत्री लोग कन्ट्रोल नहीं कर पाते।

सहकारी मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट के होते हुए भी वे शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को प्रोमोशन नहीं दे पाते। दूसरे लोगों के दबाव में आ जाते हैं और मंत्रियों के रिश्तेदारों और अधिकारियों के संबन्धियों को प्रोमोशन दे देते हैं। इस प्रकार के घोटाले और निकम्मापन राजस्थान में फैला हुआ है। मैं, सहकारी विभाग और पशुपालन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछले दिनों में पिछले सेशन में भी हमने यह प्रश्न उठाया था जयपुर जिले में भेड़ पालन के लिये एक जमीन एक्वायर की थी। आज उस जमीन का क्या हो रहा है ? उस जमीन को पांच हजार बीघा के हिसाब से बेच दी। जो जमीन 1948 में भेड़ पालन के लिये फार्म बनाने के लिये दी उसको खातेदार ने पांच हजार रुपया बीघा के हिसाब से बेच दी। वह फिर आखिर एक्वायर किस लिए की थी ? यह सब सरकार की ढिलाई और लापरवाही के कारण राजस्थान का पशुधन बरबाद हुआ है। आज जयपुर डिस्ट्रिक्ट की हालत यह है कि जितने अकालग्रसित क्षेत्र के पशु हैं सब यहां आ गये हैं। उपाध्यक्ष महोदय पिछली 9 मार्च को और 25 फरवरी जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण जयपुर जिले की फसल तबाह हो गई है। जो लोग अकालग्रसित क्षेत्र से आये उन लोगों के साथ इस इलाके के लोगों की मारपीट भी हो गई। तीन चार रोज पहले ही फागी तहसील में उन लोगों ने वहां के लोगों को बुरी तरह से मारा। जयपुर जिला ऐसा जिला है जहां अकालग्रसित क्षेत्र के मवेशी आते रहते हैं। उनके बारे में सारी रिपोर्टस है लेकिन सरकार कार्यवाही नहीं करती। यहां मंत्रिमंडल बैठा रहता है लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की बात आती है तो इन्कार कर दिया जाता है। वे कहते हैं राजस्थान के लोग हैं ये योंही आयेंगे इनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया जाय।

आज इस सरकार को शासन करते बीस साल हो गये लेकिन हरिजनों को ये किसी प्रकार भी संरक्षण नहीं दे पाये। करोड़ों रुपया सेन्टर से हरिजन और आदिवासियों के नाम से लिये जाते हैं उससे दूसरे लोगों का फायदा होता है

(श्री लादूराम सुलानिया)

इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है । ये सब मंत्री अयोग्य हैं। मंत्रि-मंडल ही अयोग्य है । हमारे संविधान ने यह घोषणा की है कि अनुसूचित और परिगणित जाति के लोगों को 28 प्रतिशत स्थान देंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण कीजिये । ऑर्डर प्लीज ।

श्री लादूराम सुलानियां : एक मंत्री बीस बरसों से बैठा है । उसके पीछे 60-70 लाख हरिजन बैठे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आसन पैरों पर है । आपका कोई कटौती प्रस्ताव नहीं, विचाराधीन विषय पर बोल नहीं रहे हैं । सदन का समय व्यर्थ ले रहे हैं । काफी समय ले लिया है ।

श्री लादूराम सुलानियां : मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मंत्रि-मण्डल में 28 परसेन्ट का कोटा पूरा नहीं कर पाते हैं तो आपकी यह घोषणा थोथी है । अगर 28 प्रतिशत मिनिस्टरी में लोग जावेंगे तो फिर सारे विभागों में यह कोटा मिल सकता है । तीन साल निकल गये । चौथा वर्ष जा रहा है । अब इस 28 परसेन्ट में केवल यादवजी को लिया गया है, और किसी को लिया हो तो बता दें । भीखाभाई और हैं ।

(व्यवधान, श्री यशवन्तसिंह नाहर के कुछ कहने पर) (अश्रव्य)

नाहरसिंहजी क्या कहते हैं, बोलो बोलो । सत्तर अस्सी लाख हरिजन राजस्थान में है, पर आज भी छूआछूत और बेगार मिटी नहीं है । आप करोड़ों रुपया इनके नाम से खर्च करते हैं पर वह किन पर खर्च करते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिये अपनी पार्टी को बनाये रखने के लिये । इसके सिवाय और कुछ नहीं करते । हरिजनों के नाम पर भारत सरकार से और राजस्थान सरकार से जितना धन हड़पा जा सकता है हड़पते जा रहे हैं आप ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य । समय समाप्त हुआ ।

श्री लादूराम सुलानियां : सहकारिता के लिये कहना चाहता हूं । जितने घोटाले इसमें है उतने और जगह मिलने मुश्किल होंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मन्त्रीजी ।

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्षजी, कृषि एक ऐसा विषय है जो हमारे देश में बहुत बड़ा महत्व रखता है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश कहलाता है । इसलिये कृषक का जीवन एक तरह से देश का जीवन माना जाने लगा है । इस बारे में बहुत से माननीय सदस्यों ने बड़े कीमती सुझाव भी पेश किये । मैं समझता हूं कि उन सब सुझावों पर तो शायद मेरे लिये उत्तर देना मुश्किल होगा पर फिर भी थोड़े बहुत जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर जरूर प्रकाश डालूंगा ।

पेश्तर इसके कि मैं जो प्रश्न किये गये और जो शंकाएं इस सदन में प्रस्तुत की गई उन पर कुछ रोशनी डालूं, मैं यह मुनासिब समझता हूं कि 3 प्रकार के दृष्टिकोण से इन कृषि विभाग के मसले

(श्री शोभाराम)

को हमें देखना पड़ेगा । क्योंकि जब तक हम इस सन्दर्भ में नहीं देखते हैं तो हमारा जो चित्र कृषि विभाग के बारे में इसकी समस्याओं के बारे में, उनके समाधान के बारे में है, वह धुंधला हो जाता है ।

पहली बात तो यह है कि पिछले दस पन्द्रह वर्षों में इस क्षेत्र में काफी वैज्ञानिक अनुसन्धान हुआ है और जो साइन्टिफिक एप्रोच है, वह इस क्षेत्र में बहुत तेजी के साथ प्रवेश हुआ है । मैं इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि एग्रीकल्चरल कारपोरेशन जो एक वर्कशोप की शक्ल में काम करता था और जो यन्त्र और उपकरण बनाना उसने प्रारम्भ किया था, वह भी पीछे रह गया और आधुनिक यन्त्रों के माध्यम से कृषि कम मेकेनाइज्ड फार्मिंग का रूप ले रहा है । अब लोगों का झुकाव ट्रेक्टर्स और उसके परिवर्तित इम्पलीमेन्ट्स की तरफ चला गया है । पर वैज्ञानिक एप्रोच एक से दूसरे मुद्दे पर तेजी से बदल रहा है. इसको ध्यान में रख कर मैं नहीं समझता कि अगले पांच वर्षों में और भी कितने भारी और तेजी से परिवर्तन इस कृषि के क्षेत्र में आवेंगे । इसकी आज कल्पना करना मुश्किल है ।

दूसरा मैं यह बताऊं कि आज देश में और राजस्थान में भी कृषि योग्य भूमि का काफी क्षेत्र बन गया है । यह 2 या 5 प्रतिशत और बढ़ाया जा सकता है और उसी में इस देश की जितनी जरूरत है, उसके मुताबिक खाद्यान्न पैदा करने हैं । फिर आज जनगणना के आंकड़े जिस तरह से हमारे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार, जनगणना के विशेषज्ञों के अनुसार, इस शताब्दी के पूरी होते 2 हमारे देश की जनसंख्या 100 करोड़ भी हो सकती है । मैं अगर यह भी मानकर चलूं कि फेमिली प्लानिंग का असर पड़ेगा तो भी यह संख्या 80 करोड़ के लगभग तो पहुंच ही जावेगी तो तब तक हमें इस उपलब्ध भूमि में उनके योग्य खाद्यान्न उत्पन्न करने की तैयारी करनी है । इस हिसाब से यह बहुत बड़ी समस्या और चुनौती हमारे सामने है । इससे शंकर बीज और हाई यील्ड वैराइटी का महत्व बढ़ जाता है ।

इसके साथ ही समस्या है बेरोजगारी की भी । आखिर हमें विकास क्यों करना है किसके लिये करना है ? इन्हीं के लिये तो करना है कि सभी बेकार लोग काम में लग जावें और जितना अन्य देशों में निर्वाह के योग्य एक व्यक्ति को मिलता है, उतना हमारे यहां भी मिलने लग जावे । हालांकि यह हमारे लिये अभी काफी कठिनाई का काम होगा । निकट भविष्य में तो इसकी आशा नहीं है । फिर भी यह हमारा प्रयत्न है कि आवश्यक निर्वाह योग्य साधन कम से कम सबको उपलब्ध हो जायें । प्रगतिशील और विकासशील देश जो माने जाते हैं उनमें जो वैज्ञानिक प्रगति आज कल हो रही है, उससे हम भी प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते ।

पर इसके बाद समाजवाद का जो दृष्टिकोण हमने अपनाया, हम चाहते हैं, हम उसी के माध्यम से तरक्की करें । वैसे तो पूंजीवादी देशों में भी उनके अपने पूंजीवादी तरीके से प्रगति और विकास हुआ है । पर हम इस तरीके को अपने देश

Page No 154

(श्री शोभाराम)

की परिस्थिति के अनुकूल नहीं समझते इसलिये हमने समाजवाद का रास्ता अपनाया है ।

तो एक लक्ष और साधन तो हमने निश्चित कर लिये । अब इसके साथ हमारे फाईनेन्शियल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं । इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमारी प्लान छोटी है या डिफेक्टिव है । पूरा उपयोग नहीं हो सकता । बहुत वेस्टफुल एक्सपेण्डीचर की बात भी कही जाती है । कुछ हद तक सही हो सकता है । इसके लिये हमारी कठिनाइयां भी कम नहीं थी। राजस्थान बना तब छोटी छोटी रियासतें थीं उनके अलग अलग कानून कायदे थे । उनको हमने एक किया । राजस्थान को आज भी और चार पांच भागों में विभक्त किया जावे तो उनकी सबकी अलग अलग समस्याएं हैं ।

पश्चिमी इलाकों के बारे में बहुत से माननीय सदस्य जिक्र करते हैं और यहां तक कहते हैं कि वहां पीने के पानी की भी समस्या है । जैसलमेर सरीखे हिस्से में तो आठ साल से वर्षा नहीं हुई । तो ऐसे हिस्सों में किस तरह से पशुपालन की और कृषि की हम प्रगति करें, यह सबसे कठिन समस्या है ।

इन सबके लिये हमें साधन जुटाने होंगे और जिस जिस गति से साधन हमें प्राप्त होते जायेंगे, हम इन समस्याओं का समाधान करते जावेंगे । यह हमारा निश्चित लक्ष है । कुछ हम नये करों से धन प्राप्त कर रहे हैं, कुछ सेविंग से बचा रहे हैं, कुछ हमारे वित्तीय साधनों को सुधार कर प्राप्त कर रहे हैं । करों के लिये अब हमारे आम लोगों की क्षमता नहीं है । खास करके जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वे ज्यादा कर भार सहन नहीं कर सकेंगे । तो इस दृष्टि से, इन सब बातों को सामने रखते हुए, इस बात को देखने के लिये मैंने अर्ज किया ।

दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि पिछले दस साल के अन्दर जो कुछ कर्जा, अल्पकालीन कर्जा, मध्यकालीन कर्जा और दीर्घकालीन कर्जा जो किसान को मिलना था, वे सब सहकारी समितियों से मिलता था । जहां तक दीर्घकालीन कर्जे का सवाल है, हमारी लैंड मार्टगेज बैंक्स, जिनको अब हम भूमि बंधक बैंक्स कहते हैं, एक तरीके से, मैं कहूं कि उनका दो तीन साल का ही जीवन है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है । हम जानते हैं कि तीन साल पहले हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की क्या हालत थी। तो इस कार्य करने में सहकारिता विभाग का कितना बड़ा सम्बन्ध है, कितना कोऑर्डीनेशन है, कितना एक दूसरे से ताल्लुक है, यह हमें देखना पड़ेगा। उदाहरण के तौर, एग्रीकल्चर री-फाइनेंस कार्पोरेशन के माध्यम से जो कुछ कर्जा मिलता है, खास तौर से भूमि विकास बैंक्स को जो कर्जा दिया जाता है, एक कृषि योजना बनती है लाखों और करोड़ों रुपयों की, उसमें सहकारिता विभाग का बहुत बड़ा ताल्लुक है । प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स और सेंट्रल लैंड डेवलपमेंट बैंक्स अगर एक खास समय के अन्दर जितना टारगेट है, अगर लोन ऐप्लीकेशन्स तैयार करके राशि वितरण न करें, तो हमारा सारा प्रोग्राम खत्म हो जाये । हमारे चेयरमैन की तो शिकायत है कि धन की कमी नहीं है,

(श्री शोभा राम)

लेकिन सही ढंग से उसका वितरण हो और उपयोग हो, इसके लिये जरूर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी आती है, और स्कीम आदि बनाने में वहां पर सट्रल मॉर्टगेज बैंक और कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी आती है।

तीसरा, हमारा जो हाइ ब्रीड वैराइटी का प्रोग्राम है, उसका ताल्लुक इरिगेशन और पावर डिपार्टमेंट्स से है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम इन सबका कोआर्डीनेशन बिठाना चाहते हैं। बहुत से माननीय सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि विभाग और दूसरे सम्बंधित विभागों के बीच में कोई समन्वय नहीं है मैं समझता हूं कि इरिगेशन और पावर, कोआरेटिव डिपार्टमेंट और रेवेन्यु डिपार्टमेंट और एक दो और डिपार्टमेंट्स इससे ताल्लुक रख सकते हैं। हम कोई प्रोग्राम किसी खास इलाके में लेते हैं तो यह आशा करते हैं कि चार पानी मिलेंगे और वक्त पर मिलेंगे। अब उनमें से अगर एक पानी भी वक्त पर नहीं मिला तो हमारा सारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। हमारे पास ऐसी शिकायतें भी आई हैं जहां पानी या बिजली फेल होने के कारण और वक्त पर किसान को जितना पावर मिलना चाहिये उतना नहीं मिलने के कारण, उसकी फसल समाप्त हो जाती है। यह सभी समस्याएं एक दूसरे डिपार्टमेंट के बीच कोई त्रुटि रह जाने के कारण हो जाती हैं और इससे कृषि के कार्यक्रम पर असर पड़ता है। यह चीज भी देखने की है।

श्री लादूराम मुलानिया : उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे विभाग क्या किसी दूसरी सरकार के आधीन हैं ?

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं कि 1970-71 के जो काम हैं, उसमें जहां तक इस विभाग का ताल्लुक है, करीब करीब यह फैसला किया गया है कि और जो सम्बन्धित विभाग हैं, उनसे किस प्रकार समन्वय बिठाया जाय।

अब मैं दूसरी बात और निवेदन करना चाहता हूं। कई प्रकार के वित्तीय साधन आज इन्स्टीट्युशनल फाइनेन्स के द्वारा मिल रहे हैं। कई संस्थाएं हैं जो आज कार्य कर रही हैं। माननीय सदस्यों ने एक दो मुद्दे और उठाये और खास तौर से वित्त मंत्रीजी ने उदयपुर और भरतपुर जिले के बारे में विशेष योजना के बारे में जो ध्यान आकर्षित किया था, उसके बारे में कहा। इस बारे में मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने कुछ बातें कहना चाहूंगा। ये हमारी कॉमर्शियल बैंक्स, एग्रीकल्चर रीफ़ाइनेंस कॉर्पोरेशन की स्कीम, एग्रीकल्चर फाइनेंस कार्पोरेशन के अन्तर्गत आने वाली योजनाएं, इनकी हम शुरुआत करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो ये दो जिले लिये गये हैं, मैं निवेदन करूंगा कि स्माल फार्मर्स के लिये डेवलपमेन्ट एजेंसीज़ इन दोनों जिलों के लिये, भरतपुर और उदयपुर के लिये बनाई जायेंगी और इन दोनों जिलों में छोटे फार्मर्स के लिये, उनके फायदे के लिये 1.60 करोड़ रुपये का प्रावधान केन्द्रीय मंत्रालय ने किया है कि दोनों जिलों के अन्दर इसका लाभ मिलेगा। अभी इसके डिटेल्स पूरी तरह से वर्क आउट नहीं हो पाये हैं, लेकिन जहां तक मैं समझता हूं उसके

(श्री शोभाराम)

खास दो मक्सद हैं। एक तो छोटे किसान जिनके पास कम जमीन है, उनकी कमी को पूरा करने के लिये, और दूसरा इसके अन्दर जो भी बैड डेट्स होंगे उनको राइट ऑफ करने के लिये 1.60 करोड़ का प्रावधान रखा गया है, ताकि जिन किसानों की पेइंग कैपेसिटी कम है और जो लोग चाहते है उनको अतिरिक्त राशि मिल सके। यह किस प्रकार से किया जाय, इसके बारे में अभी चर्चा चल रही है, अभी तक उसकी कोई निश्चित रूपरेखा हमारे सामने नहीं आई है।

इसके अलावा छोटे किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती थी, जरूरत के वक्त उसको कर्जा नहीं मिलता था, छोटी मोटी बातों की तकमील करने में टाइम लग जाता था। तो इस स्कीम के अन्दर भरतपुर और उदयपुर जिलों के गांवों की कॉमर्शियल बैंक्स के पास मैनेजर और स्टाफ अपने खर्चे पर दिया जायेगा जिनका काम यह होगा कि छोटे फार्मर्स के जितने आवेदन-पत्र हैं उनको पूरा करें और गाइडेंस दें। दो तीन बातें और तकमील करनी हैं इसमें, लेकिन मैं समझता हूं, आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि पूरी योजना के बारे में जिक्र कर सकें, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया से बातें चल रही हैं।

दूसरी जो महत्वपूर्ण घोषणा की है, इन दोनों जिलों के अलावा पूरे राजस्थान के लिये कि 15 एकड़ से कम असिंचित जोत वाले किसान और पांच एकड़ से कम सिंचित जोत वाले किसान के लिये फैसला किया है कि पांच हजार और दस हजार रुपये तक उनको कर्जा मिल सकेगा और इस लोन की अदायगी की गारन्टी राजस्थान सरकार ने दी है।

इस संदर्भ में एक बात मैं और निवेदन करूं कि जो एलॉटमेंट हुआ जिसके लिए जिक्र किया। बहुत से माननीय सदस्यों ने हमारे अलवर, भरतपुर सभी जिलों में कालोनी एरिया को छोड़ कर के एलॉटमेंट की बात यह कही थी कि उसे कोई हक प्राप्त नहीं होते थे। जब हक प्राप्त नहीं होते थे तो उसको कर्जा नहीं मिलता था। इस सिलसिले में भी निर्णय हो चुका है, ऑर्डिनेन्स निकल चुके हैं कि जितने अलॉटीज हैं जिनको भूमि आवंटित की गई, जिनको आज हक नहीं मिले खातेदारी के और उसके अभाव में वह कर्ज नहीं ले सकते और अपना विकास नहीं कर सकते उनके लिए भी यह प्रावधान हो गया है कि उनके लिए भूमि विकास बैंक और कमर्शियल बैंक से कर्ज मिलेगा और उसकी ऋण अदायगी की जिम्मेदारी अगर कोई डिफाल्ट होगा तो राज्य सरकार पर होगी।

हमारे जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया कि जहां तक कोआपरेटिव बैंक्स का सवाल है स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी नहीं ली जाती। अन्ततोगत्वा जो यह फीस लगती है यह किसान पर बोझा पड़ता है, जो कर्जा लेता है उस पर पड़ता है। स्टाम्प ड्यूटी के बारे में फैसला हो गया कि नहीं लगगी उस कर्ज पर जो कि कमर्शियल बैंक से लिया जायेगा।

(श्री शोभाराम)

रजिस्ट्रेशन फीस के बारे में कहा—मैं समझता हूं कि उनका सुझाव ठीक है, और इस विषय को हम लेना चाहते हैं और यह निर्णय लेना चाहते हैं कि जो कोई भी किसान अपने विकास कार्यों के लिए कमर्शियल बैंक से कोई कर्जा लेगा तो उसके ऊपर कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगनी चाहिए और मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के समक्ष हम कृषि विभाग से इस विषय को खुद उठा रहे हैं।

अब मैं आपके सामने एग्रो इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। खास तौर से इस संदर्भ में कि कल भी कुछ माननीय सदस्यों के द्वारा स्थगन प्रस्ताव पेश किये गये थे—दो स्थगन प्रस्ताव थे। उनकी मंशा एक ही थी कि जो 230 या कुछ वहां मजदूर काम करते थे, कर्मचारी काम करते थे, उनको हटा दिया। उनको लगाने के बारे में क्या सरकार सोच रही है? इस सम्बन्ध में तीन-चार माननीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव पेश किया। मैं इस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूं कि यह तो आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन की स्थापना पांच-छः महीने पहले जुलाई या अगस्त, 69 में हुई और इसम करीब करीब उतने ही प्रतिशत हमारी केन्द्रीय सरकार का हिस्सा है। यह तय किया गया कि जितने असेट्स और लाइबिलिटीज हैं इनका वैलुएशन करके जो असेट्स हमारी राजस्थान सरकार के होंगे, वह राजस्थान सरकार का हिस्सा मान लिया जायेगा शेयर्स के रूप में। अब जैसा मैंने शुरु में निवेदन किया कि जो पहले बैलों से चालित यन्त्र बनते थे और कुछ इलाकों के फेमिन की वजह से जहां एक तरह से रहट वगैरह का प्रोग्राम था, यह इस प्रकार के कार्यक्रम धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं और एक काम हम और करते थे कि हम बहुत सी चीजों की मरम्मत किया करते थे। ट्रकों की और जीपों की सर्विस करते थे। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का कार्य हम ले रहे हैं, उसमें जो यह काम है, इन कामों में अब ज्यादा गुंजाइश मानकर नहीं चलते। आज कोई आदमी आता है तो ट्रैक्टर के लिए आता है, ट्राली के लिये आता है और इसी प्रकार के यन्त्रों की वह आवश्यकता बताते हैं। तो आप जानते हैं पब्लिक अण्डरटेकिंग के नाते इन तमाम बातों की जांच की गयी और यह सोचा गया कि जो कार्य एग्रीकल्चर इन्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन को करने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए कितने आदमियों को रखा जाये, कितने आदमियों की उपयोगिता है, एक कमेटी बैठाई और मैं आपको बताऊं 467 आदमी तो पहले लगाये गये जिसमें परमानेंट 191, टम्पोरेरी 59 और वर्कचार्ज के 217। इस तरह से 467 आदमियों को हमने एक तरीके से रखा। अब 229 आदमी जिनका जिक्र चलता है और जिनके ऊपर स्थगन प्रस्ताव आया है और उसके द्वारा सदन का ध्यान आकर्षित किया गया है, इनको एब्जार्व करने का सवाल है और यह ठीक है कि जो आदमी बेकार होता है, जिसकी नौकरी छूटती है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी परेशानी होती है और वह आदमी खास तौर से जोकि 30 साल के ऊपर के होंगे दूसरी जगह सरकारी नौकरी करते हैं तो एज रेस्ट्रिक्शन का सवाल आता है और

(श्री शोभाराम)

कई तरह के सवाल आते हैं । तो राज्य सरकार ने फैसला किया है कि इरिगेशन, पी० डब्ल्यू० डी०, फैमिन, सॉइल कन्जर्वेशन आदि विभागों में जहां इनकी उपयोगिता हो सकती है, इनको एब्जार्ब किया जाये, जल्दी से जल्दी किया जाए और मैं समझता हूं कि इरिगेशन, फैमिन और पी० डब्ल्यू० डी० के जो सैक्रेटरी हैं, वह सुप्रिन्टेन्डिंग इन्जीनियर्स की मीटिंग बुला कर के बात करें । हम यह भी कहते हैं कि वहां उन लोगों को एब्जार्ब किया जाये । इसके अलावा यह भी बात है कि ज्यों ज्यों योग्य व्यक्तियों के लिए इस निगम में भविष्य में कोई रिक्त स्थान होगा और जिनको अभी दूसरी जगह एब्जार्ब करा रहे हैं, उनको वापिस ले लेंगे । मैं समझता हूं कि आम तौर से वर्कचार्ज स्टाफ को एब्जार्ब करने के लिए फाईनेन्स डिपार्टमेन्ट के रूल्स स्पष्ट नहीं हैं । इतनी दिक्कतें होते हुए भी राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि जी०ए०डी०को लिस्ट भेज दी जाये और इनको जल्दी से जल्दी एब्जार्ब कराने के भरसक प्रयत्न किये जा । मैंने सूक्ष्म में इतनी बातें आपके सामने रखी ।

मैं एक बात बीज के बारे में कहना चाहता हूं । एक तो बीज के वितरण के बारे में और जब बीज के वितरण की बात करते हैं तो जो उगा नहीं, खराब बीज और दूसरा नकद पर दिया जाये या क्रेडिट पर दिया जाये, कौनसी एजेन्सी से दिया जाये और फिर उसकी वसूली जो कि बहुत दिनों से पड़ी हुई है । बीज की समस्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं । मैं समझता हूं कि जहां तक कई माननीय सदस्यों ने कहा कि विभिन्न प्रकार की प्रणाली और विभाग के माध्यम से बीज का वितरण होता है मैं समझता हूं कि कृषि विभाग ने यह फैसला कर लिया कि बीज पंचायत समितियों के माध्यम से दिया जाये । हम जो भी बीज देते हैं खरीदकर पंचायत समितियों को हम फण्ड्स अलॉट करते हैं और वह खरीदकर वितरण की व्यवस्था उसकी होती है । तो जहां तक एक एजेन्सी का सवाल है वह यह है

लेकिन इससे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है सर्टिफिकेशन का जेनेरेशन ही नहीं होता है । या तो यह दिक्कत है या कुछ गड़बड़ हो गई होगी । जिस वक्त में उसका लेवलिंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन ठीक करने के बाद जो बीज किसान के पास रहता है वह बारिश के अन्दर खास तौर से हाईब्रिड सीड है यानी संकर बीज हैं चाहे वह ज्वार का हो, चाहे बाजरे का हो म्वाइश्चर के साथ इतना जल्दी बिगड़ जाता है तो जेनेरेशन पर्सेन्टेज वह खत्म हो जाता है । तो इस तरह के सर्टिफिकेशन के लिए अभी तक नेशनल सीड कार्पोरेशन सर्टिफिकेट करता रहा है, इसको प्रमाणित करता रहा है तो इसमें क्या सुधार किया जाय । इसके लिए कान्फ्रेन्स हुई है । हमारे सामने प्रश्न यह आता है इसको स्टॉक करने के लिए अच्छे गोडाउन्स का और उन गोडाउन्स में किसानों का माल रखा जाय ताकि वह बारिश के मौके पर और दीगर मौके पर वह खराब न हो । तो इसके लिए भी हमने कुछ बातें की हैं गोडाउन्स फेसिलिटीज के बारे में और वेयर हार्उसिंग कार्पोरेशन से भी हमने कहा है । इस संबंध में पैसा भी कोआपरेटिव सेक्टर का है तो 10-20 लाख रु० के गोडाउन्स के बनाने की जरूरत होगी तो उसके लिए रिजर्व बैंक से अनुमति मिल गई है कि इस संबंध में उनको कर्जा मिलेगा और इस संबंध में दिक्कत नहीं होगी । मैं समझता हूं कि सर्टिफिकेशन के बारे में क्या एजेन्सी हो और गोडाउन्स की डिफिकल्टी है उनके

(श्री शोभाराम)

बारे में ध्यान दिया जा रहा है। और खाद और बीज की वसूली के बारे में जो दिक्कतें आ रही हैं, खास तौर से 2 अक्टूबर, 1959 से पहले यह मौजूदा पंचायत समितियां नहीं बनी थीं तो उसके पहले कृषि विभाग इनवाल्वड था और उनकी वसुलियों के बारे में जिन माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है, मैं समझता हूं कि हम खुद देखना चाहते हैं। दो प्रकार की समस्याओं के बारे में हमने आदेश कर दिया है। जो लोग यह कहते कि हमने पेमेन्ट कर दिया, उनकी एन्क्वायरी हो, और जो लोग यह कहते हैं कि हमें खाद व बीज मिला ही नहीं तो यह दो प्रकार के तरीके की एन्क्वायरी करने की है। मैं समझता हूं कि आदेश दे दिये गये हैं। अगर किसी विशेष क्षेत्र में अब भी कोई समस्या है जिसका कि माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है तो उसके लिए गौर करके देखूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोटा जिले के अन्दर प्रत्येक पंचायत समिति में पी०डी० आर० की कार्यवाहियां चल रही हैं इटावा की 12 पंचायत समितियों का नाम बता सकता हूं। आप आर्डर दें विथड्रा करने के।

श्री शोभाराम : माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया है तो उसकी जांच करवाऊंगा। इसके लिए किसी को शिकायत होगी तो उसको देखना चाहता हूं।

नत्थीसिहजी ने अब यह कहा है–– भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य–– मेरा इनका खाता है इसलिए नाम लेकर बोल दिया है....

श्री रामसिंह कुडी : आप तो बुजुर्ग हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुराना चोली दामन का सम्बंध है।

श्री शोभाराम : इन्होंने सॉइल टेस्टिंग के संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। आप यह जानते हैं कि अभी तक 4-6 जिलों में तो व्यवस्था है और अब 12 जिले ऐसे रहते हैं, 26 में तो ऐसा नहीं हो सकता है और आपका भी खास मकसद ऐसा होगा कि जो जिले ऐसे हैं उनमें लेबोरेटरी हो तो मैं समझता हूं कि 70-71 में हम एक मोबाइल यूनिट टेस्टिग के लिये गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया से बातचीत कर रहे हैं और वह जल्दी ही निर्णय होने वाला है, और मैं यह चाहता हूं कि मोबाइल यूनिट का हम एक और का प्रावधान करें। दो मोबाइल यूनिट साल भर चले तो टाइम फिक्स कर देना चाहिए 6-6 जिलों के लिए कि दो-दो महीने एक जिला हैड-क्वार्टर पर रहे और लोगों को तारीखें बता दी जायं कि अक्टूबर-नवम्बर में फलां जिला हैडक्वार्टर पर मोबाइल यूनिट पहुंचेगी तो साल भर के जितने सॉइल और वाटर के नमूने हैं वे टेस्टिग के लिए मैं समझता हूं 5-7 रोज पहले इकट्ठे डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर आफिसर या पंचायत समिति कर ले––इनके बीच में किसी प्रकार का सामन्जस्य पैदा किया जाय। तो ऐसी मोबाइल यूनिट से काम करना चाहते हैं।

एक बात और कहना चाहता हूं कि जो अन्डर ग्राउन्ड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट है खास तौर से यह कि 1 हजार फुट के अन्दर नए कुए नहीं बनने चाहिए या 50 फुट के अन्दर नहीं बनने चाहिए तो जो रिपोर्ट आई है, वह डिस्चार्ज कैपेसिटी के आधार पर है। मैं भरतपुर गया था तो इस प्रकार की समस्या वहां पर लोगों ने मेरे सामने उठाई थी। मैं इस विषय में देखना चाहता हूं। जो समस्या गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कही और टोंक जिले से जो आये हैं माननीय सदस्य

Page No 160

(श्री शोभाराम)

जगन्नाथजी उन्होंने एक प्रश्न उठाया कि ट्यूब वैल बनाने का नतीजा यह हुआ कि 5 गांवों के कुओं में पानी सूख गया है। खेतड़ी कॉपर प्रोजेक्ट के लिए 5-10 कुए लगाये हैं तो पास के कुओं में पानी सूख गया है तो यह जो रिचार्ज केपेसिटी है इसको देखना पड़ेगा। जहां पर इस प्रकार की समस्याएं हैं तो कितने फासले पर हम कुए बना सकते हैं, यह देखेंगे ताकि कुओं का पानी सूखे नहीं। इस संबंध में जहां से शिकायतें आयेंगी और खास तौर से छोटे होल्डिंग्स जहां पर हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, उदयपुर....

श्री देवीदत्त गाडिया : कोटा।

श्री शोभाराम : जहां पर कुओं में फासला भी कम होता है। (श्री गाड़ियां से) आपका भी होगा तो आपका भी शामिल करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है।

श्री शोशराम ओला : पाइंट आफ आर्डर, सर। मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का प्रश्न आपने हल किया है तो दूरी ट्यूब वैल की निश्चित होनी चाहिए चाहे वह एक एक मील पर हो।

श्री शोभाराम : बालोतरा से आने वाली माननीय सदस्या ने लैण्ड रिक्लेमेशन के बारे में जिक्र किया। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में विभाग अपनी कार्यवाही करेगा। खास तौर से जो ड्राई कल्टीवेशन के लिए कहा तो आज हमारा एम्फेसिस खास तौर से जो सेमी-एरिड जोन है और ड्राई जोन है और बारिश कम होती है वहां पर भी इस प्रकार ड्राई कल्टीवेशन के माध्यम से रिसर्च करके अधिकतम पैदावार किस तरीके से की जाय इसके बारे में गत वर्ष से विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो ट्यूब वैल खुदे हुए पड़े हैं और लोगों ने कब्जा कर लिया है उन पर उनके बारे में क्या करना चाहते हैं ?

श्री शोभाराम : आने दें मुझे। आपका भी कहूंगा।

सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिश पर खाद-बीज देने की बात कही है....

श्री हरलाल सिंह खर्रा : बीज नया निकला है उसके लिए बताया कि डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन कमेटी की सिफारिश करने पर पैसे वाले काश्तकार को दिया जाता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो मंत्री महोदय के खेतों में बीज पैदा होता है उसके बारे में....

श्री शोभाराम : कृपया नोट कर लें और जो रह जायं तो फिर बाद में पूछ लें।

यहां पर यह कहा गया कि जिस रेट से कृषि विभाग ने बीज लिया, उससे दुगनी रेट पर बेचा। तो मैं समझता हूं कि दो साल पहले संकर बाजरा 8 रु० किलो पर बेचा, और 5 रु० किलो के हिसाब से नेशनल सीड कार्पोरेशन से लिया, तो हमने एक बात का फैसला किया है कि नेशनल सीड कार्पोरेशन की जो बेचने की रेट होगी उससे अधिक रेट पर नहीं बेचेंगे, और मैं समझता हूं कि दुगने या डेढ गुने की जो कुछ भी बात है हम उनको खर्चा निकाल कर देना चाहते हैं। जो पहले 8 रु० प्रति किलो पर बीज दिया गया था धीरे धीरे शायद हम यह समझते हैं कि इस

Page No 161

(श्री शोभाराम)

साल जो प्रोक्योरमेन्ट की रेट होगी और जो देने की होगी वह 8 रु० किलो के मुकाबले में 30-40 पर्सेन्ट कम होगी । क्योंकि आप यह जानते हैं कि हमने यह फैसला किया है कि हमारे जितने भी एग्रीकल्चर फार्म्स हैं वे कुल 124 हैड के तहत स्टेट ट्रेडिंग में आयेंगे इसलिए भी मैं कहना चाहता हूं कि फार्म्स के बारे में एक माननीय सदस्य ने कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात कही है तो कास्ट आफ प्रोडक्शन के क्या नार्म्स हों ? जब तक यह चीज तय नहीं की जाती है किसान को पता नहीं रहता है कि कौन सी फसल लेनी है। मैं समझता हूं कि एग्रीकल्चर नार्म्स के सिलसिले में कास्ट ऑफ प्रोडक्शन का सवाल आया है तो वर्क आउट कर रहे हैं और किसान जितना खर्च करता है तो उसके मुकाबले में 5 या 7 पर्सेन्ट ज्यादा हो सकता है । तो पैदावार के नार्म्स निर्धारित करके एक समन्वित योजना बना कर कास्ट ऑफ प्रोडक्शन के मेरिट पर अधिकतम एक सरीखी पैदावार होती है तो उनकी रिपेइंग केपेसिटी बढ़ती है और ऋण अदा करने की शक्ति बढ़ती है और छोटा किसान अधिकतम ऋण ले सकते हैं और उनकी क्षमता बढ़ती है तो इसको सस्ता किया जाय ।

दूसरा इन्होंने कहा कि स्प्रे नहीं किया जाता है जो रोग ग्रसित हो जाती हैं, मैं समझता हूं कि मैं खुद जानकारी करूंगा और इसकी जांच भी करना चाहता हूं ।

हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने नर्वदा की योजना का जिक्र किया जालोर और बाड़मेर ज़िले के लिए। मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग की जब मांग पेश हो उस वक्त इसका जिक्र किया जाय।

श्री रामकिशन : उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। वह बोलने से मतलब रखते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मेरा सवाल है नहीं।

श्री शोभाराम : पर्चेज कमेटी के बारे में कहा कि 80 पर्सेन्ट लिया है। मैं समझता हूं कि शुरू से हमने जो नीति निष्पादित की है, उसके सम्बन्ध में मैं कह चुका हूं।

सीलिंग का मामला आया, मैं समझता हूं कि सीलिंग से इस मामले का ताल्लुक क्या है।

श्री पृथ्वीसिंह : अलवर में कृषि उपज मण्डी कानून के लिए बता दें।

श्री शोभाराम : आ रहा हूं। आ रहा हूं, कृषि उपज मण्डी....

श्री पृथ्वीसिंह : आपने कहा.....

श्री शोभाराम : मेरे ऊपर यह आरोप लगाया।

श्री पृथ्वीसिंह : उसके लिए मैंने कहा था कि सिंचाई विभाग से सम्बन्ध स्थापित करें।

श्री शोभाराम : आपका पाइन्ट बीच में आ गया। आपने पाइन्ट उठा दिया।

मैं आपको बताऊं कि डेढ़ सौ के करीब चालान हो गये। इसका मेरे दिमाग पर असर है लेकिन यह चालान से काबू में नहीं आयेगा.....

श्री देवीदत्त गाड़िया : समझ में नहीं आया, क्या कहा?

श्री शोभाराम : सिर्फ जुर्माना किया जाय तो उससे परेशानी व्यापारियों को नहीं होती है। सोचते हैं, दस साल चलायें, चार साल चलायें, पांच सौ रुपये जुर्माने के होंगे-इस तरह तीन साल तो निकल ही जावेंगे। इसलिए हमारे विभाग की तरफ से सिफारिश की गई है जो लाइसेन्स नहीं लेगा, और लाइसेन्स फीस दाखिल नहीं करायेगा उसका चालान होगा, उसके साथ ही उसमें कुछ न कुछ कैद की सजा जरूर हो। कम से कम इससे लोगों में दहशत तो होगी। मैं समझता हूं कि चालान से कुछ नहीं होगा। इसमें दो तीन कठिनाइयां हैं मैं उनके बारे में जानता हूं और उनसे मुझे खुशी नहीं होती है। लेकिन जुडिशियरी में होकर मामला गुजरता है, तो माफ कीजियेगा उसमें कितना ही लम्बा समय लग सकता है लेकिन इसमें जब तक कैद की सजा अनिवार्य नहीं होगी तब तक इसका असर नहीं होगा।

श्री नत्थीसिंह : व्यक्ति असर का ही इस्तेमाल करें तो कुछ लागू हो जाय। चालान करने की भी जरूरत नहीं पड़े।

श्री शोभाराम : मैं बहुत करता हूं लेकिन आपके साथी ठेंगा देते हैं।

श्री रामकिशन (वैर) : अलवर के व्यापारी हैं वह चंदा देते रहेंगे छोटा मोटा।

श्री शोभाराम : आपको ताज्जुब होगा, रामकिशन जी, 1962 में मैंने चुनाव लड़ा था, माफ करना, बिजनेस क्लास की बात आप करते हैं, मुझे तमाम क्षेत्र के अंदर सन् 62 के चुनाव में व्यापारियों के पच्चीस वोट मिले थे......

श्री रामकिशन : लेकिन चन्दा मिल गया।

श्री शोभाराम : मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कितने मिले हैं वह भी मैं जानता हूं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक बात पूछना चाहता हूं......

श्री नत्थीसिंह : हमें तो हर वक्त वोट देते हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को आवश्यक समझते हैं, जिस तरह से नगर पालिकाओं के लिए लोकल बोडीज विभाग कायम किया है, इसी प्रकार से कृषि उपज-मण्डी को सक्षम बनाने के लिए इसे कृषि विभाग के डाइरेक्टर के नीचे से हटा कर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट विभाग कायम कर दें ताकि कृषि उपज-मण्डी अच्छे ढंग से चल सकें।

श्री रामनारायण चौधरी : बीच में नहीं बोलें।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, आप मिनिस्टर हैं, आपकी स्थानीय समस्यायें हैं इसलिए चालान की बात कहते हैं। मैं बयाना से आता हूं, बयाना में हम लोगों ने अपने ही साधनों से, अपने ही योग से पच्चीस लाख रुपया लगा कर परसों के रोज एक नई मण्डी खड़ी करके उसका उद्घाटन कर दिया और यह जो दिवाली आने वाली है तब तक....

एक माननीय सदस्य : होली।

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल : पच्चीस लाख और खर्च कर देंगे, और पांच छः

(श्री मकुट बिहारीलाल गोयल)

लाख हमारे पास मौजूद हैं जिसे कन्स्ट्रक्शनं कार्य में लगायेंगे । इस तरह से उत्साह दिखा रहे हैं तो क्या जो नाहर कमेटी की रिपोर्ट है उस पर विचार करने के लिए तैयार हैं ? वास्तव में आज व्यापारियों के बीच में गलतफहमी है, उनकी मौलिक कठिनाइयां हैं उन पर विचार करने के लिए गोष्ठी के रूप में विचार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री नत्थीसिंह : तैयार तो हैं।

श्री शोभाराम : उपाध्यक्ष जी, नाहर कमेटी ने जो सिफारिश की उन तमाम सिफारिशों के आधार पर मंत्रिमण्डल के सामने यह मामला रखा गया। मंत्रिमण्डल ने कुछ सुझाव दिये, उसके आधार पर कि चुनाव के सम्बन्ध में क्या प्रणाली हो, कैसे उनका कान्स्टीट्यूशन हो, कैसे निर्वाचन क्षेत्र बनें इत्यादि कई बातों पर दुबारा से गौर होकर मैं समझता हूं कि इस सैशन के पश्चात् मंत्रिमण्डल के सामने जाब्ते के रूप में यह मामला पेश होगा। मेरे ख्याल में मई के महीने तक अन्तिम रूप से इसको फाइनल शेप जो कुछ भी हो वह दे दी जायगी।

हमारे पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने पांच रिग्स के युटीलाइजेशन के सम्बन्ध में कहा। मैं जानकारी करूंगा कि उनका प्रोपर यूटीलाइजेशन कैसे हो सकता है। यह देखूंगा।

पैकेज यंत्रों के बारे में एक बात और कही, शायद आपने ही फर्माया था। इन यंत्रों का, शायद छः सात साल पहले पाली में पैकेज प्लान कितना किया गया ? अभी कुछ रोज पहले हमारी चर्चा हुई--कहां पर कितने पड़े हुए हैं, उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाय। नम्बर तीन, जो बेकार हो गये हैं उनका डिस्पोजल कैसे किया जाय ? कहां से वह खरीदे गये ? उनकी जिस वक्त खरीद की गई तो कौनसे व्यक्ति पर इसकी जिम्मेदारी आयद होती है ? इन तमाम बातों की जानकारी के लिए हमने एक तरह से फैसला कर लिया है। इस प्रकार के प्रश्नों की ओर तारांकित प्रश्नों के माध्यम से भी ध्यान आकर्षित किया गया है। मैं समझता हूं कि जल्दी ही हम—क्या इनका उपायोग हो-इन तमाम प्रश्नों पर गौर करके आगामी जो सत्र होगा उसमें सदन के सामने जानकारी रखेंगे ।

हमारे रामगंज मंडी से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत कुछ सुझाव रखे। इनमें एक था लोनिंग पैटर्न के बारे में, सोइल कन्जर्वेशन का जो काम होता है उसमें। मुझ भी जिक्र किया था आपने। यह ठीक है कि इस वर्ष हमने कुछ पैटर्न बदला है पन्द्रह पर्सेन्ट सब्सिडी, पैंतालीस पर्सेन्ट लोन अमाउन्ट, जो बचा हुआ है केश वह पहले पे करे, तो मैं समझता हूं कि आपका सुझाव मुझे कुछ ज्यादा माकूल लगता है। हम लोनिंग पैटर्न को बदलना चाहते हैं इस भरोसे पर कि कंटूर बंडिंग के लिए हमने लोन देने की बात व्यापारिक बैंकों से कर ली है और वह चल रही है। कंटूर बैंडिंग के लिए पहले पैसा पे करना पड़ेगा, तो विकास लोन से इसको फाइनेन्स करें। इस तरह से इसका समाधान हो सकता है।

इरोजन की बात कही। एक बात पर आपने जोर दिया एक्सटेंशन इरिगेशन फैसेलिटी की...

श्री बिरदाराम : ओले पड़े उससे जो काश्तकारों को नुकसान हुआ उसके बारे में कुछ कहें।

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं, वह ठीक है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : क्या कह गये यह, आप ही जाने।

श्री शोभाराम : इरिगेशन फैसेलिटी के बारे में आपने यह कहा कि कोई पच्चीस परसेन्ट कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है इसलिए एक्सटेंशन प्रोग्राम हाथ में लेना चाहिये। इस मत से मैं सहमत हूं। हमने टोंक जिले के अन्दर 1970-71 में सघन खेती के कार्यक्रम को लेने का फैसला कर दिया है। हम समझते हैं, जहां तक सम्भव हो, इस प्रोग्राम को ज्यादा चलाना चाहिए। बी०एल० डब्ल्यू की कास्ट ऑफ प्राडक्शन की बात में कह चुका हूं। इसको कैसे इम्प्रूव करें और जो एक्सटेंशन स्टॉफ पंचायत समिति में है उसका इन्वाल्वमेंट कृषि उत्पादन कार्य में ज्यादा से ज्यादा कैसे हो यह बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। मैं समझता हूं कि विकास विभाग से बातचीत करके और भी ज्यादा इसका इन्वाल्वमेंट कैसे हो इस बारे में विचार किया जा सकता है।

(8 म० प०)

एक बात बहुत जोरदार कही कि double crop area should be raised, मैं समझता हूं यह बहुत ही माकूल सुझाव है। पानी की सुविधा है तो डबल क्रोप एरिया कैसे बढ़ाया जाय, रबी की फसल ले लेते हैं उसमें सिंचित एरिया भी डबल क्रोप एरिया हो सकता है पर वह 10 पर्सेन्ट ही है, उसको कैसे बढ़ाया जाय-इस सम्बन्ध में जानकारी कर के कृषि विभाग इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश करेगा।

पैटर्न के बारे में हो गया। मार्जिनल लैंड के बारे में कहा, यह ऐसा विषय है रेगुलेराइजेशन का कि इसके लिये रेवेन्यू भाग से बात करेंगे और स से कोई न कोई नतीजा निकलेगा। मैं समझता हूं कोइ रेवेन्यू विभाग की मीटिंग हो जहां रेगुलेराइजेशन का मामला आता हो, वहां इस विषय में सरकार की क्या नीति हो, इस सम्बन्ध में चर्चा की जाय तो कोई हल निकाला जा सकता है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह तो खुली दुकान है, 200 रुपया बीघा का दीजिये और रेगुलेराइज करा लीजिये। आप चाहें तो तहसील के सैकड़ों केसेज आपको दे ।

श्री शोभाराम : आप लोगों के प्रवचनों से तो हमें बहुत सी बातें मालूम होती हैं।

रिसर्च के बारे में तीन चार आइटम्स के बारे में कहा गया। वह मैं ठीक समझता हूं झुंझनू में खंडेला और उदयपुरवाटी की काफी बड़ी स्कीम मंजूर कर ली है। डी० आर० सी० की स्कीम के तहत ले लिया जायगा।

श्री शीशराम ओला: यह कहां की स्कीम है ?

श्री शोभाराम : पीपल्दा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहां कि ज्वार और मक्का का अनुपात नहीं बैठता है, उन्होंने जवार और मक्का के अनुपात को बढ़ाने के बारे में कहा पर जहां तक ज्वार और मक्का का सवाल है, इनके लिये पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है बमुकाबले बाजरा के। जहां पर एक तरह से व र्षा की या पानी की ज्यादा सुविधा है, वहां पर इस प्रकार की चीज पर जोर दिया जाय इसकी मैं कोशिश करूंगा।

प्रोडक्शन के बारे में एक माननीय सदस्य ने शोर्ट टर्म लोन्स का जिक्र किया। इसमें

(श्री शोभाराम)
कितनी कोओपरेटिव सोसाइटीज को इन्वोल्व करे। शोर्ट टर्म लोन के सम्बन्ध में मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा, वे अपेक्स बैंक के चैअरमेन हैं, कि खास तौर से स्प्रे और दवाएं ऐसी कोओपरेटिव सोसाइटीज को दें जो इस सर्विस को करने के लिये तैयार हों, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जहां तक शोर्ट टर्म लोन का सवाल है जिन एरियाज को आप लें, उनको आप दें आर बाकी एरियाज को हम देंगे। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये कि सबको कीटनाशक दवाइयां मिलें और स्प्रे करने की मशीनें कृषि विभाग के पास काफी मौजूद हैं, किस प्रकार से सेवा की जाय इस बारे में कोई मीटिंग बुलायेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

ट्रैक्टर्स के वितरण के बारे में जहां अव्यवस्था हुई है, इसके बारे में जो कहा गया मैं जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि हम इसकी जांच कर लेंगे।

श्री मेहता ने जो कोओर्डिनेशन के बारे में कहा, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और दूसरे विभागों से कोओर्डिनेशन का कहा वह एक माकूल सुझाव है। हम इस सम्बन्ध में पूरी कोशिश करेंगे हमें इस कोओर्डिनेशन को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाना है।

खेतड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने टयूब वैल के बारे में कहा। मैं समझता हूं अगले वर्ष भी यह स्कीम लेने की बात हो सकती है। खण्डेला आर उदयपुर वाटी में 7852 हजार की स्कीम ले ली है। कौन कौन से इलाके इसके लिये ज्यादा उपयुक्त हैं जहां पर आप समझते हैं कि पानी के रिसोर्सेज ज्यादा हैं, पोटेन्सियलिटी ज्यादा है, यह आप दे दें, हम कृषि विभाग के माध्यम से भी जांच और जानकारी करा सकते हैं यह स्कीम रेम्यूमेनेरेटिव स्कीम होगी तो इसे लेने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी।

श्री बालसिंह सोढा (जैसलमेर) : जैसलमेर में टयूब वैल 1961 से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के तहत पड़े हुए हैं, उनके लिये राज्य सरकार क्या सोचती है?

श्री शोभाराम: वैसे तो यह प्रश्न नहीं आया है पर यह कह सकता हूं कि ग्राउन्ड वाटर बोर्ड से कहेंगे कि कितने टयूब वैल बने हैं, कितने ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के पास हैं, कितने फैमिन में बने हैं, हैल्थ डिपार्टमेंट को कितने सौंप दिये, उनका उपयोग क्या हो रहा है, क्या खर्चा आया है। यह प्रत्येक टयूब वैल का आना चाहिये कि प्रत्येक कुए की क्या उपयोगिता है, कितना खर्चा आया है, इस प्रकार की जानकारी हम आपको देंगे। जहां तक जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की बात है, उसको मैं देखूंगा।

चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कपासन, भोपालसागर की जांच के बारे में कहा, उसकी हम जांच करेंगे। यह कहा कि गम्भीर प्रोजेक्ट में अलॉटमेंट हो गया पर उनका कब्जा नहीं हुआ, इसकी हम कोशिश करेंगे, हालांकि कृषि विभाग से सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यह कन्सोलिडेशन से सम्बन्ध रखता है, मैं खुद इस मामले को देखना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि कोई टाइम चित्तौड़ग में रख लें वहीं बैठ कर तय कर देंगे।

भोपालसागर शुगर फैक्ट्री गन्ना नहीं खरीदती, यह कहा गया। कानूनी ढंग से तो हम मजबूर नहीं कर सकते पर लेबर

(श्री शोभाराम)

डिपार्टमेंट से सम्बन्ध है, किसान भी संगठित हो कर अपनी मांग मंजूर करवा सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि किसानों का गन्ना उठा लिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं......

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न पूछना है तो जब मंत्री महोदय उत्तर समाप्त कर दें तब पूछना। आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उनको जो बीज दिया गया था, इस शर्त पर दिया गया था कि उनका गन्ना खरीद लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय उत्तर जारी रखें, आर्डर प्लीज, इस तरह उत्तर नहीं दिया जायगा।

श्री शोभाराम : जैतारण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो स्कीम का जिक्र किया ट्यूब वैल के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं यह फेमिन डिपार्टमेंट से फंड्स लेने हैं, आप फेमिन मिनिस्टर से बात करें।

श्री शंकरलाल : फेमिन वाले कहते हैं कि पीने के पानी के ट्यूब वैल को लेंगे सिंचाई वाले ट्यूब वैल्स को हम नहीं लेते हैं।

श्री शोभाराम : आप तो पीने के पानी की शक्ल में ले लीजिये, पीछे कुछ भी कर लेना। फिर बात कर लेंगे आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री शोभाराम : टोडा रायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने चाही लगान के बारे कहा में, यह रेवेन्यू विभाग से सम्बन्ध रखता है। फिर भी हम इस बारे में जांच करेंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरे मुद्दों का जवाब नहीं दिया।

श्री शोभाराम : श्री अमीलालजी ने वसूली के बारे में और हाई ब्रीड के बाजरे के बारे में कहा। हाई ब्रीड के बाजरे में जो हुआ उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसकी हम कोशिश करें।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरा ध्यान तीन चार नल कूपों की ओर दिलाया, मैं इस मामले में सही जानकारी कर लूंगा। और भी छोटी मोटी....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने जो बात कही उसका उत्तर नहीं दिया। मैंने कहा कि जो नल-कूप चिड़ावा और हिन्डौन के अंदर खुदवाये गए, वैसे के वैसे पड़े हैं, दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, सरकार को पता नहीं कि हमारे नल-कूप कहां कहां है। सरकार ने जांच करवाई ?

दूसरी बात केन्द्रीय जन लेखा समिति ने सूरतगढ़ फॉर्म के बारे में जो रिपोर्ट दी है और जिसमें नुकसान हो रहा है, क्या सरकार ने ध्यान दिया ? क्या सरकार उचित नहीं समझती कि भूमि बांट कर भूमिहीनों को देकर नुकसान से बचा जाय...

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह प्रश्न अपनी चर्चा में नहीं उठाया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लेकिन नल-कूपों का उठाया था।

श्री नत्थीसिंह : हमने एक नीति विषयक प्रश्न उठाया था कि फसल बीमा योजना के बारे में वित्त मंत्री ने कहा था कि मुझे पता नहीं, पहले श्री परसराम मदेरणा कृषि मंत्री थे, इस स्कीम को मन्जूर करवाया है या विभाग

(श्री लक्ष्मीसिंह)
की इस संबंध में क्या नीति है ? क्या आप महसूस नहीं करते कि किसान की फसल जो सब तरह से नष्ट होती है, उसके लिए यह योजना लागू की जानी चाहिए ?

श्री मूलचन्द डागा : कृषि मंडी का भी उत्तर दें।

श्री शोभाराम : चिड़ावा नल कूपों के बारे में माननीय सदस्य ने कहा था। जिन लोगों ने जबर्दस्ती कब्जा कर रखा है, उनसे कीमत वसूल की जाय। मैं समझता हूं कि एक नल कूप के बारे में मुझे जानकारी नहीं हुई है और इस संबंध में क्या करना है तो 15 दिन के अंदर जवाब गे कि क्या कार्यवाही कर सकते हैं ।

रहा सवाल क्रॉप इंश्योरेंस का। मैं समझता हूं कृषि विभाग का ताल्लुक नहीं है। जहां तक फसल बीमा का सवाल है, मैं समझता हूं फसल बीमा लिमिटेड क्राप्स पर होना चाहिए। सिंचित जमीन है, व्हेदर की वेगरीज पर डिपेंड नहीं करती है, वहां शुरू हो तो बहुत अच्छा होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप जो बीज खरीदते हैं कल्याण सोना, लाल बहादुर शास्त्री, आज से दो साल पहले आपने किसान को कहा था कि खेत पर पैदा होने के बाद सरकार खरीदेगी और आपने खरीदा नहीं और मंत्रियों के खेत पर पैदा होने वाले बीज को ऊंचे भाव में खरीदा ?

श्री उपाध्यक्ष : आपने यह प्रश्न अपनी चर्चा में नहीं उठाया।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा कटौती प्रस्ताव है।

श्री शोभाराम : लाल बहादुर शास्त्री के बाद कल्याण सोना। (15) रेट मुकर्रर की कल्याण सोना की। तो हम तो पंचायत समितियों से कहते हैं कि जितना आप दे सकते हैं उतना लोगों से लेकर दे दो। बेचने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने पंचायत समितियों पर छोड़ दिया है। जिस भाव खरीदना चाहें उस भाव में ले लें। किस भाव में बेचना चाहें वह मन्जूरी दे दें, । हम कहां बीच में आते हैं ?

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : ट्रैक्टरों के बारे में मैंने सवाल उठाया था.....

श्री मूलचन्द डागा : कृषि मंडी के बारे में ?

श्री शोभाराम : ट्रैक्टरों के बारे में नोखा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, उसके लिए मैं एक उसूल बता दूं कि प्राथमिकता के आधार पर ट्रैक्टर्स दिए जाते हैं। हरेक जिले में प्राथमिकता रजिस्टर खोला गया है, जिस तारीख को दरख्वास्त दी थी उस तारीख को.....

श्री उपाध्यक्ष : इनका मतलब सरकारी कोटा से है।

श्री शोभाराम : वह 5 प्रतिशत है, ज्यादा नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कितना कोटा है ? और कितने ट्रैक्टर्स आए सरकारी कोटे में ?

श्री शोभाराम : सरकारी कोटे में जो ट्रैक्टर्स आते हैं वह 5 प्रतिशत हैं, 200 आते हैं तो 10 मिलते हैं। अब मैं देखना चाहूंगा जैसा आपने कहा कि बकवर्ड क्लासेज या

(श्री शोभाराम)

हरिजनों के लिए सरकारी कोटे में से कितना मिला? मेरे पास आंकड़े नहीं हैं चाहेंगे तो बता दूंगा।

श्री मूलचन्द डागा: मैंने कृषि मंत्री के बारे में निवेदन किया था।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया: बीज के बारे में जवाब दिलायें।

श्री शोभाराम: मैं इतना कह सकता हूं कि जिस अधिकारी के लिए आप चाहते हैं, तो एक अधिकारी को लगा दिया जायगा जांच करने के लिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन: हाइड्रोलोजिक रेकनेसंस योजना के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर में जो सर्वे ट्यूब वेल्स का प्राकृतिक दृष्टि से करना है वह कब करायेंगे आप?

श्री शोभाराम: भारत सरकार ने कुछ भाग में सर्वे कराया है। 15 दिन में सर्वे रिपोर्ट आने वाली है। हमारे विभाग ने भी किया है। कुछ एरिया ऐसा है कि जिसका सर्वे करने के पश्चात् विभाग इस नतीजे पर पंहुचा है कि वहां वाटर पोटेन्शल नहीं है और मैं पता लगाऊंगा कि कौन कौन से एरिया का सर्वे हो गया, कौन कौन सा सर्वे होने के पश्चात् हमने बताया कि ठीक नहीं है, कौनसा एरिया बाकी रह गया है तो सर्वे करवाऊंगा।

श्री पृथ्वीसिंह: एग्रो इंडस्ट्रियल निगम बनने से पहले ट्रैक्टर्स के कुछ डीलर्स के पास ऑर्डर्स बुक्ड हैं और निगम बनने के बाद में जो ऑर्डर्स बुक किए हैं निगम ने तो उन डीलर्स के बुक्ड ऑर्डर्स और जो निगम ने बुक किए, इनको प्राथमिकता दिलाने के लिए आपकी क्या व्यवस्था है?

श्री शोभाराम: निगम के पास उनका वितरण आ गया। पहले कम्पनीज के एजेन्ट्स थे। उन्होंने 2500) की सिक्योरिटी लेकर धनराशि जमा कर रखी थी। हमारे पास बुकिंग नहीं करवाई। 8 हजार ऑर्डर्स पहले बुकिंग के लिए आ गए। जो डिलीवरी होती थी, इम्पोर्ट होता था वह तो उनके माध्यम से नहीं हुआ। इसलिए हमने पर्सेन्टेज तय किया है कि जो बुकिंग हमारे पास हो, उसका इतना प्रतिशत, जो उन्होंने किया उसका कुछ प्रतिशत, डीलर्स का कोटा कौन कौन आदमी आएगा, वह सूची मंगा रहे हैं किसको मिला किसको नहीं मिला। दूसरे, आपने कहा पहले कोटा निगम....

श्री पृथ्वीसिंह: बुकिंग पहले उनकी हुई थी सलिए प्राथमिकता उनकी फिक्स हो जानी चाहिए थी। बुकिंग डीलर्स की थी।

श्री उपाध्यक्ष: उत्तर दे दिया कि कुछ प्रतिशत उनको देंगे।

श्री पृथ्वीसिंह: जो ऑर्डर्स डिलर्स को ट्रांसफर होने चाहिए थे...

श्री शोभाराम: कल बैठ कर विस्तृत चर्चा कर सकते हैं।

श्री आईदानसिंह: मंत्री महोदय ने हाई ईल्डिंग वैराइटीज के बारे में फर्माया।

श्री उपाध्यक्ष: नया प्रश्न नहीं आएगा।

श्री आईदानसिंह: नया प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने फर्माया, उस पर एक मेरा सवाल है। एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष : एक एक मिनट कर बहुत समय हो जायेगा।

श्री आईदानसिंह : हाईईल्डिंग वैरा टीज ऑन इलेक्ट्रिसिटी और कैनाल वाटर....

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री वृद्धिचन्द जैन : राज्य सरकार ने 100 नल कूपों के बारे में....

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। आपने एक बार पूछ लिया।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने चर्चा में प्रश्न उठाया था कि क्या इस प्रकार का प्रयोग विचाराधीन है कि कम पानी से फसल तैयार हो सके डेज र्ट और सेमी डेजर्ट एरियाज में बाजरा, गेहूं, मोठ....

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने उत्तर दे दिया।

पशुपालन मंत्रीजी।

श्री मनफूलसिंह (राज्यमंत्री, पशुपालन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत से माननीय सदस्यों ने पशुपालन के सम्बन्ध में बहुत अच्छे 2 सुझाव रखे हैं उनके लिये मैं उनका अभारी हूं। राजस्थान प्रान्त पशुपालन की दृष्टि से एक प्रधान प्रान्त है। उसमें अलग अलग ऐसे हिस्से हैं कि जहां पर जलवायु का, वहां की जमीनों पर अलग अलग असर है। इसी तरह से वहां पर जितने भी पशु हैं राजस्थान के अन्दर उनकी अलग अलग नस्ल है और अलग से पालन–पोषण होता है। पशु-पालन विभाग कृषि से बहुत अधिक सम्बन्ध रखता है इसलिये मैं यह मान कर चलता हूं और मेरी यह मान्यता है कि जहां पर कृषि अच्छी है वहां का ही पशुपालन अच्छा है। जैसा कि श्रीमती मदन कौर जी ने कहा कि उनके इलाके में पशुओं की हालत बहुत खराब है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं क्योंकि राजस्थान के अन्दर बहुत से ऐसे हिस्से हैं जहां दो दो तीन तीन साल के बाद अकाल पड़ते हैं और वहां पर पशुओं की अच्छी देखभाल नहीं की जा सकती है। अलग अलग हिस्सों में

(8.22 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

आप नागौर, भरतपुर, जालोर को लें वहां के पशु अच्छे है और वहां के लोग खुद अच्छी देखभाल करते हैं। वहां यह देखते हैं कि पशुओं की कीमत है। वहां वे अच्छे सांड लाते हैं और पशुओं का सुधार होता है और अच्छी नस्ल होती है। जहां पर कीमत ज्यादा होती है तो वहां पर पशु पर अधिक ध्यान दिया जाता है। मैं ज्यादा न कह कर आप से यही निवेदन करता हूं।

अब अलग अलग माननीय सदस्यों ने प्रश्न रखे उनके लिये निवेदन करना चाहता हूं। श्री नत्थीसिंह जी ने मेलों के लिये कहा। जितना भी टैक्स का धन है वह सरकार वसूल करती है और जो पूरी आय होती है वह किसानों पर और उनकी सुविधा के लिय खर्च नहीं की जाती है। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि एम० एल० ए०, प्रधान, सरपंच की मेला कमेटी होती है और जितना पैसा लगाते हैं टैक्स का उसके लिये उनको कोई आपत्ति नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : क्लेक्टर चेयरमेन होता है। हमें अधिकार नहीं है। गवर्नमेन्ट के डाइरेक्शन्स हैं कि ज्यादा पैसा खर्च न हो

(श्री नत्थीसिंह)

जाय और आज कल के अधिकारी तो बिल्कुल कन्जूसी करते हैं और कहते हैं कि पैसा राज्य सरकार को जाना चाहिये ।

श्री मनफूलसिंह : ऐसी बात नहीं है। ऐसे सुझाव आयेंगे कि बिजली की, पानी की कमी है तो उन पर जरूर ध्यान दिया जावेगा ।

बालोतरा से आयीं माननीया श्रीमती मदन कौरजी ने कहा कि चरागाह की बहुत कमी है । मैं इसको स्वीकार करता हूं । जहां चरागाह ज्यादा होते हैं रेवेन्यू विभाग उनको कृषि में कन्वर्ट कर देता है । यह हुआ है अब नहीं होगा । हम रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को लिखेंगे कि जो चरागाह बचे हैं उनको किसी प्रकार से बचाये रखा जाय । पिछले साल भी चिट्ठी लिखी थी । मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि मेरे डिपार्टमेन्ट की ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि चरागाह अलाट न हों ।

श्री जगन्नाथ : हाल ही में चरागाह कन्वर्ट हो गये हैं । उनकी ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव पास नहीं हुए है । कलेक्टर ने उन चरागाहों को बिना पूछे कन्वर्ट कर दिया है । ओब्जेक्शन उठाना पड़ेगा ।

श्री मनफूलसिंह : हम भी ओब्जक्शन उठायेंगे उसका ।

श्रीमती मदनकौरजी ने हरियाणा और पंजाब में कैटल ब्रीडिंग फार्म जैसे फार्म के लिये कहा । कांकरेज के लिये मदनकौरजी को आश्वासन देना चाहता हूं कि जैसलमेर में, बाड़मेर या जोधपुर में जहां भी उपयुक्त होगा, जो भी उपयुक्त स्थान होगा, उस जगह हम कांकरेज का कैटल ब्रीडिंग फार्म खोलेंगे ।

श्री पृथ्वीसिंह : जालोर और पाली में है । उधर ट्रेक्ट नहीं हैं ।

श्री मनफूलसिंह : जहां भी एक्सपर्ट बताऐंगे और जहां भी जगह मिलेगी उस जगह कांकरेज का फार्म इस साल खोलेंगे ।

दूसरा श्री हरलालजी ने कहा कि रींगस में पशु चिकित्सालय नहीं है । वहां पर पशु चिकित्सालय है लेकिन वहां पर कृत्रिम गर्भाधान इस साल खोल रहे हैं ।

श्री हरलालसिंह : भवन के लिये निवेदन किया था ।

श्री मनफूलसिंह : ग्राम पंचायत के द्वारा तीन कमरे बने हुए हैं और जरूरत होगी तो आपके प्रयास से भवन होगा, गवर्नमेन्ट के पास इतना प्रावधान नहीं है कि इमारत बनाये ।

जुझारसिंहजी ने चरागाह के लिये कहा उसके लिये मैं निवेदन कर चुका हूं । दूसरा सुझाव यह दिया कि कोटा में चम्बल एरिया है । उसमें हरियाणा की नस्ल होनी चाहिये । हरियाणा की नस्ल जहां ज्यादा बरसात होती है वहां चल नहीं सकती है । इसलिये मालवी ब्रीड के लिये डग में फार्म खोला है । ज्यादा से ज्यादा तरक्की करे जिससे नस्ल सुधार हो ।

श्री जुझारसिंह : कोटा और वहां के रेन फाल में डिफरेन्स नहीं ।

श्री मनफूलसिंह : वह भी देख लिया जायगा । पंचवर्षीय योजना में आगे उपयुक्त

(श्री मनफूलसिंह)

होगा तो हरियाणा नस्ल के लिये भी सोच लिया जायेगा ।

माननीय रामनारायणजी ने एक प्रश्न रखा और खास तौर से रखा शीप एण्ड वूल डिपार्टमेंट में घोटाला है । माननीय नाथूरामजी मिर्धा आस्ट्रेलिया जाकर आये और उन्होंने इसका आइडिया दिया । शीप एन्ड वूल का काम खोला उसमें काफी घोटाला हुआ । यह मैं स्वीकार करता हूं । इसमें 14 व्यक्ति डिसमिस हो चुके हैं । 76 व्यक्ति सस्पेन्ड हो चुके हैं और इसमें पांच लाख रुपया रिकवर कर चुके हैं । 79 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश दिये जा चुके हैं। दो लाख के करीब बाकी प्रारम्भिक जांच में रहेगा, बाकी सब वसूल हो जावेगा ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : बाकी डेट्स में जावेगा क्या ?

श्री रामसिंह कुड़ी : गजेटेड अफसर कितने हैं ?

श्री मनफूलसिंह : जिनके केसेज में तना रुपया बाकी है उनकी जांच चल रही है । माननीय सभापति महोदय, मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस डिपार्टमेन्ट ने प्रोग्रस की है, प्रगति की है उसके लिये माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिये था ।

श्री प्रेमसिंह सिघवी : जहां तक धन्यवाद का सवाल है, वह किस बात का ? डिपार्टमेन्ट में गबन....

श्री मनफूलसिंह : मैं चैलेन्ज करता हूं कि गत वर्ष से एक भी पैसे का गबन नहीं हुआ है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वर्तमान डाइरेक्टर बजाज साहब हैं, शीप एन्ड वूल के संबंध में गम्भीर आरोप हैं उनका क्या हुआ ? वर्तमान डाइरेक्टर पशुपालन विभाग के, उनके सम्बन्ध में लाखों रुपयों के घोटाले के केसेज हैं उनकी इन्क्वायरी का क्या हुआ ?

श्री मनफूलसिंह : इन्क्वायरी चल रही है जो भी उसके अन्दर निर्णय होगा, वह होगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ऐसे अपराधी को डायरेक्टर क्यों बनाया जिसके खिलाफ जांच चल रही है और जिस पर गंभीर आरोप हैं ?

श्री मनफूलसिंह : उनको आपकी सिफारिश से या किसी की सिफारिश से नहीं बनाया गया है। सीनीयोरिटी के हिसाब से बनाया गया है और बनाना पड़ता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, पशुपालन विभाग के अन्दर जिनके ऊपर गंभीर आरोप हैं वह वहां का डायरेक्टर है तो क्या उनके खिलाफ इन्क्वायरी होगी ? क्या उसके खिलाफ आप निष्पक्ष जांच करवा सकेंगे ?

(शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर, आर्डर। माननीय सदस्य।

श्री मनफूलसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! पहले मंत्रीजी अपना वक्तव्य समाप्त करेंगे उसके बाद आप जो कुछ पूछना चाहें पूछ सकते हैं !

श्री मनफूलसिंह : कोई गंभीर आरोप नहीं हैं जिनकी वजह से वह डायरेक्टर नहीं बन सकते हों।

श्री देवीदत्त गाड़िया : लाखों रुपयों घोटाले का आरोप है और इसकी इन्क्वायरी चल रही है और वही डायरेक्टर बन जाये तो निष्पक्ष जांच न हीं हो सकती है।

श्री मनफूलसिंह : आपके द्वारा यहां भी एक बात रखी गई थी।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मान ीय सभापति जी, पहले मंत्रीजी अपना वक्तव्य समाप्त कर दें और उसके बाद इन पूछें तो कुछ सिलसिला चलेगा।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज। मैं जैसा अभी निवेदन किया है पहले मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे दें और उसके बाद जानकारी ली जाये। जब वक्तव्य पूरा हो जाये तो आप प्रश्न कर लें। जब वक्तव्य दे रहे हों तो टोका टाकी न करें।

श्री श्रवणलाल : सभापति महोदय, मेरा एक प्रश्न है। जिनके खिलाफ आरोप हैं उनके खिलाफ आप कानूनन कार्यवाही कर रहे ह। मेरे पास यह एक पेपर है उसमें लिखा है राज्य मंत्री मनफूलसिह द्वारा मिल्क सप्लाई स्कीम में दूध के स्थान पर पानी की सप्लाई तो अब क्या जांच ?

श्री मनफूलसिंह : यह बिल्कुल गलत है।

श्री श्रवणलाल : यह पर्चा है आप कहें तो हाउस की टबल पर रख दूं ?

(शोरगुल-आवाजें "बकवास है गलत है")

यह गलत है तो इसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री ब्रजसुन्दर शर्मा (श्रम मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य खाना खाकर वापिस आग ह।

श्री मनफूलसिंह : आप यहां अखबार दिखा रहे हैं जसे गांव के आदमी को दिखाते कि यह छापा छप गया है इसलिए यह बात सही है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जब आपका फोटो छप जाय तब तो वह अखबार अच्छा वरना उस अखबार के अन्दर आपके खिलाफ समाचार आ जा तो वह गलत हो जाता है।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री मनफूलसिंह : मेरा फोटो छपे या न छपे तो भी मैं एसे अखबारों को सही नहीं मानता हूं। आप सही मानत होंग लेकिन मैं नहीं मानता हूं।

श्री श्रवणलाल : माननीय मंत्रीजी ो कह रहे ं वह गलत है। यह गलत था है तो उन्होंने क्या किया है ? इस अखबार वाले के विरुद्ध मानहानि का दावा क्यों नहीं किया ?

श्री मनफूलसिंह : माननीय सभापति जी, माननीय दिग्विजयसिंहजी न यहां एक प्रश्न रखा। उन्होंने यह कहा कि मोबाइल डिस्पेंसरी हरेक जिले में होनी चाहिये। मैं इस संबंध में यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में 28 मोबाइल यूनिट हैं और समे खास तौर से नागौर, जयपुर के अंदर दो दो यूनिट्स हैं। इसके अलावा भी हम डेजर्ट रिया में इसका और भी

(**श्री मनफूलसिंह**)
प्रावधान करना चाहते हैं। उनका दूसरा सुझाव यह है कि जो खुद मत्स्य पालन का काम करना चाहें उनके लिये सरकार को उनकी मदद करनी चाहिये। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी किसान अपने खेत के अन्दर या उसके पास खुद की जमीन हो और पानी वहां हो या प्राकृतिक रूप से इकट्ठा हो जाये तो उसको हम वहां जाकर सीड दे सकते हैं, उसको टैक्नीकल राय दे सकते हैं और इस के अलावा महकमे की ओर से जो भी इमदाद हो सकती है वह कर सकते हैं। इसके बाद श्री मनोहरसिंह जी मेहता ने एक ो सुझाव रखे हैं। उन्होंने कहा है कि पंचायत समितियों के मुख्य मुख्य स्थान पर सांड देने चाहिये...

श्री रामकिशन: शराब वं ी के बारे में कहा होगा।

श्री मनफूलसिंह: मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता कि पहले पंचायतों के अंदर मुफ्त में सांड देने की व्यवस्था थी। इसके बाद राजस्थान में सांडों की आधी कीमत पंचायत और आधी गवर्नमेंट वहन करे-यह व्यवस्था की गई। जब से ऐसा आदेश हुआ यह महसूस किया गया कि कहीं भी किसी पंचायत समिति ने सांडों के लिये मांग नहीं की है। अब इसके बाद हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इसको कोई टोकन मनी रख कर पंचायतों को सांड दिये जायं। इससे लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और पशुपालन का विकास भी हो सकता है। इसके अलावा श्री शीशरामजी ओला ने कुछ बातें यहां रखी हैं। उनके अंदर बहुत ही निराशा प्रकट की गई है। पशुपालन विभाग की ओर से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कहें तो डिप्टी डाइरेक्टर और पशुपालन के अधिकारी को झूंझुनू भेज सकता हूं। इतनी निराशा की बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वहां कोई काम नहीं हुआ है तो उस तरफ जरूर ध्यान दिया जायेगा और पशुपालन विभाग की तरफ से जो जरूरी होगा वह किया जायेगा।

एक माननीय सदस्य: सांड भेज दिये जायें।

श्री मनफूलसिंह: इस के बाद माननी गाड़िया जी ने मेरे ऊपर एक आरोप लगाया है। मुझे इस बात का बड़ा भारी खेद है कि इस आरोप को कैसे लगाया। मैं चैलेन्ज के साथ कहता हूं कि वे कतई इसको साबित नहीं कर सकते। मैंने किसी ठकेदार से कोई पैसा नहीं लिया है। मैं यह जरूर कह सकता हूं कि उनको कोई तकलीफ हो सकती है और वह यह हो सकती है कि इस व्यक्ति का उदयपुर के अन्दर अपोजिशन पार्टी खास तौर से आपकी पार्टी के द्वारा शोषण किया जाता था उसके प्रति जरूर मैंने सहानुभूति प्रकट की है इसलिये कि आप उसका शोषण करती हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: कैसे ?

श्री मनफूलसिंह: मैं तथ्यों के साथ कह रहा हूं। आप कहते हैं मेरे में बदबू आती है, मैं कहता हूं आप में बदबू आती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया: 5 साल के लिये ठेका उसको आप देते हैं, विभाग की रिपोर्ट के विरुद्ध आप यह कार्यवाही करते हैं और सरकार की आय को काफी नुकसान आपने पहुंचाया है।

श्री मनफूलसिंह : मैंने आपकी बात सुनी है, आप मे ी बात सुनें..

मैंने आपकी बातों को सुना आप भी मेरी बातों को भी शान्ति से सुनिये । आपको मालूम होना चाहिये इसका ठेका मैं ही नहीं दे सकता उस ठेके को फाइनेन्स डिपा मेन्ट और लॉ डिपार्टमेन्ट द्वारा वैरिंग होकर दिया है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने उसको सपोर्ट किया है ।

श्री मनफूलसिंह : आपने मेरे पर आरोप लगाया है । मैं सदन की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं माननीय सदस्य ने पिछले बजट सेशन में एक प्रश्न और एक स्थगन प्रस्ताव दिया था लेकिन आप उस दिन हाजिर भी नहीं रहे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैंने आधा घंटा उस पर डिबेट की है आपको पता नहीं है। इस ठेके के बारे में मुख्य मंत्रीजी को भैरोंसिह जी ने पत्र लिखा था इसके मुत्तल्लिक इस व्यक्ति को ठेका नहीं दिया जाय ।

श्री मनफूलसिंह : आपने तो स्थगन प्रस्ताव रख कर उसको पेश करना ही उचित नहीं समझा और उस दिन आप उपस्थित ही नहीं रहे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं अनुपस्थित नहीं रहा । मैं उपस्थित था और मैंने डिबेट की है ।

श्री मनफूलसिंह : यह आप गलत कह रहे हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप गलत कह रहे हैं ।

श्री मनफूलसिंह : आपने मेरे पर आरोप लगाया कि मैंने पांच लाख रुपये इस ठेके में लिये हैं यह बिल्कुल असत्य है । मेरे लिये तो आप पांच लाख लेने का कह रहे हैं आप तो पांच सौ में ही राजी हो जाते हैं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने अपने पी०ए० के द्वारा लाखों रुपया खाया है । आपकी यह आदत है आप पी०ए० द्वारा पैसा खाते है ।

आपके विभाग ने लिखा कि इसको ठेका नहीं दिया जाय मुख्य मंत्री जी ने लिखा कि ठेका नहीं दिया जाय फिर भी आपने सौदा करके उसको ठेका दिया है ।

श्री मनफूलसिंह : मेरे पास भी बहुत से आदमी आते हैं जो यह कहते हैं कि आपका धन्धा ब्लैक मेलिंग करने का है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने नहरी इलाके में लोगों की जमीन हड़प ली, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, लाखों रुपये की जमीन कोलोनाइजेशन विभाग से आपने अनुचित तरीके से ली है ।

आप पर श्री दौलतरामजी ने आरोप लगाया था उसका आप जवाब तक नहीं दे सके ।

श्री मनफूलसिंह : मेरे पर जो आरोप दौलतरामजी ने लगाया उसका जवाब मैंने उसी समय दे दिया था। दौलतरामजी ने जो एक मुरब्बा जमीन ले रखी है उसकी मैं सर्टिफाइड कापी लाया हूं । आप कहें तो उसको मैं मेज पर रख सकता हूं ।

श्री सभापति : आर्डर आर्डर ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल: दोनों तरफ से चीजें आ रही हैं आने दीजिये ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप उस कापी को दिखा देना ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : माननीय मंत्री महोदय को चाहिये कि जो सदस्य उपस्थित नहीं है उसकी अनुपस्थिति में आरोप नहीं लगाना चाहिये ।

श्री शंकरलाल : माननीय मंत्री विषयान्तर हो रहे हैं, सभापति महोदय, इनको आदेश दिया जाय कि वे विषय पर आवें ।

श्री मनफूलसिंह : माननीय सदस्य गाड़िया का काम ही ब्लैक मेलिंग करने का रहा है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने पैसा मिनिस्टरी में आने के बाद जो जोड़ा है वह बेईमानी से जोड़ा है । आपके पास जितनी भी जमीन है सब आपने 420 करके प्राप्त की है ।

श्री सभापति : दोनों सदस्यों से निवेदन करूंगा कि आप आपस में बातचीत न करें डिमाण्ड के संबंध में वक्तव्य जारी रखें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आपको जवाब देना पड़ेगा । हम तो सुनना चाहते हैं जोरदार आरोप लगाये गये हैं ।

श्री मनफूलसिंह : यह गलत कह रहे हैं- अब आगे उत्तर देना चाहता हूं-नोखा से आये हुए माननीय सदस्य ने कहा कि उनकी तहसील के अन्दर इन अकाल के दिनों में नव्वे प्रतिशत पशुओं की मृत्यु होगई....

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैंने बाड़मेर जैसलमेर और बीकानेर जिले के अकाल का वर्णन करते हुए कहा कि वहां की 90 प्रतिशत मवेशी मर गई हैं ।

श्री मनफूलसिंह : पशु मरे हैं यह मैं भी मानता हूं लेकिन नव्वे प्रतिशत मरे ऐसा मैं नहीं मानता......

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : आप इसके आंकड़े बता दीजिये ।

श्री मनफूलसिंह : पशुओं के मरने के आंकड़े रेवेन्यु विभाग के पास रहते हैं ।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : महकमा पशुओं का आपके पास है आपके पास आंकड़े रहने चाहिये ।

श्री मुकटबिहारी लाल गोयल : आप कितने परसेण्ट पशुधन की क्षति मानते हैं ?

श्री मनफूलसिंह : सभापति महोदय, ओलावृष्टि से भेड़ों आदि की काफी क्षति हुई है जहां जहां पर इस प्रकार की क्षति हुई है उस बारे में ध्यान दिया जायगा ।

(8.45 म. प.)

(श्री पुनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

राजस्थान का पशुओं के मामले में चहुंमुखी विकास हो इस बारे में हम सदा यत्नशील रहे हैं और रहेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं एक तो मेरा प्रश्न यह है कि पशु चिकित्सा कॉलेज बीकानेर से जो डॉक्टर पास करके निकलते हैं उनको सर्विस पर लगाने के बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर आर्डर । आपको कटौती प्रस्ताव के समय, समय दे दिया था अब आप नहीं बोल सकते ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मेरा इस बारे का कट मोशन है....

आप इस प्रकार से जो डॉक्टर निकले हैं उनके बारे में क्या विचार कर रहे हैं ?

कोटा के अन्दर एम० आई० यूनिट खोला जाय इस बारे में सरकार का क्या इरादा है ?

तीसरा जयसमन्द झील की मछली पकड़ने का ठेका पांच साल का दिया वह किस आधार पर दिया ?

श्री मनफूलसिंह : लॉ डिपार्टमेन्ट की राय आयी और वित्त विभाग ने सलाह दी उसके मुताबिक दिया है । जिस प्रकार जयसमन्द का ठेका दिया उसी प्रकार डेड रेण्ट और रायल्टी पर बाकी झीलों का और ठेका देना चाहते हैं । पांच साल के लिए ही नहीं बल्कि सात साल के लिये देना चाहते हैं । मत्स्य विभाग में बहुत बड़ा स्कोप है । मत्स्य विभाग में एक फिक्स्ड आमदनी होनी चाहिए यह सरकार चाहती है और ....

श्री देवीदत्त गाड़िया : वेटरनरी डॉक्टर्स के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री मनफूलसिंह : वित्त विभाग से ज्योंही पोस्ट्स मिलेंगी उनको ले लेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एम० आई० युनिट के बारे में ?

श्री मनफूलसिंह : इसके बारे में जांच करवा ली जायगी ।

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : 14 आदमी डिसमिस किये उसमें गजेटेड अफसर कितने हैं ?

श्री मनफूलसिंह : 14 ही नोन गजेटेड हैं । 76 जो डिसमिस किये उनमें से तीन गजेटेड हैं ।

श्री रामसिंह कुड़ी : छोटे छोटे अहलकारों को डिसमिस करके आप क्या करना चाहते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव (सहकारिता मंत्री) : सहकारिता एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है । माननीय सदस्यों ने जो इस के संबंध में दिलचस्पी ली है, उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं ।

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये, उपयोगी हैं । पश्चिमी राजस्थान में सहकारी बैंक से लोगों को पशु पालन के लिये पैसा मिले यह भी अच्छा सुझाव है, रिजर्व बैंक भी इसमें कुछ दिलचस्पी रखता है । मैं भी उनसे सहमत हूं और राज्य सरकार की तरफ से रिजर्व बैंक को सिफारिश करूंगा ।

दूसरा सुझाव यह आया कि पंचायत समितियों का और दूसरा रुपया कमर्शियल बैंकों में न रख कर सहकारी बैंकों में रखा जावे । मैं इससे सहमत हूं । इसमें दो राय नहीं हो सकती । इसके लिए मैं प्रयत्न करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष : 13 सालों से यह मामला आपके विभाग में विचाराधीन है ।

श्री नत्थीसिंह : वित्त मन्त्रालय ने कह दिया, रिजर्व बैंक ने भी कह दिया फिर आप क्यों नहीं करते यह ?

श्री अमृतलाल यादव : मैं खुद इसे मानता हूं और इसके लिये प्रयत्न करूंगा और इसमें माननीय सदस्यों का भी और उपाध्यक्षजी का भी पूरा पूरा सहयोग लूंगा

(श्री अमृतलाल यादव)

भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि राज्य सरकार सहकारी आन्दोलन में दखल देती है। मैं उनसे सहमत हूं कि सरकार दखल न दे। पर आज जो लोग इस आन्दोलन को चला रहे हैं और वे जब तक जनता के हित में सही काम करते हैं तब तक राज्य सरकार कोई दखल नहीं देती। न देने की उसकी भावना है। पर जब अनआफिशीयल एजेन्सी के नाम पर जनता के हित में काम नहीं करते हैं तब सरकार हस्तक्षेप करना अपना कर्त्तव्य समझती है। सोसायटियों में गड़बड़ियां जब होती हैं, पैसों का दुरुपयोग जब किया जाता है, घर में बैठ कर अंगूठे जब लगा लिये जाते हैं और यह कहते हैं कि चुनाव हो गया। गरीब सदस्यों को खबर भी नहीं होने देते तो इस प्रकार की शिकायतों के आने पर सरकार बीच में आती है। इस बारे में सभी माननीय सदस्य मेरे से सहमत होंगे। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का दखल देना बहुत ही उचित मुनासिब है और कर्त्तव्य है। यह देशव्यापी समस्या है। इस बारे में देश के मुख्य मन्त्रीगण ने अभी एक सम्मेलन में विचार भी किया था और इसके बाद सहकारी मंत्रियों ने विचार किया और इस पर बहस की। यह भी महसूस किया गया कि इस प्रकार की जो अनियमितताएं और अव्यवस्थाएं होती हैं उनको दूर करना जरू ी है और इसके लिये राज्य सरकार दखल दे सकती है।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रार ही यह सब करता है और अपील सुनता है। लेकिन, मैं समझता हूं कि सदस्य सहमत हैं और पहले तो यह समझता था कि उनको ध्यान में नहीं आई यह बात पर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य जो उनके इन्टरेस्ट में है वह बात कही जाय तो वे स्वीकार कर लेते हैं पर जो जन हित में और सरकार मजबूरन उसे करती है तो यह वे न मानें यह मुनासिब नहीं होगा। उनको मालूम है कि अल्टीमेटली तो एक कोआपरेटिव ट्रिब्यूनल है और इसमें जो जज हैं वे सेशन जज के लेवल के हैं और यह ट्रिब्यूनल इन्डिपेन्डेन्ट है। उसके लिये भी वे अगर यह मानते हैं कि उनका फैसला ठीक नहीं होता है तो हमारे पास इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : वे अपील सुनते हैं, आरबिट्रेशन नहीं सुनते हैं। आप इन्डिपेन्डेन्ट इलेक्शन क्यों नहीं चाहते ?

श्री अमृतलाल यादव : चाहते हैं।

दूसरी बात यह कही गई कि पाली जिले को उदयपुर में मिला दिया गया। मैं समझता हूं कि एक माननीय सदस्य ने इस बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं। इसलिये मुझे विशेष कहने की जरूरत नहीं है। पर इतना निवेदन कर दूं कि यह न तो किसी राजनैतिक कारण से किया गया है और न अन्य किसी कारण से किया गया है केवल प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यह किया गया है।

श्री नत्थीसिंह : कौनसी प्रशासनिक सुविधा आपने देखी इसमें जरा बता दीजिये तो।

श्री पृथ्वीसिंह : जोधपुर से पाली पचास मील दूर है, जब कि उदयपुर 200 मील दूर। इसमें कौनसी प्रशासनिक सुविधा आपको आ गई ? जरा बता दें ?

श्री मूलचन्द डागा : वहां पर जन आन्दोलन छिड़ सकता है इसके लिये। मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रस्ताव विथड्रा कर लें सरकार और इसे जिला जोधपुर के तहत वापिस कर दें।

श्री अमृतलाल यादव : पाली जिले से आने वाले कई माननीय विधायकों ने पाली की जनता ने और वहां के कई प्रधानों ने इसको उचित माना है। कई लोगों ने लगातार दस्तखत करके इसकी सरकार से प्रार्थना की है।

श्री मूलचन्द डागा : हजारों आदमी विरोध में हैं।

श्री पृथ्वीसिंह (वाली) : ये पाली के एम०एल०ए० नहीं हैं क्या ?

श्री नत्थीसिंह : ये पाली के नहीं हैं, आप कह सकते हैं, तो सब के सब खिलाफ। यह उनकी मजबूरी है बेचारों की।

श्री शंकरलाल : कोई मजबूरी नहीं है।

श्री पृथ्वीसिंह : कांग्रेस वाले ये लोग वहां के सहकारी अधिकारी की बदली नहीं करवा सके इसलिये यह राजनैतिक चाल चल कर उसे उदयपुर में ले गये हैं। यह सरासर बेईमानी की बात है।

श्री अमृतलाल यादव : इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री मूलचन्द डागा : फिर आन्दोलन से झुकावें क्या इस सरकार को ?

श्री बालसिंह सोढा : आज ऐसी कौनसी स्थिति आ गई कि पाली को प्रशासनिक दृष्टि का बहाना लेकर उदयपुर में ले जाना पड़ा ? हजारों सालों से यह जोधपुर में रहा है। और जोधपुर से पाली बहुत अधिक नजदीक और उदयपुर से बहुत दूर है। आवागमन के साधन नहीं हैं वहां आसानी से जाने के लिए।

श्री पृथ्वीसिंह : सारे के सारे हैड ऑफ दी डिपार्टमेंट पाली के जोधपुर में हैं और सैकडों सालों से हैं। आज भी वहीं हैं। उनको नहीं ले जाकर केवल इसी को उदयपुर ले गये हैं इससे तो साफ लगता है कि आपका स्वार्थ था, पोलिटिकल स्वार्थ था। प्रशासनिक सुविधा का तो पूरी तरह से बहाना है। इसमें कौनसी प्रशासनिक सुविधा है ? एक तरफ जोधपुर पचास मील पर है और दूसरी तरफ उदयपुर 200 मील से अधिक है। आने जाने की सबको असुविधा है। रोड का रास्ता नहीं है, रेल का रास्ता विकट है। सड़क बहुत घूम कर गई है। बीच में सारे के सारे पहाड़ हैं अरावली हिल्स के।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : क्या आप यह बतावेंगे कि पाली का आदमी जोधपुर के बजाय उदयपुर जावेगा तो इसमें क्या सुविधा आपने उसकी देखी है ? भौगोलिक ज्ञान आपको भी होगा थोडा बहुत तो।

एक माननीय सदस्य : जैसे नागौर जिले की कुछ तहसीलें बीकानेर में ले जाई गई हैं तो इसमें ले जाने में क्या हानि है ?

श्री पृथ्वीसिंह : वे तहसीलें बीकानेर के बहुत नजदीक लगती थीं। इसलिये वहां प्रशासनिक सुविधा का प्रश्न समझ में आता है। पर यहां तो रात दिन का अन्तर है।

(शोरगुल, अश्रव्य, कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री रामसिंह कुडी : नागोर की बात करते हैं। नागोर बीकानेर से नजदीक है। नागोर की पांच तहसीलें बीकानेर के बहुत नजदीक पड़ती हैं इसलिये वहां कठिनाई नहीं है। और इसी विनाय पर वह हिस्सा बीकानेर में शामिल किया गया था तो उसे जनता ने खुशी से मान लिया। पर पाली से उदयपुर बहुत अधिक दूर है। सारे लोग वहां इसका विरोध करते हैं। सारा सहकारी समाज पाली का इसका विरोध करता है। राजनैतिक कारणों से आपने यह सब किया है इसलिये भी विरोध करते हैं।

श्री शंकरलाल : बाली देसूरी तहसीलें जोधपुर से दूर पड़ती हैं।

श्री रामसिंह कुडी : तो इन तहसीलों के लिये उदयपुर और भी दूर पड़ता है। यह आपको मालूम होना चाहिये मैं राजस्थान की भूगोल को जानता हूं इतिहास को भी थोड़ा बहुत जानता हूं।

श्री रोशनलाल : भौगोलिक स्थिति नहीं जानते।

श्री रामसिंह कुडी : हम सब जानते हैं, आप क्या बात करते हैं ?

श्री मूलचन्द डागा : पाली के सहकारी वन्धु आपके खिलाफ आन्दोलन करेंगे।

श्री शंकरलाल : यह बिलकुल गलत है। कोई आन्दोलन नहीं करना चाहते।

श्री पृथ्वीसिंह : यह उचित कदम नहीं है राजस्थान सरकार का।

श्री नत्थीसिंह : ऑन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर सर।

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था का प्रश्न आ गया।

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। शंकरलाल जी को तो दवाव देकर तोड़ लिया है। मंत्रीजी जवाव नहीं दे रहे हैं। चाहते हैं कहे जाओ कहे जाओ जवाव नहीं देने देते, चाहते हैं लोग कहे जाएं।

श्री अमृतलाल यादव : यह गवर्नमेंट का अधिकार है कि प्रशासनिक दृष्टि से जो सरकार ठीक समझे वह करे।

(शोरगुल, अश्रव्य)

गवर्नमेंट यह करेगी। जनता के हित की दृष्टि से जो उचित समझेगी वह करेगी। मैंने निवेदन किया।

श्री मूलचन्द डागा : जनता के हित को हम भी समझते हैं।

(शोरगु, अश्रव्य)

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि एक चौधरी का तबादला नहीं करा सकने के कारण यह सब किया गया है।

(१ म० प०)

श्री मूलचन्द डागा : जनता का क्या हित है इसमें ? क्या आप 200 माइल जाना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री पृथ्वीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें जनता का कौनसा हित है यह तो सब स्वार्थ सिद्धि के मामले हैं। डिप्टी रजिस्ट्रार ईमानदार आदमी है, उसकी ये बदली नहीं करवा सके..

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। माननीय सदस्य।

आप कृपया मंत्री महोदय को उत्तर देने दें उसके बाद कोई शंका रह जाय...

श्री मूलचन्द डागा : कोई कलेक्टर की रिपोर्ट थी आपके पास ?

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

श्री रामसिंह कुडी : कोई नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : गवर्नमेंट यह मुनासिब समझती है...

श्री मूलचन्द डागा : लोकतन्त्र सरकार में जनता की इच्छा का आदर करना होगा, जनता की भावना को कद्र करनी होगी। आपने गलत कदम उठाया है...

श्री शंकरलाल : जनता की भावना की बात करते हैं।

(व्यवधान, अश्रव्य)

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री नत्थीसिंह : वे जनता के नाम पर लूटते हैं। यह मनमानी नहीं चलेगी। सहकारी आन्दोलन जनता का अन्दोलन है। मनमानी करते हैं, हम यहां बैठे हैं, मनमानी नहीं करने देंगे।

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री शंकरलाल : पाली जिले की कोई बात बताने वाले नहीं है...

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जवाब देते समय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि कितनी सहकारी संस्थाओं ने यह मांग की थी कि हमें उदयपुर में मिला दिया जाय ? अगर राजनैतिक तरीके से, राजनैतिक दांव पेच के जरिये सहकारिता की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं तो समाजवाद की जो कल्पना है वह परे की चीज हो जायगी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं......

श्री मूलचन्द डागा : कौन कौनसी सहकारी समितियों ने आपको लिख कर दिया था ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य अगर तसल्ली से मेरी बात को सुन लें तो मैं उनको सन्तुष्ट करने की कोशिश करूंगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सन्तुष्ट आप नहीं कर सकते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य जो भरतपुर से आते हैं उन्होंने जो बात मेरे लिये कही है कम से कम सहकारी बन्धु के नाते यह बात अपने ऊपर भी लागू करनी चाहिये।

श्री नत्थीसिंह : हम तो अपने ऊपर पूरी लागू करते हैं। जांच करवा कर देख लीजिये। आप तो हमारे पासंग में भी नहीं ठहरते।

श्री अमृतलाल यादव : जो आप कहें वही सहकारिता है, मैं कभी नहीं मानता। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिये।

श्री मूलचन्द डागा : पाली से उनका सम्बन्ध नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : सारे राजस्थान से संबंध है। राजस्थान का मामला है।

श्री अमृतलाल यादव : आप मेहरबानी करके मेरी बात सुनलें।

एक माननीय सदस्य : आपका पाली से क्या संबंध है?

श्री रामसिंह कुड़ी : माननीय सदस्यों का दूसरे जिलों से संबंध नहीं है क्या? मुझे तो आपकी बुद्धि पर तरस आता है।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय हरलालजी ने सीकर जिले के अंदर बोगस सोसायटी का जिक्र किया है। मैं यह कहना चाहता हूं उस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया है। वहां के इन्सपेक्टर व ए०इ०ओ० को सस्पेंड कर दिया गया है वहां की हालत अब अच्छी है। झुंझुनू से आने वाले माननीय सदस्य ने बैंकों के बारे में कहा कि बैंकों में 3-4 लाख का घोटाला है, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दिया गया है। 34 केसेज रजिस्टर हुये हैं और उनकी वसूली की कार्यवाही हो रही है। अभी चुनाव नहीं कराये जायं क्योंकि इस बैंक को रिहेबिलिटेट करना जरूरी है और उसके माफिक गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक के अधिकारियों को बुला कर इसकी जांच करवाई है। वे वहां गये और यह तय किया है कि इस बैंक को फिलहाल रिहेबिलिटेट किया जाय। ढाई लाख प. मंजूर किये जाकर रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। इससे उसकी इन्डेपेन्डेन्ट शक्ति बनेगी गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रहे। हालत सुधरते ही चुनाव करवायेंगे।

श्री रामकिशन : घोटाला 3-4 लाख का ही है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : बहुत थोडा सा ही है तीन चार लाख का।

श्री अमृतलाल यादव : कोऑपरेटिव सोसायटिज के नाम पर जमीनें ले ली है और कहा बोगस सोसायटियां बना रखी हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं पिछले सैशन के बाद से मैंने सब आर० ए० एस० अधिकारियों को यह इन्स्ट्रक्शन इश्यू कर दिये कि इस प्रकार की जितनी सोसायटीज हैं उनकी सर्वे की जाय और यह पाया जाय कि बोगस सोसायटीज हैं तो उनको लिक्विडेट की जाय और कुछ सोसायटीज को लिक्विडेट किया गया है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं गवर्नमेंट पूरी सावधानी रखती है और इस प्रकार की बोगस सोसायटीज के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाया जायगा।

श्री रामसिंह कुड़ी : क्या यह सही है कि मिनिस्टर लिक्विडेट करें तो उसको उप-मंत्री महोदय स्टे कर दे?

श्री अमृतलाल यादव : आप कानून नहीं समझते हैं, यह कानून की बात है।

श्री नत्थीसिंह : उस कानून में आपका यह अधिकार है या उप-मंत्री का अधिकार है?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गाड़िया जी ने प्रमोशन के बारे में कहा कि कुछ ऑफिस के प्रमोशन के बारे में पक्षपात हुआ है। जो मामला हाई कोर्ट के विचाराधीन है उसको वे भी मानते है और मैं भी मानता हूं लेकिन उन्होंने कुछ हरिजन एम्पलाइज के बारे में

(श्री अमृतलाल यादव)

सहानुभूति प्रगट की है अगर यह सहानुभूति सच्ची है तो मुझे भी सहानुभूति है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): मंत्री जी के साथ कैसा व्यवहार है नका?

श्री अमृतलाल यादव: मैं यह निवेदन करना चाहता हूं हरिजन और आदिवासी एम्पलॉइज का जहां तक सवाल है यह बात विचाराधीन है, प्रमोशन में भी कन्सीडरेशन किया जायगा वह फैसला हो तब तक अमुक स्थिति बनती है लेकिन मैं यह आश्वासन ेना चाहता हूं जहां तक हरिजन और आदिवासी एम्पलाइज का सवाल आयेगा मैं रूल्स के अनुसार जो उचित प्रमोशन हंगा उनके साथ अन्याय न हो, इसको निश्चित रूप से देखूंगा।

आपने सीनियोरिटी लिस्ट के बारे में कहा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन, जिस सीनियोरिटी लिस्ट का आपने जिक्र किया वह 59 में उन्होंने विथड्रा कर ली और उसके बाद जो गवर्नमेंट ने लिस्ट सीनियोरिटी की अभी बनाई है उस लिस्ट को हम फाइनल तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक कि हाई कोर्ट से फैसला न हो जाये। तो मैं इस स्थिति में सिवाय इसके कि यह एश्योर करूं कि जो भी नियम फाइनल होंगे उनके अनुसार जिन कर्मचारियों का प्रमोशन ड्यू होगा उनके बारे में निश्चित रूप से मैं देखूंगा।

इसके आगे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं......

कुछ माननीय सदस्य: बस अब तो समाप्त हो गया।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़): अब करीब करीब सब पर प्रकाश डल गया है।

श्री अमृतलाल यादव: जो बैंक 'सी' से 'बी' में और 'बी' से 'ए' में होते हैं उनके रूल्स बने हुए हैं। माननीय सदस्य उन रूल्स को देखें।

कुछ माननीय सदस्य: अब काफी हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय, को समाप्त करने दीजिए।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी: चर्चा समाप्त हो जाये तो अच्छा है।

श्री अमृतलाल यादव: जो ट्रेडीशनल आर्टीजन्स हैं और उनको एक्सप्लाइट करने के लिए इस कोआपरेटिव मूवमेंट के नाम पर कुछ घुस जाते हैं और उन लोगों को एक्सप्लाइट करते हैं। यह शिकायतें मेरे सामने भी आई हैं। माननीय श्री चुन्नीलाल जी इंदलिया ने भी जो कि ट्रेडीशनल आर्टीजन्स की दिक्कतों से स्वयं परिचित हैं उन्होंने भी उनकी दिक्कतें बताई हैं। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी उन्होंने मुझे सूचना दी है उसके ऊपर मैं एक्शन ले रहा हूं और सख्त से सख्त एक्शन उनके ऊपर लिया जायेगा इस बात को मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं।

मैं समझता हूं कि कट मोशन्स के द्वारा जो भी मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये हैं और जो जो बातें कहीं हैं उनके बारे में यथा-सम्भव मैंने उनका उत्तर देने का प्रयत्न किया है।

श्री शंकरलाल: 60 इन्सट्रक्टर्स जो बेकार हो रहे हैं उनको वापिस लगाने के बारे में क्या है?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय उपाध्यक्ष जी मैं एक महत्वपूर्ण बात भूल गया मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो सहकारी यूनियन्स की तरफ से इन्सट्रक्टर्स रखे गये थे उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कह दिया है और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी बहुत स्पष्ट कह दिया है लेकिन मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा उससे अधिक मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी उनके साथ पूरी सहानुभूति है और उनको एब्जार्ब करने के लिए यथा-सम्भव मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि वह सब के सब एब्जार्ब कर लिये जायें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कोऑपरेटिव हाउसिंग स्कीम के लिए आपकी क्या नीति है?

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : माननीय मंत्री जी ने झुन्झुनू बैंक के बारे में जो कहा है वह बहुत ही भ्रामक है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स ने यह लिखकर दिया था कि बैंक की हालत खराब हो गयी है इसलिये राज्य सरकार बोर्ड को सस्पेन्ड करके उसका इन्तजाम करें। यह बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स की मांग थी। वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर है और उसको आज कितना समय हो गया है, आप बतायें कि बैंक की क्या हालत है और सरकार और कितने दिनों तक उस स्थिति को रखना चाहती है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो वहां के एडमिनिस्ट्रेटर हैं वह कितने समय तक बने रहेंगे और राज्य सरकार बताये कि 12 महीने या 6 महीने या 2 महीने में कब तक चुनाव सरकार कराना चाहती है?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय, उपाध्यक्ष जी, बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स से ज्यादा जिम्मेदारी है वह है आमसभा की, और मेरे पास सूचना है उसके अनुसार 19-1-69 को बैंक की आम सभा बुलाई गयी और जिसमें संचालक मण्डल के चुनाव पर विचार किया गया। परन्तु सर्वसम्मति से सदस्यों ने निर्णय लिया कि राजकीय प्रशासनिक ढांचे द्वारा बैंक का कार्य जो संचालन किया जा रहा है वह अभी ठीक है। अतः इस कारण बैंक के चुनाव नहीं कराये जायें।

श्री शिवनाथसिंह : मेरा प्रश्न स्पष्ट है।

श्री अमृतलाल यादव : इसके ऊपर मैंने कहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुआ। 34 केसेज हुए और रियेलाईजेशन के केसेज चल रहे हैं और बैंक को रिहेबीलिटेट करने के लिए गवर्नमेंट ने 2।। लाख रुपया मन्जूर किया है और जैसे ही बैंक की हालत जल्दी से जल्दी अच्छी होगी वैसे ही उसके इन्डिपेन्डेन्ट चुनाव हो जायें बैंक इन्डिपेन्डेन्ट हो जाये इसको सरकार मानकर चलती है।

श्री शिवनाथसिंह : यों तो समय 20 साल का भी हो सकता है "जैसे ही हो जायेगी और वैसे ही हो जायेगी" तो 2 साल में हो जायेगी, चार साल में हो जायेगी यह दूसरी बात है लेकिन आप चुनाव कब तक करा देंगे?

श्री अमृतलाल यादव : जैसे ही वैसे ही वैसे ही साफ कह दिया। माननीय सदस्य जानते हैं कि किसी को भी इसमें दिलचस्पी नहीं है कि बैंक की हालत खराब हो। अगर बैंक बैंक्रप्ट हो जाता है तो रिजर्व बैंक पैसा नहीं देती है और रिजर्व बैंक पैसा नहीं देती है तो वहां के किसानों का भला नहीं हो सकता, उनको लोन नहीं मिल सकता। इसलिए हम कुछ कर दें और उसका लोन रियेलाइज नहीं हुआ और रिजर्व बैंक सेटिस्फाई नहीं

(**श्री अमृतलाल यादव**)
हुआ तो हमारे करने से कुछ नहीं होगा । इसलिये रिजर्व बैंक का सर्टीफिकेट मिलना चाहिए कि इस बैंक की हालत ठीक है तब ही उसके चुनाव कराये जा सकते हैं ।

श्री शिवनाथसिंह : इन पिछले बारह महीनों में या दो साल में कितना लोन रियेलाइज किया और आपके एडमिनिस्ट्रेटर ने क्या काम किया ?

श्री अमृतलाल यादव : डिटेल तो नहीं हैं लेकिन हालत इम्प्रूव हो रही है और उन्होंने डिफरेन्ट स्टेजेज पर केसेज चलाये हैं और रियेलाईजेशन हुआ है ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें पूछना चाहता हूं कि पाली जिले के कितने सहकार बंधुओं ने आपको लिखकर दिया कि पाली जिले के डिप्टी रजिस्ट्रार के कार्यालय को उदयपुर ले जाया जाये..

श्री अमृतलाल यादव : पाली जिले के 3 एम० एल० ए०..

श्री मूलचन्द डागा : पूरा क्वेश्चन सुनिये।

श्री अमृतलाल यादव : आप एक का पहले जवाब ले लें ।

श्री मूलचन्द डागा : पूरी बात तो सुन लें।

श्री अमृतलाल यादव : मैं भूल जाऊंगा फिर । एक सवाल आ गया उसका उत्तर सुन लें और उसके बाद दूसरा सवाल कर लें।

श्री मूलचन्द डागा : पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें ।

श्री शंकरलाल : कोई प्रासीजर एडाप्टेड है क्या ? प्रशासनिक दृष्टि से कहीं भी ले जा सकते हैं ।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, पाली जिले की कितनी सहकारी समितियों ने लिख कर दिया है ? उदयपुर में गलत काम कराने का प्रयत्न नहीं करें ....

श्री रोशनलाल शर्मा : कोई गलत काम नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री मूलचन्द डागा : सवाल इतना ही था कि कितनी सहकारी समितियां जो पाली जिले की हैं उन्होंने आपको लिखकर दिया कि यह ट्रान्सफर होना चाहिए ? दूसरी बात यह मैं पूछ रहा हूं कि कौनसे अधिकारी ने यह रिपोर्ट बनाई, कलेक्टर या रजिस्ट्रार ने बनाई कि यह जिला उदयपुर को जाना चाहिए उस काम के लिए । तीसरी बात यह बतायें कि किन किन सहकारी समितियों ने और ऑफिसर की रिपोर्ट ने इस बारे में सिफारिश की और क्या कारण था कि उदयपुर के अंदर आज भी 50 समितियां काम कर रही हैं और वहां पर 25 हैं तो आपने क्यों ट्रान्सफर किया ?

श्री शंकरलाल : कितनी सहकारी समितियां हैं आपको पता ही नहीं है ।

श्री अमृतलाल यादव : तो मैंने निवेदन पहले ही किया कि पाली जिले के 3-4 माननीय सदस्यों ने और पाली जिले की पंचायत समितियों के प्रधानों ने, पाली जिले की पंचायतों के सरपंचों ने और इसके अलावा पाली जिले की कोऑपरेटिव सोसाइटी के सदस्यों ने....

श्री मूलचन्द डागा : यह स्टेटमेन्ट गलत है ।

श्री शंकरलाल : बिलकुल ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। मांगों पर मतदान ।

मांगों पर मतदान

मांग संख्या 18

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18, मुख्य शीर्षक 31 - कृषि के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्य पाल महोदय को 6,01,98,000 रु० तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या 19

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 33 - पशु-पालन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 3,20,43,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे । जो इसके पक्ष में होंवे हां कहें । (हां की आवाजें) जो इसके पक्ष में न हों वे ना कहें । हां पक्ष जीता ।

श्री नत्थीसिंह : गिरधारीलाल जी ना कह रहे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : कोई बोला ही नहीं।

(स्वीकृत)

श्री उपाध्यक्ष : मांग स्वीकार की गई।

(विराम)

मांग संख्या 20

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 34– सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित राज्यपाल महोदय को 1,67,51,000 रु0 तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

(विराम)

मांग संख्या 38

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 38, मुख्य शीर्षक 95 - कृषि उन्नति और अन्वेषण की योजनाओं पर पूंजी की लागत के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1971 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 21,85,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई ।

सदन की कार्यवाही कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(तदन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के 9 बज कर 23 मिनिट पर दिनांक 17 मार्च, 1970 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थागित हुई)

शुद्धि-पत्र

(सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 1970)

स्क० संख्या 1	पंक्ति संख्या 2	अशुद्ध 3	शुद्ध 4
11	शीर्ष	(श्री मथुरादात माथुर)	(श्री मथुरादास माथुर)
,,	अन्तिम से 10	ह	है
,,	,,	स्टटमेंट	स्टेटमेन्ट
12	1	श्री मथरादास माथर	श्री मथुरादास माथुर
18	अन्तिम से 5	नॉन टक्स	नॉन टैक्स
22	,, 3	-—	है
24	2	ह	है
29	3	रिपो	रिपोर्ट
30	अन्तिम से 4	श्री सैरों सिह	श्री भैरोंसिह
39	8	वस्ट	वैस्ट
45	5	इवकम	इन्कम
52	12	इन्का	इनका
61	अन्तिम से 9	व्यवथा	व्यवस्था
,,	,, 6	रा ी किया ोर	राजी किया और
67	,, 9	की	को
74	,, 2	रखत	रखते
82	1	(कृ	(कृषि
114	अन्तिम से 10	अन्तअर्त	अन्तर्गत
119	15	मां	मांग
129	14	म ास	मद्रास
,,	16	करन	करने
,,	अन्तिम से 9	फं स	फंड्स
131	,, 3	दृढ़	दृढ़
135	2	वसे	वैसे
136	2	प ा	पढ़ा
138	5	मं ी	मंत्री
143	शीर्ष	(श्री मति मदनकंवर)	(श्रीमती मदन कौर)
164	अन्तिम से 7	रहा	रह

1	2	3	4
169	16	यूब	ट्यूब
173	16	कृ यन्त्र	कृषि यन्त्र
181	अन्तिम से 10	सके	इसके
,,	,, 3	क	एक
185	,, 11	पशुपालन न तीनो	पशुपालन तीनों
186	,, 10	हरीजन	इरीजन
190	1	आपकार	आपका
195	अन्तिम से 7 व 9	एक्सपर्ट	एक्सपर्ट
202	,, 4	हां	यहां
206	,, 13	नि क्त	नियुक्त
,,	,, 8	क ोड़ों	करोड़ों
207	5	स	इस
,,	11	लाकों	इलाकों
,,	20	इरिगे ड	इरिगेटेड
208	2	'	है
,,	अन्तिम	खदजनक	खेदजनक
214	13	करनी करनी	करनी
215	अन्तिम से 7	'	में
220	14	उपयुक्त	उपयुक्त
,,	अन्तिम से 3	होना	होनी
,,	,, 2	को	की
223	,, 6	व्यवहस्था	व्यवस्था
224	अन्तिम से 13	शद ों	शब्दों
,,	,, 7	सचारु	सुचारु
241	5	पन्डिग	पैन्डिंग
245	15	स	इस
,,	अन्तिम से 7	का	ठेका
248	अन्तिम	अमेरिक	अमेरिका
250	अन्तिम 5	नय	नया
255	शीर्ष	(श्री देवीदत्त गाडिया)	(श्री गोकुल चन्द जाटव)
,,	अन्तिम से 5	स	इस
,,	,, 4	न	ने

1	2		3	4
257	शीर्ष		(श्री रामकुमार नन्दवाला)	(श्री रामकुमार नन्दवाना)
263	शीर्षक		अ्दान	अनुदान
264	अन्तिम से	7	डिप्टी कि मिनिस्टर	कि डिप्टी मिनिस्टर
270	,,	18	ह् किय	ही किया
273		4	जाम	नाम
,,	अन्तिम		देगा	दूंगा
280		9	दर्	दूर
281	अन्तिम से	2	से	में
284		9	डिमडिस	डिमान्ड्स
295	अन्तिम से	8	ेती	खेती
323	,,	7	व्यापा	व्यापारी
331		4	केंगे	करेंगे
333		14	ेंगे	देंगे
337		5	श्री उपाध्क्षय	श्री उपाध्यक्ष
,,		13	डेजं	डेजहं
338	अन्तिम से	14	`	ने
339	,,	,,	कन्व	कन्वर्ट
,,	,,	10	स्ताव	प्रस्ताव
341	शीर्षक		अनदान	अनुदान
,,		17	बाकी डेट्स	बाकी बैड डेट्स
,,	अन्तिम से	9	तना	इतना
343		4	श्री मनफल सिह	श्री मनफूल सिह
,,		7	श्री दवीदत्त गाडिया	श्री देवीदत्त गाडिया
,,		13	मानीय	माननीय
,,		15	श्न	प्रश्न
344	अन्तिम से	12	गलत पा है	गलत है
,,	,,	8	न	ने
,,	,,	3	समे	इसमें
,,	अन्तिम		रिया	एरिया
345		9	इक्ट्ा	इकट्ठा
,,		14	ो	दो
,,		17	बंी	बंदी
346		10	माननी	माननीय

1	2	3	4
350	अन्तिम से 11	यत्नशील	प्रयत्नशील
357	14	ूर	दूर
358	17	(शोरगु,	(शोरगुल
370	अन्तिम से 4	(तदन्तर	(तदनन्तर
,,	अन्तिम	स्थागित	स्थगित